धींधवाल पब्लिकेशन

DHP-51

Dhindhwal Publication

Lead, Read and Achieve

राजस्थान

सार संग्रह

निःशुल्क नवीनतम राजस्थान मानचित्र

नवगठित जिलों के अनुसार

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- नवीनतम बजट व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट का समावेश
- नवीनतम आंकड़े व योजनाएँ
- सरल, संक्षिप्त व सारगर्भित

होशियार सिंह

उप निरीक्षक, राजस्थान पुलिस

धींधवाल पब्लिकेशन

परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें

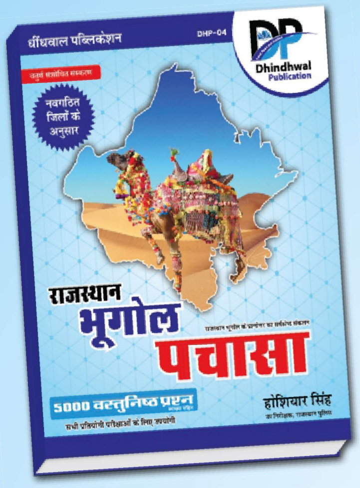

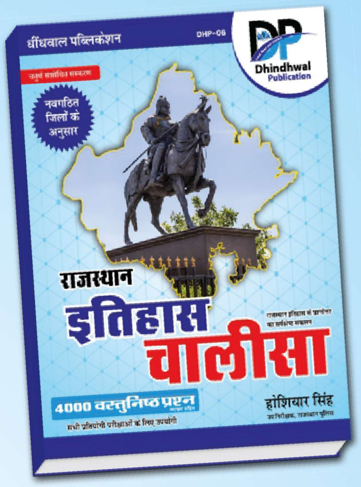

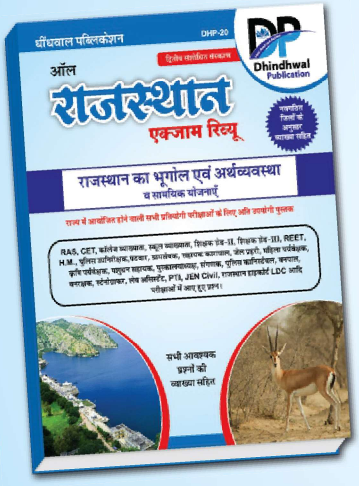

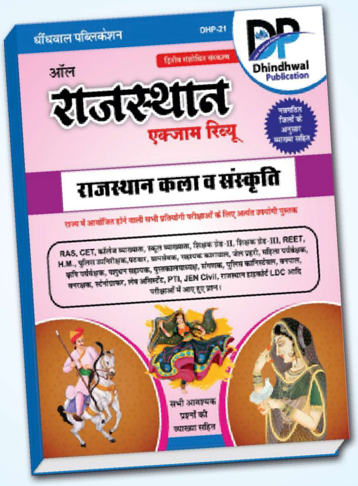

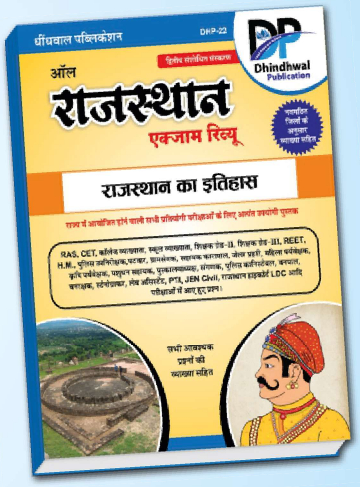

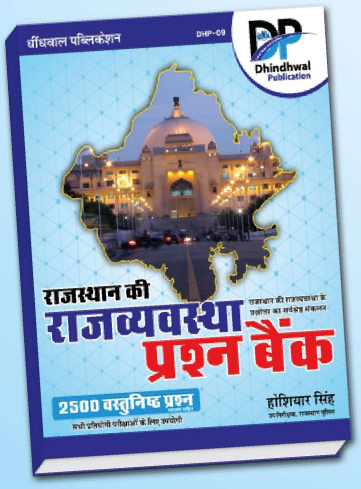

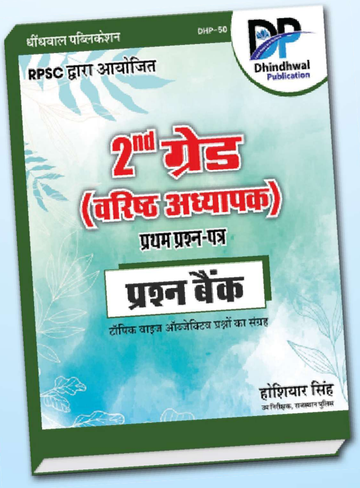

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

धींधवाल पब्लिकेशन

परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें

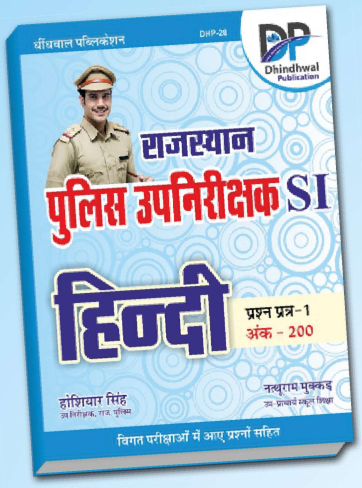

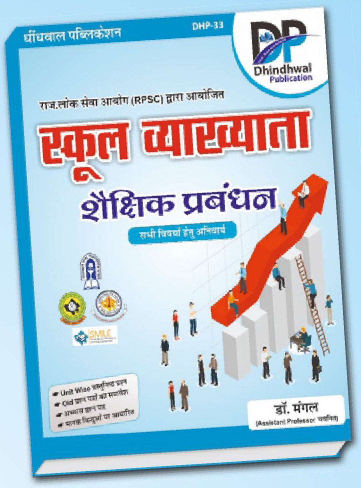

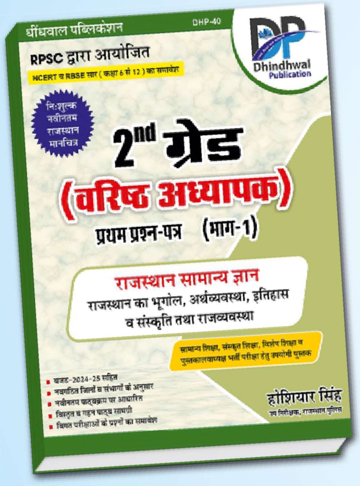

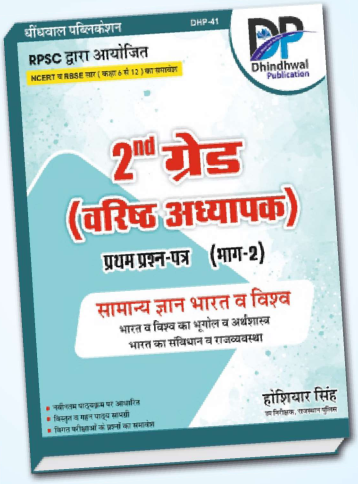

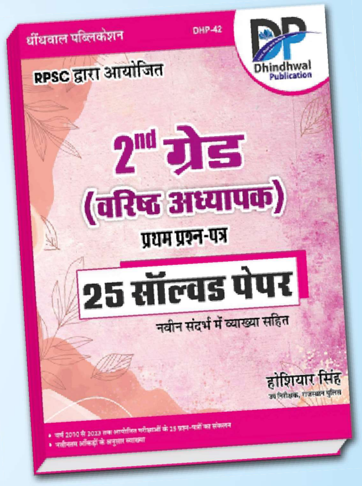

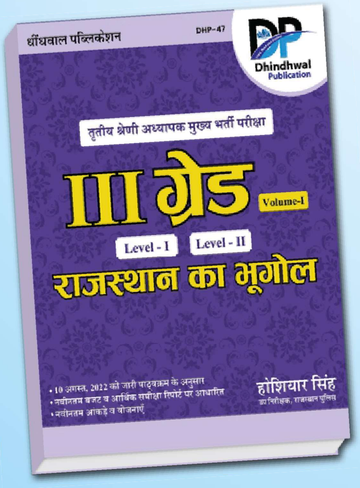

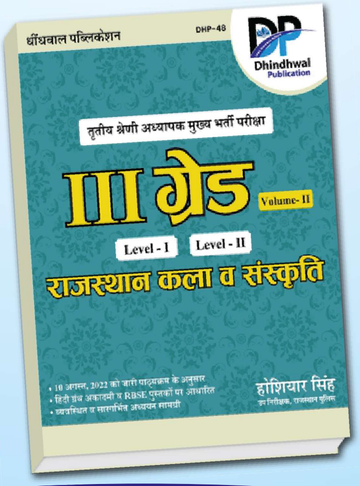

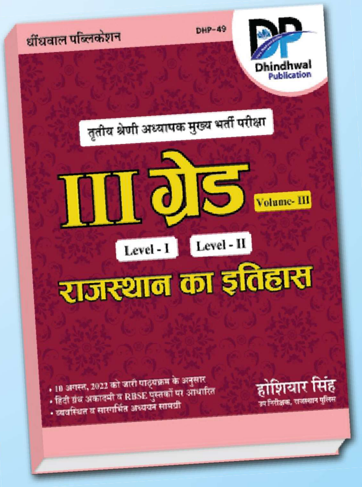

धींधवाल पब्लिकेशन

बी–22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

Dhindhwal Publication
Lead, Read and Achieve

होशियार सिंह

उप निरीक्षक, राज. पुलिस

: लेखक परिचय :

होशियार सिंह का जन्म ग्राम रतनपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) में हुआ। आपने स्नातक करने के दौरान ही वर्ष 2003 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आरम्भ की, राजस्थान पुलिस (जिला बीकानेर वर्ष 2008) में कानिस्टेबल के पद पर चयन के साथ ही 2008 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर चयन हुआ। आपने 5 वर्ष तक जिला राजसमंद में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएँ दी, तत्पश्चात् द्वितीय श्रेणी शिक्षक (हिन्दी) 2013 में चयन होने पर आपने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कतरियासर (बीकानेर) में अपनी सेवाएँ दी, तत्पश्चात् राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक 2014 में चयन हुआ, वर्तमान में आप राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक हैं, आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अध्यापन व मार्गदर्शन का गहन अनुभव है।

लेखक की अन्य पुस्तकें

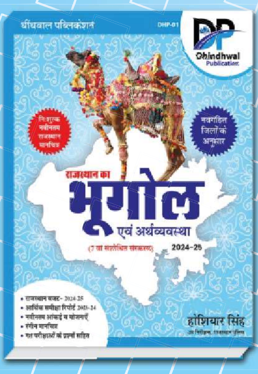

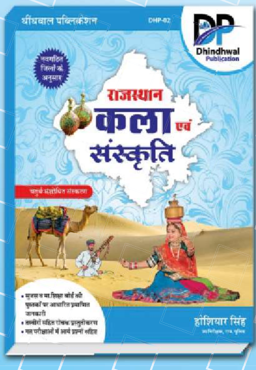

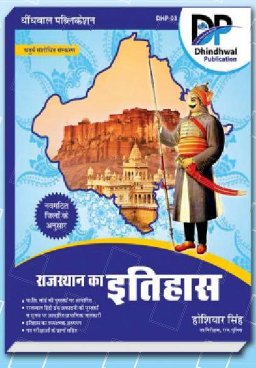

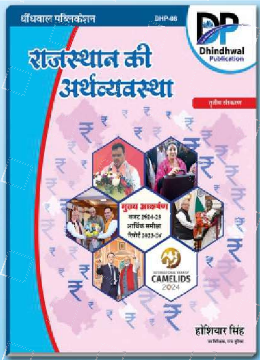

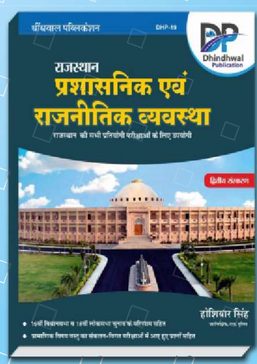

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

धींधवाल पब्लिकेशन

नवगठित जिलों के अनुसार

प्रस्तुत करते हैं–

Dhindhwal Publication

Lead, Read and Achieve

राजस्थान सार संग्रह

राजस्थान का भूगोल + राजस्थान कला एवं संस्कृति
राजस्थान इतिहास + राजस्थान की राजव्यवस्था

- नवगठित जिलों के अनुसार तैयार राजस्थान जी.के.।
- सरल, संक्षिप्त और सारगर्भित अध्ययन सामग्री।
- नवीनत्तम आँकड़ों व रंगीन मानचित्रों सहित।
- राजस्थान बजट–2024 व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2023–24 पर आधारित आँकड़े।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों, सुजस व हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की पुस्तकों पर आधारित अध्ययन सामग्री।

RAS, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, शिक्षक II[nd] ग्रेड, शिक्षक III[rd] ग्रेड, REET, CET, H.M., पुलिस उपनिरीक्षक, पटवार, ग्रामसेवक, राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल, राजस्थान हाइकोर्ट, वनरक्षक, वनपाल, पुस्तकालयाध्यक्ष व राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी पुस्तक।

धींधवाल पब्लिकेशन
B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर
मो.– 8306733800

लेखक :– होशियार सिंह
(उप निरीक्षक, राजस्थान पुलिस)

प्रकाशक:-
धींधवाल पब्लिकेशन
B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर
मो.- 8306733800

- Dhindhwal Publication
- धींधवाल पब्लिकेशन
- Dhindhwal Classes
- @Publication-DP
- Dhindhwal Publication

परीक्षा चाहे कोई भी हो,
पुस्तक सिर्फ एक
धींधवाल राजस्थान सार-संग्रह

बुक कोड- **DHP-51**

© सर्वाधिकार- लेखक

फिक्स रेट- ₹ 490.00 (NRT)

■ संस्करण : 2024-25

मुद्रक-
पिंकसिटी ऑफसेट, जयपुर

इस पुस्तक के किसी भी अंश का लेखक तथा प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना मुद्रित करना, कराना तथा इस पुस्तक की व इसके किसी भाग की फोटोकॉपी, स्केनिंग, इलेक्ट्रोस्टेट, मशीनी टंकण अथवा किसी भी तरीके से पुन: उपयोग करना, पी.डी.एफ बनाकर वाट्सअप या टेलीग्राम आदि पर प्रसारित करना पूर्णत: वर्जित है।

इस पुस्तक को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है पुस्तक में दिये गये तथ्य व विवरण उचित व विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं, फिर भी इसमें किसी प्रकार की त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप रह जाना संभव है। अत: ऐसी किसी भी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप के कारण हुई क्षति अथवा क्लेश के लिए लेखक, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक, विक्रेता व कर्मचारीगण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आप उपर्युक्त सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से पुस्तक खरीद रहे हैं अत: दायित्व आपका स्वयं का होगा। सभी प्रकार के परिवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

भूमिका

प्रिय परीक्षार्थियो,

मुझे, राजस्थान सार–संग्रह आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है। इससे पूर्व हमारी 'राजस्थान का भूगोल', 'राजस्थान कला व संस्कृति', 'राजस्थान का इतिहास' व 'राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था' नामक पुस्तकें पूरे राजस्थान में पसन्द की जा रही है। विद्यार्थियों की माँग पर राजस्थान जी.के. की चारों पुस्तकों का मैटर शामिल करके 'राजस्थान सार–संग्रह' पुस्तक तैयार की गई है। प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को आधार बनाकर सामग्री संकलित की गई है।

☞ पुस्तक की प्रमुख विशेषताएँ–

- पुस्तक को राजस्थान के नवगठित जिलों के अनुसार तैयार किया गया है।
- पुस्तक की भाषा शैली सरल, सहज और ग्राह्य बनायी गई है।
- राजस्थान बजट : 2024–25 व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट : 2023–24 पर आधारित आँकड़े।
- प्रत्येक अध्याय के बाद सारगर्भित विवरण व सारणियाँ।
- इस पुस्तक को पढ़ने के बाद 'राजस्थान जी.के.' के लिए किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

मैं ईश्वर और अपने माता–पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सहयोगियों मुकेश कुमावत, लालचन्द जाट, विक्रम सिंह, कानाराम वर्मा, दिनेश कुकणा, धर्मेन्द्र बिशु, सुनील, विष्णु पुरी (टाइपिस्ट), मोहम्मद रफीक (टाइपिस्ट), असलम अली (टाइपिस्ट), यशवन्त प्रजापत (टाइपिस्ट) का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक परिश्रम से पुस्तक को तैयार करना संभव हो पाया।

पुस्तक के आगामी संस्करणों में इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझावों का हार्दिक स्वागत है।

''आज रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी,
हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी।''

होशियार सिंह
उप निरीक्षक, राजस्थान पुलिस
मो.– 8118833800

अनुक्रमणिका

राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था		
क्र.सं.	विषय–सूची	पृष्ठ संख्या
1.	राजस्थान: एक सामान्य परिचय	1–9
2.	राजस्थान का भौतिक विभाजन	10–22
3.	राजस्थान में जल संरक्षण एवं जल प्रबन्धन	22–23
4.	प्राचीन नाम व भौगोलिक उपनाम	24–26
5.	राजस्थान की जलवायु	27–35
6.	राजस्थान में मिट्टियाँ, अपरदन एवं मरूस्थलीकरण	36–42
7.	राजस्थान में सूखा, अकाल व आपदा	43–44
8.	राजस्थान की वन सम्पदा व पर्यावरण	45–54
9.	जैव विविधता, वन्यजीव एवं अभयारण्य	55–65
10.	राजस्थान में पशुपालन	66–76
11.	राजस्थान में कृषि एवं प्रमुख फसलें	77–95
12.	राजस्थान में अपवाह व नदियाँ	96–108
13.	राजस्थान की झीलें व बावड़ियाँ	109–116
14.	प्रमुख बाँध, सिंचाई परियोजनाएँ व जल संसाधन योजनाएँ	117–126
15.	राजस्थान की नहरें	127–130
16.	राजस्थान के उद्योग	131–145
17.	राजस्थान के खनिज संसाधन	146–158
18.	राजस्थान में ऊर्जा संसाधन	159–168
19.	राजस्थान में पर्यटन	169–175
20.	राजस्थान में परिवहन	176–186
21.	राजस्थान की जनगणना–2011	187–190
22.	क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	191–192
23.	राजस्थान में सहकारिता	192–193
24.	राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केन्द्र	194–195

अनुक्रमणिका

राजस्थान कला एवं संस्कृति		
क्र.सं.	विषय–सूची	पृष्ठ संख्या
1.	राजस्थान के दुर्ग	1–23
2.	राजस्थान के महल, पैलेस एवं स्मारक	24–30
3.	राजस्थान की हवेलियाँ	31–32
4.	राजस्थान की छतरियाँ	33–35
5.	राजस्थान के लोकदेवता	36–43
6.	राजस्थान की लोकदेवियाँ	44–49
7.	राजस्थान के सम्प्रदाय व संत	50–59
8.	मुस्लिम पीर, मस्जिदें, दरगाह, मीनार, मकबरें	60–61
9.	राजस्थान के मंदिर	62–74
10.	राजस्थान के त्योहार व मेले	75–84
11.	राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ	85–93
12.	राजस्थान की हस्तकलाएँ	94–102
13.	राजस्थान के लोक नृत्य	103–108
14.	राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य	109–112
15.	राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, संगीत घराने व संगीतज्ञ	113–116
16.	राजस्थान के लोकगीत	117–120
17.	राजस्थान के लोक वाद्ययंत्र	120–125
18.	राजस्थान के आभूषण	126–129
19.	राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा	130–132
20.	राजस्थान की प्रथाएँ व रीति–रिवाज	133–137
21.	राजस्थान की जनजातियाँ	138–144
22.	राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ	145–147
23.	राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार	148–151
24.	राजस्थान में साहित्य व प्रमुख पुस्तकें	152–160
	राजस्थान की प्रमुख पत्रिकाएँ	161
25.	राजस्थान की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएँ	162–163
26.	राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय	164–166
27.	राजस्थानी शब्दावली	167–170
28.	राजस्थान में डाकटिकट	171

अनुक्रमणिका

राजस्थान का इतिहास		
क्र.सं.	विषय–सूची	पृष्ठ संख्या
1.	राजस्थान के इतिहास के स्रोत ➢ राजस्थान के प्रमुख शिलालेख ➢ प्रमुख ताम्र पत्र ➢ विभिन्न रियासतों के सिक्के व मुद्राएँ ➢ पुरालेखीय सामग्री	1–14
2.	राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएँ एवं पुरास्थल	15–25
3.	राजस्थान का पौराणिक, ऐतिहासिक स्वरूप व जनपद युग	26–29
4.	राजपूतों की उत्पत्ति	30–31
5.	प्रतिहार वंश (गुर्जर प्रतिहार)	32–35
6.	चौहान राजवंश	36–46
7.	मेवाड़ का गुहिल राजवंश	47–66
8.	आमेर का कच्छवाहा राजवंश	67–75
9.	मारवाड़ का राठौड़ राजवंश	76–86
10.	बीकानेर का राठौड़ राजवंश	87–91
11.	जाट राजवंश	92–95
12.	राजस्थान के अन्य महत्त्वपूर्ण राजवंश आबू, जालौर, मालवा व वागड़ के परमार जैसलमेर का भाटी राजवंश, करौली का यादव राजवंश चावड़ा राजवंश, टोंक का मुस्लिम राजवंश, झालावाड़ का झाला राजवंश अलवर का कछवाहा राजवंश, शेखावाटी का कछवाहा राजवंश किशनगढ़ का राठौड़ राजवंश डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व शाहपुरा का गुहिल राजवंश	96–106
13.	राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासन व सामंती व्यवस्था	107–114
14.	राजस्थान में अंग्रेजी प्रभूत्व और उसके प्रभाव	115–118
15.	राजस्थान में 1857 की क्रांति	119–126
16.	1857 की क्रांति के बाद सुधारों और राजनीतिक चेतना का काल	127–131
17.	राजस्थान के जनजाति एवं किसान आन्दोलन	132–144
18.	राजस्थान में सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन	145–149
19.	राजस्थान में प्रजामण्डल व स्वतंत्रता आंदोलन	150–158
20.	राजस्थान का एकीकरण	159–166
21.	राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्त्व एवं स्वतंत्रता सेनानी	167–179
22.	राजस्थान की इतिहास प्रसिद्ध महिलाएँ	180–183

अनुक्रमणिका

राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था		
क्र.सं.	विषय–सूची	पृष्ठ संख्या
1.	राज्यपाल	1–13
2.	मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद्	14–22
3.	राज्य विधानमण्डल	23–38
4.	राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं नियम	39–47
5.	संसद में राजस्थान	48–49
6.	उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय	50–59
7.	राज्य सचिवालय व मुख्य सचिव	60–65
8.	संभाग व जिला प्रशासन व्यवस्था	66–70
9.	पंचायती राज	71–82
10.	नगरीय स्वशासन	83–89
11.	प्रमुख आयोग	90–105
	राजस्थान लोक सेवा आयोग	90–93
	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग	93–96
	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	96–98
	राजस्थान राज्य वित्त आयोग	98–99
	राजस्थान राज्य महिला आयोग	99–100
	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	101–103
	लोकायुक्त	103–105
	राज्य का महाधिवक्ता	105
12.	प्रमुख अधिनियम	106–107
	सूचना का अधिकार अधिनियम–2005	106
	राजस्थान लोक सेवा गारन्टीअधिनियम–2011	106–107

राजस्थान
अभ्यास मानचित्र

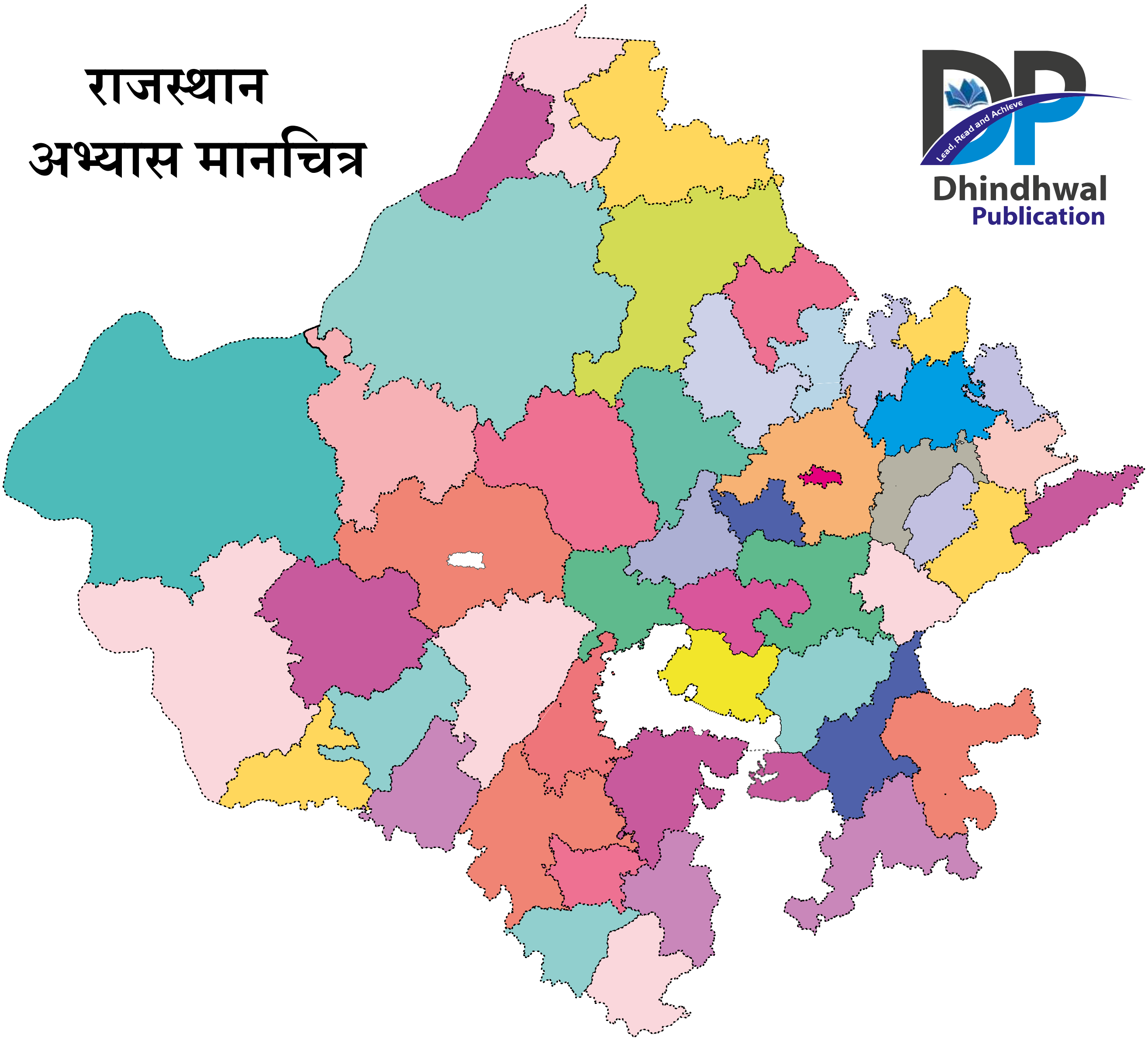

Dhindhwal Publication

भाग–1

राजस्थान का भूगोल

1 राजस्थान : एक सामान्य परिचय

❐ राजस्थान का नामकरण –

- इस **राजस्थान प्रदेश** को विभिन्न कालों में अलग–अलग नामों से जाना जाता रहा है, जो निम्न प्रकार हैं–
- **ऋग्वेद काल** में इसे **'ब्रह्मवर्त'** के नाम से पुकारा गया है व रामायण काल में **वाल्मीकि** ने इसे **'मरुकांतार'** कहा।
- यह प्रदेश मरुस्थलीय इलाका होने के कारण **मरु/मरुदेश/मरुप्रदेश/मरुवार** आदि नामों से भी पुकारा जाता रहा है।
- राजस्थान शब्द का **सबसे प्राचीनतम लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख** (सिरोही) में मिलता है जिसमें **'राजस्थानीयादित्य'** शब्द का प्रयोग किया गया है।
- किसी पुस्तक में **'राजस्थान'** शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख **मुहणौत नैणसी री ख्यात** (रचना काल लगभग 1665 ई.) में किया गया है, जिसमें **'राजस्थान'** शब्द का प्रयोग किया गया है।
- लेखक **वीरभान** द्वारा (रचनाकाल 1731 ई.) अपनी पुस्तक **'राजरूपक'** में भी **'राजस्थान'** शब्द का प्रयोग किया है।
- उपर्युक्त दोनों ही पुस्तकों में प्रयोग किया गया **'राजस्थान'** शब्द इस भू–भाग के लिए प्रयोग नहीं किया है। राजस्थान शब्द का प्रयोग **राजा का स्थान** अर्थात् राजा की राजधानी या **राजा का निवास स्थान** के लिए भी होता रहा है।
- इस भू–भाग के लिए **'राजपूताना'** नाम का सर्वप्रथम प्रयोगकर्त्ता– **जॉर्ज थॉमस** (1800 ई. में)

- **विलियम फ्रेन्कलिन** ने 1805 ई. में प्रकाशित अपनी पुस्तक **'मिल्ट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस'** (Military memoirs of Mr. George Thomas) में लिखा है कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र रूप से **राजपूताना शब्द** का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया।
- एक मान्यता के अनुसार मुगल साहित्यकार **राजपूत शब्द** को बहुवचन में **'राजपूतां'** लिखते थे, सम्भवतः अंग्रेजों ने इसलिए इसका नाम **'राजपूताना'** (राजपूतों का देश) रख दिया।

- इस भू–भाग के लिए **'राजस्थान'** शब्द का पहला प्रयोगकर्त्ता– **कर्नल जेम्स टॉड**
- कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक **'द एनाल्स एंड एंटिक्विटिज ऑफ राजस्थान'** (प्रकाशन 1829 ई.) में इस भू–भाग के लिए **'राजस्थान'** शब्द का प्रयोग किया है। कर्नल टॉड ने पुरानी बहियों के आधार पर इसे **रजवाड़ा/रायथान** नाम भी दिया है।
- राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार **25 मार्च, 1948** ई. को **'राजस्थान'** शब्द जुड़ा, जो एकीकरण का **दूसरा चरण** था। जिसका नाम **पूर्व राजस्थान संघ** रखा गया।
- राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता– **26 जनवरी, 1950** को
- राजस्थान का वर्तमान स्वरूप– **1 नवम्बर, 1956**

❐ राजस्थान की स्थिति–

- **विश्व में राजस्थान की स्थिति –**
  अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान **उत्तरी गोलार्द्ध** में स्थित है।
  देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान **पूर्वी गोलार्द्ध** में स्थित है।
  विश्व मानचित्र पर/ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति **उत्तर पूर्व** में/**ईशान कोण** में है।

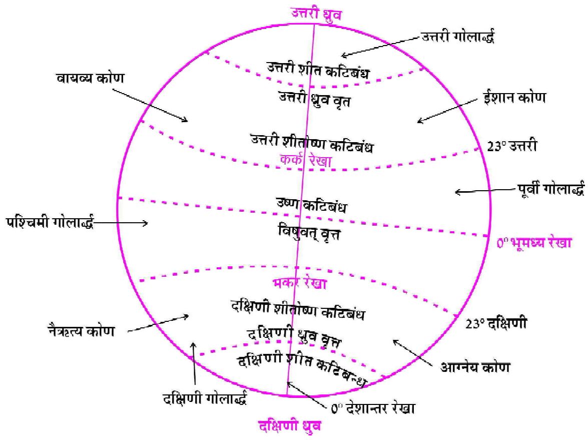

- एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति– **दक्षिण पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण** में है।

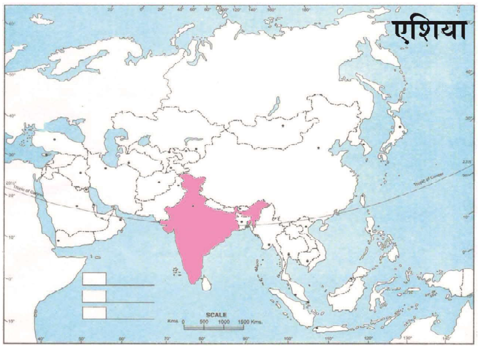

- भारत में राजस्थान की स्थिति **उत्तर पश्चिम दिशा** या **वायव्य कोण** में है।

2 राजस्थान का भौतिक विभाजन

❖ राजस्थान का भौतिक विभाजन–

* राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बाँटने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला विद्वान– **प्रो. वी.सी. मिश्रा**

* इन्होंने अपनी पुस्तक **'राजस्थान का भूगोल'** में राजस्थान को 7 **भागों** में बाँटा है। जो निम्न हैं–

1. पश्चिमी शुष्क प्रदेश
2. अर्द्धशुष्क प्रदेश
3. नहरी प्रदेश
4. अरावली प्रदेश
5. पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश
6. दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश
7. चम्बल बीहड़ प्रदेश

* राजस्थान को सर्वमान्य रूप से **चार भौतिक भागों** में बाँटा जाता है–

1. **पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश**
2. **अरावली पर्वतीय प्रदेश**
3. **पूर्वी मैदानी प्रदेश**
4. **दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश**

☞ **नोट–** राजस्थान के चारों भौतिक भागों में सर्वप्रथम **अरावली पर्वतमाला,** उसके बाद **दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग,** उसके बाद **पूर्वी मैदानी प्रदेश** व सबसे अन्त में **पश्चिमी मरुस्थल** का उद्‌भव हुआ है।

5 राजस्थान की जलवायु

- ✦ राजस्थान की जलवायु उप-उष्ण है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्द्ध शुष्क एवं उप-आर्द्र जलवायु है, जहाँ वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, साथ में वायु की गति में भी कमी रहती है।
- ✦ सम्पूर्ण रूप से राजस्थान की जलवायु भारत की 'मानसूनी जलवायु' का अभिन्न अंग है, किन्तु विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र शुष्क जलवायु वाला है। राजस्थान की जलवायु का विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार है-

- ✦ मौसम- मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था है। मौसम जल्दी-जल्दी परिवर्तित होता रहता है। कुछ समय, मिनट, घन्टे, या 4-5 दिन के **सम्मिलित रूप को मौसम** कहते हैं।
- ✦ ऋतु- कुछ माह के सम्मिलित रूप को **'ऋतु'** कहते हैं।
- ✦ जलवायु- 30 वर्ष से अधिक की समयावधि की औसत वायुमण्डलीय दशाओं के सम्मिलित रूप को **'जलवायु'** कहते हैं।

❖ **जलवायु का निर्धारण करने वाले कारक** - तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा व वायुवेग।

- ✦ राजस्थान की जलवायु- भौगोलिक विभिन्नता के कारण यहाँ की जलवायु में भी विभिन्नता पायी जाती है राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है।
- ✦ कर्क रेखा के कारण बाँसवाड़ा, डूँगरपुर उष्ण कटिबंधीय हैं राजस्थान का 1% **भाग ही उष्ण कटिबंध** में आता है बाकि का 99% **भाग उपोष्ण कटिबंध** में आता है इसी कारण राजस्थान की जलवायु 'उपोष्ण जलवायु' कहलाती है।

☞ वायुदाब- पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमण्डल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है, उसे **वायुदाब** कहा जाता है।

☞ निम्न वायुदाब- अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जिससे वहाँ **निम्न वायुदाब** बन जाता है।

☞ उच्च वायुदाब- कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठण्डी होती है जिससे वहाँ **उच्च वायुदाब** बन जाता है।

सर्वाधिक वायुदाब **समुद्र तल** पर होता है तथा वायुमण्डल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता जाता है। **हवाएँ** हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं।

❖ **राजस्थान की जलवायु की विशेषताएँ-**

- → शुष्क एवं अर्द्धशुष्क **जलवायु** की प्रधानता है।
- → वर्षा का **असमान व** अपर्याप्त **वितरण** पाया जाता है।
- → तापमान में **अतिशयता व** विविधता पायी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ उच्च दैनिक तापमान 49° **सेल्शियस** तक पहूंच जाता है। शीतकाल में कहीं-कहीं तापमान जमाव बिन्दू तक पहूंच जाता है।
- → रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है।
- → विभिन्न स्थानों की आर्द्रता **में अन्तर** पाया जाता है।
- → वर्षा का **समय व** मात्रा **निश्चित नहीं** है।
- → अधिकांश वर्षा **जुलाई व अगस्त माह** में (कुल वर्षा का 60%) **मानसून** के रूप में हो जाती है वर्षा की केवल कुछ मात्रा दिसम्बर व जनवरी माह में **मावठ** के रूप में होती है।
- → राजस्थान में खण्डवृष्टि पायी जाती है।

❖ **राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक-**

- ✦ राज्य की अक्षांशीय स्थिति- कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, अतः राजस्थान का अधिकांश भाग **उपोष्ण कटिबंध** में आने के कारण यहाँ तापान्तर पाये जाते है।
- ✦ समुद्र तट से दूरी (महाद्वीपीयता)- समुद्र तट से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु पर समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है अतः यहाँ के तापमान में महाद्वीपीय जलवायु की तरह अधिक विषमताएँ पायी जाती है। यह राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

☞ **नोट**- राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी 2900 कि.मी. है, **अरब सागर** की दूरी 400 कि.मी. है, राज्य का नजदीकी समुद्री भाग **कच्छ की खाड़ी** है, जो 225 कि.मी. दूर है। **खम्भात की खाड़ी** 275 कि.मी. दूर स्थित है।

- ✦ धरातल या उच्चावच- धरातल की बनावट (उच्चावच) का किसी स्थान की जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग में रेतीली मोटे कणों वाली मिट्टी पायी जाती है, जो दिन के समय जल्दी गर्म व रात के समय जल्दी ठण्डी हो जाती है, इसी प्रकार **अरावली पर्वतमाला** के पूर्वी और दक्षिणी-पूर्वी भाग में **दोमट चिकनी व काली मिट्टी** पायी जाती है जिसके कण बारीक व हल्के होते हैं, जो दिन के समय धीरे-धीरे गर्म होते हैं व रात के समय धीरे-धीरे ठण्डे होते हैं।

* राजस्थान का अधिकांश धरातल 370 **मीटर** से कम ऊँचा है। केवल अरावली की पर्वत श्रेणियाँ एवं हाड़ौती का पठार ही इससे ऊँचा है।

- ✦ अरावली पर्वत श्रेणी की अवस्थिति - अरावली की स्थिति अरब सागर से आने वाली **मानसूनी पवनों के समानान्तर** है इस कारण यह मानसूनी पवनें यहाँ बिना वर्षा किए उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती हैं। यदि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार मानसून की दिशा के विपरित होता तो अरब सागर से आने वाले मानसून के द्वारा पूरे राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होती।

6 राजस्थान में मिट्टियाँ, अपरदन एवं मरूस्थलीकरण

- मिट्टियों का अध्ययन **मृदा विज्ञान (Pedology)** कहलाता है।
- मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के **'सोलम'** (Solum) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है **फर्श** ।
- **विश्व मृदा दिवस** – 5 दिसम्बर
- **2023 की थीम** – **मृदा और जल, जीवन का एक स्रोत।**

☞ राजस्थान की मिट्टियों को रंग गठन व उपजाऊपन के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है–

1. **रेतीली बलुई मिट्टी** – (**मरुस्थलीय मिट्टी**)– यह मिट्टी राजस्थान के पश्चिम भाग में पायी जाती हैं। यह राज्य में **सबसे अधिक भू-भाग पर** पायी जाने वाली मिट्टी है।

- **निर्माण प्रक्रिया**– इसका निर्माण उच्च तापमान, निम्न वर्षा एवं निम्न आर्द्रता वाले क्षेत्रों में **ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर** के क्षरण से हुआ है।
- यह मिट्टी राजस्थान के 25 **सेमी** से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है।
- इस मिट्टी के **कण मोटे** होते हैं, जो **नमी रोकने में असमर्थ** होते हैं इसमें **नाइट्रोजन** व **कार्बनिक तत्त्वों** की कमी एवं **कैल्शियम** व **फॉस्फेट तत्त्वों की अधिकता** होती है, इस कारण यह भूमि अनुपजाऊ होती है। इसमें **PH मान** की **अधिकता** व **जैविक पदार्थो की कमी** पायी जाती है। यह मृदा पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है।
- इस मृदा में बाजरा, मोठ, ग्वार आदि खरीफ फसलें उत्पन्न की जाती हैं, लेकिन कुछ सिंचित क्षेत्रों में रबी की फसल भी उत्पन्न की जाती है।
- जिले– **जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, चुरू, झुंझुनूं, सीकर, अनूपगढ़ व गंगानगर।**

☞ रेतीली मिट्टी मुख्यतया: **तीन प्रकार** की होती है।

✦ **लाल रेतीली मिट्टी** – इसमें **जल को सोखने की क्षमता** अन्य रेतीली मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। अगर पानी की उपलब्धता हो तो यह मिट्टी **कृषि के लिए उत्तम** है।

- **जिले– जोधपुर ग्रामीण, नागौर,डीडवाना-कुचामन, पाली, जालौर, सांचौर, चुरू व झुंझुनूं।**

✦ **खारी मिट्टी** – इस मिट्टी में **लवणों की अधिकता** होती है इसी कारण इस मिट्टी में कृषि सम्भव नहीं है। यहाँ केवल **मृदा अवरोधी घासें** ही उग सकती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन जिलों के निम्न क्षेत्रों/गर्तो में पायी जाती है।

✦ **पीली भूरी रेतीली मिट्टी** – इस मिट्टी का राज्य में प्रसार **नागौर** व **पाली जिले** में है इस मिट्टी में तीन से चार फीट गहराई पर **चूना मिश्रित मिट्टी** की परत पाई जाती है जिसे **'स्टेपी मिट्टी'** कहते हैं।

2. **भूरी रेतीली मिट्टी**– रेत के **छोटे-छोटे टीलों वाले भाग** में पायी जाने के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को **ग्रे-पेन्टेड/धूसर मरुस्थलीय/सिरोज्म मिट्टी** भी कहते हैं। जिसका **रंग भूरा** होता है। इसका प्रसार क्षेत्र मुख्यतः अरावली के पश्चिमी भाग **बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, नागौर, डीडवाना-कुचामन सिरोही, सीकर, झुंझुनूं** व **नीमकाथाना** में है।

- इसमें **फॉस्फेट तत्त्वों की अधिकता** होती है। इस मिट्टी की उर्वरता **नाइट्रेट** की उपस्थिति के कारण और **अधिक बढ़** जाती है।
- इसमें मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ व बारानी कृषि होती है।

3. **भूरी मिट्टी**– इस मिट्टी का प्रसार **अरावली के पूर्वी भाग** में है यह मुख्यतः **बनास बेसिन में** पायी जाती है इसमें **नाइट्रोजन** व **फास्फोरस तत्त्वों** का अभाव होता है। यह बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र की मृदा है, जो कृषि के लिए उपयुक्त है।

- **जिले– भीलवाड़ा, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, टोंक, सवाईमाधोपुर व करौली।**

4. **लाल-पीली मिट्टी**– इस मृदा का **लाल रंग** लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। इसलिए इस मृदा को लाल और पीली मृदा कहा जाता है। इसमें **चीका** व **दोमट** दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं।

- इसका निर्माण **ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस** आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है इस कारण **नाइट्रोजन, कैल्शियम** एवं **कार्बनिक यौगिकों की कमी** और **लौह ऑक्साईड की मात्रा अधिक** होती है।
- यह **मिट्टी मूंगफली** व **कपास** के लिए उपयुक्त है।
- प्रसार वाले जिले– **सवाईमाधोपुर, सिरोही, करौली, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, अजमेर व केकड़ी।**

5. **कछारी/जलोढ़/दोमट मिट्टी** – यह राजस्थान के **पूर्वी मैदानी भागों में** पायी जाती है। इसमें **चूने, फास्फोरस** व **ह्यूमस** की कमी पायी जाती है, **नाइट्रोजन की अधिकता** होती है इसलिए यह मिट्टी **सर्वाधिक उपजाऊ** होती है।

- **जिले– जयपुर ग्रामीण, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली धौलपुर, भरतपुर व डीग (कोटा के कुछ भाग)** में।
- यह नदियों द्वारा बहाकर लायी गयी मिट्टी होती है पश्चिमी राजस्थान में **हनुमानगढ़, गंगानगर** व **अनूपगढ़** में भी मिलती है।

6. **काली/मध्यम काली/रेगुर मिट्टी** – इसमें **फॉस्फेट, नाइट्रोजन** व **जैविक पदार्थो की कमी** तथा **पोटाश व कैल्शियम** की अधिकता होती है। मुख्यतः **कपास**, धनिया, **चावल**, सोयाबीन व दालों के लिए उपयुक्त होती है।

- यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी **(Black Cotton Soil)** भी कहा जाता है। यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं इसलिए इसे **'स्वतः जुताई वाली मिट्टी'** कहा जाता है।

7 राजस्थान में सूखा, अकाल व आपदा

- सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, सामान्यतः वर्षा की कमी के कारण क्षेत्र में जल की कमी की स्थिति को 'सूखा' कहते हैं। जब सूखे के कारण मनुष्यों व पशु पक्षियों के लिए खाद्यान्न, चारा व पीने के पानी की कमी हो जाती है उसे 'अकाल' कहते हैं।
- राजस्थान में अकाल के सम्बन्ध में एक **कहावत** प्रसिद्ध है–
  तीजो कुरियो आठों काल।
  अर्थात् प्रत्येक तीसरे वर्ष कुरिया (छोटा अकाल/अर्द्ध अकाल) होता है व प्रत्येक आठवें साल भयंकर अकाल पड़ता है।
- त्रिकाल– यह सबसे भयंकर अकाल है, जिसमें अन्न, जल व तृण तीनों का अभाव हो जाता है। राजस्थान में 1987 में त्रिकाल पड़ा था।

राजस्थान में अकाल	वर्ष
चालीसा अकाल–	1783 ई.
पंचकाल–	1812–13 ई.
सहसा भूदुसा–	1843–44 ई. (1900–01 विक्रम संवत्)
छप्पनिया काल–	1899–1900 ई. (1956 विक्रम संवत्)

❖ सूखा

- भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो विभागों में बांटा हैं–
  1. **प्रचंड सूखा** 2. **सामान्य सूखा**
- प्रचंड सूखा– प्रचंड सूखे में **50 प्रतिशत** से कम बारिश होती है।
- सामान्य सूखा– सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत कम बारिश होती है।

➢ सूखे के प्रकार–

1. **मौसम विज्ञान संबंधी सूखा–** अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण।
2. **जल विज्ञान संबंधी सूखा–** पानी का अभाव, भू–जल स्तर का निम्न होना, जलाशयों का सूखना।
3. **कृषि संबंधी सूखा–** फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।
4. **पारिस्थितिक सूखा –** प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है।

- राजस्थान में सूखे की सर्वाधिक आवृति–
  जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही– **तीन वर्ष में 1 बार**
- राजस्थान में सूखे की न्यूनतम आवृति–
  भरतपुर व धौलपुर– **8 वर्ष में 1 बार**

स्रोत– आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

- राजस्थान में अकाल की **सर्वाधिक संभावना** वाला भाग– पश्चिमी भाग
- राजस्थान में **शुष्क** व **अर्द्धशुष्क जलवायु** क्षेत्र सूखे से अधिक प्रभावित है। राजस्थान का अधिकांश भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। जिसमें **जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जालौर, सांचौर** व **सिरोही** जिले शामिल है।
- राजस्थान में सूखा व अकाल प्रबंधन के लिए नोडल विभाग 'आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग' है।
- राजस्थान में अकाल के संबंध में **प्रसिद्ध दोहा–**
  पग पूगल धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर।
  जाये लादे जोधपुर, ठावौ जैसलमेर।
- अर्थात्– अकाल बीकानेर के पूगल क्षेत्र में पाँव पसारे हुए रहता है जबकि इसका धड़ कोटड़े (जैसलमेर व बाड़मेर के मध्य स्थित) में तथा बाहें बाड़मेर में फैली रहती है। जोधपुर में तो भूल–चूक से अकाल आता है परन्तु जैसलमेर में तो इसकी चर्चा सदैव रहती है।

राजस्थान में अकाल की स्थिति

सर्वाधिक अकाल प्रभावित जिले	वर्ष 2002–03 में **32 जिले**
	वर्ष 2004–05 में 31 जिले
न्यूनतम अकाल प्रभावित जिले	वर्ष 2022–23 में मात्र **1 जिला**
	वर्ष 2010–11 में मात्र 2 जिले
सर्वाधिक अकाल प्रभावित गाँव	वर्ष 2002–03 में **40,990 गाँव**
	वर्ष 2009–10 में 33,464 गाँव
न्यूनतम अकाल प्रभावित गाँव	वर्ष 2022–23 में **92 गाँव**
	वर्ष 2010–11 में 1249 गाँव
सर्वाधिक अकाल प्रभावित जनसंख्या	वर्ष 2002–03 में **447.8 लाख**
	वर्ष 2009–10 में 429.13 लाख
न्यूनतम अकाल प्रभावित जनसंख्या	वर्ष 2022–23 में **2.36 लाख**
	वर्ष 2010–11 में 13.67 लाख

स्रोत– आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
स्रोत– आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2023–24

- सूखे के कारण अभावग्रस्त गाँव– **खरीफ संवत्–2080** (वर्ष 2023) के अन्तर्गत राज्य के 13 **जिलों** यथा– अजमेर, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, चुरू, डूँगरपुर, दूदू, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर (ग्रामीण), फलौदी एवं नागौर की 48 **तहसीलों को सूखा अभावग्रस्त घोषित** कर अधिसूचना जारी की गई।
- बाढ़ के कारण अभावग्रस्त गाँव– **खरीफ संवत्–2080** (वर्ष 2023) में राज्य के 2 **जिलों** (जालौर व नागौर) के कुल 238 गांवों को बाढ़ से फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया।
- बिपरजॉय चक्रवात– बिपरजॉय चक्रवात से राज्य के 5 जिले (जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर व राजसमंद) प्रभावित हुए।

❖ भूकंप संभावित क्षेत्र– राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र– **अलवर, खैरथल–तिजारा, कोटपूतली–बहरोड़, डीग, बाड़मेर** व **सांचौर**।

(स्रोत– आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग)

8 राजस्थान की वन सम्पदा व पर्यावरण

- ✦ किसी देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सन्तुलन एवं विकास में वनों का अपना विशेष योगदान है। राजस्थान का अरावली प्रदेश किसी समय वनों से अटा रहता था परन्तु अब वह स्थिति नहीं है।
- ✦ राजस्थान में वनों के कम होने के पीछे प्राकृतिक, सरकारी व व्यक्तिगत कारक उत्तरदायी हैं। बढ़ते औद्योगिकीकरण और जनाधिक्य के कारण भी राजस्थान की वन सम्पदा निरन्तर सिमटती जा रही है। राजस्थान की वन सम्पदा का विस्तृत अध्ययन निम्न है–

- राजस्थान में **वन संरक्षण** की प्रथम योजना– जोधपुर रियासत में 1910 में।
- वन संरक्षण के प्रथम नियम बनाने वाली रियासत– जोधपुर 1921 में (मारवाड़ शिकार नियम) इसके बाद **कोटा** राज्य (कोटा जंगलात कानून) में 1924 में, जयपुर (जयपुर शिकार नियम) में 1931 में शिकार कानून बने।
- राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबन्ध– टोंक रियासत, 1901 में
- वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत– अलवर
- राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 – यह राजस्थान में 'राजस्थान वन अधिनियम 1953' के नाम से लागू हुआ।
- राजस्थान में नवीनतम राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2014 को दिनांक 4 **मार्च**, 2014 से लागू किया गया है।
- प्रथम राष्ट्रीय वन नीति – 12 **मई**, 1952, इसमें 33% भाग पर वनों पर जोर दिया गया तथा पहाड़ी क्षेत्रों व पर्वतीय प्रदेशों में 60% भाग व मैदानी क्षेत्रों में 20% भाग पर वनों पर जोर दिया गया।
- द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति – दिसम्बर 1988 में
- वन संरक्षण अधिनियम 1980 – ये 25 अक्टूबर, 1980 को लागू हुआ। इसके तहत् वन भूमि में किसी भी गैर वानिकी कार्य की क्रियान्विती से पूर्व भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है।
- राजस्थान की प्रथम वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी, 2010 को जारी की गयी थी। जिसमें 20% वनों का लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है।
- राजस्थान वन नीति 2023– 5 जून, 2023 को जारी की गई। इसमें राज्य में वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
- राजस्थान वन विभाग की स्थापना के समय 1949–50 में राजस्थान में 13% भाग पर वन थे।
- ☛ वर्ष 2023–24 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में वानिकी क्षेत्र का स्थिर मूल्यों (2011–12) पर 2.58% तथा प्रचलित मूल्यों पर 1.71% योगदान रहा है।

राजस्थान वन विभाग के अनुसार वनों के आँकड़े–

- ✦ 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग कि.मी. में से प्रदेश का वन क्षेत्र 32921.00 वर्ग कि.मी. है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.61% भाग है।
- ✦ भारत के कुल वनों का– 3.10% भाग राजस्थान में
- ✦ राष्ट्रीय वन औसत– 0.13 हैक्टेयर प्रति व्यक्ति
- ✦ राजस्थान का प्रति व्यक्ति वनावरण एवं वृक्षावरण औसत– 0.037 है.
- ✦ अभिलेखित वन क्षेत्र (Recorded Forest Area) की दृष्टि से **राजस्थान का स्थान**– 15वाँ
- ✦ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण– 16655 वर्ग कि.मी.
- ✦ अभिलेखित वन के **अन्तर्गत** वनावरण– 12560 वर्ग कि.मी.
- ✦ अभिलेखित वन के **बाहर** वनावरण– 4095 वर्ग कि.मी.

वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण (इन्हे 3 भागों में बांटा जाता है)

क्र. सं.	वनों का प्रकार	प्रतिशत (31 मार्च 2023 तक की स्थिति)	सर्वाधिक प्रसार	विवरण
1	आरक्षित वन (Reserved forest)	36.99% 12178.03 वर्ग किमी	उदयपुर, चितौड़गढ़, अलवर	इन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है, इनमें लकड़ी काटने व पशु चराई पर पूर्ण प्रतिबन्ध होता है। ये वन राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य के आंतरिक व बाह्य भागों में मिलते हैं।
2	रक्षित वन/ सुरक्षित वन (Protected forest)	56.51% 18605.18 वर्ग किमी	बारां, करौली, उदयपुर	इन वनों में लकड़ी काटने व पशु चराई के लिए वन विभाग से अनुमति /ठेका लिया जाता है। (अभयारण्यों के बाह्य भागों में, मृगवन व आखेट निषिद्ध क्षेत्र आदि)
3	अवर्गीकृत वन (Unclassified forest)	6.50% 2137.79 वर्ग किमी	बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर	इनमें लकड़ी कटाई व पशु चराई पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। ये वन पवित्र वन, ओरण, नदी, झील, तालाब, सड़कों के किनारे मिलते हैं।
		32921.00 वर्ग किमी	स्रोत– प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग राजस्थान 2023–24	

9 जैव विविधता, वन्यजीव एवं अभयारण्य

जैव विविधता –

- जैव विविधता से तात्पर्य जैव मंडल में पाये जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता से है। **जैव विविधता** शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्टर जी. रोजेन ने किया था।
- जैव विविधता अधिनियम 2002– 22 मई, 1992 को **नैरोबी** में हुए **'जैव विविधता सम्मेलन'** की अनुपालना में भारतीय संसद ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया है। इसके तहत् अक्टूबर 2003 में **'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण'** की स्थापना चेन्नई में की गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस – 22 मई।
  2024 की थीम– योजना का हिस्सा बनें (Be Part of the Plan)
- राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड– भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत् 'राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड' की स्थापना 14 सितम्बर, 2010 को की गई।

❖ राजस्थान जैव विविधता नियम– राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम 2002 की **धारा 63 (1)** के तहत् 2 मार्च, 2010 को राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 अधिसूचित किए गए।

✦ पारिस्थितिकी संकट के अध्ययन हेतु 1948 में **IUCN (International Union For Conservation Of Nature & Natural Resources)** का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय **स्विट्जरलैण्ड** के **Gland शहर** में है।

✦ WWF (World Wild Life Fund)– की स्थापना 1961 में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड के **ग्लैंड शहर (Gland)** में है। इसका वर्तमान नाम WWFN (**World Wild Life Fund For Nature**) है, इसका प्रतीक लाल पाण्डा है। **(स्रोत– ऑफिशियल वेबसाइड WWF)**

✦ रेड डाटा बुक– **IUCN** के उत्तरजीविता आयोग ने विश्व की संकटग्रस्त पादपों एवं जन्तु जाति के वर्णन सहित लाल आंकड़ों की पुस्तक (रेड डाटा बुक) जारी की है, जिसका पहला संस्करण 1 **जनवरी**, 1972 को प्रकाशित किया गया।

✦ राजस्थान में **आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल** (अनुमानित)– 782384 हेक्टेयर
- सर्वाधिक वेटलैण्ड क्षेत्र वाला जिला– भीलवाड़ा (72563 हे.)
- जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वेटलैण्ड प्रतिशत वाला जिला– भीलवाड़ा (6.94%)
- न्यूनतम वेटलैण्ड क्षेत्र वाला जिला– चुरू (1368 हेक्टेयर)
- जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में न्यूनतम वेटलैण्ड प्रतिशत वाला जिला– चुरू (0.08%)
- राजस्थान में तटीय वैटलैण्ड क्षेत्र वाला एकमात्र जिला– सांचौर

❖ ढंढ तालाब व ब्रह्म तालाब – उदयपुर जिले के मेनार गाँव में स्थित ढंढ तालाब व ब्रह्म तालाब को **'ढंढ-ब्रह्म वेटलैंड कॉम्प्लेक्स'** के नाम से **वेटलैंड क्षेत्र** घोषित किया गया है।

☞ **नोट–** राजस्थान में (जुलाई 2024 तक की स्थिति) अधिसूचित वेटलैण्ड की संख्या 76 है।

✦ राजस्थान वैटलैण्ड अथॉरिटी– 27 नवम्बर, 2019 को गठित की गई। इसके अध्यक्ष राजस्थान के **वन** एवं **पर्यावरण मंत्री** होंगे। इसमें अध्यक्ष सहित 20 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में आर्द्र भूमि व झीलों के संरक्षण एवं प्रबन्ध को प्रोत्साहित करना है।

✦ रामसर अभिसमय स्थल– 2 फरवरी, 1971 को **ईरान** के **रामसर शहर** में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके तहत् विश्व की आर्द्र भूमियों (Wet Lands) को प्राकृतिक जैव विविधता स्थल मानते हुये उन्हें रामसर अभिसमय स्थल के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया गया। यह समझौता 1975 में अस्तित्व में आया जिसमें भारत 1 फरवरी, 1982 को शामिल हुआ।

✦ स्थल का वह हिस्सा जो हमेशा जल से संतृप्त हो या जल में डूबा रहे 'आर्द्र भूमि' कहलाता है।

✦ विश्व आर्द्रभूमि दिवस– **2 फरवरी**
वर्ष 2024 की थीम– वेटलैण्ड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग (आर्द्र भूमि और मानव कल्याण)

✦ भारत में (अक्टूबर 2024 तक की स्थिति) कुल 85 रामसर अभिसमय (**Ramsar Convention Site**) हैं, जिनमें से 2 राजस्थान में हैं–
1. केवलादेव घना पक्षी विहार (1 अक्टुबर, 1981 को)
2. सांभर झील (23 मार्च, 1990 को)

वन्यजीव संरक्षण

✦ राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम–1951
इसे 23 अप्रैल, 1951 से लागू किया गया।

✦ भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 9 **सितम्बर**, 1972 को लागू किया गया। इसके तहत् भारत में वन्यजीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया। **राजस्थान सरकार ने** इसे 1 सितम्बर, 1973 को लागू किया, इसके तहत् राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है।

✦ 42 वें संविधान संशोधन द्वारा वन्यजीव विषय को समवर्ती सूची का विषय बना दिया, जिसके तहत् अब भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। इसी के तहत् केन्द्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय पार्क तथा राज्य सरकार के अधीन अभयारण्य, आखेट निषेद्ध क्षेत्र व मृगवन आदि संरक्षित किये जाते हैं।

10 राजस्थान में पशुपालन

- राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की सदैव एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सम्पूर्ण राजस्थान में पशुपालन मुख्य उद्यम रहा है और आज भी आजीविका का प्रमुख साधन है। पशुपालन राज्य की एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जो अकाल की स्थिति में कृषक को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती है। पशुपालन शुष्क कृषि का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। पशुपालन एक **प्राथमिक व्यवसाय** है।
- भारत में प्रथम पशुगणना दिसम्बर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी, उस समय राजस्थान की जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूँदी आदि रियासतों में भी इसी अवधि में पशुगणना की गई थी।
- स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार 1951 में पशुगणना की गई।
- 18वीं पशुगणना (2007) पहली बार नस्ल के आधार पर की गयी पशुगणना थी। 19वीं पशुगणना 2012 में हुई।
- 20वीं पशुगणना– 16 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** ने 20वीं पशुगणना रिपोर्ट जारी की।
- राजस्थान में पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर में स्थापित पशुगणना प्रकोष्ठ द्वारा करवाया जाता है। यह प्रति 5 वर्ष बाद किया जाता है। 21वीं पशुगणना 1 सितम्बर से 31 दिसम्बर, 2024 के मध्य की जायेगी।
- **20 वीं पशुगणना** के अनुसार भारत में कुल 535.78 मिलियन पशु हैं, विश्व में सर्वाधिक मवेशियों की संख्या वाला देश भारत है।
- देश में पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान– **द्वितीय** (कुल पशुधन का 10.60% राजस्थान में हैं)
- पशुधन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान– उत्तरप्रदेश।
- राजस्थान का ऊँट, बकरी व गधों में प्रथम स्थान है, तथा कुल पशु सम्पदा, भैंस वंश में दूसरे स्थान पर है।
- राजस्थान में कुल पशुधन– 568.01 लाख (1.66% की कमी) 2012 में कुल पशुधन 577 लाख था।
- राजस्थान में पशुओं में सर्वाधिक प्रतिशत– बकरियाँ (36.6%), गाय (24.4%), भैंस (24.1%), भेड़ (13.9%)
- राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में 13% योगदान पशुपालन का है।
- राजस्थान में कृषि व पशुपालन पर आधारित जनसंख्या–75%
- पशु घनत्व– 166 पशु प्रति वर्ग कि.मी.
- प्रति हजार जनसंख्या पर पशु संख्या– 828
- राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला– **डूँगरपुर** (433)
- राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला– जैसलमेर (62)
- राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला– बाड़मेर(51.1 लाख), **जोधपुर** (36.6 लाख), **जयपुर** (29.7 लाख)
- राजस्थान में न्यूनतम पशु संख्या वाला जिला– धौलपुर
- राजस्थान के **सकल राज्य मूल्य वर्धन** (GSVA) में पशुधन क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर 11.80% तथा प्रचलित मूल्यों पर 12.98% योगदान है। **(स्रोत– आर्थिक समीक्षा 2023-24)**
- वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि– भैंस (7 लाख)
- वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि– भैंस (5.5%)
- वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कमी– भेड़ (-12 लाख)
- वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कमी– गधे (-71.3%)

20वीं पशुगणना– एक नजर

क्र. सं.	पशु का नाम	2012 की पशुगणना	2019 की पशुगणना	परिवर्तन संख्या में	परिवर्तन प्रतिशत मे	भारत में राजस्थान का स्थान	भारत का %	राजस्थान में सर्वाधिक वाला जिला	राजस्थान में न्यूनतम वाला जिला	भारत में सर्वाधिक वाला राज्य
1	गौवंश	1,33,24462	1,39,37630	6,13,168	4.60%	6 वाँ	7.24%	बीकानेर	धौलपुर	पश्चिम बंगाल
2	भैंस	1,29,76095	1,36,93316	7,17,221	5.53 %	दूसरा	12.47%	जयपुर	जैसलमेर	उत्तरप्रदेश
3	भेड़	90,79,702	79,03,857	-11,75845	-12.95%	चौथा	10.64%	बाड़मेर	बाँसवाड़ा	तेलंगाना
4	बकरी	2,16,65939	2,08,40203	-8,25736	-3.81%	प्रथम	14.00%	बाड़मेर	धौलपुर	राजस्थान
5	घोड़े	37,776	33,679	-4097	-10.85%	तीसरा	9.84%	जालौर	डूँगरपुर	उत्तरप्रदेश
6	खच्चर	3375	1339	-2036	-60.33%	9 वाँ	1.59%	अलवर	टोंक	उत्तराखंड
7	गधे	81,468	23,374	-58094	-71.31%	प्रथम	18.91%	बाड़मेर	टोंक	राजस्थान
8	ऊँट	3,25,713	2,12,739	-1,12,974	-34.69%	प्रथम	84.43%	जैसलमेर	प्रतापगढ़	राजस्थान
9	सुअर	2,37674	1,54808	-82866	-34.87%	17 वाँ	1.71%	जयपुर	डूँगरपुर	असम

स्रोत–प्रशासनिक प्रतिवेदन, पशुपालन निदेशालय राजस्थान 2022-23

11 राजस्थान में कृषि एवं प्रमुख फसलें

- कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का **मेरुदण्ड** है। मानसून की अनियमितता, असमानता, अपूर्णता राजस्थान की कृषि को सदैव प्रभावित करती रही है। राजस्थान भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का **14.15% हिस्सा** रखता है भारत के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान भी **कृषि प्रधान राज्य** है राजस्थान की लगभग **75% आबादी** कृषि पर निर्भर है।

❖ राजस्थान में कृषि की विशेषताएँ–

- **मानसून पर आधारित –** राजस्थान में अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है, इसलिए राजस्थान में कृषि को **'मानसून का जुआ'** कहते हैं।
- **जीविकोपार्जन का मुख्य आधार–** राजस्थान में कृषि व पशुपालन पर **75% जनसंख्या** निर्भर करती है, इसलिए कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का **मेरुदण्ड** और लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है।
- **खाद्यान्न फसलों की अधिकता–** फसलों के उत्पादन में राजस्थान के कृषक **खाद्यान्न फसलों** पर अधिक ध्यान व **व्यापारिक फसलों** पर कम ध्यान देते हैं।
- **तिलहनों के क्षेत्रफल में वृद्धि –** राजस्थान में तिलहन फसलों का क्षेत्रफल तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2008-09 में 46.62 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में **71.29 लाख** हेक्टेयर हो गया है।
- **दहलनी फसलों में वृद्धि–** पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में दलहनी फसलों (**Pulses**) के **क्षेत्रफल व उत्पादन में वृद्धि** हुई है। दलहन का क्षेत्रफल वर्ष 2008-09 में 36.71 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 55.47 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- **उत्पादकता में वृद्धि–** राजस्थान में वर्ष 2007-08 से 2011-12 की औसत उत्पादकता की तुलना में 2022-23 में **अनाज** की उत्पादकता में 37.29% **दलहनों** में 36.59% एवं **तिलहनों** में 26.66% की वृद्धि हुई है।
- **मिश्रित कृषि–** जब कृषि और पशुपालन का कार्य साथ-साथ किया जाता है तो उसे **'मिश्रित कृषि'** कहते हैं, राजस्थान में मिश्रित कृषि ही पायी जाती है।
- **सिंचाई के साधनों की कमी –** राजस्थान के कुल कृषित क्षेत्रफल का 49% भाग ही **सिंचित क्षेत्र** है, इस प्रकार सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण **प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम** है।
- **मानव श्रम का ज्यादा उपयोग –** राजस्थान में निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई आदि में मानव श्रम का ही उपयोग अधिक हो रहा है।
- **नवीन तकनीकों व प्रौद्योगिकी का कम उपयोग–** राजस्थान में कृषि की परम्परागत पद्धति ही प्रचलित है, इसलिये कृषि में नवीन तकनीकों व प्रौद्योगिकी का कम उपयोग होता है।
- **कृषि जोतों का बड़ा आकार –** राजस्थान में **औसत कृषि जोत 2.73 हेक्टेयर** है, जबकि भारत में **औसत कृषि जोत** 1.08 **हेक्टेयर** है। (**स्रोत– कृषि सांख्यिकी**, 2022)

❖ कृषि सम्बन्धी नवीनतम आँकड़े–

- राजस्थान में शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल–184.23 लाख हेक्टेयर (53.74%)
- भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल में से राजस्थान में–14.15%

☞ 2022-23 में राजस्थान में कुल बुवाई क्षेत्रफल-284.67 लाख हेक्टे.
☞ 2022-23 में कुल खरीफ बुवाई क्षेत्रफल-165.60 लाख हेक्टे.
☞ 2022-23 में कुल रबी बुवाई क्षेत्रफल-119.07 लाख हेक्टेयर
☞ राजस्थान में कुल कृषकों की संख्या– 1.36 लाख जो देश के कुल कृषकों का 11.46% है।

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान–

विवरण	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में स्थिर (2011-12) कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान	27.44%	26.21%
सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान	27.26%	26.72%

राज्य में फसलों का क्षेत्रफल व उत्पादन

फसल		वर्ष 2022-23 (अंतिम)	वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान
अनाज	क्षेत्रफल	97.46 लाख हैक्टेयर	92.79 लाख हैक्टेयर
	उत्पादन	216.38 लाख टन	208.61 लाख टन
दलहन	क्षेत्रफल	55.47 लाख हैक्टेयर	54.99 लाख हैक्टेयर
	उत्पादन	36.42 लाख टन	36.40 लाख टन
खाद्यान्न	क्षेत्रफल	152.93 लाख हैक्टेयर	147.78 लाख हैक्टेयर
	उत्पादन	252.80 लाख टन	245.01 लाख टन
तिलहन	क्षेत्रफल	71.38 लाख हैक्टेयर	65.62 लाख हैक्टेयर
	उत्पादन	103.41 लाख टन	101.24 लाख टन

स्रोत– आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट, 2023-24

12 राजस्थान में अपवाह व नदियाँ

❖ राजस्थान का अपवाह तंत्र–

- राजस्थान की गणना भारत के शुष्क प्रदेशों में की जाती है अतः नदियों और झीलों अर्थात् जल राशियों का विशेष महत्त्व है, किन्तु दुर्भाग्य से इस प्रदेश में नदियाँ न केवल कम हैं, अपितु वर्ष–पर्यन्त प्रवाहित होने वाली नदियों का भी अभाव है।
- **नदी–** धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को **नदी** कहा जाता है, जो हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहती है।
- **सहायक नदियाँ–** वे छोटी–छोटी नदियाँ जो अपने क्षेत्र का जल आगे ले जाकर बड़ी नदियों में उड़ेलती हैं, उन्हें **सहायक नदियाँ** कहते हैं।
- **अपवाह–** निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को '**अपवाह**' कहते हैं।
- **अपवाह तंत्र–** से तात्पर्य नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों से है जो एक **तंत्र या प्रारूप** का निर्माण करती हैं।
- **जल संसाधन–** जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनके उपयोग की संभावना हो उनको **जल संसाधन** कहते हैं।
- **जलग्रहण–** नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे '**जलग्रहण**' कहते हैं।
- यहाँ के अपवाह तंत्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ **आन्तरिक जल प्रवाह प्रणाली** पायी जाती है जिसमें नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर रेत अथवा भूमि में समाहित हो जाती हैं। जल की दृष्टि से प्रदेश में देश के जल का केवल **1.16% सतही जल** उपलब्ध है।

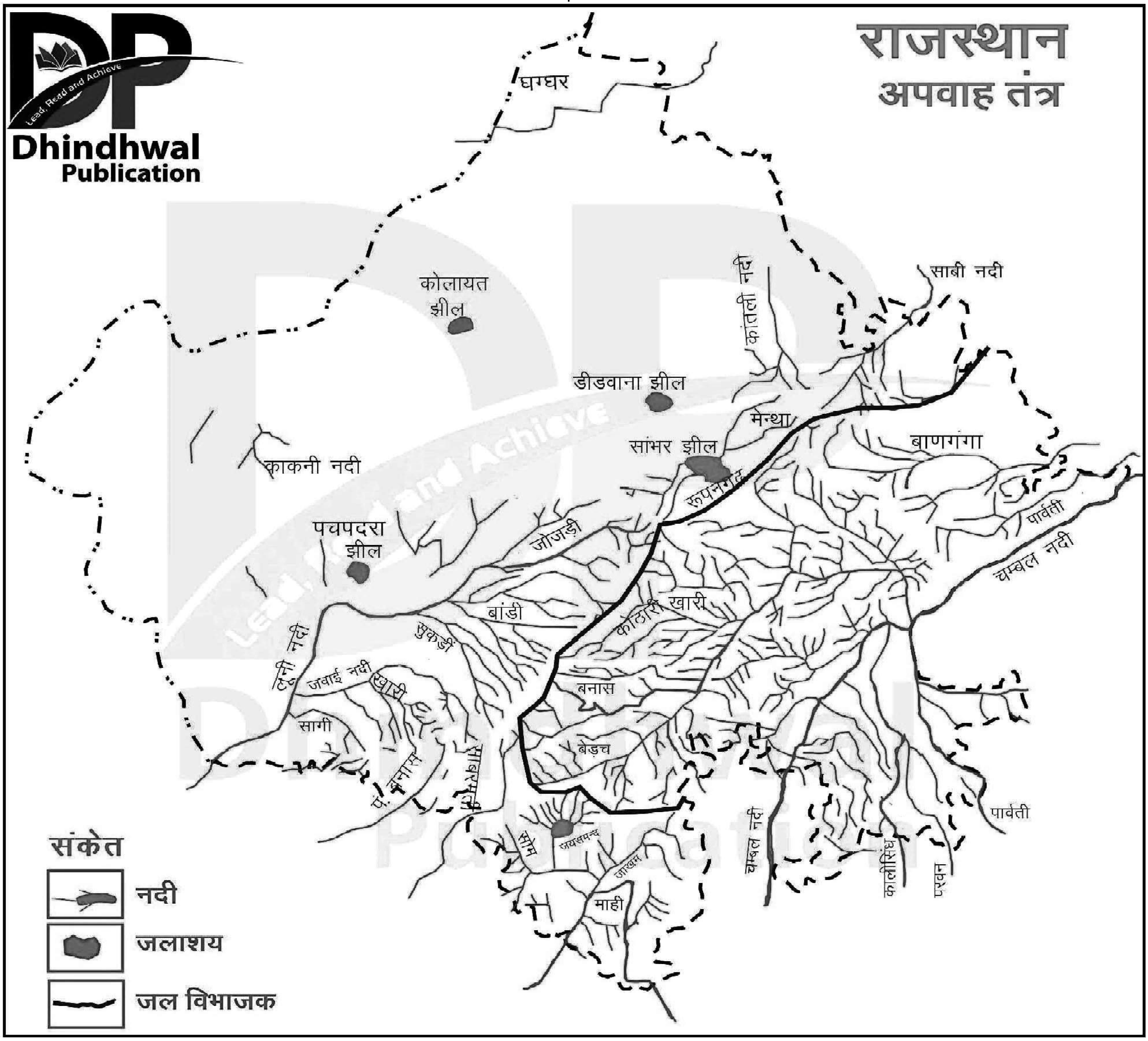

13 राजस्थान की झीलें व बावड़ियाँ

❖ झील– वे सभी जलराशियाँ जो स्थल पर बने किसी भूखण्ड या बेसिन को घेरे रहती हैं, झील कहलाती हैं। राजस्थान में **प्राकृतिक व कृत्रिम** दोनों प्रकार की झीलें पायी जाती हैं। राजस्थान में झीलों का निर्माण यहाँ के शासकों के साथ सेठ–साहुकारों द्वारा भी करवाया गया है।

☞ **झीलों के प्रकार–**

- बॉलसन झील– पहाड़ियों से घिरे **अभिकेन्द्रीय अपवाह** वाले विस्तृत समतल गर्त को **बॉलसन** कहते हैं। जैसे– **सांभर झील**
- प्लाया झील– मरुस्थलीय क्षेत्र में चौरस सतह और अनप्रवाहित द्रोणी वाली **खारे पानी की छोटी झीलों** को प्लाया कहते हैं। राजस्थान के **पश्चिमी** मरूस्थलीय प्रदेश में प्लाया झीलें पायी जाती हैं। उदाहरण– डीडवाना झील
- विवर्तनिका झील– पृथ्वी में होने वाली आन्तरिक हलचलों के कारण बनी झीलें। उदाहरण– **नक्की झील**
- कालाडेरा झील– ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के प्रवाह से बनी झील। उदाहरण– **पुष्कर झील**

☞ नोट– रेगिस्तान में **खारे पानी की झीलों** को 'प्लाया' तथा तटीय प्रदेशों में स्थित खारे पानी की झीलों को कयाल/ लेगून कहते हैं।

- पानी की गुणवता के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है–

1. खारे पानी की झीलें
2. मीठे पानी की झीलें

खारे पानी की झीलें

✦ राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पायी जाती हैं, जिसके **प्रमुख कारण** निम्न हैं–

1. राजस्थान के पश्चिमी भाग का टेथिस महासागर का अवशेष होना।
2. दक्षिण–पश्चिमी मानसूनी हवाएँ अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोरायड के कणों को राजस्थान में लाती हैं।
3. झीलों के नीचे स्थित नमकीन चट्टानों से केशाकर्षण पद्धति से नमक ऊपर आना।

- राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यत: उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पायी जाती हैं।
- खारे पानी की सर्वाधिक झीलें डीडवाना–कुचामन जिले में हैं।
- अमील– नमक से संबधित अधिकारी।
- देवल– नमक निर्माण में लगी निजी संस्थाओं को।

❖ सांभर झील– फूलेरा तहसील (जयपुर ग्रामीण)

* यह झील जयपुर से 70 कि.मी. दूर स्थित है। इसका विस्तार जयपुर ग्रामीण, डीडवाना–कुचामन, अजमेर तीनों जिलों में है।
* यह भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है।
* यह भारत की खारे पानी की **दूसरी सबसे बड़ी** झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलका (उड़ीसा) है।
* यह भारत की **अन्त:प्रवाह की सबसे बड़ी झील** है।
* क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान की **सबसे बड़ी झील** है।
* अपवाह क्षेत्र– 500 वर्ग कि.मी., आकार– **लगभग** आयताकार,
* लम्बाई– 32 कि.मी., चौड़ाई– 3 से 15 कि.मी. तक।
* इस झील की स्थिति 27^0 से 29^0 उत्तरी अक्षांश व 74^0 से 75^0 पूर्वी देशान्तरों के मध्य है।
* झील में गिरने वाली नदियाँ (4) (जलस्रोत)–
  मेन्था/मेंढ़ा (उत्तर दिशा से), रूपनगढ़ (दक्षिण दिशा से), खारी (डीडवाना–कुचामन की तरफ से) व खंडेला (सीकर की तरफ से)
* **सर्वाधिक नमक** बहाकर लाने वाली नदी– मेन्था।
* देश के कुल उत्पादन का लगभग 8.70% **नमक** सांभर झील से प्राप्त होता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य सांभर साल्ट लिमिटेड (केन्द्र सरकार) करती है।
* क्यार– **वाष्पोत्सर्जन पद्धति** द्वारा क्यारी बनाकर तैयार किया गया नमक।
* सांभर झील को अंग्रेजो ने 1869 में जयपुर व जोधपुर रियासतों से लीज पर लिया था।
* सांभर में साल्ट म्यूजियम स्थित है, जो 1870 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। यह राजस्थान का **एकमात्र** साल्ट म्यूजियम है।
* बिजोलिया शिलालेख (1170 ई.) के अनुसार सांभर झील का निर्माण **चौहान शासक वासुदेव** ने कराया था, भौगोलिक दृष्टि से सांभर झील मूलत: **प्राकृतिक झील** है।
* गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व विरह का प्रतीक कुरजां पक्षी (खींचन गाँव से) यहाँ विचरण करने आते है।
* जयपुर–फुलेरा–नागौर रेलमार्ग इस झील से गुजरता है।
* सांभर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट– सांभर झील के प्रबन्धन, विकास एवं संरक्षण के लिए इसे प्रारम्भ किया जाएगा।(बजट– 2022)
* रामसर साईट– सांभर झील को 23 मार्च, 1990 को **रामसर साईट** में शामिल किया गया, ये राजस्थान की दूसरी **रामसर साईट** है।

❖ सांभर इसलिए भी प्रसिद्ध है–

- ययाति की साम्राज्य स्थली– शुक्राचार्य (असूरों के कुलगुरु) की पुत्री देवयानी का विवाह नरेश ययाति के साथ सांभर में ही हुआ था।
- लोकतीर्थ देवयानी झील (तीर्थो की नानी, कुष्ठ निवारक झील) खारे पानी की झील यहीं स्थित है।

✦ **बिजोलिया शिलालेख**– श्यामपार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया में लगा है। इसके अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था।
- सांभर चौहानों का मूल स्थान है। वासुदेव चौहान ने 551ई. में सांभर के आसपास चौहान राज्य (सपादलक्ष) की स्थापना की थी।

✦ **अकबर की विवाह स्थली**– 6 फरवरी, 1562 को हरकाबाई /शाही बाई/हीराबाई (भारमल की पुत्री) का विवाह अकबर के साथ सांभर में हुआ था।

14 प्रमुख बाँध, सिंचाई परियोजनाएँ व जल संसाधन योजनाएँ

- राजस्थान में लोक निर्माण विभाग से अलग कर 14 दिसम्बर, 1949 को **सिंचाई विभाग की स्थापना** की गई थी। अब सिंचाई विभाग का परिवर्तित नाम **'जल संसाधन विभाग'** है।
- स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में केवल **4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र** में सतही जल परियोजनाओं से सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, दिसम्बर 2023 तक राजस्थान में वृहत्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना सहित) से **39.20 लाख हैक्टयेर क्षेत्र** में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई।
- वर्ष 2023-24 में राजस्थान में निम्न **8 वृहद् सिंचाई परियोजनाएँ** (नर्मदा नहर परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना **(RWSRPD)** एवं नवनेरा बाँध परियोजना **(ERCP)**, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर, पीपलखूंट ऊपरी उच्च स्तरीय नहर एवं कालीतीर लिफ्ट परियोजना), **5 मध्यम परियोजनाएँ** (गरदड़ा, ताकली, गागरिन, ल्हासी एवं हथियादेह) तथा **41 लघु सिंचाई परियोजनाओं** का कार्य प्रगति पर है।
- भारत में कुल कृषि योग्य भूमि 1799.93 लाख हैक्टेयर है। राजस्थान में 254.75 **लाख हैक्टेयर क्षेत्र** कृषि योग्य भूमि है, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का **14.15%** है।
- राजस्थान में **15 नदी बेसिन** चिन्हित किए गए हैं। इन्हें 58 उप बेसिनों तथा 541 सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र (Micro Watershade Areas) में विभाजित किया गया हैं। **(स्रोत- राजस्थान का भूगोल (सक्सेना))**
- वर्तमान में राजस्थान में 15 **नदी बेसिनों** में कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा लगभग **158.60 लाख एकड़ फीट** (15.86 MAF) है जो देश में कुल उपलब्ध जल संसाधन का **1.16%** हिस्सा ही है।
- राजस्थान को **145 लाख एकड़ फीट** पानी पड़ौसी राज्यों से आवंटित होता है।
- राजस्थान में देश के कुल भूजल संसाधन का 1.7% ही उपलब्ध है।
- देश के 98% **लवणता प्रभावित** एवं 89% **नाइट्रेट प्रभावित** गाँव व ढ़ाणियाँ राजस्थान में है। **(स्रोत- सूजस मई 2022)**

- राजस्थान का **सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल** वाला जिला- **गंगानगर**
- राज्य का **न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल** वाला जिला- **राजसमंद**
- सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला- **गंगानगर**
- न्यूनतम सिंचित प्रतिशत वाला जिला- **चुरू**
- राजस्थान का सर्वाधिक सिंचाई वाला हिस्सा- **पूर्वी भाग**

- राजस्थान में वर्ष 2021-22 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 181.29 लाख हैक्टेयर है तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 89.23 लाख हैक्टेयर है। इस प्रकार कृषि के शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के लगभग **49.20%** हिस्से पर सिंचाई होती है।
- राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख जल स्रोत- **नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएँ, नलकूप, नहरें।**

सिंचाई के नवीनतम आंकड़े

- कृषि विभाग की नवीनतम रिपोर्ट **Rajasthan Agriculture Statistics at a Glance 2022-23** में राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र (**Gross Irrigated Area**) के निम्न आँकड़े दिये गये हैं।

- राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र के **69.39% भाग** पर सिंचाई कुएँ व नलकूपों से होती है।
- **राजस्थान में कुओं से (Open Wells)- 20.10%**
- **राजस्थान में नलकूपों से (Tube Wells)- 49.29%**
- **राजस्थान में नहरों से (Canals)- 28.39%**
- **राजस्थान में तालाबों से (Tanks)- 0.33%**
- **अन्य साधनों से (Other Sources)- 1.89%**

- कुएँ व नलकूपों से **दोनों के संयुक्त आंकड़ों** के आधार पर **सर्वाधिक सिंचाई** वाला जिला- **जोधपुर**
- कुएँ व नलकूपों से **न्यूनतम सिंचाई** वाला जिला- **गंगानगर**
- **कुओं से** सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला- **झालावाड़**
- कुओं से **न्यूनतम** सिंचाई वाला जिला - **गंगानगर व बीकानेर**
- **नलकूपों से** सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला - **जोधपुर**
- नलकूपों से **न्यूनतम** सिंचाई वाला जिला - **राजसमंद**
- **नहरों से** सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला- **गंगानगर**
- नहरों से न्यूनतम सिंचाई- **दौसा, सीकर, झुंझूनू, अलवर, राजसमंद व नागौर**
- तालाबों से **सर्वाधिक सिंचाई** वाला जिला- **टोंक**

  द्वितीय स्थान- **उदयपुर**

➢ सिंचाई परियोजनाएँ **मुख्यतः 4 प्रकार की** होती हैं-

1. **बहुउद्देशीय परियोजनाएँ**- जिनका जल बहुत से उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाता हो, जिनसे सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन व उद्योगों को जलापूर्ति जैसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती हों।

- पण्डित **जवाहर लाल नेहरू** ने बहुद्देशीय परियोजनाओं को **'आधुनिक भारत का नवीन मंदिर'** कहा।

15 राजस्थान की नहरें

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना

- ➢ **उपनाम–** राजस्थान की मरुगंगा/रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा /राजस्थान की जीवनरेखा/पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा।
- यह एशिया की **सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना** है।
- **मुख्य उद्देश्य–** रावी व व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 8.6 **MAF पानी** में से 7.59 **MAF पानी** का उपयोग कर मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के उद्देश्यों में सूखा प्रभावित, पर्यावरण और वन सुधार, रोजगार सृजन और पुनर्वास भी सम्मिलित हैं।
- **उद्गम– सतलज व्यास के संगम** पर स्थित **हरिके बैराज बाँध** से (फिरोजपुर, पंजाब), 1952 **में बना**।
- **राजस्थान में प्रवेश–** खारा खेड़ा, टिब्बी तहसील (हनुमानगढ़)
- IGNP की मुख्य नहर राजस्थान के 6 जिलों क्रमशः **हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर** से होकर गुजरती है।
- इस नहर की परिकल्पना की शुरुआत **महाराजा गंगासिंह** ने की तथा इस दिशा में पहला सार्थक कदम **महाराजा सार्दुल सिंह** ने उठाया।
- महाराजा सार्दुल सिह ने पंजाब के मेधावी इंजीनियर **कंवरसेन** को बीकानेर के मुख्य सिंचाई अभियंता के पद पर नियुक्त किया। उन्होंने राजस्थान नहर की रूपरेखा तैयार कर **'बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता'** नामक एक रिपोर्ट तैयार कर 29 अक्टूबर,1948 को भारत सरकार को भेजी।
- नहर का जन्मदाता व योजनाकार– **कंवरसेन**
- इस परियोजना का शिलान्यास 31 मार्च, 1958 को **गोविन्द वल्लभ पंत (केन्द्रीय गृहमंत्री)** द्वारा किया गया।
- ➢ **अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड– 19 दिसम्बर**, 1958 को इसका प्रथम अध्यक्ष **कंवर सेन** को बनाया गया।
- **नहर का उद्घाटन–** 11 अक्टुबर, 1961 को उपराष्ट्रपति **सर्वपल्ली डॉ. राधकृष्णन** ने नोरंगदेसर वितरिका (रावतसर शाखा, हनुमानगढ़) में पानी छोड़कर इसका उद्घाटन किया।
- **नाम परिवर्तन–** 2 नवम्बर, 1984 को इसका नाम **राजस्थान नहर** से बदलकर **इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना** कर दिया।
- इंदिरा गाँधी नहर की कुल लम्बाई– 649 कि.मी.।
  फीडर नहर– 204 कि.मी. (हरिके बैराज से मसीतावाली हैड तक),
  मुख्य नहर– 445 कि.मी. (मसीतावाली से मोहनगढ़ तक)
- **राजस्थान फीडर–** 204 कि.मी., जिसका 150 कि.मी. भाग पंजाब में, 19 कि.मी. भाग हरियाणा में तथा 35 कि.मी. भाग राजस्थान में है।
- **जून 1964** में राजस्थान फीडर (204 किमी.) का निर्माण पूर्ण हुआ।

- फीडर का मुख्य कार्य– मुख्य नहर में जलापूर्ति करना है। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा, जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है उसे **'फीडर नहर'** कहते हैं।

- मुख्य नहर **मसितावाली (हनुमानगढ़) से मोहनगढ़ (जैसलमेर)** तक है। नहर का अंतिम छोर **मोहनगढ़** (जैसलमेर) है।
- इसको **मोहनगढ़** (जैसलमेर) से **गडरा रोड़** (बाड़मेर) तक ले जाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लम्बाई 165 **कि.मी.** (मोहनगढ़ से गडरा रोड़) होगी।
- नहर की वितरिकाओं की कुल लम्बाई– 9413 कि.मी.।
- लिफ्ट नहरों की कुल लम्बाई– 1521.46 कि.मी.।
- ☛ इस परियोजना का **निर्माण दो चरणों में** पूरा हुआ है।
- ➢ **प्रथम चरण–** हरिके बैराज से 393 कि.मी. नहर का निर्माण। जिसमें से **पंजाब से मसीता वाली हैड** तक 204 कि.मी. फीडर नहर व **मसीतावाली से सत्तासर गाँव (बीकानेर)** तक 189 **कि.मी. मुख्य नहर** का निर्माण किया गया।
- इस प्रथम चरण में **सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल शाखाओं का निर्माण** व एकमात्र लिफ्ट नहर **कंवरसेन लिफ्ट नहर** का निर्माण हुआ, वर्ष 1992 में प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया था।
- ➢ **द्वितीय चरण– सतासर (बीकानेर)** से **मोहनगढ़ (जैसलमेर)** तक।
- इस चरण में 256 कि.मी. मुख्य नहर का निर्माण किया गया। दिसम्बर 1986 में मुख्य नहर का निर्माण पूर्ण हुआ। अब नहर का अंतिम स्थान **गडरा रोड़** (बाड़मेर) तक प्रस्तावित किया गया है।
- द्वितीय चरण में **6 शाखाएँ** व **6 लिफ्ट नहर** का निर्माण किया गया है।
- इंदिरा गाँधी नहर के **दायीं तरफ** का क्षेत्र नहर के पानी के तल से नीचा है, इसी कारण इंदिरा गाँधी नहर के **दायीं तरफ शाखाओं** का निर्माण किया गया।

☛ इंदिरा गाँधी नहर की **9 शाखाएँ–**

1. **रावतसर शाखा–** हनुमानगढ़ (पहली शाखा), एकमात्र शाखा, जो नहर के बांयी तरफ निकाली गयी। शेष 8 शाखाएँ दांयी तरफ से निकाली गयी हैं।
2. **सूरतगढ़ शाखा– हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़** (लघुपन विद्युत गृह)
3. **अनूपगढ़ शाखा–** गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर (लघुपन विद्युत गृह)
4. **पूगल शाखा–** बीकानेर (लघुपन विद्युत गृह)
5. **दंतोर शाखा –** बीकानेर
6. **बरसलपुर शाखा–** बीकानेर (लघुपन विद्युत गृह)
7. **चारणवाला शाखा–** बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर (लघुपन विद्युत गृह)
8. **शहीद बीरबल राम शाखा –** जैसलमेर

16 राजस्थान के उद्योग

राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य	
सर्वाधिक औद्योगिक इकाईयों वाला जिला	जयपुर
न्यूनतम औद्योगिक इकाईयों वाला जिला	जैसलमेर
राज्य में सर्वाधिक मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाईयाँ	जिला- अलवर स्थान- भिवाड़ी
सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाईयों वाला जिला	जयपुर व अलवर
न्यूनतम वृहद औद्योगिक इकाईयों वाला जिला	करौली
सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ	जयपुर, जोधपुर
सबसे कम पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ	जैसलमेर, बारां
राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर	जयपुर
राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर	करौली
सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाईयाँ	भिवाड़ी (खैरथल-तिजारा)

- वर्ष 2023-24 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान-29.84%
- वर्ष 2023-24 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान-28.21%
- उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ तथा निर्माण क्षेत्र शामिल है।
- औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की गणना पिछड़े राज्यों में होती है।

✦ राजस्थान में 31 मार्च, 2023 तक 238 वृहद् उद्योग कार्यरत हैं।

- सर्वाधिक वृहद् स्तरीय उद्योग- भिवाड़ी (77)
  द्वितीय स्थान- अलवर (21), भीलवाड़ा (21)

✦ बिजनेस सुधार प्लान 2020- इसमें राजस्थान को निष्पादन एस्पायर श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

✦ बिजनेस सुधार प्लान 2024- इसमें कुल 344 सुधार बिन्दु सम्मिलित हैं, जिन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है-

- भाग-अ में 11 केन्द्रीय मंत्रालयों को सम्मिलित करने वाले 57 सुधार बिन्दु।
- भाग-ब में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित 287 व्यवसाय केन्द्र सुधार बिन्दु को सम्मिलित किया गया है।

✦ **Industrial Policy 2024- Ease of Doing business (EoDB)** एवं **Sustainability** आधारित यह नीति लायी जायेगी। इस नीति के माध्यम से थीम बेस्ड इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना व **Hassle Free Goods Transportation** उपलब्ध कराने के साथ **रिसर्च** एवं **डवलपमेंट (R&D)** तथा **ग्रीन टेक्नॉलोजी** को बढ़ावा दिया जायेगा। (बजट घोषणा 2024-25)

❖ निर्यात-

- राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात 83,704.24 करोड़ रु. का हुआ है।
- राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुएँ निम्न है-

क्र.सं.	वर्ष 2023-24 में राजस्थान से निर्यात	
1.	इंजीनियरिंग वस्तुएँ	19.82%
2.	रत्न व आभूषण	13.36%
3.	धातुएँ	11.78%
4.	कपड़ा	10.54%
5.	हस्तशिल्प	9.54%

- ऊपर सूची में दी गई राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का राज्य से होने वाले निर्यात में 65% से अधिक योगदान है।

☛ **नोट-** राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद' (8 नवम्बर, 2019) तथा 'राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद' (25 अक्टुबर, 2019) का भी गठन किया गया है।

❖ **राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक-** विश्व खाद्य दिवस 7 जून, 2023 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 6वाँ 'राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक' (SFSI) में राजस्थान राज्य ने 45 अंकों के साथ 8वाँ स्थान हासिल किया।

❖ **मिशन निर्यातक बनो-** राजस्थान में उद्योग विभाग व रीको द्वारा 29 जुलाई, 2021 को राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया। 'मिशन निर्यातक बनो' का **द्वितीय चरण** 5 दिसम्बर, 2022 से समस्त राज्य में प्रारम्भ किया गया है।

✦ **Export Promotion Policy-** प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए यह पॉलिसी लायी जायेगी। (बजट घोषणा 2024-25)

➢ राजस्थान सरकार ने **औद्योगिक सम्भावनाओं** के आधार 1972 में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा करवाये गये एक सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान के सभी जिलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है-

1. विशिष्ट श्रेणी- जयपुर जिला
2. 'ए' श्रेणी- अलवर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, कोटा व बारां।
3. 'बी' श्रेणी- बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, टोंक, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा, सवाईमाधोपुर व करौली।
4. 'सी' श्रेणी- जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूँगरपुर, झालावाड़, बूँदी, धौलपुर

❖ सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम (M.S.M.E)

➢ 1 जुलाई, 2020 से परिवर्तित उद्यम मानदण्डों के अनुसार उद्यमों का वर्गीकरण-

1. सूक्ष्म उद्यम- ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश 1 करोड़ रु. से अधिक नहीं है और कारोबार 5 करोड़ रु. से अधिक नहीं है।

17 राजस्थान के खनिज संसाधन

- खनिज सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान की गिनती देश के सम्पन्न राज्यों में होती है। राजस्थान में खनिजों में काफी विविधता पायी जाती है इसलिए राजस्थान को 'खनिजों का अजायबघर/खनिजों का संग्रहालय' कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला व पठारी क्षेत्र से निकाले जाते हैं।
- राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाये जाते हैं, जिनमें से वर्तमान में 58 खनिजों **का उत्खनन** हो रहा है।
- राजस्थान में वर्तमान में खनन पट्टों का आवंटन **ई-निलामी बोली प्रक्रिया** द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में प्रधान खनिजों के 148 खनन पट्टे व अप्रधान खनिजों के **16,817 खनन पट्टे** व **17,454 खदान लाईसेन्स** जारी किए गए हैं।

✦ खान एवं भू-विज्ञान विभाग- राजस्थान में खनिजों की खोज एवं उनके व्यवस्थित दोहन के लिए खान एवं भू-विज्ञान विभाग की स्थापना 1949 में की गई, जिसका **मुख्यालय** उदयपुर में है तथा पंजीकृत **कार्यालय जयपुर** में है।

✦ खान एवं भू-विज्ञान निदेशालय - उदयपुर

✦ राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास- **जयपुर**

✦ राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (**RSMDC**)- 27 सितम्बर, 1979 को स्थापना। 20 फरवरी, 2003 को **RSMDC** का विलय 'राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड' (**RSMML**) में कर दिया गया।

✦ 'राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड' (**RSMML**)- 30 अक्टुबर, 1974 को इसकी स्थापना उदयपुर में की गई। पहले इसे 1947 में **'बीकानेर जिप्सम लिमिटेड'** के नाम से स्थापित की गई थी, जिसे कम्पनी अधिनियम के तहत् 1974 में 'राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड' के नाम से स्थापना की गई। जिसका **मुख्यालय उदयपुर** में है तथा पंजीकृत **कार्यालय जयपुर** में है।

- **RSMML (Rajasthan State Mines and Minerals)** का मुख्य कार्य राज्य में किफायती तकनीकों का उपयोग करते हुए खनिज सम्पदा का दोहन करना और खनिज आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। कम्पनी की मुख्य गतिविधियों को **4 भागों** में बांटा गया है-

1. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर- **रॉक फॉस्फेट, झामरकोटड़ा (उदयपुर)**
2. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर-जिप्सम **(बीकानेर)**
3. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर-लाईमस्टोन **(जोधपुर)**
4. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर- लिग्नाईट (**जयपुर**)

❖ **प्रमुख तथ्य-**

✦ **अप्रधान/गौण खनिजों के उत्पादन** में राजस्थान का स्थान- प्रथम।

✦ भारत में **संसूचित खानों की दृष्टि से** राजस्थान का स्थान- 8वाँ
प्रथम स्थान- मध्यप्रदेश

✦ खनिजों की किस्मों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान- प्रथम

✦ खनिज भण्डारों (उपलब्धता) **के आधार पर** राजस्थान का स्थान- द्वितीय (प्रथम- **झारखंड**)

✦ वर्ष 2021-22 के आंकड़ों (परमाणु व ईंधन खनिजों को छोड़कर) के अनुसार खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का स्थान- तीसरा
ओडिशा (44.11%), **छतीसगढ़** (17.34%),
राजस्थान (14.10%)

✦ वर्ष 2023-24 में राजस्थान में स्थिर कीमतों (2011-12) पर **सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में खनन क्षेत्र का योगदान**-3.21%

✦ वर्ष 2023-24 में राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर **सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में खनन क्षेत्र का योगदान**-3.38%

☛ विभिन्न खनिजों के उत्पादन में **राजस्थान की स्थिति-**

✦ राजस्थान सीसा-जस्ता अयस्क (100%), सेलेनाईट (100%), वुलेस्टोनाईट(100%), जास्पर(100%), तामड़ा/गारनेट (100%) का एकमात्र उत्पादक राज्य है।

✦ चाँदी (99%), केल्साईट (99%), जिप्सम (99%) का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है।

☞ वे खनिज जिनमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है- **संगमरमर, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टॉस, टंगस्टन, सोप स्टॉन, सैण्ड स्टोन, बॉल क्ले, केओलीन।**

- राजस्थान देश में **फैल्सपार, फॉस्फोराइट, ऑकर (गेरू), स्टेटाइट** एवं **फायरक्ले** का भी प्रमुख उत्पादक है।
- राजस्थान भारत में **सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड चूना पत्थर** का अग्रणी उत्पादक है।

खनिजों का वर्गीकरण

- धात्विक खनिज- लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ताँबा, सीसा-जस्ता, सोना, चाँदी, बॉक्साइट, बेराइट, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, विस्मिथ, टंगस्टन
- अधात्विक खनिज- एस्बेस्टॉस, वोलेस्टोनाइट, फैल्सपार, जिप्सम, अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि।
- आण्विक खनिज- यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, थोरियम, ग्रेफाइट।
- रासायनिक खनिज- फ्लोराइट, नमक, चूना पत्थर, बेराइट...
- बहुमूल्य पत्थर- हीरा, पन्ना, तामड़ा आदि
- उर्वरक खनिज- जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटाश, नाइट्रेट, गन्धक, पाइराइट्स आदि
- ईंधन खनिज- कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस
- गौण खनिज- संगमरमर, ग्रेनाइट, बेटोनाईट, स्लेट पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, घीया पत्थर, कैल्साइट आदि।

18 राजस्थान में ऊर्जा संसाधन

- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 15 विद्युत गृह थे जिनकी उत्पादन क्षमता 13.27 MW थी। उस समय 26 शहरों व 16 गाँवों को ही विद्युत प्राप्त होती थी।
- 1 जुलाई, 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (RSEB) की स्थापना की गई।

❖ राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन– 2 जनवरी, 2000

- कार्य– राजस्थान में विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण कंपनियों को लाइसेन्स प्रदान करने एवं राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित करने का कार्य राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा ही किया जाता है।

❖ राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999– राज्य के विद्युत तंत्र में सुधार करने के लिए 1 जून, 2000 को लागू किया गया।

- इसके तहत् **राजस्थान राज्य विद्युत मंडल** (RSEB) का विभाजन कर 19 जुलाई, 2000 को 5 नई कम्पनियों का गठन किया गया।

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड – मुख्यालय **जयपुर**। राजस्थान सरकार की सभी **विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर नियंत्रण** रखने एवं राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी।
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड – मुख्यालय जयपुर। विद्युत प्रसारण संबंधी लाइनों, सब स्टेशनों का निर्माण एवं परिचालन व संचालन का कार्य।
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड– जयपुर, 12 जिलों में विद्युत वितरण का कार्य करती है।
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड– अजमेर, 11 जिलों में विद्युत वितरण का कार्य करती है।
5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड– जोधपुर, 10 जिलों में विद्युत वितरण का कार्य करती है।

❖ राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (RUVNL) – 4 दिसम्बर, 2015 विद्युत के थोक क्रय, विक्रय संबंधी कार्यों के लिए गठित की गई है।

ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत

- **परम्परागत स्त्रोत** – जल विद्युत, तापीय विद्युत (कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल) एवं आणविक ऊर्जा आदि।
- **गैर परम्परागत स्त्रोत** – सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायो गैस, बायो मास व भू–तापीय ऊर्जा आदि।

❖ अनवीकरणीय स्रोत(Non-Renewable Energy Resources) – ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ले सकते और न ही पुनः उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सके, **अनवीकरणीय स्रोत** कहलाते हैं। इनके भंडार सीमित होते हैं। जैसे– **तापीय विद्युत** (कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल) एवं **आणविक (परमाणु) ऊर्जा** आदि।

❖ नवीकरणीय स्रोत(Renewable Energy Resources)– ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में ले सकते हैं और पुनः उनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सके, **नवीकरणीय स्रोत** कहलाते हैं। इनके भंडार असीमित होते हैं। जैसे– जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायो गैस, बायो मास व भूतापीय ऊर्जा आदि।

✦ सौर ऊर्जा– सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा।
✦ पवन ऊर्जा– तीव्र गति से चलने वाली हवाओं से उत्पन्न ऊर्जा।
✦ बायोगैस ऊर्जा– जानवरों के मल–मुत्र से वायु रहित अवस्था में अपघटन से जीवाणुओं की क्रिया से प्राप्त एक ज्वलनशील गैस है। इसमें सर्वाधिक मात्रा मिथेन की होती है।
✦ बायोमास ऊर्जा– कचरा, धान की भूसी एवं सरसों की भूसी से प्राप्त ऊर्जा।
✦ ज्वारीय तरंग ऊर्जा– समुद्री तरंगों एवं ज्वारभाटे से उत्पन्न ऊर्जा।
✦ भू–तापीय ऊर्जा– भू–गर्भीय पदार्थो की ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा। राजस्थान में इसकी सर्वाधिक सम्भावनायें **माउंट आबू** में है।

☞ **नोट**– **जल विद्युत**, ऊर्जा उत्पादन का एक परम्परागत स्रोत है, लेकिन ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की श्रेणी में आता है।

✦ **राजस्थान में** मार्च 2024 तक **की स्थिति –**

वर्षवार ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता			
क्र.सं.	विवरण	2022–23	2023–24
1. राज्य की स्वयं/भागीदारी की परियोजनाएँ			
(अ)	तापीय	7830.00	7830.00
(ब)	जल विद्युत	1017.29	1017.29
(स)	गैस	603.50	600.50
	योग (1)	9450.79	9447.79
2. केन्द्रीय परियोजनाओं से राज्य को आंवटित			
(अ)	तापीय	1916.37	1916.37
(ब)	जल विद्युत	740.66	740.66
(स)	गैस	0.00*	0.00
(द)	परमाणु	456.74	456.74
	योग (2)	3113.77	3113.77
3. आरआरईसी, आरएसएमएमएल एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा/बायोमास/सौर ऊर्जा परियोजनाएँ			
(अ)	पवन	3730.35	4359.63
(ब)	बायोमास	109.95	109.95
(स)	सौर ऊर्जा (कुसुम पीपीए के साथ)	3362.10	4010.50
(द)	तापीय/जल विद्युत	3742.00	3742.00
	योग (3)	10944.40	12222.08
	सकल योग (1+2+3)	23508.96	24783.64

19 राजस्थान में पर्यटन

- पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग (धुँआ रहित) कहते हैं।
- पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान अग्रणी राज्यों में से एक है और भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहते है।

- **विश्व पर्यटन दिवस - 27 सितम्बर**
  विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम - पर्यटन और शांति
- **भारतीय पर्यटन दिवस - 25 जनवरी**
  भारतीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम- **स्टेबल जर्नी, टाइमलैस मैमोरी** (सतत् यात्राएँ, कालातीत यादें)

- भारत का पर्यटन स्लोगन- अतिथि देवो भवः।
- राजस्थान का **पर्यटन लोगो (पधारो म्हारे देश)** 1993 में लांच किया गया था।
- 15 जनवरी, 2016 को- 'जाने क्या दिख जाये'
- **30 जनवरी, 2019** को पुनः 'पधारो म्हारे देश' को राजस्थान का पर्यटन लोगो बना दिया गया है।

✦ राज्य में पर्यटन के प्रचार-प्रसार हेतु 2 मास्टर विज्ञापन फिल्में 'राजस्थान लगे कुछ अपना सा' एवं 'रोमांस ऑफ राजस्थान' 04 अगस्त, 2023 को जयपुर में लॉन्च की गई।

- राजस्थान के पर्यटन विभाग का **पंचवाक्य**- राजस्थानः भारत का अतुल्य राज्य।
- रंग श्री द्वीप एवं **Island of Glory**- जयपुर को (डॉ. सी.वी. रमन ने कहा)
- राजस्थान में पर्यटन को **उद्योग का दर्जा** देने की सिफारिश मोहम्मद युनूस समिति ने की। इन्हीं की सिफारिश पर 4 मार्च, 1989 को पर्यटन को **निर्धूम उद्योग** का दर्जा दिया गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला **राजस्थान** देश का पहला राज्य है।

✦ **पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा-**
- **प्रारम्भ- 18 मई, 2022**
- राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को सम्बल प्रदान करने के दृष्टिकोण से ट्यूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई है। अब इससे भविष्य में इस क्षेत्र पर इंडस्ट्रियल नोर्म्स के अनुसार ही गवर्नमेंट टैरिफ एवं लेवीज देय होंगे।

राजस्थान में पर्यटकों का आगमन

	विदेशी पर्यटक	देशी पर्यटक	कुल पर्यटक
वर्ष 2022	3.97 लाख	1083.28 लाख	1087.25 लाख
वर्ष 2023	17 लाख	1790.52 लाख	1807.52 लाख
वृद्धि/कमी	+ 328.52 %	+ 65.29%	+ 66.25%

- राजस्थान में सर्वाधिक **विदेशी पर्यटकों** वाला जिला- जयपुर
  द्वितीय स्थान पर- उदयपुर तृतीय स्थान पर- जोधपुर
- राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटकों वाला जिला- सीकर
  द्वितीय स्थान पर- जयपुर तृतीय स्थान पर- **अजमेर**
- सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों के आगमन वाला महीना- नवम्बर
- राजस्थान में न्यूनतम विदेशी पर्यटकों के आगमन वाला महीना- जून
- राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटकों के आगमन वाला महीना- मार्च
- राजस्थान में न्यूनतम देशी पर्यटकों के आगमन वाला महीना- जनवरी

☞ **नोट**-फोर्ब्स पत्रिका ने **वर्ष** 2023 की 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन में भारत से एकमात्र राज्य राजस्थान को शामिल किया गया है।

✦ **पर्यटन परिपथ-**

- पर्यटन परिपथ (सर्किट)- राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित गाइड मेप ऑफ राजस्थान (2005) के अनुसार राजस्थान को **10 पर्यटन सर्किट्स** में बाँटा गया है। ये सर्किट निम्न प्रकार से हैं-

1. मरू सर्किट- (डेजर्ट सर्किट) जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर (नया शामिल) गोल्डन ट्रायंगल के बाद सर्वाधिक पर्यटक इसी परिपथ में आते है। इसका विकास जेबीआईसी (जापान) के सहयोग से
2. शेखावाटी सर्किट- चुरू, झुंझुनूं, सीकर
   (सालासर, तालछापर, लोहार्गल, शाकम्भरी माता मंदिर, रैवासा, जीणमाता, खाटूश्यामजी, महणसर, नवलगढ़, नरहड़, गणेश्वर आदि)
3. ढूँढ़ाड़ सर्किट- जयपुर, दौसा
   (आभानेरी, आमेर, सामोद, रामगढ़, आलूदा, भांडारेज, मेहंदीपुर आदि)
4. हाड़ौती सर्किट- कोटा, बूँदी, झालावाड़।
   (रामेश्वर महादेव, गागरोन किला)
5. मेरवाड़ा सर्किट- अजमेर, नागौर
   (ब्रह्मा मन्दिर, पुष्कर, मेड़ता, किशनगढ़, नारेली आदि)
6. मेवाड़ सर्किट- उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद
   (नाथद्वारा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, जयसमंद, गोगुंदा, कपासन, मेनाल, जगत, कैलाशपुरी, त्रिपुरा सुन्दरी, गलियाकोट आदि स्थान)
7. रणथम्भौर सर्किट- सवाईमाधोपुर, टोंक
8. मेवात सर्किट- अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर (सिलीसेढ़, सरिस्का, भानगढ़, तिजारा, भृर्तहरी, पांडुपोल, घाना पक्षी विहार आदि)
9. वागड़ सर्किट- डूँगरपुर, बाँसवाड़ा
   (मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थूणा-त्रिपुरा सुन्दरी, कडाना-माही बजाज सागर, कागजी पिकअप, घोटिया अम्बा)
10. गोडवाड़ सर्किट- पाली, सिरोही, जालौर
    (माउन्ट आबू, रणकपुर, दिलवाड़ा, केरला आदि स्थान)

➢ **पर्यटन विकास हेतु नये सर्किट और विकसित किये गये हैं-**

✦ स्वर्णिम त्रिकोण(**Golden Triangle**)-**आगरा, जयपुर, दिल्ली**
स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित राजस्थान का शहर- जयपुर

✦ मरू त्रिकोण(**Desert Triangle**)- **जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर**

20 राजस्थान में परिवहन

➢ सामान्यत: परिवहन के 4 प्रकार होते हैं–

1. सड़क परिवहन 2. रेल परिवहन
3. वायु परिवहन 4. पाइप लाईन परिवहन

❖ सड़क परिवहन–

✦ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का **सबसे बड़ा राज्य** है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में सड़कों व राष्ट्रीय राजमार्गों का पर्याप्त विकास हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वर्तमान में 50 जिलों, 426 तहसीलों व 365 विकास खण्ड़ों में विभक्त है।

✦ 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लम्बाई 13,553 कि.मी. थी। उस समय सड़कों का घनत्व 3.96 **कि.मी.** प्रति 100 वर्ग कि.मी. था।

✦ वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 43264 गाँवों में से 31 मार्च, 2023 तक 39,448 गाँव (91.17%) सड़कों से जुड़ चुके हैं, कुल 11281 ग्राम पंचायतों में से 11266 ग्राम पंचायत सड़कों से जुड़ चुकी हैं।

31 मार्च, 2023 तक राजस्थान में सड़कों की स्थिति–

सड़क का प्रकार	31 मार्च, 2023 तक लम्बाई
राष्ट्रीय राजमार्ग	10790 किमी
राज्य राजमार्ग	17349 किमी
मुख्य जिला सड़कें	14173 किमी
अन्य जिला सड़कें	67952 किमी
ग्रामीण सड़कें	191547 किमी
कुल योग	301811 किमी

स्रोत– वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2023-24, PWD, राजस्थान

✦ राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की डामर सड़कों की **सर्वाधिक लम्बाई** वाला जिला– बाड़मेर, द्वितीय– **जोधपुर**

✦ राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की डामर सड़कों की **न्यूनतम लम्बाई** वाला जिला– सिरोही, द्वितीय न्यूनतम–**धौलपुर**

✦ राजस्थान में सड़कों से जुड़े **सर्वाधिक गाँव** वाला जिला– गंगानगर

✦ राजस्थान में सड़कों से जुड़े **न्यूनतम गाँव** वाला जिला– सिरोही

✦ सड़कों से जुड़े **सर्वाधिक ग्राम पंचायत** मुख्यालयों वाला जिला–बाड़मेर

✦ सड़कों से जुड़े **न्यूनतम ग्राम पंचायत** मुख्यालयों वाला जिला–कोटा

✦ मार्च 2023 तक राजस्थान में **सड़क** घनत्व–88.19 किमी

✦ **राष्ट्रीय स्तर** पर सड़क घनत्व– 165.24 किमी/100 वर्ग किमी

✦ राजस्थान में सड़क घनत्व प्रति लाख व्यक्ति– 440.28 **किमी**

राष्ट्रीय राजमार्ग

✦ इनका संचालन **केन्द्र सरकार** द्वारा किया जाता है एवं निर्माण व रखरखाव का कार्य 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' (**NHAI**) करता है।

✦ राजस्थान में वर्तमान में **राष्ट्रीय राजमार्गों** की संख्या– 50

✦ राजस्थान में NH की कुल लम्बाई– 10790 कि.मी.

✦ भारत में NH की **लम्बाई में** राजस्थान का स्थान– तीसरा
प्रथम– महाराष्ट्र द्वितीय स्थान– **उत्तरप्रदेश**

✦ राजस्थान में प्रति 1000 वर्ग कि.मी. पर राष्ट्रीय राजमार्ग की औसत लम्बाई 34.2 **कि.मी.** है तथा प्रति 1 लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 15.74 **कि.मी.** है।

✦ राजस्थान में NH की सर्वाधिक लम्बाई वाला जिले– बाड़मेर

✦ राजस्थान में NH की न्यूनतम लम्बाई वाला जिले– करौली

✦ राजस्थान में **सर्वाधिक जिलों से** गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग– NH 48 (12 **जिलों से**), NH 52 (9 **जिलों से**)

✦ NH 754K, NH 58 **व** NH 62 8-8 जिलों से गुजरते हैं।

✦ राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग– NH 48

✦ वे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनका विस्तार राजस्थान के केवल एक ही जिले में है– 15 राष्ट्रीय राजमार्ग NH 911A–(बीकानेर), NH 125A –(जोधपुर), NH 919–(खैरथल-तिजारा), NH 925 –(बाड़मेर), **NH** 44– (धौलपुर), **NH** 148B– (कोटपूतली -बहरोड़), **NH** 148C– (जयपुर ग्रामीण), **NH** 248– (जयपुर ग्रामीण), **NH** 448– (अजमेर), **NH** 54– (हनुमानगढ़), **NH** 552G–(झालावाड़), NH 156– (चित्तौड़गढ़), **NH** 168– (सिरोही), **NH** 168A– (सांचौर), **NH** 968– (जैसलमेर)

✦ राजस्थान के भू-क्षेत्र से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग–
NH 52 (793.55 **कि.मी.**) **संगरूर- अंकोला**
NH 11 (763.60 **कि.मी.**) **म्याजलार से रेवाड़ी**
NH 62 (726.57 कि.मी.) **अबोहर-पिंडवाड़ा**

✦ राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला– जयपुर ग्रामीण(9 NH)(**21, 23, 48, 148, 148 C, 248, 248 A, 52, NE4C**)

✦ राजस्थान में ऐसा जिला जिसमें से कोई **राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं** गुजरता है– सलूम्बर

✦ राजस्थान में न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्गों वाले जिले– अनूपगढ़ (1), करौली (1), प्रतापगढ़ (1), केकड़ी (1), गंगापुर सिटी (1), दूदू (1), डीग (1), खैरथल-तिजारा (1) नीमकाथाना (1)

✦ वे जिला मुख्यालय जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं गुजरता है– 5 (**केकड़ी, सलूम्बर, डीग, खैरथल-तिजारा, नीमकाथाना**)

✦ राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग– **NH** 919 (5 किमी, खैरथल-तिजारा) **NH** 148B(5 किमी, कोटपूतली- बहरोड़)

✦ पूर्णतया राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग– **NH** 25 (481.17 कि.मी. ब्यावर-मुनाबाब)
दूसरा बड़ा– **NH** 911 (455.5 कि.मी. बाप-गंगानगर)

21 राजस्थान की जनगणना–2011

- राजस्थान में जनगणना 1872 ई. में ब्रिटिश शासनकाल में ही प्रारम्भ हो गयी थी परन्तु यह अव्यवस्थित व अनियमित थी।
- मार्च 2011 में हुई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के पश्चात– 7वीं जनगणना थी।

जनसंख्या (Population)

- राजस्थान की **कुल जनसंख्या**– 6.86 करोड़ (6,85,48,437) भारत की जनसंख्या का– 5.67%
- राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 1.6% है। राजस्थान की जनसंख्या थाईलैण्ड (6.90 करोड़), फ्रांस (6.71 करोड़) के लगभग बराबर है।
- **जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान** – 7 वाँ
- ध्यान रहे– 2011 की जनगणना के वक्त राजस्थान का 8वाँ स्थान था, लेकिन जून 2014 में आन्ध्रप्रदेश से तेलंगाना पृथक होने से राजस्थान का 7 वाँ स्थान हो गया है।
- राजस्थान का **सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला** – जयपुर
- जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.67% है।
- जनसंख्या की दृष्टि से **पाँच सबसे बड़े जिले**– जयपुर (66.2 लाख) जोधपुर (36.87 लाख) अलवर (36.74 लाख), नागौर (33.07 लाख), उदयपुर (30.68 लाख)
- राजस्थान का **न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला** – जैसलमेर जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 0.98% है।
- जनसंख्या की दृष्टि से **5 सबसे छोटे जिले**– जैसलमेर (6.70 लाख) प्रतापगढ़ (8.68 लाख, सिरोही (10.36 लाख) बूँदी(11.11 लाख), राजसमंद (11.57 लाख)
- **50 लाख से अधिक** जनसंख्या वाले जिले– 1 (जयपुर)
- **30 लाख से अधिक** जनसंख्या वाले जिले– 5
- **20 लाख से अधिक** जनसंख्या वाले जिले– 14
- **10–20 लाख तक** जनसंख्या वाले जिले– 17
- 10 लाख (1 **मिलियन) से कम** जनसंख्या वाले जिले– 2
- राजस्थान के **सर्वाधिक आबादी वाले शहर**–
  - → जयपुर (30.73 लाख, देश में 10वाँ स्थान)
  - → जोधपुर (10.33 लाख, देश में 43वाँ स्थान)
  - → **कोटा** (10.01लाख, देश में 46वाँ स्थान)
  - → **बीकानेर** (6.4 लाख), **अजमेर** (5.4 लाख), **उदयपुर** (4.5 लाख)
- राजस्थान में न्यूनतम आबादी वाला शहर– बाँसवाड़ा (1.01 लाख)
- राजस्थान के **10 लाख से अधिक आबादी** वाले शहर–3
  5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर–5
- सर्वाधिक हिन्दु जनसंख्या वाला जिला– जयपुर (58.20 लाख)
- सर्वाधिक हिन्दु जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला– दौसा (96.81%)
- सर्वाधिक मुस्लिम **जनसंख्या** वाला जिला– जयपुर (6.87 लाख)
- सर्वाधिक मुस्लिम **जनसंख्या** प्रतिशत वाला जिला–**जैसलमेर** (25.1%)
- सर्वाधिक ईसाई **जनसंख्या** वाला जिला– **बाँसवाड़ा** (22250)
- सर्वाधिक ईसाई **जनसंख्या प्रतिशत** वाला जिला– **बाँसवाड़ा**(1.24%)
- सर्वाधिक सिक्ख **जनसंख्या** वाला जिला– **गंगानगर** (4.75 लाख)
- सर्वाधिक सिक्ख **जनसंख्या प्रतिशत** वाला जिला–**गंगानगर** (24.11%)
- सर्वाधिक जैन **जनसंख्या** वाला जिला– **जयपुर** (81,000)
- सर्वाधिक जैन **जनसंख्या** प्रतिशत वाला जिला– **उदयपुर** (2.56%)
- सर्वाधिक बौद्ध **जनसंख्या** वाला जिला– **अलवर** (4384)
- सर्वाधिक बौद्ध **जनसंख्या** प्रतिशत वाला जिला– **अलवर** (0.12%)
- राजस्थान की जनसंख्या में हिन्दू **आबादी** का प्रतिशत– 88.49% मुस्लिम **आबादी**– 9.06%, सिख **आबादी**– 1.27%, जैन **आबादी**– 0.91%, ईसाई **आबादी**– 0.14%, बौद्ध **आबादी**– 0.02%

राजस्थान की जनगणना का एक तुलनात्मक अध्ययन

	2001 की जनगणना	2011 की जनगणना	राजस्थान का स्थान	अंतर
कुल जनसंख्या	5,65,07,188	6,85,48,437	7वाँ	1,20,41,249
		पुरूष– 3,55,50,997		
		महिला– 3,29,97,440		
जनसंख्या वृद्धि दर	28.4%	21.3%	9वाँ	7.10 की कमी
लिंगानुपात	921	928	22वाँ	7 की वृद्धि
जनघनत्व	165	200	19वाँ	35 की वृद्धि
0–6 आबादी	1,06,51,002	1,06,49,504 (15.54%)	--	
0–6 लिंगानुपात	909	888	25वाँ	21 की कमी
साक्षरता	60.41%	66.11%	26वाँ	5.70 की वृद्धि
पुरूष साक्षरता	75.7%	79.20%	19वाँ	3.5 की वृद्धि
महिला साक्षरता	43.9%	52.12%	27वाँ	8.22 की वृद्धि

भाग–2

राजस्थान कला एवं संस्कृति

1 राजस्थान के दुर्ग

- ❖ **कागमुखी दुर्ग**– ऐसी पहाड़ी जो आगे की ओर बिल्कुल संकड़ी हो और पीछे की तरफ चौड़ी हो, उस पर बना दुर्ग **कागमुखी दुर्ग** कहलाता है। जैसे– **मेहरानगढ़ किला** (जोधपुर)
- ❖ **छाजमुखी दुर्ग**– ऐसी पहाड़ी का आगे का भाग चौड़ा हो और पीछे की तरफ से कम चौड़ा हो, उस पर बना दुर्ग वह **छाजमुखी दुर्ग** कहलाता है। जैसे– **दौसा का किला।**
- ❖ **कौटिल्य** ने दुर्गों के **4 प्रकार** बताये हैं– औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धान्वन दुर्ग, वन दुर्ग।
- ❖ **मनुस्मृति** में दुर्गों के **6 प्रकार** बताये हैं– धनु दुर्ग, मही दुर्ग, जलदुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृ दुर्ग, गिरी दुर्ग।
- ❖ **शुक्रनीति** के अनुसार राज्य के 7 **अंग** माने गये हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है। **शुक्रनीति** में दुर्गों के **9 प्रकार** बताये गये हैं– वन दुर्ग, धन्व दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, सहाय दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिध दुर्ग, सैन्य दुर्ग। जिसमें से **सैन्य दुर्ग** को सभी में **श्रेष्ठ दुर्ग** बताया गया है।

➢ दुर्गों की श्रेणियाँ–

- **पारिख दुर्ग**– जिसके चारों ओर गहरी खाइयाँ हो। जैसे– लोहागढ़ (भरतपुर), जूनागढ़, डीग का किला आदि।
- **जल दुर्ग/औदक दुर्ग**– वह दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जैसे– **गागरोन दुर्ग** (झालावाड़), **शेरगढ़ दुर्ग** (बारां), **भैंसरोड़गढ़ दुर्ग** (चित्तौड़गढ़)।
- **गिरी दुर्ग**– वह दुर्ग जो किसी ऊँची पहाड़ी पर स्थित हो तथा चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो, **जैसे**– चित्तौड़गढ़, रणथम्भौर, जालौर, मेहरानगढ़, अचलगढ़, कुम्भलगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़ आदि।
- **धान्वन दुर्ग**– जिसके चारों ओर **मरूस्थल** हो, **जैसे**– जूनागढ़ (बीकानेर), भटनेर का किला, जैसलमेर का किला, नागौर का किला।
- **वन दुर्ग**– जो चारों ओर से वनों और कांटेदार वृक्षों से घिरा हो, **जैसे**– रणथम्भौर दुर्ग, कुंभलगढ, सिवाणा (बालोतरा) आदि।

> ☞ **नोट– रणथम्भौर दुर्ग, कुंभलगढ़ किला** व **सिवाणा किला** वन दुर्ग व गिरी दुर्ग दोनों श्रेणी में आते हैं।

- **सैन्य दुर्ग**– जिसकी व्यूह रचना में **चतुर वीरों** से सुसज्जित सेना के होने से अभेद्य हो। सैन्य दुर्ग को सभी दुर्गों में **सर्वश्रेष्ठ** माना जाता है।
- **सहाय दुर्ग**– जिसमें वीर तथा सदा साथ देने वाले बन्धुजन रहते हों।
- **एरण दुर्ग**– जिस दुर्ग का मार्ग कांटों और पत्थरों से परिपूर्ण हो। जैसे– **चितौड़** और **जालौर** का दुर्ग।
- **पारिध दुर्ग**– जिसके चारों ओर ईट, पत्थर और मिट्टी से बनी बड़ी-बड़ी दीवारों का परकोटा हो। **जैसे**– चित्तौड़गढ़, जैसलमेर आदि।
- **भूमि दुर्ग/स्थल दुर्ग**– प्रस्तर खंडों या ईटों से समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग। **जैसे**– चौमू का किला (जयपुर ग्रामीण)।

> "राजस्थान में ऐसा कोई भी छोटा सा राज्य नहीं मिलेगा, जहाँ **थर्मोपल्ली** जैसा युद्ध नहीं हुआ हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले, जहाँ **लियोनिडास** जैसा वीर पैदा न हुआ हो"–
> **कर्नल जेम्स टॉड का कथन।**

- दुर्गों की संख्या की दृष्टि से **राजस्थान का स्थान– तीसरा**
- राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण **कालीबंगा की खुदाई** में मिलता है।

❒ उदयपुर संभाग के किले–

❖ चित्तौड़ का किला–

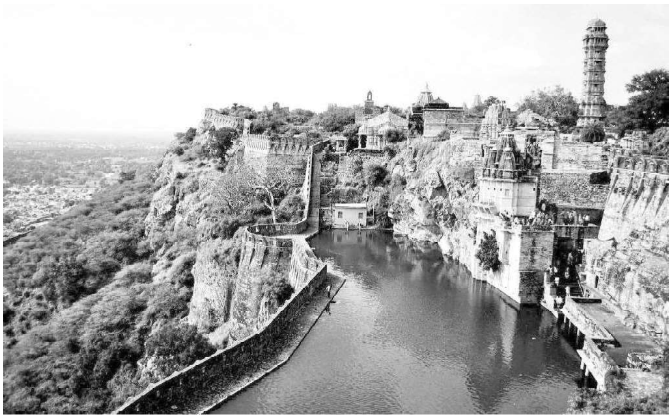

- ✦ चित्तौड़ किले के **उपनाम– राजस्थान का गौरव/चित्रकुटगढ/चित्रकोट/राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार/दुर्गाधिराज**
- **'राजस्थान के किलों का सिरमोर'** कहलाता है।
  इसके बारे में प्रसिद्ध उक्ति–
  गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया।
- यह **'मालवा का प्रवेश द्वार'** कहलाता है।
- **हिन्दू देवी देवताओं का अजायबघर** कहलाता है।
- इसे **'वीरों का तीर्थ'** भी कहा जाता है।
- **निर्माण– चित्रांग मौर्य**(कुमारपाल प्रबन्ध/ मुहणौत नैणसी के अनुसार)
- मेवाड़ के इतिहास ग्रन्थ **वीर विनोद** के अनुसार **मौर्य राजा चित्रांग** (चित्रांगद) ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम **'चित्रकोट'** रखा था, उसी का परिवर्तित नाम **'चितौड़'** है।
- यह किला **7वीं शताब्दी** में निर्मित है।
- इसका **पुनः निर्माण** महाराणा **कुम्भा** ने 15वीं शताब्दी में करवाया।

✦ किले की विशेषताएँ–

- किले का आकार– **व्हेल मछली के समान।**
- चित्तौड़ दुर्ग में **खेती** भी होती है।
- यह **राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला** है।
- राजस्थान का **सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट** है।
- यह **गम्भीरी व बेड़च** नदियों के संगम के पास बना है।

➢ **कान्हड़दे प्रबन्ध, वीरमदेव सोनगरा री बातां-पद्मनाभ** द्वारा लिखित पुस्तकें, जिनमें जालौर युद्ध का वर्णन है।

- उद्योतन सूरी ने **कुवलय माला** की रचना **प्रतिहार नरेश वत्सराज** के शासनकाल में जालौर दुर्ग में की।
- जोधपुर की राजगद्दी के लिए मानसिंह व भीमसिंह के मध्य हुए उत्तराधिकार संघर्ष में **मानसिंह** ने **जालौर दुर्ग** में ही शरण ली थी।
- '**ताज उल मासिर**' में **हसन निजामी** ने लिखा है कि "जालौर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजेय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता द्वारा नहीं खोले गये चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो।"
- '**राईयों का भाव राते ही बीता**'- कहावत इसी किले के लिए प्रचलित है।

❖ भाद्राजूण का किला – जालौर

- इस किले का निर्माण **16वीं शताब्दी** में हुआ है, घोड़े के **खुर के आकार की घाटी** में बना होने के कारण प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है, जिसमें केवल **पूर्व दिशा** से ही प्रवेश किया जा सकता है।

❖ कोटकाश्तां दुर्ग- जालौर

- यह किला नाथ सम्प्रदाय के साधुओं की तपोस्थली होने के कारण '**नाथों का दुर्ग**' कहलाता है।

❖ अचलगढ़/आबू दुर्ग- माउंट आबू (सिरोही)

- इसका मूल निर्माण आबू के पर्वतीय प्रदेश में **परमार शासकों** द्वारा 900 ई. के लगभग करवाया गया था, जिसके भग्नावशेषों पर इसका पुनर्निर्माण **महाराणा कुम्भा** ने 1452 ई. में करवाया था।
- यह किला **आबू पर्वत/अर्बुदांचल/अर्बदागिरी** पर बना है। यहीं पर अर्बुदा माता का मंदिर भी बना है।
- यहाँ आबू पर्वत के अधिष्ठाता देव '**अचलेश्वर महादेव**' का मंदिर स्थित है।

- **भंवराथल**- गुजरात के शासक **महमूद बेगड़ा** ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और कुछ देवी प्रतिमाएँ नष्ट की, लेकिन देवी प्रकोप से मधुमक्खियों का बहुत बड़ा दल आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। वह स्थान **भंवराथल** के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

- दुर्ग में **सावन-भादवा** (स्थान का नाम) में राणा कुम्भा व उदा की मूर्तियाँ बनी हैं। यहाँ **दुरसा आढ़ा की पीतल की प्रतिमा** स्थापित है।
- **मंदाकिनी कुंड** (अचलेश्वर मंदिर के पास) के किनारे सिरोही के **महाराव मानसिंह** की छतरी बनी है।
- **कपूर सागर तालाब, सावन भादो झील** बने हैं।
- **ओखी रानी का महल** (कुम्भा की पत्नी), **अलाम टावर** (परमारों द्वारा निर्मित), **चम्पापोल व भैरवपोल** स्थित हैं।
- यहीं पर भृर्तहरि की गुफा, भृगु ऋषि का आश्रम स्थित है। किले में ऋषभदेव और पार्श्वनाथ के दो जैन मंदिर तथा कुम्भा द्वारा निर्मित **कुंभस्वामी का मंदिर** भी बना है।

❖ **मचान दुर्ग- सिरोही** (निर्माण **महाराणा कुम्भा** ने करवाया)

❖ बसन्तगढ़- पिंडवाड़ा (सिरोही)

- इसका निर्माण **परमार शासकों** द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण **महाराणा कुम्भा** ने 1451 ई. में करवाया था। इसे **बसन्ती दुर्ग** भी कहा जाता है।

❒ जोधपुर संभाग के किले-

❖ मेहरानगढ़- जोधपुर

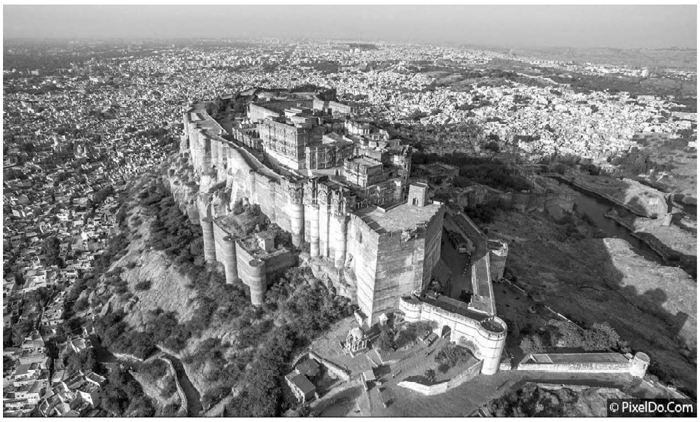

- उपनाम- मिहिरगढ़/**मयूरध्वजगढ़**/जबरोगढ़/मेहरानगढ़/**गढ़ चिन्तामणि**/कागमुखी दुर्ग/सूर्यगढ़ (Sun fort)
- **मयूरध्वजगढ़**- मयूराकृति होने के कारण **मयूरध्वजगढ़** कहते हैं।
- **मेहरानगढ़ नाम**- अपनी विशालता के कारण।
- इसका निर्माण 1459 ई. में **राव जोधा द्वारा** लाल पत्थरों से करवाया गया था। मेहरानगढ़ की **नींव करणी माता** द्वारा 13 मई, 1459 ई. को रखी गई थी।
- किला निर्माण के समय **राजिया भांभी** (राजाराम) को 12 मई को नींव में जिन्दा गाड़ दिया था। उस स्थान के ऊपर **सिलहखाना** तथा **नक्कारखाना भवन** निर्मित है।
- यह किला **पंचेटिया पहाड़ी** पर स्थित है इसी पहाड़ी को **चिड़ियाटूंक पहाड़ी** भी कहा जाता है, प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ यहाँ तपस्या करता था। यह **गिरी दुर्ग** है।
- **रानीसर तालाब**- निर्माण **राव जोधा** की रानी '**जसमादे**' द्वारा।
- **पदमसागर तालाब**- इसका निर्माण **राव जोधा** ने मेवाड़ के सेठ **पदमचन्द शाह** से धन प्राप्त कर करवाया।

2 राजस्थान के महल, पैलेस एवं स्मारक

- महल व पैलेस का निर्माण **स्थापत्य का ही एक विशिष्ट रूप** है। राजपूताना की विभिन्न रियासतों के शासकों ने अपने निवास आदि के लिए राजभवनों का निर्माण करवाया था।

❒ उदयपुर सम्भाग–

❖ राजमहल/सिटी पैलेस – उदयपुर

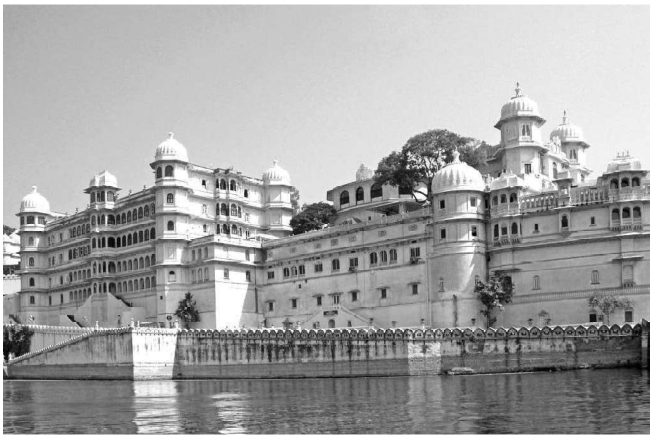

- इसका निर्माण **महाराणा उदयसिंह** ने पिछोला झील के किनारे 1559 ई. में करवाया था। इसके एक हिस्से में **प्रताप संग्रहालय** संचालित है, जिसमें महाराणा प्रताप का **ऐतिहासिक भाला** रखा है।
- **फर्ग्यूसन** ने इनकी तुलना लंदन के **'विंडसर महलों'** से की है। **राजमहल में दर्शनीय स्थल** – माणक चौक, मयूर चौक, कृष्णा विलास महल, वाणी विलास महल, मोती महल, दिलखुश महल, फतेहप्रकाश महल..............आदि।

❖ जगमंदिर– उदयपुर

- यह महल पिछोला झील में स्थित है। इसका निर्माण **महाराणा कर्णसिंह** ने 1620 ई. में शुरू किया तथा इसे **महाराणा जगतसिंह प्रथम** ने 1651 ई. में पूर्ण करवाया।
- महाराजा कर्णसिंह ने इसी जगमंदिर में **खुर्रम (शाहजहाँ)** को शरण दी, महाराणा स्वरूप सिंह के समय 1857 की क्रांति के दौरान **नीमच छावनी** से भागे **अंग्रेज अधिकारियों के परिवारों** को भी इसी महल में शरण दी गई थी।

❖ जगनिवास– उदयपुर

- यह महल **पिछोला झील** के मध्य बना है। इसका निर्माण **महाराणा जगतसिंह द्वितीय** ने 1746 ई. में करवाया था।

❖ हाड़ी रानी का महल – सलूम्बर

- **हाड़ी रानी**– सलूंबर के **राव रतनसिंह** की पत्नी और बूँदी के जागीरदार **संग्राम सिंह हाड़ा** की पुत्री थी। इनका मूल नाम **सलह/सहल कंवर** था। विवाह के दूसरे ही दिन रतनसिंह (महाराणा राजसिंह की सेना में थे) को **औरंगजेब के विरुद्ध** युद्ध करने जाना पड़ा। युद्ध में जाने के लिए तैयार होते समय रतनसिंह ने एक सेवक को भेज कर सहल कंवर से **सैनाणी** (कोई पहचान चिह्न) मांगी। हाड़ी रानी ने सेवक के साथ अपना सिर काटकर भेज दिया।
- **"चूंडावत मांगी सैनाणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी"** **'सैनाणी'** नामक इस कविता की रचना **मेघराज मुकुल** ने की है।

❖ दिवेर का विजय स्मारक – दिवेर (राजसमंद)

- दिवेर में स्थित इस **'महाराणा प्रताप विजय स्मारक'** का निर्माण **राष्ट्रीय राजमार्ग** 58 के पास एक ऊँची पहाड़ी पर किया गया है। स्थानीय लोग इसे **'मेवा का मथारा'** कहते हैं।

❒ बाँसवाड़ा सम्भाग–

❖ मानगढ़ धाम स्मारक – मानगढ़ पहाड़ी (बाँसवाड़ा)

- बाँसवाड़ा जिले में आमलिया ग्राम पंचायत में स्थित एक पहाड़ी, जो **मानगढ़ पहाड़ी** के नाम से जानी जाती है।
- **गोविन्द गुरु** के नेतृत्त्व में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुये यहाँ पर करीब 1500 आदिवासी शहीद हुये थे। **17 नवम्बर, 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा** को इस पहाड़ी पर एकत्र हुये आदिवासियों को ब्रिटिश सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। उन्हीं की स्मृति में यह **मानगढ़ धाम स्मारक** बनाया गया है।
- इसे **'राजस्थान का जलियाँवाला बाग'** कहा जाता है।

❖ जूना महल – डूँगरपुर

- **रावल वीरसिंह देव** द्वारा निर्मित यह 7 मंजिला महल है। यह महल **धनमाता पहाड़ी** की ढ़लान पर स्थित है। अपने भित्ति चित्रों व कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है।

❖ उदयविलास महल – डूँगरपुर

- इसका निर्माण **महारावल उदयसिंह** द्वारा करवाया गया था। यह महल **गैपसागर झील** के किनारे बना है।

❖ एक थम्बिया महल – डूँगरपुर

- गैपसागर झील के तट पर बने **उदयविलास महल** के अन्दर बना है। इसका निर्माण **महारावल शिवसिंह** ने राजमाता ज्ञान कुंवर की स्मृति में **शिव ज्ञानेश्वर शिवालय** के रूप में करवाया था।

5 राजस्थान के लोकदेवता

- लोक देवता से तात्पर्य उन महापुरुषों से है जिन्होंने अपने **वीरोचित कार्य** तथा **दृढ़ आत्मबल** द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की तथा धर्म की रक्षा एवं लोक-हितार्थ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

⇨ लोक देवी-देवताओं संबंधी **महत्त्वपूर्ण शब्दावली** निम्न है-

1. परचा- अलौकिक शिक्षा द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना **'परचा'** कहलाता है, जो शक्ति का परिचायक है। लोकदेवता **रामदेव जी के परचे** प्रसिद्ध हैं।
2. चिरजा- देवी की पूजा आराधना के पद, गीत या मंत्र जिन्हें विशेषकर रात के जागरणों के समय महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं।

- इन्हें **'चिरजा'** कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं सिंघाऊ और घड़ाऊ।
- **चारण चिरजा**- चारण जाति द्वारा की जाने वाली करणी माता की स्तुति।

3. नाभा- लोक देवी-देवताओं के भक्त अपने आराध्य देव की सोने, चाँदी, पीतल, ताँबे आदि धातु की बनी **छोटी प्रतिकृति** गले में बाँधते हैं उसे **'नाभा'** कहते हैं।
4. देवरा- राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में लोकदेवों के चबूतरेनुमा बने हुए पूजा स्थल को **देवरा** कहते हैं।
5. पंचपीर- मारवाड़ अंचल में पाबूजी, हड़भू जी, रामदेवजी, मांगलिया मेहा व गोगाजी सहित पाँच लोक देवताओं को **मारवाड़ के पंचपीर** कहा गया है। पंचपीर- निम्न दोहे में परिलक्षित होते हैं-
   ''पाबू, हड़भू, रामदे, मांगलिया मेहा,
   पाँचो पीर पधार ज्यो, गोगाजी जेहा।''
6. ढ़ाला- सात देवियों की सम्मिलित प्रतिमा **ढाला** कहलाती है।

✦ **पिता-पुत्र जोड़ी- गोगाजी- केसरिया कुंवर**
सवाईभोज- देवनारायण जी

भाई-बहिन की जोड़ी	-	**हर्षनाथ-जीणमाता**
पति-पत्नी की जोड़ी	-	**मल्लीनाथ जी-रूपादे**
चाचा-भतीजा की जोड़ी	-	**पाबूजी-रूपनाथ जी** **डूँगरजी-जवाहर जी**
मौसेरे भाईयों की जोड़ी	-	**रामदेव जी-हड़भू जी**

❖ रामदेवजी-

- उपनाम- रामसापीर (मुसलमान)/रूणेचा रा धणी/पीरों का पीर/साम्प्रदायिक सद्भाव के लोकदेवता।
- रामदेव जी **तंवर वंशीय राजपूत** थे।
- जन्म- उँडूकासमेर (शिव तहसील, बाड़मेर) में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया (बाबे री बीज) को हुआ था।

☞ **नोट**- रामदेव जी के जन्म के वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है लेकिन इतना तय है कि इनका जन्म 14वीं शताब्दी का है।

- पिता- अजमल जी
- माता- मैणा दे
- भाई- बीरमदेव (**बलराम के अवतार**)
- सगी बहनें- लाछां बाई व सुगना बाई
- बहिन- डालीबाई मेघवाल (**मुँहबोली**)
- गुरु- बालीनाथ, इनकी समाधि **मसूरिया पहाड़ी**,(जोधपुर) में है।
- पत्नी- नेतलदे (**दलैसिंह सोढ़ा** की पुत्री, अमरकोट) जो अपंग थी।
- वाहन- लीला घोड़ा/नीला घोड़ा
- हिन्दू इन्हें **कृष्ण का अवतार** व **अर्जुन का वंशज** मानते हैं।
- **पंथ**- इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया।
- इनके मन्दिर को देवरा कहा जाता है।
- इनकी ध्वजा को नेजा कहते हैं। (जो **श्वेत/पांच रंगों** की होती है)
- जम्मा- इनका रात्री जागरण जम्मा कहलाता है।
- रामदेव जी के मेघवाल भक्त 'रिखिया' कहलाते हैं।
- पर्चा/परचा- रामदेव जी के चमत्कारी जीवन गाथाओं का यशगान **'पर्चा'** में होता है।
- **प्रमुख शिष्य**- हरजी भाटी, रतना राईका, लक्खी बंजारा, आईजी माता।
- रामदेव जी ने **पंच पीपली** नामक स्थान पर मक्का से आये 5 पीरों को परचा दिया था।
- इन्होंने परावर्तन (शुद्धिकरण) आन्दोलन चलाया था। (हिन्दू धर्म के शुद्धिकरण के लिए)
- ब्यावले (गीत)- इनकी आस्था में भक्तों द्वारा बांचे जाते है।
- तेरहताली **नृत्य**- रामदेव जी के मेले पर **कामड़ जाति** की महिलाओं द्वारा तेरहताली नृत्य किया जाता है।
- भैरव राक्षस- इन्होंने बचपन में भैरव नामक क्रूर राक्षस (गोधन का नाश करने वाला) का वध सातलमेर में किया था।
- प्रतीक चिह्न- इनके **पगलिये** पूजे जाते हैं।
- रामदेव जी राजस्थान के **एकमात्र लोकदेवता** हैं, जो कवि भी थे।
- रचना- चौबीस बाणियां

6 राजस्थान की लोकदेवियाँ

❒ उदयपुर सम्भाग की लोकदेवियाँ:-

❖ महामाया/मावली- उदयपुर

- शिशु रक्षक लोकदेवी कहलाती हैं।

❖ ऊँटाला माता मंदिर- वल्लभनगर (उदयपुर)

❖ हिचकी माता- सनवाड़ (उदयपुर)

- इनकी पूजा से हिचकी रोग का निवारण होता है।

❖ जावर माता- जावर खान (उदयपुर)

- यह खानों/खनन की कुल देवी है।
- महाराणा कुम्भा की पुत्री **रमाबाई** ने यह मंदिर बनवाया था।

❖ इडाणा माता- बम्बोरा (सलूम्बर)

- **'मेवल की महारानी'** के नाम से भी जानी जाती है।
- ये 'अग्नि स्नान करने वाली देवी' है इस मंदिर पर छत नहीं है खुले चौक में चबुतरे पर स्थित है यहाँ महीने में 2-3 बार स्वतः अग्नि प्रकट होती है, माता का श्रृंगार, चुनरी आदि जलकर स्वाहा हो जाती है।

❖ कालिका माता मंदिर - चित्तौड़गढ़ दुर्ग

- ये **गुहिल वंश की आराध्य देवी** है। यह प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है।
- इस मंदिर का निर्माण *7वीं सदी* के अंत में 'मानभंग' नामक राजा ने करवाया था। **(स्रोत-सुजस, पेज नं. 805)** हालांकि प्रामाणिक स्रोत के अभाव में इस मंदिर के निर्माता को लेकर विद्वानों में मतभेद है।
- यह मूलतः सूर्य को समर्पित प्राचीनतम मंदिर था, जिसकी प्रतिमा को मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट कर दी थी। जिसे बाद में महाराणा सज्जनसिंह ने जीर्णोद्धार करवा कर कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवायी।

❖ बाणमाता- चित्तौड़गढ़ दुर्ग

- ये सिसोदिया वंश की कुलदेवी हैं।
- इनका मंदिर **केलवाड़ा** (राजसमंद), **नागदा** (उदयपुर) में भी हैं।
- केलवाड़ा वाले मंदिर को महाराणा कुम्भा के समय 1443 ई. में सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने मंदिर में लकड़ियाँ भरकर आग लगा कर नष्ट कर दिया था। इस मंदिर का पुनः निर्माण कर गुजरात से नयी मूर्ति मंगवाकर लगवायी गयी।

❖ तुलजा भवानी- चित्तौड़गढ़

- यह मंदिर दुर्ग के अन्दर रामपोल के पास ही बना है। **बनवीर** ने अपने वजन के बराबर स्वर्ण आभूषण दान किये थे, इस तुलादान के धन से निर्मित होने के कारण 'तुलजा' कहलाई।

❖ आवरी/असावरी माता - निकुंभ (चित्तौड़गढ़)

- यहाँ **लकवाग्रस्त, लूले** व **लंगड़े लोगों** को लाभ होता है।

❖ बड़ली माता- आकोला (चित्तौड़गढ़)

- बेड़च नदी के किनारे इनका मंदिर बना है। यहाँ पर बनी एक तिबारी में से बच्चों को निकालने पर रोग का निदान होता है।
- मन्नत पूरी होने पर यहाँ लोहे का त्रिशूल चढ़ाने की परम्परा हैं।

❖ बिरवड़ी माता - चित्तौड़ दुर्ग व उदयपुर

- चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर का ही जीर्णोद्धार कर **राणा हम्मीर** ने अन्नपूर्णा माता के नाम से इनका नामकरण कर दिया। यहाँ यह **अन्नपूर्णा के नाम से** जानी जाती हैं।

❖ जोगनिया माता- बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

- मनोकामना पूरी होने पर मंदिर परिसर में मुर्गे छोड़कर जाने की प्रथा है।

☞ ध्यान रहे- **जोगनिया माता** का एक मंदिर **चित्तौड़गढ़ दुर्ग** में भी है।

❖ घेवर माता- राजसमंद

- राजसमंद झील की पाल पर इनका मंदिर बना हुआ है। यह एक सती मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि राजसमंद झील की पाल का पहला पत्थर इन्होंने रखा था।
- राजसमंद झील के निर्माण के समय महाराणा राजसिंह द्वारा बनवाई पाल दिन में बनाते और रात में टूट जाती थी। राजपुरोहित के कहने पर एक **धर्मपरायण पतिव्रता महिला** घेवर बाई से झील की पाल की नींव रखवाई गयी। घेवर बाई महाराणा राजसिंह के ही एक प्रबन्धक **दयालशाह की पत्नी** थी। घेवर माता अपने हाथों में होम की अग्नि प्रज्जवलित कर **अकेली सती** हुई थी।

❖ आमजा देवी/आमज माता- रिछेड़ (राजसमंद)

- यह भीलों की देवी हैं। इनके मंदिर में एक भील भोपा व एक ब्राह्मण पुजारी होता है मेले के बाद भील भोपा **मौसम, वर्षा, अकाल** आदि की भविष्यवाणी करता है।
- इनकी पूजा श्रीनाथ जी **की पद्धति** के अनुसार होती है।
- इनका मेला **ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी** को भरता है।

❖ पिपला माता- उनवास (हल्दीघाटी, राजसमंद)

- इस मंदिर का निर्माण **गुहिल शासक अल्लट** ने करवाया था। यहाँ पर थम्ब परिक्रमा की परम्परा है। यह मंदिर जगत के अम्बिका माता मंदिर के समकालीन है।

❖ चारभुजा देवी- खमनोर (हल्दीघाटी, राजसमंद)

❖ जलदेवी मन्दिर- सांसेरा (राजसमंद)

7 राजस्थान के सम्प्रदाय व संत

❖ **सगुण भक्तिधारा:-**

- इसमें **मूर्ति पूजा** की जाती है। भक्ति के साधन **मूर्ति, संगीत, भजन, नृत्य, कीर्तन** व **माला** आदि होते हैं। इसमें ईश्वर के **साकार रूप की भक्ति** होती है। पूजा स्थलों और मंदिरों में **भगवान की मूर्ति** होती है।
- **प्रमुख सगुण संत**- यमूनाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानन्द, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, नाथ सम्प्रदाय, चैतन्य महाप्रभू, मीरां बाई, गवरी बाई, भक्त कवि दुर्लभ जी आदि।

❖ **निर्गुण भक्ति धारा -**

- इसमें **मूर्ति पूजा नहीं** की जाती है, इसमें ईश्वर के **निराकार रूप की भक्ति** होती है। भक्ति के साधन **ध्यान, साधना, निर्गुण ईश्वर के भजन** आदि होते हैं। प्रमुख पीठों और मंदिरों में **भगवान की मूर्ति** नहीं होकर **गुरु की मूर्ति** या **संत की समाधि** होती है।
- **प्रमुख निर्गुण संत** - जसनाथ जी, जाम्भोजी, संत दादुदयाल, रज्जब जी, सुन्दरदास, लालदासजी, कबीर, रैदास, धन्ना जी, संत पीपा, नवलदास जी, लालगिरी जी आदि।

❖ **सगुण व निर्गुण का मिश्रित रूप** - चरणदास जी, संत मावजी व हरिदास जी

सगुण भक्तिधारा

❖ शैव सम्प्रदाय:-

- भगवान शिव या शिव के अवतारों /स्वरूपों की आराधना करने वाले **शैव** कहलाते हैं। ये जीवन पर्यन्त **बाल ब्रह्मचारी** रहते हैं तथा **लिंग पूजा पर विश्वास** करते हैं।
- शैव मत के 4 मुख्य **उप सम्प्रदाय**- **शैव, पाशुपत/लकुलीश, कालदमन** व **कापालिक,**
- राजस्थान में **मेवाड़ राजघराना** शैव मत को मानने वाला है।
- **कालीबंगा और सिंधुघाटी सभ्यता** में भी शैव मत के प्रमाण मिले है।
- लकुलीश शिव के **24वें अवतार** थे, जो **पाशुपत शैव धर्म** के संस्थापक थे। लकुलीश के मंदिर का सबसे प्राचीन उदाहरण **चन्द्रभागा** (झालरापाटन) के **शीतलेश्वर मंदिर** के ललाटबिन्दू पर उत्कीर्ण **लकुलीश मूर्ति** में मिलता है। राजस्थान में लकुलीश पूजा के प्रमुख केन्द्र **एकलिंग** (उदयपुर) **बाड़ोली** (चित्तौड़गढ़) तथा **चन्द्रभागा** (झालरापाटन) थे।

❖ नाथ सम्प्रदाय:- (सगुण सम्प्रदाय)

- शैव मत का ही एक नवीन रूप **नाथ सम्प्रदाय** है। जो **योग सम्प्रदाय/ अवधूत सम्प्रदाय /सिद्धमत/सिद्धमार्ग सम्प्रदाय** आदि नामों से भी जाना जाता है।
- नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक **मत्स्येन्द्रनाथ (नाथ मुनी)** थे।
- इस सम्प्रदाय में प्रमुख **9 नाथ** हुए हैं। आदिनाथ (शिव), मत्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, चर्पटनाथ, गाहिणीनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, चौरंगीनाथ, भृर्तहरिनाथ, गोपीचन्दनाथ।
- **गोरखनाथ (मत्स्येन्द्र के शिष्य)** ने हठयोग प्रारम्भ किया।
- गुरू गोरखनाथ द्वारा स्थापित 12 शाखाओं में से 2 राजस्थान में हैं-
  1. **बैराग पंथ**- **राताडूंगा** (नागौर जिले में)
  2. **माननाथी**- **महामंदिर (जोधपुर)**
- राजस्थान में **नाथ सम्प्रदाय** का प्रमुख केन्द्र या प्रधानपीठ **(केन्द्रीय मठ) महामंदिर (जोधपुर)** में है।
- **जोधपुर महाराजा मानसिंह** द्वारा महामन्दिर (84 खम्भों का मंदिर) का निर्माण 1805 ई. में करवाया था।
- **अन्य मन्दिर**- **उदयमंदिर** (जोधपुर) **सिरे मंदिर** (जालौर)

❖ वैष्णव सम्प्रदाय:-

- अन्य नाम- **भागवत मत/पांचराजमत्त**
- भगवान विष्णु या विष्णु के अवतारों की पूजा आराधना करने वाले **'वैष्णव'** कहलाते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख **घोसुण्डी शिलालेख** में मिलता है।
- इसके प्रमुख उप-सम्प्रदाय निम्न हैं-
  रामानुज सम्प्रदाय, वल्लभ सम्प्रदाय, गौड़ीय सम्प्रदाय व **निम्बार्क सम्प्रदाय, निष्कलंक सम्प्रदाय।**

❖ रामानुज/रामानन्दी/रामावत सम्प्रदाय:-

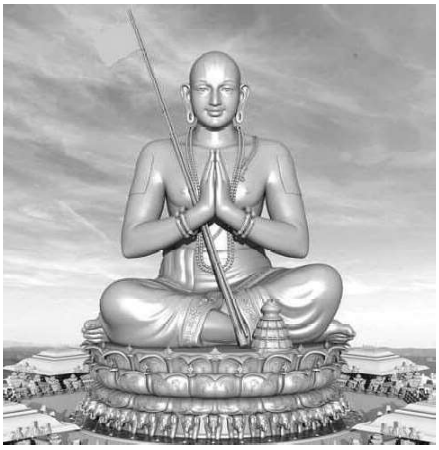

- इस सम्प्रदाय को **रामानुज सम्प्रदाय, रामानन्दी सम्प्रदाय** व **रामावत सम्प्रदाय** के नामों से जाना जाता है।
- इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक **रामानुजाचार्य** हैं।
- राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ **गलता जी** (जयपुर) में है। गलता जी को **उत्तरी तोताद्री, राजस्थान का बनारस, गालव तीर्थ** व **मंकी वैली** आदि नामों से भी जाना जाता है।
- भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से **उत्तर भारत में** लेकर आने का श्रेय **रामानंद जी** को है।

9 राजस्थान के मंदिर

✦ राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियाँ–

- भारत में मंदिर निर्माण की 3 **प्रमुख शैलियाँ** प्रचलित रही हैं। जो निम्न प्रकार हैं–

1. **नागर शैली** – यह **उत्तरी भारत की शैली** है, जिसमें मंदिर एक ऊँचे चबूतरे पर बना होता है जिसे **'जगती'** कहते हैं। मंदिर का शिखर **अमालक** और **कलश** में विभेदित होता है। मंदिर में मूर्ति वाला स्थान **गर्भगृह 'वर्गाकार'** होता है। अन्य विशेषताएँ– कलश, अमालक, शिखर, अर्द्धमंडप, मंडप, महामंडप, जगती।

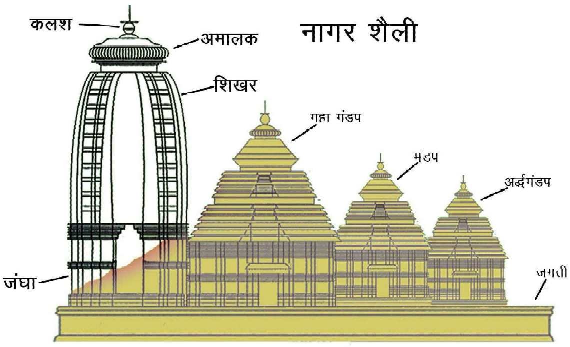

नागर शैली

- **राजस्थान में नागर शैली के उदाहरण– सोमेश्वर मंदिर** (किराडू, बाड़मेर), **अम्बिका मंदिर** (जगत, उदयपुर), **दधिमाता मंदिर** (गोठ मांगलोद, नागौर), **औसियां के मंदिर** (जोधपुर ग्रामीण)।

2. **द्रविड़ शैली**– यह दक्षिण भारत की शैली है, जिसमें देव मूर्ति वाले गर्भगृह के ऊपर **ऊँचे विमान या पिरामिड** बने होते हैं जो अलंकृत होते हैं **गर्भगृह 'आयताकार'** होता है मंदिर का मुख्य द्वार **'गोपुरम'** कहलाता है। इन मंदिरों की छतें /शिखर **'गजपृष्ठकृत'** होती हैं।

- दक्षिण भारत में द्रविड़ क्षेत्र में विशेष रूप से विकसित होने के कारण मंदिर निर्माण की यह शैली **द्रविड़ शैली** कहलायी।

द्रविड़ शैली

- **राजस्थान में द्रविड़ शैली के उदाहरण – रंगनाथ मंदिर** (पुष्कर, अजमेर) व **तिरूपति बालाजी का मंदिर** (सुजानगढ़, चुरू)

3. **वेसर शैली/चालुक्य शैली** – नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप बेसर शैली है। यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित शैली है। वेसर का शाब्दिक अर्थ 'मिश्रित' होता है।

- **उदाहरण– चालुक्य मंदिर** (कर्नाटक) व **बेलूर के मंदिर**

वेसर शैली

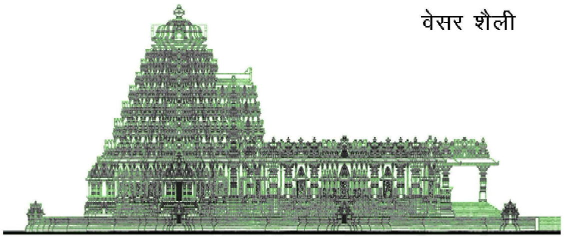

✦ अन्य शैलियाँ–

❖ **पंचायतन शैली**– इसमें मुख्य मंदिर **विष्णु को समर्पित** होता है इसके अलावा चार अन्य देव मंदिर होते हैं ये चारों मंदिर मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर होते हैं। पाँचों का परिक्रमा पथ एक ही होता था। यह नागर शैली का ही विस्तृत रूप है।

- राजस्थान में पंचायत शैली का सर्वप्रथम मंदिर **औसियां के हरिहर मंदिर** है। राजस्थान में इस शैली के उदाहरण– **भंडदेवरा शिव मंदिर** (बारां), **बूढ़ादीत सूर्य मंदिर** (कोटा), **जगदीश मंदिर** (उदयपुर), **बाड़ोली के शिव मंदिर** (बाड़ोली, चित्तौड़गढ़), **हरिहर मंदिर** (ओसियां, जोधपुर ग्रामीण) आदि।

❖ **एकायतन शैली**– इसमें एक ही मुख्य देव का मंदिर होता है।

❖ **भूमिज शैली** – यह नागर शैली की **उपशैली** है इसमें **प्रदक्षिणा पथ छता हुआ** न होकर खुला होता है। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर **सेवाड़ी जैन मंदिर** (पाली) है। राजस्थान में इस शैली के अन्य उदाहरण– **उंडेश्वर मंदिर** (बिजौलिया भीलवाड़ा), **महानालेश्वर मंदिर** (मेनाल, चित्तौड़गढ़), **भण्डदेवरा मंदिर** (बारां)

❖ **कच्छपघात शैली**– जिन मंदिरों में विशालकाय शिखर, मेरू मण्डावर, स्तम्भों पर घटपल्लवों का अंकन, पंचशाखा हार, जिनमें से एक सर्पो द्वारा वेष्टित हुआ हो आदि से युक्त मंदिरों को **कच्छपघात शैली** का माना जाता है। **राजस्थान में इस शैली के उदाहरण– शांतिनाथ जैन मंदिर** (झालरापाटन), **पद्मनाभ मंदिर** (झालरापाटन)

✦ **सोमपुरा स्थापत्य शैली**– गुजरात के सोमपुरा **ब्राह्मण कलाकारों** द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिरों व भवनों का निर्माण किया जाता रहा है।

❖ उदयपुर सम्भाग के मंदिर

❒ उदयपुर जिला–

✦ **एकलिंगनाथ मंदिर– कैलाशपुरी (उदयपुर)**

- इस मंदिर का निर्माण **बप्पा रावल** ने 734 ई. में करवाया था। एकलिंग जी **मेवाड़ के महाराणाओं के इष्टदेव/गुहिल वंश के कुल देवता** हैं। यह पाशुपत सम्प्रदाय/लकुलिश सम्प्रदाय का मंदिर है।
- यहाँ एकलिंग जी (शिवलिंग पर चार मुख बने हैं) की काले पत्थर की चौमुखा मूर्ति स्थापित है। **महाराणा मोकल** ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसे वर्तमान स्वरूप **महाराणा रायमल** ने दिया था।

☞ **नोट– लोकदेवता व लोकदेवियों के मंदिरों की जानकारी लोकदेवता व लोकदेवियों के अध्याय में दी गई है। मंदिरों के अध्याय में केवल उन्हीं मंदिरो की जानकारी दी गई, जो लोक देवता, लोकदेवी या संत, सम्प्रदायों के अध्याय में नहीं आये हैं।**

❒ राजस्थान में मौर्यकालीन मंदिर व मूर्तियाँ – (300 ई.पु.)

- **नांद** (पुष्कर)–कुषाणकालीन शिवलिंग व गजमुखी यक्ष प्रतिमा
- **नोह** (भरतपुर)– का **यक्ष/जाख बाबा** का मंदिर। यहाँ शूंगकालीन 8 **फीट ऊँची** यक्ष प्रतिमा को जाक्ख बाबा के रूप में पूजा जाता है।
- **मध्यमिका** (नगरी)– चित्तौड़ का **वैष्णव मंदिर** (बिना छत के)
- **रैढ** (टोंक)– का **गजमुखी यक्ष मंदिर** (शुंग कुषाणकालीन)
- **बैराठ** (कोटपूतली–बहरोड़)– का **बौद्ध मठ**।

❒ राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिर– (300 ई.पु. से 700 ई.)

- **चारचौमा शिवालय– कोटा**
- **भीमचौरी शिव मंदिर– कोटा**
- **कंसुआ शिव मंदिर– कोटा**
- **शीतलेश्वर महादेव– झालरापाटन**
- **दर्रा के शिव मंदिर– कोटा–झालावाड़ मार्ग**
- **माकनगंज मंदिर – चित्तौड़गढ़**

❒ राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर –

- लगभग 8वीं शताब्दी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ, उसे **गुर्जर प्रतिहार शैली/महामारू शैली** कहा गया।
- इस काल के अन्तर्गत प्रारम्भिक निर्माण मण्डोर के प्रतिहारों, सांभर के चौहानों तथा चित्तौड़ के **मौर्यो** ने किया है। 8वीं से 12 वीं शताब्दी के मध्य बने इन मंदिरों में अधिकांश मंदिर **विष्णु या सूर्य** को समर्पित हैं।
- इस कालखण्ड के प्रारम्भिक दौर (8वीं शताब्दी व 9वीं शताब्दी का प्रारम्भ) में बने प्रमुख मंदिर निम्न हैं–
- **हर्षत् माता मंदिर– आभानेरी (दौसा)**
- **औसियां का सूर्य मंदिर– औसियां (जोधपुर ग्रामीण)**
- **कालिका माता मंदिर– चित्तौड़गढ़ किला**
- **कुंभ श्याम मंदिर– चित्तौड़गढ़ किला**

☞ 9वीं शताब्दी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्त्वपूर्ण मंदिर–

- **कामेश्वर मंदिर– आउवा (पाली)** (लगभग 850 ई.)
- **रणछोड़ जी मंदिर– खेड़ (बालोतरा)** (लगभग 850 ई.)

☞ 10 वीं व 11वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास देखने का मिलता है।

- **हर्षनाथ मंदिर– सीकर**
- **नीलकण्ठेश्वर मंदिर– जसनगर (मेड़ता, नागौर)**
- **नीलकण्ठेश्वर मंदिर– पारानगर (सरिस्का, अलवर)**
- **मरकंडी माता मंदिर– निमाज (ब्यावर)**
- **नकटी माता मंदिर– जयभवानीपुरा (जयपुर ग्रामीण)**
- **दधिमाता मंदिर– गोठ मांगलोद (नागौर)**
- **सोमेश्वर मंदिर किराडू– बाड़मेर।** (1016 ई. लगभग)

❒ राजस्थान में सोलंकी कालीन (चालूक्य) मंदिर –

✦ 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं।

✦ यह **मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल** था। इस काल में निर्मित मंदिर **'सोलंकी कालीन शैली/मारू गुर्जर शैली '** कहा गया।

- **सच्चियाय माता मंदिर – औसियां** (जोधपुर ग्रामीण)
- **समीधेश्वर मंदिर– चित्तौड़गढ़ किला**
- **दिलवाड़ा के जैन मंदिर – माउन्ट आबू** (सिरोही)

राजस्थान के पैनोरमा व स्मारक

उदयपुर संभाग

- **महाराणा प्रताप पैनोरमा – चावण्ड** (सलूम्बर)
- **वीरवती हाड़ी रानी पैनोरमा– सलूम्बर**
- **बप्पा रावल पैनोरमा – मठाठा** (उदयपुर)
- **राणा पुंजा पैनोरमा–** उदयपुर
- **भगत रैदास जी का पैनोरमा–** चित्तौड़ीखेड़ा गाँव (चित्तौड़गढ़)
- **अमराजी भक्त पैनोरमा – भदेसर,** चित्तौड़गढ़
- **शबरी पैनोरमा – दुधी तलाई,** रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)
- **भगवान श्री परशुराम पैनोरमा– मातृकुण्डिया** (चित्तौड़गढ़)
- **गोरा बादल पैनोरमा – भोईखेड़ा** (चित्तौड़गढ़)
- **झाला मन्ना पैनोरमा–** बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़)
- **शहीद रूपाजी कृपाजी पैनोरमा –** गोविन्दपुरा (चित्तौड़गढ़)
- **पन्नाधाय पैनोरमा – पाण्डोली,** चितौड़गढ़ (निर्माणाधीन)
- **सत्यव्रत रावत चूण्डा पैनोरमा–** चित्तौड़गढ़
- **पन्नाधाय पैनोरमा – कमेरी** (राजसमंद)
- **महाराणा राजसिंह पैनोरमा– राजसमंद झील** की पाल पर
- **महाराणा कुम्भा पैनोरमा – माल्यावास मदारिया** (राजसमंद)
- **देवनारायण जी का पैनोरमा–** मालासेरी (भीलवाड़ा)
- **बगड़ावत सवाईभोज पैनोरमा–** आसींद (भीलवाड़ा)

बाँसवाड़ा संभाग

- **गोविन्द गुरु स्मृति उद्यान – मानगढ़ धाम** (बाँसवाड़ा)
- **मानगढ़ धाम शहीद स्मारक – मानगढ़ धाम** (बाँसवाड़ा)
- **जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय – मानगढ़** (बाँसवाड़ा)
- **कालीबाई पैनोरमा – माण्डवा खापरड़ा** गाँव (डूँगरपुर)
- **मावजी महाराज पैनोरमा– डूँगरपुर**
- **गोविन्द गुरु पैनोरमा– छाणी मगरी (डूँगरपुर)**

कोटा संभाग

- **बूंदा मीणा पैनोरमा– बूँदी**
- **हाड़ौती पैनोरमा– बारां**
- **संत पीपाजी पैनोरमा– झालावाड़**

10 राजस्थान के त्योहार व मेले

- पूरी दुनियाँ में काल गणना के दो ही आधार हैं **सौर चक्र** और **चन्द्र चक्र**। सौर वर्ष पर आधारित कैलेण्डर में साल में 365/366 दिन होते हैं जबकि चन्द्र वर्ष पर आधारित कैलेण्डर में 354/355 दिन होते हैं।

❖ विक्रम संवत्–

- अन्य नाम– **मालव संवत्/कृत संवत् /नव संवत्**
- संवत् प्रारम्भ का दिन– **चैत्र शुक्ल प्रतिपदा**
- अन्तिम दिन– चैत्र अमावस्या
- माह– 12 माह(**चैत्र से फाल्गुन** तक) **महीनों के नाम**– चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन ।
- उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा **गुजरात के शकों को** 57ई. पूर्व में पराजित कर विक्रम संवत् प्रारम्भ किया था। यह **चन्द्रमा पर आधारित** कैलेण्डर है। इसमें प्रत्येक **3 वर्ष** बाद एक अधिमास होता है।

❖ ईस्वी सन्–

- अन्य नाम– **ग्रिगोरियन कैलेन्डर, अंग्रेजी कैलेन्डर**
- 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक, **जनवरी से दिसम्बर** तक कुल **12 माह** होते हैं। यह **सूर्य पर आधारित** कैलेण्डर है, यह विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेण्डर है। इसमें **365 दिनों** का एक वर्ष होता है हर चौथा वर्ष 366 दिनों का होता है, जिसे **लीप ईयर/अधिवर्ष** कहते हैं।

❖ शक संवत्– (राष्ट्रीय पंचाग)

- यह 78 **ईस्वी से** प्रारम्भ हुआ था। **भारत सरकार** ने **22 मार्च, 1957** को इसे **'राष्ट्रीय पंचाग'** के रूप में अपनाया गया।
- इसका प्रारम्भ **कुषाण शासक कनिष्क** ने किया था, 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था। यह **सूर्य पर आधारित** कैलेण्डर है।

❖ हिजरी सन्–

- यह **ईस्लामिक कैलेण्डर** है, कुल **12 माह** होते हैं। यह **चन्द्रमा पर आधारित** है, इसलिए इसमें **354/355 दिन** होते हैं।
- यह **16 जुलाई, 622 ई.** को प्रारम्भ हुआ था, इस दिन पैगम्बर मोहम्मद साहब ने **मक्का से मदीना की यात्रा** प्रारम्भ की थी।

- **महीनों के नाम (क्रमशः)** – मुहर्रम, सफर, रबी-उल-अव्वल, रबी-उल-सानी, जमादि-उल-अव्वल, जमादि-उल-सानी, रज्जब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिल्कादा, जिलहिज

❒ चैत्र मास–

❖ धुलण्डी– चैत्र कृष्ण एकम

- इस दिन से **गणगौर पूजन** प्रारम्भ होता है, इस दिन से **बसन्तोत्सव** प्रारम्भ होता है। इस दिन **बादशाह मेला** (ब्यावर), **फुलडोल मेला** (शाहपुरा) आयोजित होते हैं।

❖ शीतला अष्टमी (बास्योड़ा)– चैत्र कृष्ण अष्टमी

- इस दिन **ठण्डा भोजन** खाते हैं तथा शीतला माता की पूजा होती है। जो **'चेचक की देवी'** कहलाती है। **शील की डुंगरी** (चाकसु) जयपुर ग्रामीण और **केसरियानाथ जी** (धुलैव) उदयपुर में मेले भरते हैं।

❖ घुड़ला– चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ला तृत्तीया

- **मारवाड़** में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है।इस दिन महिलाएँ गीत गाती हुई **कुम्हार के घर** जाकर छिद्र किये हुए घड़े में दीपक जलाकर गीत गाती हुई आती हैं। **चैत्र शुक्ला तृत्तीया** (गणगौर) को इन घड़ों को पानी में बहा दिया जाता है।

- 1492 ई. में जोधपुर के शासक सातलदेव ने गणगौर पूजन कर रही कन्याओं को बन्दी बनाने वाले अजमेर के हाकिम मल्लू खाँ के सेनापति **घुड़ले खाँ** को **कोसाणा के युद्ध** में परास्त कर कन्याओं को मुक्त करवाया था। इस युद्ध में राव सातलदेव घायल हो गये थे। आने वाली **चैत्र शुक्ल तृत्तीया** को उनकी मृत्यु हो गयी, **कोसाणा** (पीपाड़ के पास) के तालाब पर **राव सातलदेव** का अंतिम संस्कार हुआ।

- **राव सातलदेव की याद** में यह त्योहार मनाया जाता है।
- घुड़ला त्योहार मारवाड़ में महिलाओं की **आजादी का प्रतीक** है।

❖ नवसंवत्सर प्रारम्भ– चैत्र शुक्ल एकम (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा)

- इसी दिन महाराष्ट्र में **गुड़ी पड़वा** त्योहार मनाया जाता है। इस दिन **हिन्दुओं का नया वर्ष** (विक्रम संवत्) प्रारम्भ होता है।
- इसी दिन ब्रह्मा द्वारा **सृष्टि का सृजन** किया गया था।
- इसी दिन **भगवान राम का राज्याभिषेक** हुआ था।

❖ बासंतीय नवरात्र प्रारम्भ – चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक

- इन्हें **'बड़ा नवरात्र'** भी कहा जाता है।

❖ सिंजारा– चैत्र शुक्ल द्वितीया

- गणगौर से एक दिन पूर्व नवविवाहित पुत्री/पुत्रवधू के लिए **शृंगार का सामान** व सुन्दर परिधान उपहार स्वरूप भेजे जाते हैं। राजस्थान में कुछ स्थानों पर छोटी तीज के पहले दिन भी सिंजारा भेजने की परम्परा है।

❖ गणगौर– चैत्र शुक्ल तृत्तीया

- इस त्योहार पर **गण/ईसर** (शिव) **गौर/ईसरी** (पार्वती) की पूजा होती है। गणगौर त्योहार पार्वती के **'गौने'** का सूचक है। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियाँ अपने लिए योग्य **वर** तथा वहीं विवाहित स्त्रियाँ अखण्ड सुहाग की कामना करती है।
- यह त्योहार होली के दूसरे दिन **चैत्र कृष्णा एकम** से **चैत्र शुक्ल तृत्तीया** (18 दिन) तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिण्ड बनाकर **जौ के अंकुरों** के साथ इनका पूजन किया जाता है।
- गणगौर **सबसे अधिक गीतों वाला** त्योहार है।
- **उदयपुर** की गणगौर की सवारी का **कर्नल टॉड** ने रोचक वर्णन किया है।
- चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में **गुलाबी गणगौर** मनाई जाती है।

11 राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ

राजस्थान में चित्रकला

- राजस्थान चित्रकला के क्षेत्र में समृद्ध रहा है, यहाँ न केवल चित्रकला की अनेक शैलियाँ मिलती है बल्कि यहाँ कागजों, कपड़ो, महलों, हवेली व मंदिरों में भी चित्रकारी के विभिन्न रूप मिलते हैं।

❖ दीवार पर निर्मित चित्रः-

- **भराड़ी**- भील जाति में विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाया जाने वाला मांगलिक चित्र।
- **सांझी**- लोक चित्रकला में गोबर से बनाया गया पूजास्थल। (श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है) कुंवारी लड़कियाँ सफेद पुती दीवारों पर गोबर से इस देवी का आकार उकेरती हैं।
- **संझ्या कोट**- सांझी का ही एक रूप है, सांझी पूजन के अंतिम पाँच दिनों में बड़े आकारों में सांझी बनाई जाती है, जिसे 'संझ्या कोट' कहा जाता है।
- **मांडना**- मांडना का अर्थ है- **अलंकृत करना**। मांडने घर की देहरी/चौखट, आँगन, चबूतरा, चौक, पूजन स्थल को अलंकृत करने के लिए बनाये जाते हैं।
- **थापा**- दीवार पर हाथ की अंगुलियों व हथेलियों के निशान लगाना 'थापा' कहलाता है।

❖ कागज पर निर्मित चित्र-

- **पाने**- कागज पर निर्मित देवी देवताओं के चित्र 'पाने' कहलाते हैं

❖ मानव शरीर पर निर्मित चित्रः-

- **गोदना** (टैटू)- किसी तीखे औजार से शरीर की ऊपरी चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से **चमड़ी में पक्का निशान** बन जाता है। जनजातियों में इसका सर्वाधिक प्रचलन है।
- **मेहन्दी**- मेहन्दी का हरा रंग कुशलता व समृद्धि तथा लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मेहन्दी **स्त्रियों द्वारा** विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों व शुभ कार्यो में लगाई जाती है। **सोजत** व **मालवा** की मेहन्दी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है।

❖ कपड़े पर निर्मित चित्र-

- **वार्तिक/बातीक**- कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला।
- **पिछवाईयाँ**- भगवान श्रीकृष्ण के मंदिर में प्रतिमा के पीछे दीवार को कपड़े से ढका जाता है, उस कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र सम्बन्धी चित्र बनाना **'पिछवाई कला'** कहलाती है। वल्लभ सम्प्रदाय के मंदिरों में पिछवाई एक प्रमुख विशेषता है।

✦ **कजली पेंटिंग**- कजली चित्रकारी राजस्थान की विशिष्ट कलाओं में शुमार है। **काजल** से बनाए जाने के कारण इस चित्रकला शैली को **'कजली'** कहा जाता है। इसमें चित्र बनाने में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि **हाथ और कपड़े** के माध्यम से बनाया जाता है।

❖ भित्ति चित्रण की विधियाँ-

- **फ्रेस्को बुनो**- ताजी पलस्तर की हुई नम भित्ति पर चित्रण करना **'फ्रेस्को बुनो'** कहलाता है। यह पद्धति **आरायश, आलागीला** या **मोराकसी** भी कहलाती है शेखावाटी में इसे **'पणा'** शब्द से संबोधित करते हैं। यह भित्ति चित्रों को **चिरकाल तक जीवित** रखने की पद्धति है।
- आरायश पद्धति को **इटली** से भारत में **अकबर के शासनकाल** में जहाँगीर लेकर आया, राजस्थान में सर्वप्रथम आरायश पद्धति का प्रचलन **आमेर** (जयपुर) में हुआ।
- **फ्रेस्को सेको चित्रण**- पलस्तर की हुई भित्ति पूर्ण रूप से सुखने के बाद चित्रण करना।
- **साधारण भित्ति चित्रण**- सीधे किसी भित्ति पर चित्रण करना।

➢ राजस्थानी चित्रकला का उद्भव व विकास-

- राजस्थान में चित्रकला का उद्भव **15 वीं शताब्दी** के अंत में अपभ्रंश शैली से हुआ है। विशुद्ध राजस्थानी शैली की चित्रकला का आरम्भ **1500 ई.** के आसपास हुआ माना जाता है।
- राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि/उद्गम स्थल **मेवाड़** है।
- राजस्थानी चित्रकला पर प्रारम्भ में **जैन शैली, गुजरात शैली** और **अपभ्रंश शैली** का प्रभाव था, किन्तु बाद में यह **मुगल चित्रकला** से प्रभावित हुई।

❖ नामकरण-

- राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन **आनन्द कुमार स्वामी** ने **'राजपूत पेंटिंग्स'** नामक पुस्तक में 1916 ई. में किया था।
- आनन्द कुमार स्वामी, ओ. सी. गांगुली व हैवल ने इसे **'राजपूत चित्रकला'** कहा है।
- **डब्ल्यू. एच. ब्राउन** ने अपने ग्रन्थ 'इंडियन पेंटिंग्स' में इस प्रदेश की चित्रकला को 'राजपूत कला' नाम दिया है।
- रायकृष्ण दास ने इसे **'राजस्थान चित्रकला'** नाम दिया।
- एन.सी. मेहता ने इसे **'हिन्दू शैली'** नाम दिया है।

❖ राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएँ-

1. **लोक जीवन से जुड़ाव** व भावों की प्रधानता मिलती है।
2. विषय-वस्तु की **विविधता** व प्राकृतिक परिवेश का बहुमुखी चित्रण।
3. **भक्ति और श्रृंगार** का सजीव चित्रण।
4. **चटकीले** और **चमकदार रंगों** का प्रयोग।
5. किलों, महलों, हवेली, मंदिर व छतरियों पर **भित्ति चित्रण**।
6. विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण।
7. प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ **नारी सौन्दर्य** का भी चित्रण।
8. शासकों व **राजपरिवारों के संरक्षण** में फली-फूली है।
9. **मोर पक्षी** का चित्रण सभी शैलियों में पाया जाता है।
10. विशेषतः **पीले** व **लाल रंग** का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है।

12 राजस्थान की हस्तकलाएँ

- हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएँ बनाना ही हस्तकला/हस्तशिल्प कहलाता है। राजस्थान में हस्तकला का **सबसे बड़ा केन्द्र** बोरनाड़ा (जोधपुर ग्रामीण) है। राजस्थान को **'हस्तशिल्प कलाओं का खजाना'** कहा जाता है।
- राजस्थान में **हस्तकलाओं का तीर्थ** – जयपुर
- **हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केन्द्र** – जयपुर
- **हैंडलूम डिजायन डवलपमेन्ट एंड ट्रेनिंग सेन्टर** – नागौर
- शिल्पग्राम– हस्तशिल्प व्यवसाय व लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में शिल्पग्राम की स्थापना की गई है। राजस्थान में **हवाला** (उदयपुर), **पाल** (जोधपुर ग्रामीण), **पुष्कर** (अजमेर) व **रामसिंहपुरा** (सवाईमाधोपुर) में शिल्पग्राम की स्थापना की गई है।

❐ उदयपुर सम्भाग:–

❖ **जाजम छपाई– चित्तौड़गढ़**
- सूती मोटे धागे की बुनाई **रेजा/रेजी** द्वारा की जाकर बनाई जाने वाली **मोटी दरी** 'जाजम' कहलाती है जिस पर विभिन्न रंगो की हाथ छपाई की जाती है। इसमें **लाल व हरे रंग** का प्रयोग ज्यादा होता है।

❖ **दाबू प्रिन्ट के कपड़े– आकोला** (चित्तौड़गढ़)
- यहाँ **छींपा जाति** द्वारा यह प्रिन्ट बनाया जाता है। रंगाई–छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो, उसे **लेई/लुगदी** से दबा देते हैं, यही लेई/लुगदी जैसा पदार्थ **दाबू** कहलाता है।
  आकोला के **छपाई के घाघरे** प्रसिद्ध हैं।
- राजस्थान में कपड़े की छपाई के लिए कई स्थान प्रसिद्ध हैं, जिनमें अलग–अलग प्रकार का दाबू इस्तेमाल किया जाता है।
- **मिट्टी व गोंद का दाबू– आकोला**
- **मोम/मैण का दाबू– सवाईमाधोपुर**
- **मिट्टी का दाबू– बालोतरा**
- **गेहूँ के बीधण का दाबू– सांगानेर व बगरू**

❖ **कावड़– बस्सी** (चित्तौड़गढ़)– विभिन्न कपाटों में खुलने व बंद होने वाली छोटी **मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति** कावड़ कहलाती है। इस पर विभिन्न देवी–देवताओं व पौराणिक कथाओं के चित्र बने होते हैं। कावड़ में मुख्यतः **रामायण, महाभारत** व श्रीकृष्ण लीला आदि से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। एक तरह से यह चलता–फिरता देवघर/देवालय है। कावड़ का **वाचन** भी होता है। सामान्यतः **'कावड़िया भाट'** इसका वाचन करता है।
- कावड़ में लाल रंग की प्रधानता होती है कावड़ बनाने का कार्य बस्सी (चित्तौड़गढ़) गाँव में **खेरादी जाति** के लोग करते हैं। कावड़ निर्माण के प्रसिद्ध कलाकार **मांगीलाल मिस्त्री** व **द्वारिका प्रसाद जाँगिड़** हैं।

❖ **बेवाण– बस्सी** (चित्तौड़गढ़)– यह लकड़ी से बनी एक लघु मंदिरनुमा कलाकृति होती है, इसे **'मिनीएचर वुडन टेम्पल'** भी कहते है। जलझूलनी एकादशी आदि अवसरों पर **देवताओं के विग्रह** को बेवाण में रखकर ही **सवारी** निकाली जाती है।

❖ **गणगौर– बस्सी (चित्तौड़गढ़)** गणगौर के त्योहार पर काम में ली जाने वाली लकड़ी की प्रतिमाएँ बस्सी में बनाई जाती हैं।

❖ **बस्सी की काष्ठ कला**– चित्तौड़गढ़ के **बस्सी कस्बे** की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। बस्सी में गणगौर, कावड़, बेवाण व लकड़ी की अन्य कलाकृतियाँ बनती हैं। बस्सी की **काष्ठकला के जन्मदाता** प्रभात जी सुथार हैं।
- प्रमुख कलाकार– **जमनालाल सुथार** व **श्री द्वारका प्रसाद सुथार**।

❖ **टेराकोटा कला– मोलेला (राजसमंद)**
- राजसमंद का मोलेला गाँव अपनी **मृदा शिल्प** के लिए प्रसिद्ध है, यह मिट्टी से लोक देवी–देवताओं की मूर्तियाँ व अन्य कलाकृतियाँ बनाने की कला है इसमें गिली मिट्टी को हाथों से ही आकार दिया जाता है।
- कलाकृति निर्माण में मोलेला गाँव के तालाब की मिट्टी में गधे की लीद मिलाई जाती है।
- यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार– **मोहनलाल कुम्हार (वर्ष 2012 में पद्मश्री सम्मान), खेमराज, राजेन्द्र कुम्हार**।
- मोलेला क्ले वर्क को उत्पाद के लिए 2009 में व लोगो के लिए 2017 में पृथक पृथक जियोग्राफिक इंडिकेशन (G.I.) मिल चुका है।

❖ **पिछवाई– नाथद्वारा** (राजसमंद)– श्रीकृष्ण के मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवार को चित्रकारी किये गये कपड़े से ढ़का जाता है। इस कपड़े पर भगवान कृष्ण के **जीवन चरित्र से संबंधित** घटनाओं का चित्रण होता है, कपड़े पर चित्रित की जाने वाली यह कला पिछवाई कहलाती है।
- पिछवाई का प्रयोग विशेष रूप से वल्लभ सम्प्रदाय के मंदिरों में होता है। पिछवाई के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा, विट्ठलदास शर्मा।
- राजस्थान में पिछवाई कला का प्रसिद्ध केन्द्र नाथद्वारा है। पिछवाई कला के अन्य केन्द्र **कांकरोली, कोटा** व **अलवर** है।

- **पिछवाई कला** को 1 अगस्त 2023 को जियोग्राफिक इंडिकेशन (G.I.) मिल चुका है।

❖ **पाने– नाथद्वारा** (राजसमंद)– छोटे कागज पर देवी–देवताओं के चित्र **'पाने'** कहलाते हैं। श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं जिनमें 24 **श्रृंगारों** का चित्रण पाया जाता है।

❖ **सांझी**– सांझी का त्योहार मेवाड़ क्षेत्र में **श्राद्ध पक्ष** में मनाते हैं। (भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक) इस समय में कुंवारी कन्याएँ सफेद पुती दीवारों पर 15 **दिनों** तक लगातार गोबर से आकार (सांझी) बनाती है व उसका पूजन करती हैं। कन्याएँ उसे आटा, हल्दी, कुमकुंम, काँच, कपड़ा, लाख व कौड़ियों से सजाती है।
- अंतिम पाँच दिन बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है, इसे **'संझ्या कोट'** कहते हैं। सांझी को पार्वती माता मानकर पूजा की जाती है। इसे सांझी, संझुली, सिंझी, हाँजी, हाँज्या आदि कई नामों से जाना जाता है।

13 राजस्थान के लोक नृत्य

❐ राजस्थान के लोक नृत्यः–

- प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के **लोक कला मण्डल** के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोकनृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर तीन भागों में बांटा है–

भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर लोकनृत्य के प्रकार

- पहाड़ी
- राजस्थानी
- पूर्वी मैदानी

☞ नोट– उदयपुर जिले में सर्वाधिक नृत्य होते हैं।

➢ राजस्थान में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक लोकनृत्य प्रचलित हैं राजस्थान के लोकनृत्यों का निम्न आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है–

1. क्षेत्रीय लोकनृत्य
2. धार्मिक लोकनृत्य
3. व्यासायिक लोकनृत्य
4. जातीय लोकनृत्य

✦ **क्षेत्रीय लोक नृत्य–** राजस्थान में प्रमुख क्षेत्रीय लोकनृत्यों का विवरण निम्नलिखित हैं–

मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य	
गैर नृत्य (पुरूष प्रधान)	यह मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। होली के दूसरे दिन से शुरू 15 दिनों तक ढोल, मांदल, बांकिया और थाली वाद्ययंत्रों के साथ किया जाता है। पुरूषों द्वारा लकड़ी की छड़ियाँ (खांडा) लेकर गोल घेरे में नृत्य किया जाता हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गेर तथा गैर करने वाले गैरिये कहलाते हैं।
रण नृत्य	मेवाड़ क्षेत्र के सरगड़ा जाति के पुरूषों द्वारा किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य है। इसमें दो पुरूष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुये नृत्य करते हैं।
हरणी/लोवड़ी	मेवाड़ में दीपावली पर बालकों की टोली द्वारा घर–घर घूमते समय हरणी या लोवड़ी गीत के दौरान किया जाने वाला नृत्य।
भवाई नृत्य	पेशेवर लोकनृत्यों में यह सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में तेज लय के साथ विविध रंगो की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7–8 मटके सर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखा रूमाल मुँह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों, तलवारों व काँच के टुकड़ों पर नृत्य की क्रियाएँ की जाती हैं। इस नृत्य के प्रवर्तक बाघाजी (केकड़ी) थे। उदयपुर संभाग की भवाई जाति के स्त्री–पुरूष इसे मिलकर करते हैं। यह एकल नृत्य की तरह भी किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार– रूपसिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी, अस्मिताकाला, तारा शर्मा, दयाराम। कृष्णा व्यास छगानी (जोधपुर)– इन्हें भारत का प्रथम भवाई नृतक माना जाता है। प्रवीण प्रजापत (अलवर)– हाल ही में इन्होंने अमेरिका में भवाई नृत्य की प्रस्तुति दी है।
शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य	
गींदड़ नृत्य (पुरूष प्रधान)	शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर एक सप्ताह (प्रहलाद की स्थापना/डांडा रोपण से होली दहन तक) तक चलने वाला यह नृत्य केवल पुरूषों द्वारा किया जाता है। नगाड़े वाद्ययंत्र के साथ पुरूष अपने दोनों हाथों में डण्डे लेकर उन्हें परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। इसमें ढ़ोल, डफ, चंग वाद्य भी बजाया जाता है। इसमें होली से संबंधित गीत गाये जाते है। इसमें कुछ पुरूष कलाकार महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य में भाग लेते हैं, उन्हे 'गणगौर या मेहरी' कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किये जाते हैं– साधु, शिकारी, सेठ–सेठानी, दूल्हा–दुल्हन, सरदार, पठान....आदि।
चंग/ढप नृत्य (पुरूष प्रधान)	होली के अवसर पर पुरूषों द्वारा चंग बजाते हुये वृत्ताकार नृत्य किया जाता हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल/होली के गीत गाते हैं, धमाल की एक लाईन बोलने के बाद पुन: नृत्य करने लगते हैं। नृत्य की वेशभूषा में धोती या चूड़ीदार पायजामा एवं कमीज पहना जाता है। कमर में कमरबंध और पैरों में घुँघरू बाँधे जाते है।

14 राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य

- राजस्थान में **अरावली के पर्वतीय क्षेत्र** के लोकनाट्यों में जनजातियों की रंगमयी संस्कृति देखने को मिलती है। **मरूस्थलीय** क्षेत्र में मनोरंजन करने वाली पेशेवर जातियों द्वारा लोकनाट्यों का मंचन किया जाता है, यहाँ के लोकनाट्य **व्यंग्य विनोद प्रधान** होते है।
- **अलवर-भरतपुर** के लोकनाट्यों पर **हरियाणा** व **उत्तरप्रदेश** की संस्कृति का प्रभाव नजर आता है। धौलपुर व सवाई माधोपुर के लोक नाट्यों पर **ब्रजभूमि की संस्कृति** का प्रभाव स्पष्ट झलकता है।

❖ ख्याल-

- ख्याल लोकनाट्य का प्रारम्भ **18 वीं सदी** से हुआ है। यह लोकनाट्य की **सबसे लोकप्रिय विधा** है। इसमें **पौराणिक आख्यानों** व **ऐतिहासिक वीराख्यानों** का पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में प्रदर्शन कर जनता का मनोरंजन किया जाता है। ख्याल एक **संगीत प्रधान लोकनाट्य** है। ख्याल का शाब्दिक अर्थ **'खेल'** है।
- ख्याल की प्रतियोगिता **'दंगल'**, ख्याल का सुत्रधार **'हलकारा'**, भाग लेने वाले कलाकार **'खिलाड़ी'** कहलाते हैं। इसमें दल को **'अखाड़ा'** तथा दल के मुखिया को **'उस्ताद'** कहा जाता है।
- राजस्थान के अलग-अलग भागों में अलग-अलग प्रकार के ख्याल प्रचलित हैं, राजस्थान के **प्रमुख ख्याल** निम्न हैं-

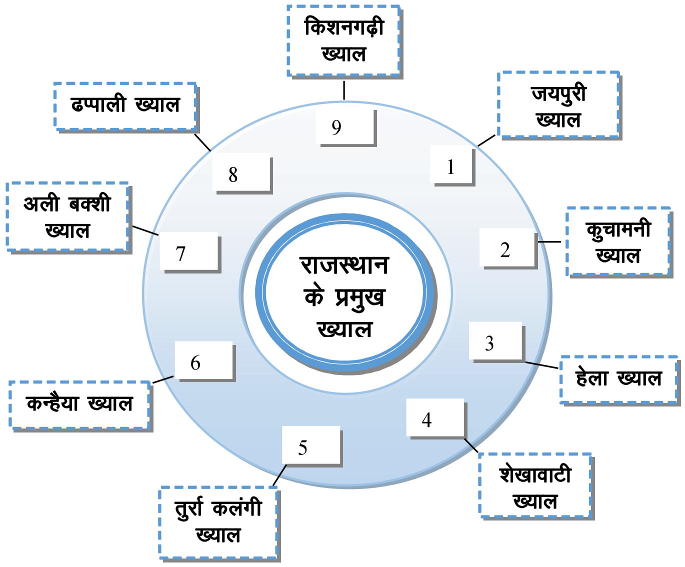

❖ जयपुरी ख्याल- जयपुर

- इसमें स्त्रियों के सभी पात्रों की भूमिका **स्त्रियाँ** ही निभाती हैं। जयपुर के **गुणीजन खाने** के कलाकार इस ख्याल में हिस्सा लेते थे। इस शैली के **जोगी-जोगण**, कान-गुजरी, मियाँ-बीबी, पठान, **रसीली तंबोलन** आदि लोकप्रिय ख्याल हैं।
- इस ख्याल में नये प्रयोगों की सम्भावना रहती है। इसमें नृत्य, गान, संगीत, कविता व अभिनय का सुन्दर समावेश मिलता है।
- **'ख्याल भारमली'** नामक ख्याल की रचना **हमीदुल्ला** ने की है।

❖ कुचामनी ख्याल- कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

- इसके प्रवर्तक प्रसिद्ध लोक नाट्यकार **लच्छीराम** हैं। वर्तमान में कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी **उगमराज** हैं। **लच्छीराम** द्वारा रचित चाँद नीलगिरी, राव रिड़मल तथा मीरा मंगल प्रसिद्ध ख्यालें है।
- इस ख्याल का स्वरूप **ऑपेरा जैसा** होता है, इस ख्याल में **लोकगीतों की प्रधानता** रहती है। इसका प्रदर्शन **खुले मंच** पर किया जाता है।
- स्त्री चरित्रों का अभिनय **पुरुष कलाकारों द्वारा** किया जाता है।
- इसमें **ढोल, शहनाई, ढ़ोलक** और **सारंगी वाद्ययंत्रों** का प्रयोग किया जाता है। इस ख्याल की **भाषा सरल** होती है तथा इसके विषय सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होते हैं।

❖ हेला ख्याल- सवाईमाधोपुर व लालसोट (दौसा)

- इसके मुख्य प्रवर्तक **हेलाशायर** थे। प्रारम्भ में इसके कलाकार हेला जाति के होते थे अतः इसको **हेला ख्याल** के नाम से जाना गया।
- परन्तु कई विद्वानों के मतानुसार **हेला देना** (लम्बी टेर में आवाज देना) की प्रमुख विशेषता होने के कारण हेला ख्याल कहलाया।
- ख्याल प्रारम्भ होने से पूर्व **बम वाद्य यंत्र** का प्रयोग होता है। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्ययंत्र **नौबत** होता है।
- इसे **संगीत दंगल** के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी कारण इसमें शायर/**आशु कवियों** का मुख्य योगदान रहता है।

❖ शेखावाटी ख्याल-

- इसके प्रवर्तक चिड़ावा निवासी **नानूराम राणा** थे, इसलिए इसे चिड़ावा ख्याल भी कहते हैं। शेखावाटी में इसे लोकप्रिय करने वाला खिलाड़ी **'दुलिया राणा'** हैं। (नानुराम के शिष्य)
- नानूराम द्वारा रचित **प्रमुख ख्याल** **हरिशचन्द्र, हीर राँझा**, जयदेव कलाली, **भृर्तहरि**, आल्हादेव, **ढोला मरवन** आदि हैं।
- इसमें **पद संचालन** प्रभावी होता है। **गीतमय** संवाद होते हैं। भाषा शैली में **सम्प्रेषणीयता** होती है। इसमें **शहनाई, ढोलक, सारंगी, हारमोनियम, नक्कारा** व **बाँसुरी** वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया जाता है।

❖ कन्हैया ख्याल-

- सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, डीग व करौली
- इस ख्याल में **'कहन'** (मुख्य कथा) कही जाती है इसी के आधार पर इसे कन्हैया दंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य पात्र को **'मेड़िया'** कहा जाता है। यह ख्याल **दिन** में आयोजित होता है इसमें रामायण-महाभारत के कथानक पर आधारित ख्यालों का मंचन होता है।
- कन्हैया ख्याल में **नौबत, घेरा, मंजीरा** व **ढोलक** वाद्ययंत्रों का प्रयोग होता है। जब **'कहीन'** कही जाती है तब नौबत व घेरा बंद रहते है।

❖ तुर्रा कलंगी ख्याल- चित्तौड़गढ़

- मेवाड़ के **शाह अली** व **तुकनगीर** नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व इसकी रचना की थी।

15 राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, संगीत घराने व संगीतज्ञ

लोक गायन शैलियाँ

☞ राजस्थान की प्रमुख गायन शैलियाँ निम्न हैं–

❖ माँड गायकी– बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व फलौदी

- 10वीं व 11वीं शताब्दी में **जैसलमेर क्षेत्र** को **'माँड क्षेत्र'** कहा जाता था, अतः यहाँ विकसित हुई गायन शैली माँड गायन शैली कहलाई। यह **'शृंगार प्रधान गायकी'** है। यह **शास्त्रीय गायन** की लोक शैली है, इसी शैली में राजस्थान का **राज्यगीत 'केसरिया बालम आवो नी पधारों म्हारे देश'** गाया गया है।
- क्षेत्रीय प्रभाव के साथ कुछ अंतर के साथ इसके अनेक प्रकार प्रचलित हैं जैसे– उदयपुर की माँड, जोधपुर की माँड, जयपुर की माँड, बीकानेर की माँड, जैसलमेर की माँड।

☞ राजस्थान की **प्रसिद्ध माण्ड गायिकाएँ– अल्लाह जिलाई बाई** (बीकानेर), **गवरी देवी** (बीकानेर), **गवरी देवी** (पाली), **बन्नो बेगम** (जयपुर), **मांगी बाई आर्य** (उदयपुर),**जमिला बानो** (जोधपुर), **बतुल बेगम** (नागौर)

❖ मांगणियार गायकी – बाड़मेर, बालोतरा (जैसलमेर भी)

- मांगणियार जाति के लोग **शुभ अवसरों** पर गाते हैं गायन वादन इनका महत्त्वपूर्ण पेशा है। यह पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख गायन शैली है। मांगणियार जाति मूलतः **सिन्ध प्रान्त** की मुस्लिम जाति है। इस गायन शैली में **6 राग** व **36 रागनियों** का प्रयोग होता है।
- मांगणियार गायन में प्रमुख वाद्ययंत्र– **कमायचा** और **खड़ताल**
- **सदीक खाँ मांगणियार** – प्रसिद्ध **खड़ताल वादक**।
- **कमल साकर खां–** प्रसिद्ध कामायचा वादक
- **रूकमा मांगणियार–** विकलांग गायिका (बाड़मेर)
- अन्य– **रमजान खाँ** व **समन्दर खाँ**
- 'सदीक खां मांगणियार लोककला व अनुसंधान परिषद् (लोकरंग)' की स्थापना **जयपुर** में 2002 ई. में की गई।
- मांगणियार समुदाय में **दो प्रकार** के गायक होते हैं– **एक** वे जो केवल हिन्दुओं के लिए गाते हैं। **दूसरे** वे जो हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के लिए गाते हैं।

❖ लंगा गायकी– बाड़मेर

- पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर व बीकानेर में विभिन्न अवसरों व उत्सवों पर लंगा जाति द्वारा गायी जाने वाली गायनशैली **'लंगा गायन शैली'** कहलाती है।
- लंगा जाति मुख्यतः राजपूतों के यहाँ **वंशावलियों का बखान** व शुभ अवसरों पर गायन करती थी। बाड़मेर जिले का **'बड़वणा गाँव'** लंगो का गाँव कहलाता है।
- **लंगा गायन में प्रमुख वाद्ययंत्र– सारंगी, सिंधी सारंगी,** कमायचा, ढ़ोल, अलगोजा व मोरचंग
- **प्रसिद्ध कलाकार–** अलाउद्दीन खाँ लंगा, करीम खाँ लंगा, फूसे खाँ, मेहरदीन लंगा,
- बाड़मेर का **बरणवा जागीर** 'लंगा संगीत का मक्का' कहलाता है। लंगा समुदाय **दो वर्गों** में विभाजित है–
  पहला वर्ग है– **सारंगिया लंगा**, दूसरा वर्ग है– **सुरनिया लंगा**

❖ तालबंदी गायकी– मुख्यतः सवाईमाधोपुर

- **औरंगजेब** के समय संगीत पर पाबंदी लगा देने पर विस्थापित होकर आये कलाकारों द्वारा विकसित की गई गायन शैली है। यह गायन शैली सवाईमाधोपुर के अलावा **करौली, डीग, गंगापुर सिटी, धौलपुर** व **भरतपुर** में भी प्रचलित है।
- इस गायन शैली में प्राचीन कवियों की पदावलियों को **हारमोनियम** व **तबला** वाद्ययंत्रों के साथ गाया जाता है।
- इसमें गायन प्रतियोगिता होती है इसके आयोजन का तरीका कुश्ती जैसा होता है इसलिए इसे **'संगीत दंगल'** भी कहा जाता है।

❖ हवेली संगीत– नाथद्वारा (राजसमंद)

- मध्यकाल में **विदेशी आक्रमणकारियों** द्वारा हिन्दू मन्दिरों को नष्ट किये जाने के कारण **हवेलियों** और घरों में मन्दिर स्थापित हुए, भक्ति में शास्त्रीय संगीत, **ध्रुपद** व **कीर्तन** आदि गायन शैलियों का विकास हुआ।
- घरों व हवेलियों में स्थापित किये गये इन मंदिरो में विकसित संगीत धारा **'हवेली संगीत'** के नाम से प्रसिद्ध हुई। हवेली संगीत **नाथद्वारा** के अलावा कांकरोली (राजसमंद), जयपुर, कोटा, भरतपुर व डीग में भी प्रचलित है।

❖ फड़ गायकी–

- लोक देवताओं की कपड़े पर चित्रित कथाओं को विशेष रूप से **शाहपुरा** में चित्रित किया जाता है। शाहपुरा में चित्रित इन फड़ों से राजस्थान का **भोपा समुदाय** पूरे राजस्थान में लोक आस्था के अनुसार अलग–अलग वाद्ययंत्रों के साथ इनका गायन करता है।
- कपड़े पर चित्रित फड़ को दो बाँसों के सहारे दर्शकों के सामने सीधा तानकर भोपा कलाकार **वाद्ययंत्र** बजाता हुआ इसे गाता है, तथा भोपिन (भोपण) हाथ में लालटेन लिये हुये लकड़ी की डंडी से फड़ के चित्रों को दिखाती है। भोपिन भी साथ में गाती और नाचती है।

❖ ध्रुपद गायन शैली–

- इसके जनक ग्वालियर के शासक **मानसिंह तोमर** (1486–1516 ई.) को माना जाता है। महान संगीतज्ञ **बैजू बावरा** इन्हीं के दरबार में था। इन्होंने बैजू बावरा के सहयोग से **ध्रुपद गायन शैली** प्रारम्भ की। ध्रुपद गायन में **चौताल, मत्त, ब्रह्म, लक्ष्मी, सूल, तीव्रा,** इत्यादि तालों का प्रयोग होता है।
- **स्वामी हरिदास** ध्रुपद शैली के स्थापित गायक थे।
  कालान्तर में ध्रुपद गायनशैली **चार खण्डों** में विभक्त हुई।

❖ घनवाद्य यंत्र–

→ जो वाद्ययंत्र धातु से बने हों, जिन पर आघात कर **स्वर उत्पन्न** किए जाते हों, **घन वाद्ययंत्र** कहलाते हैं।

- **करताल**– इसमें दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों में पीतल की **छोटी-छोटी तश्तरियाँ** लगाकर बनाया जाता है। यह वाद्ययंत्र **साधु संन्यासियों** द्वारा भजनों में काम में लिया जाता है।

- **खड़ताल**– लकड़ी की 6 से 8 इंच लम्बी और 2 इंच चौड़ी साधारण सी दिखने वाली **पट्टियाँ** खड़ताल कहलाती हैं, ये **कैर, शीशम या बबूल की लकड़ी** से बनी होती हैं। एक हाथ के अंगूठे के आंतरिक भाग एवं दूसरी चारों अंगुलियों में हाथों के बीच रखकर बजायी जाती हैं। ये विदेशी वाद्ययंत्र **'कास्टनेट'** से मिलता जुलता है।

→ **खड़ताल का जादुगर**– **सद्दीक खाँ मांगणियार** (झांपली गाँव, बाड़मेर), **प्रसिद्ध कलाकार**– **गाजी खान बरना**

- **टिकोरा**– घरों में **पूजा/आरती** के समय प्रयोग किया जाता है, इसे घंटी भी कहते हैं। वीर घंटा का ही छोटा रूप है।

- **वीर घंटा**– मंदिरों में आरती के समय **पुजारी द्वारा** एक हाथ से बजाया जाता है, यह घंटी/टिकोरा का बड़ा रूप है।

- **घंटा या घड़ियाल**– पीतल से बना गोलाकार बड़े आकार का वाद्ययंत्र, जो **मंदिरों में** डोरी या सांकळ से लटका रहता है। इसके अंदर लटके डंडे से चोट कर बजाया जाता है।

- **लेजिम गरासिया**– बाँस का धनुषाकार टुकड़ा होता है, जिसके साथ लगी जंजीर में पीतल की छोटी-छोटी **गोलाकार** पतियाँ होती हैं जिसे हिलाने से झनझनाहट की ध्वनि निकलती है। **गरासिया जनजाति** द्वारा प्रयुक्त किये जाने के कारण इसे लेजिम गरासिया कहते हैं।
आजकल **स्कूली विद्यार्थियों द्वारा** सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाता है।

- **श्रीमंडल**– इसकी बनावट झाड़ीनुमा पौधें की तरह होती है, लकड़ी के स्टैण्ड पर चाँद की तरह के गोल-गोल 8-16 टंकारे लटकते रहते हैं जिन्हें लकड़ी की दो पतली डंडियों से बजाया जाता है, इसे **घंटी बाजा** भी कहते हैं।

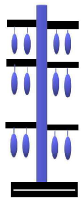

- **रमझौल**– चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते है। **नृतकियाँ** नृत्य के समय पैरों में बाँधती हैं।

- **झांझ**– मंजीरे का बड़ा रूप होता है, शेखावाटी में **कच्छी घोड़ी नृत्य** के समय व धार्मिक भजन गाते समय बजाया जाता है।

- **मंजीरा**– पीतल/कांसे की मिश्रित धातु से बना कटोरी के आकार का गोलाकार वाद्ययंत्र है जो हमेशा जोड़े से आपस में टकरा कर बजाया जाता है। **तेरहताली नृत्य** में कामड़ जाति की महिलाएँ प्रयोग करती हैं।

- **झालर**– कांसे/ताँबे से बनी मोटी चक्राकार तश्तरी होती है, जिस पर लकड़ी की डंडी से चोट कर बजाया जाता है। **मंदिरों में** आरती के समय प्रयोग किया जाता है। **स्कूलों** में भी प्रयुक्त की जाती है।

- **थाली**– काँसे की बनी साधारण थाली को **चरी नृत्य** में, **गवरी नाट्य** में व **पुत्र जन्म** के अवसर पर बजाया जाता है।

- **चिमटा**– लोहे की दो पतली पट्टिकाओं से मिलकर बने इस वाद्ययंत्र में पीतल की गोल गोल तश्तरियाँ लगी रहती हैं, **भजन कीर्तन** के दौरान बजाया जाता है।

- **घुरालियो**– यह **कालबेलियों का वाद्ययंत्र** है। 5-6 अंगुल लम्बी बाँस की खपच्ची से बनाया जाता है इसके एक छोर को छीलकर मुख पर धागा बांध दिया जाता है इसे दांतो के बीच दबाकर धागे की सहायता से बजाया जाता है।

- **भरनी**– मिट्टी के संकड़े मुँह के मटके पर कांसे की प्लेट लगाकर लकड़ी की डंडियों के सहारे बजाया जाता है। **अलवर,भरतपुर व डीग** क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है।

18 राजस्थान के आभूषण

✦ राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते है। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियाँ **मिट्‌टी** और **चमकदार पत्थरों के आभूषण** धारण करती थी।

❖ स्त्रियों के आभूषण -

❒ सिर के आभूषण -

* **शीशफूल-** सोने की बारीक साँकल बाँध कर ललाट पर लटकाया जाता है। इसे **'सिरफूल/सेरज'** भी कहते हैं।
* **गोफण-** बालों की वेणी में गुंथा जाने वाला आभूषण है।
* **बोर/बोरला-** मोटे बेर के आकार का बना आभूषण, जिसे हुक में धागा बाँधकर महिलाएँ बालों के मध्य में **ललाट पर** लटकाते हुए पहनती हैं।
* **रखड़ी-** यह आभूषण **सुहाग का प्रतीक** है। बोर के समान गोलाकार आकृति में होती है। रखड़ी के पीछे लगाये जाने वाले सोने के हुक को **'सरी/बगड़ी'** कहते हैं।
* **पतरी-** रखड़ी के नीचे **ललाट** के दोनों तरफ बालों के किनारे के साथ सोने का 3-4 **ईंच** चौड़ा पत्तर होता है।
* **झेला-** सोने चाँदी की लड़ियाँ, जो दोनों ओर कनपटियों के पीछे सिर के बालों में अटकाई जाती हैं। इसे **गरासिया स्त्रियाँ** पहनती हैं।
* **मौड़-** विवाह के अवसर पर दुल्हे व दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का मुकुट **'मौड़'** कहलाता है।
* **टीका/तिलक/टिकड़ा-** दो इंच परिधि का सोने की परत का बना फूल, जिसमें नगीनों की जड़ाई होती है। इसमें महिलाएँ **मांग भरने की जगह** लटकाती हैं। इसे **'माँगटीका'** भी कहा जाता है।
* **सिरमांग-** सुहागिन स्त्रियों के **माँग** (सिन्दूर) लगाने के स्थान पर तिल्ली के आकार का चैन से जुड़ा हुआ पहना जाने वाला गहना है।
* **टिड्डी भळको-** माँग भरने के नीचे **ललाट पर** पहना जाता है।
* **मैमद(मेमंद)-** स्त्रियों के **माथे पर** पहनने का आभूषण।
* **फीणी-** फीणी को बोर के नीचे लटकती हुई अवस्था में तथा **कनपटी** के ऊपर बांधा जाता है।
* **सारा-सरी-** बालों के पिन के दोनों छोरों पर लगा हुआ आधे गोलेनुमा **सोने का पतला** आभूषण।
* **जुड़ा सलाका-** सोने या चाँदी के पतले तार से बना यह आभूषण **बालों को बाँधने** के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
* **सोहाली-** राजपूत स्त्रियों का एक विशेष आभूषण जो **भौंहों** में धारण किया जाता है।
* **चाँद-** रखड़ी के समान एक आभूषण जो सिर के मध्य में पहना जाता है, मुख्यत: **मुस्लिम स्त्रियों** का आभूषण है।
* **मिरजाबारपखा-** तीन पतली जंजीर से बना होता है जो टीके को सिर पर स्थिर रखने के लिए पहना जाता है।

→ **अन्य आभूषण-** टिकी/बिंन्दी, सांकली, चूड़ारत्न, तावित, मोरमींडली, मोर पट्‌टा, काचर।

❒ कान के आभूषण

* **कर्णफूल-** कान के नीचले भाग का **पुष्पाकार आभूषण** जिसके बीच में नगीने जड़े होते हैं। मेवाड़ में इसे **'गुट्‌टी'** के नाम से जाना जाता है।
* **पीपल पत्र-** सोने/चाँदी का बना **अंगूठी के आकार** का, कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहने जाने वाला आभूषण है। इसे **'पीपलपान/पीपल पन्ना'** भी कहा जाता है।
* **झुमका/झुमर-** कर्णफूल की तरह इसके बीच में **गोल बूंदे** बने होते हैं।
* **फूल झुमका-** झूमके का ही एक प्रकार है।
* **झुमकी-** सोने या चाँदी का बना **झुमके के आकार** का आभूषण, जिसके नीचे **छोटी-छोटी घुघरियाँ** बनी होती है।
* **ओगन्या/ओगनिया-** कानों के ऊपरी हिस्से पर पहना जाने वाला **पान के पत्ते** की आकृति जैसा होता है।
* **गुड़दा-** सोने के तार के आगे **मुद्रा के आकार का मोती** पिरोकर कान में पहनाये जाने वाला आभूषण है।
* **बाला/बाळा-** गोल रिंग की तरह का आभूषण है।
* **बाली-** बाला का ही छोटा रूप होता है।
* **मोरूवर/मोरफवर/मोर भँवर-** महिलाओं के कान में पहना जाने वाला मोररूपी आभूषण।
* **लटकन-** सोने या चाँदी का बना **पतली चैन** के जैसा आभूषण।
* **टोटी-** कान का आभूषण है, जो **गोल चकरी** के समान होता है। जिसे **गरासिया महिलाएँ** पहनती हैं।
* **लूंग-** लूंग नाम का आभूषण कानों के अलावा **नाक में भी** पहना जाता है, प्रश्न में दोनों विकल्प होने की स्थिति में कान सही होगा, क्योंकि राजस्थान में **पुरुष** भी कानों में लूंग पहनते हैं।
* **कुण्डल-** वृत्ताकार ठोस चक्र या बाली के समान आभूषण जिसमें **रत्न जड़े** होते है।
* **पाटन- पत्ते के आकार** का कान में पहना जाने वाला आभूषण।
* **चौकड़ा-** कान का एक बड़ा आभूषण जो **बालों** में अटकाया जाता है और पूरे **कान पर झूलता** रहता है।
* **कनिया-** फूल के आकार का आभूषण जो **कान के निचले भाग** में पहना जाता है।
* **झाले/झेला-** कान का आभूषण है, इसे **गरासिया पुरुष** भी पहनते हैं।

→ **अन्य-** टॉप्स, सुरलिया, अंगोट्या, **कुड़कली, बुजली, बारेठ, जमेला, कोकरू,** खींटली, माकड़ी, कुंटलिया, झूटणौ, **झेलो आदि**

❒ नाक के आभूषण

* **नथ-** सोने के तार का बना मोटा छल्ला, जिसमें मोर व अन्य आकृति बनी होती है।
* **बेसर/बेसरि-** नाक का आभूषण, जो **सोने के तार** से बना होता है जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है।

19 राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा

❐ राजस्थान में विभिन्न अवसरों पर पगड़ियाँ–

- राजस्थानी पहनावे में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है बड़ों के सामने खुले सिर जाना **अशुभ** माना जाता है। आज भी राजस्थान में अपने गौरव की रक्षा के लिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि '**पगड़ी की लाज रखना**'। साफा, पाग और पगड़ी राजस्थान की वेशभूषा का अभिन्न अंग है, जिसे **आन, बान और शान का प्रतीक** माना जाता है।
- **पगड़ी**– यह सिर ढ़कने के लिए पहना जाने वाला पुरुषों का वस्त्र है। स्थान व बोली के प्रभाव के कारण इसे **पाग/साफा/फालिया/धुमालो/अमलो/सेलो/मोलिया/पेंचा/बागा/फेंटा/शिरोत्राण** आदि भी कहते हैं।

☞ **नोट**– **मारवाड़** में पहनी जाने वाली पगड़ी मेवाड़ की पगड़ी से आकार में बड़ी और ऊँची होती है। उदयपुर की पगड़ी **चपटी** होती है, मारवाड़ में **छज्जादार व खिड़कीदार** पगड़ी तथा **जयपुर** की **खूंटेदार पगड़ी** होती है।
- पगड़ी बांधने वाला '**बंधेरा**' कहलाता है। जयपुर रियासत के आखिरी बंधेरे **सूरज बख्श** को जागीर प्रदान की गई थी। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को '**छाबदार**' कहते हैं।

☞ **नोट**– विश्व की सबसे छोटी पगड़ी **सुई व पेंसिल** पर बाँधने का रिकॉर्ड **बीकानेर** के **कृष्णचंद पुरोहित** के नाम है।

- **पाग**– ये 14 से 20 मीटर लम्बी होती है।
- **पगड़ी**– ये 13 से 15 मीटर लम्बी होती है। अगर लम्बाई में बड़ी है तो **पाग** और लम्बाई में छोटी है तो **पगड़ी** कहलाती है।
- **साफा**– ये पाग से छोटा किन्तु **चौड़ा** होता है। साफा इस प्रकार से बांधा जाता है कि इसके एक छोर का कपड़ा कमर के नीचे तक लटका रहता है।
- **पेंचा**– ये **पाग** का ही एक प्रकार है, इसमें एक सिरे को गोल्डन **जरी के झब्बों** के साथ सजाया होता है।
- **फेंटा**– ये सोने–चाँदी के कलात्मक कार्यो से सजाया होता है।

✦ राजस्थान में त्योहारो, उत्सवों व ऋतुओं के अनुसार **अलग–अलग** पगड़ी पहनने का रिवाज है–
- **परतदार पगड़ी**– **मेवाड़** की रंग बिरंगी आकर्षक पगड़ी है।
- **मोठड़े की पगड़ी**– **विवाह** के अवसर पर पहनी जाती है।
- **लहरिया की पगड़ी**– श्रावण मास की **तीज** के अवसर पर।
- **मदील पगड़ी**– **दशहरे** पर पहनी जाती है।
- **सलमा सितारे के फूलों की कढ़ाई वाली पगड़ी**– यह भी **दशहरे** के त्योहार पर पहनी जाती है।
- **फूल पत्ती की छपाई वाली पीली पगड़ी** – **होली** पर
- **हरी या कसुमल पगड़ी**– **वर्षा ऋतु** में
- **कसुम्बी पगड़ी**– **सर्दियों** में
- **खाकी पगड़ी**– राजपूत **शिकार** पर जाते समय पहनते थे।
- **केसरिया पगड़ी**– **गर्मियों** में पहनी जाती है। **अक्षय तृत्तीया** (आखा तीज) राजस्थान में सबसे शुभ दिन माना जाता है, इस दिन केसरिया पाग पहनने की प्रथा है।

☞ **नोट**– केसरिया त्याग का प्रतीक है इसलिए लड़ाई में जाते समय राजपूत सैनिक **केसरिया पगड़ी** पहनते थे।

- **पीले व बसंती रंग की पगड़ी**– **मांगलिक** अवसरों पर
- **सफेद रंग की पगड़ी**– **शोक** के समय पहनी जाती है।
- **आँटे वाली पगड़ी**– **सुनार** पहनते हैं।
- **मोटी पट्टेदार पगड़ी** – **बन्जारे** पहनते हैं।

- **सफेद साफा**– **विश्नोई समाज** में बांधते हैं।
- **लाल टूल का साफा**– **राईका/रेबारी समाज** में।
- **लंगा, मांगणियार व कालबेलिया** – रंगीन छापल डब्बीदार भांत के साफे बांधते हैं।

- **मोठरा/मोठड़ा**– दो बार रंग निकालकर (दो रंग युक्त) बंधेज किया हुआ साफा **मोठरा** कहलाता है।

☞ **नोट– रक्षाबंधन पर बहन भाई को मोठड़ा साफा देती है।**

- **राजशाही**– केवल एक रंग से तैयार साफा जिसमें सफेद बूंदें होती हैं। सम्भवतः राजा द्वारा इस्तेमाल किये जाने के कारण इसे **राजशाही** कहा गया है। राजशाही पगड़ी **जयपुर** की प्रसिद्ध है।
- **बावरा साफा**– बंधेज कला द्वारा **पांच रंगों** से रंगा गया साफा
- **बागौ**– घेर वाली पुरुषों की **सर की पाग** बागौ कहलाती है।

☞ **नोट**– राजस्थान में पगड़ी को चमकीली बनाने व सजावट के रूप में **तुर्रे, सरपेच, कलंगी, बालाबन्दी, धुगधुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, ऊपरणी, रतनपेच** व **फतेपेच** का भी प्रयोग किया जाता है। उच्च वर्ग के लोग पगड़ी पर **चीरा** और **फेंटा** बाँधते हैं।

- **बालाबन्द**– पगड़ी पर धारण करने वाला **जरीदार वस्त्र**।
- **ऊपरणी**– पगड़ी पर बांधा जाने वाला **वस्त्र**।
- **रतनपेच**– पगड़ी पर धारण करने वाला **विशेष आभूषण**।

❖ मेवाड़ की पगड़ियाँ–

- **मेवाड़ी पगड़ी**– **मेवाड़** में प्रचलित पगड़ी।
- **अमरशाही पगड़ी**– महाराणा **अमरसिंह द्वितीय** के समय प्रचलित।
- **उदयशाही/उदेशाही पगड़ी**– महाराणा **उदयसिंह** के समय प्रचलित।
- **अरसीशाही पगड़ी**– महाराणा **अरिसिंह** के समय प्रचलित।
- **भीमशाही पगड़ी**– महाराणा **भीमसिंह द्वितीय** के समय प्रचलित।
- **स्वरूपशाही पगड़ी**– महाराणा **स्वरूपसिंह** के समय प्रचलित

20 राजस्थान की प्रथाएँ व रीति रिवाज

❖ **केसरिया**– राजपूत यौद्धा पराजय की स्थिति में किले के द्वार खोलकर सिर पर **केसरिया साफा बांध कर** शत्रु पर टूट पड़ते थे, और अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते थे, उसे **केसरिया करना** कहते थे।

❖ **जौहर प्रथा**– शत्रुओं के आक्रमण के समय जब राजपूत यौद्धाओं के युद्ध से जीवित लौटने की आशा नहीं रहती थी और दुर्ग दुश्मन सेना के हाथ लगने की सम्भावना होने पर, उस दशा में किले की स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से अपने **धर्म और आत्मसम्मान की रक्षार्थ 'अग्निदाह'** करने की प्रथा जौहर कहलाती है। रणथम्भौर किले में 1301 ई. में **जलजौहर** भी हुआ था।

❖ **साका**– जब राजपूत यौद्धा **केसरिया** करते थे और राजपूत वीरांगना **जौहर व्रत** करती थी, वह **'साका'** कहलाता था।

❖ **सती प्रथा**– महिलाओं द्वारा अपने **पति की मृत्यु पर** पति के शव के साथ चिता में जीवित अवस्था में अपने आप को जला लेना और मृत्यु का वरण करना **'सती होना'** कहलाता है। इसे **सहमरण, सहगमन या अन्वारोहण** भी कहा जाता है।

❖ **अनुमरण**– पति की कहीं अन्यत्र स्थान पर मृत्यु होने पर व वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाने पर उसके किसी चिह्न/निशानी के साथ उसकी विधवा पत्नी द्वारा चितारोहण करना **'अनुमरण'** कहलाता है, ऐसी सतियों को **महासती** भी कहा जाता है।

❖ **माँ सती**– अपने मृत पुत्र के साथ सती होने वाली माताएँ **'माँ सती'** कहलाती है।

- **राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण**– **घटियाला शिलालेख** (861 ई. फलौदी) के अनुसार सेनापति **राणूका** के साथ उसकी पत्नी **संपत देवी** सती हुई थी।
- भारत में सती प्रथा पर रोक के लिए **राजाराम मोहनराय** के प्रयासों से **लॉर्ड विलियम बैंटिक** द्वारा दिसम्बर 1829 में एक अधिनियम द्वारा **सती प्रथा को दंडनीय अपराध** घोषित किया गया।
- **राजस्थान** में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली **प्रथम रियासत बूँदी** (शासक विष्णु सिंह) थी, जिसमें 1822 ई. में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। उसके बाद 1830 ई. में **अलवर** (विनयसिंह) में भी रोक लगाई गई। मेजर **जॉन लूडलों** के प्रयासों से 1844 ई. में **जयपुर** (शासक रामसिंह) में रोक लगी। इसी प्रकार 1846 ई. में डूँगरपुर, **बांसवाड़ा** व **प्रतापगढ़** में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1848 ई. में **जोधपुर** व **कोटा** में, 1861 ई. में **उदयपुर** में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया।
- राजस्थान में सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन **राजपूत जाति** में था।

➢ **रूपकंवर सती प्रकरण**– 4 सितम्बर, 1987 को नीमकाथाना के **देवराला गाँव** की **रूपकंवर** नामक महिला सती हुई। यह **राजस्थान की अंतिम सती** मानी जाती हैं।

- अक्टूबर 1987 में राजस्थान सरकार सती प्रथा की रोकथाम हेतु **एक अध्यादेश** लाई, तत्कालीन **मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी** थे। अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन राज्यपाल **बसंत दादा पाटील** थे। राजस्थान में यह **सती निवारण अध्यादेश** (1987) **3 जनवरी, 1988** से लागू हुआ।

❖ **कन्यावध**– इस प्रथा में **राजपूत जाति** में लड़की के जन्म होने पर भुखा रख कर या गला घोंट कर मार दिया जाता था।

- राजस्थान में सर्वप्रथम **कन्या वध पर रोक कोटा रियासत** में महाराव **रामसिंह द्वितीय** के समय अंग्रेज **पॉलिटिकल एजेन्ट विलकिन्सन** के प्रयासों से 1833 में लगाई गई। इसके बाद **बूँदी** में भी 1834 में रोक लगाई गई। 1844 में **जयपुर रियासत** में रोक लगाई गई।

❖ **डाकन प्रथा**– ग्रामीण क्षेत्र में कोई बच्चा या महिला उचित उपचार के अभाव में ठीक नहीं होने पर किसी महिला पर शक किया जाता था कि उसने जादू टोने से बीमारी को बनाये रखा, इस प्रकार उस महिला को **डायन/डाकन** घोषित कर दिया जाता था। फिर **पंचायत या महाराजा** के सामने लाकर दवाब से डायन होना स्वीकार कराया जाता था। इस प्रकार डायन घोषित की गई महिला को प्रताड़ित किया जाता था या मार दिया जाता था। यह प्रथा **जनजाति क्षेत्रों में भीलों में** सर्वाधिक प्रचलित है।

- 1853 ई में **मेवाड़ भील कोर** के एक सिपाही ने डायन के शक में एक स्त्री का वध कर दिया था। इस पर अजमेर के एजीजी ने इसे समाप्त करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा। तत्कालीन कमांडेट **जे.सी ब्रुक की प्रेरणा से उदयपुर रियासत** में महाराणा **स्वरूप सिंह** नें 1853 में इस प्रथा पर **सर्वप्रथम रोक** लगाई।
- **राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम** (2015) को **26 जनवरी, 2016** से लागू कर इसे गैर–कानूनी घोषित कर दिया है।

❖ **डावरिया प्रथा**– रियासती काल में राजा महाराजा और जागीरदार अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ **कुंवारी कन्याएँ** भी देते थे जिसे **डावरी/डावरिया** कहते थे। जो जनाना महलों में सेविकाओं का जीवन व्यतीत करती थी।

❖ **नाता प्रथा**– नाता एक प्रकार का **पुनर्विवाह** ही है, इस प्रथा में पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को अपना पति बना लेती है यह प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों में **जनजाति** लोगों में प्रचलित है।

❖ **झगड़ा**– किसी स्त्री के दूसरे पति द्वारा पूर्व पति को दी जाने वाली राशि **झगड़ा राशि** कहलाती है।

❖ **चारी प्रथा**– **खैराड़ क्षेत्र** (टोंक, शाहपुरा) में प्रचलित इस प्रथा में लड़की के परिवार वाले लड़के के घर वालों से दहेज की तरह **नकद राशि** लेते हैं। कमजोर व पिछड़े वर्ग में यह प्रथा ज्यादा प्रचलित है।

❖ **संथारा/संल्लेखना**– जैन ग्रन्थों में उल्लेखित इस प्रथा में अन्न जल त्याग कर समत्वभाव से स्वेच्छा से **मोक्ष प्राप्ति के लिए** देह त्याग की जाती है।

21 राजस्थान की जनजातियाँ

- राजस्थान का **दक्षिणी** एवं **दक्षिणी पूर्वी भाग** जनजाति बहुल क्षेत्र है। राजस्थान में मुख्यतः **भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, कथौड़ी** व **डामोर** जनजातियाँ पायी जाती हैं। राजस्थान भारत के 4 प्रमुख जनजाति बहुल राज्यों में आता है।
- **वर्ष 2011 की जनगणना** के अनुसार राजस्थान में जनजाति की आबादी 92,38,534 है। जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.48% है। जनजाति **जनसंख्या के आधार पर** राजस्थान का देश में **चौथा स्थान** है। राज्य की कुल जनसंख्या में **प्रतिशत के हिसाब** से राजस्थान का देश में **13वाँ स्थान** है।

☞ **नोट–** 1951 में राजस्थान में जनजाति आबादी **3.36 लाख** थी, जो राजस्थान की उस समय की कुल जनसंख्या की 2.04% थी।

- राजस्थान में **सर्वाधिक** जनजाति जनसंख्या वाले जिले–
  उदयपुर (15.25 लाख) **बाँसवाड़ा** (13.73लाख)
- राजस्थान में **न्यूनतम** जनजाति जनसंख्या वाले जिले–
  बीकानेर (7779) **नागौर** (10412)
- राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से **सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत** वाले जिले– **बाँसवाड़ा** (76.4%), **डूँगरपुर** (70.8%)
- राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से **न्यूनतम जनजाति प्रतिशत** वाले जिले– **नागौर** (0.3%), **बीकानेर** (0.3%)
- राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से **जनजातियों का क्रम–**
  मीणा (43.46 लाख) कुल जनजातियों का लगभग 47% है।
  भील (41 लाख) कुल जनजातियों का लगभग 44.3% है।
  गरासिया (3.14 लाख) कुल जनजातियों का लगभग 3.4% है।
  सहरिया (1.11 लाख)
  डामोर (91.5 हजार)

❖ मीणा–

- संख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति **राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति** है। राजस्थान में मीणा जनजाति की **सर्वाधिक** संख्या वाले जिले **उदयपुर** (7,17,696), **जयपुर** (4,67,364) व **प्रतापगढ** (4,47,023) **करौली** (3,23,342) **व अलवर** (2,73,327) हैं। **(स्रोत– जनगणना विभाग, भारत सरकार)**
- **मीणा शब्द** का शाब्दिक अर्थ **मत्स्य/मछली** होता है। मीणा जाति की उत्पत्ति भगवान **विष्णु के मत्स्यावतार** से मानी जाती है। मीणा जनजाति के लिए **मछली का माँस** खाना निषेध है। मुनि मगन सागर ने अपने ग्रन्थ **'मीणा पुराण'** में मीणा जाति को भगवान **मीन का वंशज** बताया है। मीणाओं का उल्लेख **मत्स्य पुराण** में भी मिलता है।
- **कर्नल जेम्स टॉड** ने इनका मूल निवास **'कालीखोह पर्वतमाला'** (अजमेर, आगरा के मध्य) माना है।

मीणा जनजाति की दो उप–जातियाँ

- **जमींदार मीणा**
- **चौकीदार मीणा**

1. **जमींदार मीणा–** ये लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं, इन्हें **'पुरानावासी मीणा'** भी कहा जाता है।
2. **चौकीदार मीणा–** ये वर्ग परम्परागत रूप से चौकीदारी का कार्य करते थे, इन्हें **'नयावासी'** भी कहा जाता है। इनमें **रावत मीणा, सुरतेवाल मीणा, आदि मीणा, चौथिया मीणा, पड़िहार मीणा, मेर मीणा** व **भील मीणा** आदि अन्य वर्ग हैं।

- **रावत मीणा– अजमेर जिले** में सर्वाधिक निवास करते हैं।
- **सुरतेवाल मीणा–** मीणा जाति के पुरुष द्वारा **दूसरी जाति की स्त्री** से शादी पर उत्पन्न संतान सुरतेवाल कहलाते हैं।

✦ मीणाओं की सामाजिक परम्पराएँ–

- मीणा जनजाति की आजीविका का प्रमुख साधन **कृषि** एवं **पशुपालन** है। यह राजस्थान की सर्वाधिक **शिक्षित व सम्पन्न जनजाति** है।
- मुनी **मगन सागर** के द्वारा रचित ग्रन्थ 'मीणा पुराण' में इनके 5200 **गौत्र** बताए गए है। मीणा जाति की **24 खापें** हैं।
- इस जनजाति में गोदने व गुदवाने का शौक स्त्री पुरुष दोनों में है।
- इनमें **संयुक्त परिवार प्रथा** प्रचलित है।
- इनमें **नाता प्रथा** का प्रचलन है।
- इस जनजाति में **बहिन के पति** को विशेष महत्व दिया जाता है।
- मृत्यु के बाद **मृतकों को जलाने** और 12वें दिन **मौसर** (मृत्युभोज) का प्रचलन है।
- मीणा जाति का प्रयागराज **रामेश्वरम्** (सवाईमाधोपुर) को माना जाता है। यहाँ पर चम्बल, बनास सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है।

✦ अन्य विशेषताएँ–

- **छेड़ा फाड़ना–** विवाह विच्छेद का यह तरीका छेड़ा फाड़ना कहलाता है। इसमें पुरुष अपने **गमछे का एक भाग** फाड़कर देता है। स्त्री जब गमछे का भाग और सिर पर कलश लेकर चलती है तो कलश उतारने वाला उसका भावी पति होता है।
- **पटेल–** मीणा जाति की **पंचायत का मुखिया।**
- **बुझ देवता–** मीणा जाति के **देवता** कहलाते है।
- मीणा जाति में **लड़की** के जन्म पर **सुप** व **लड़के** के जन्म पर **थाली** बजायी जाती है।
- **आंटा-सांटा–** इनके प्रचलित **विवाह का एक प्रकार** है।

22 राजस्थान की भाषा व बोलियाँ

- भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी **भारोपीय परिवार** के अन्तर्गत आती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति **शौरसैनी प्राकृत** की **गुर्जरी अपभ्रंश** से **12वीं शताब्दी के अन्त** में मानी जाती है।
- 16 वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थानी व गुजराती का मिला जुला रूप प्रचलित रहा। **16 वीं सदी** के बाद राजस्थानी का एक **स्वतंत्र भाषा** के रूप में विकास होने लगा।
- राजस्थानी भाषा के विकास के सन्दर्भ में **तीन अपभ्रंश भाषाओं** का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें **'शौरसेनी अपभ्रंश'**, **नागर अपभ्रंश'** तथा **'मरूगुर्जरी अपभ्रंश'** का उल्लेख किया जाता है। इन सब में 'मरूगुर्जरी अपभ्रंश' का मत अधिक उचित लगता है क्योंकि **'मरूगुर्जरी अपभ्रंश'** से ही मरूभाषा (राजस्थानी), तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है।

➢ **राजस्थानी भाषा का विकास क्रम–**

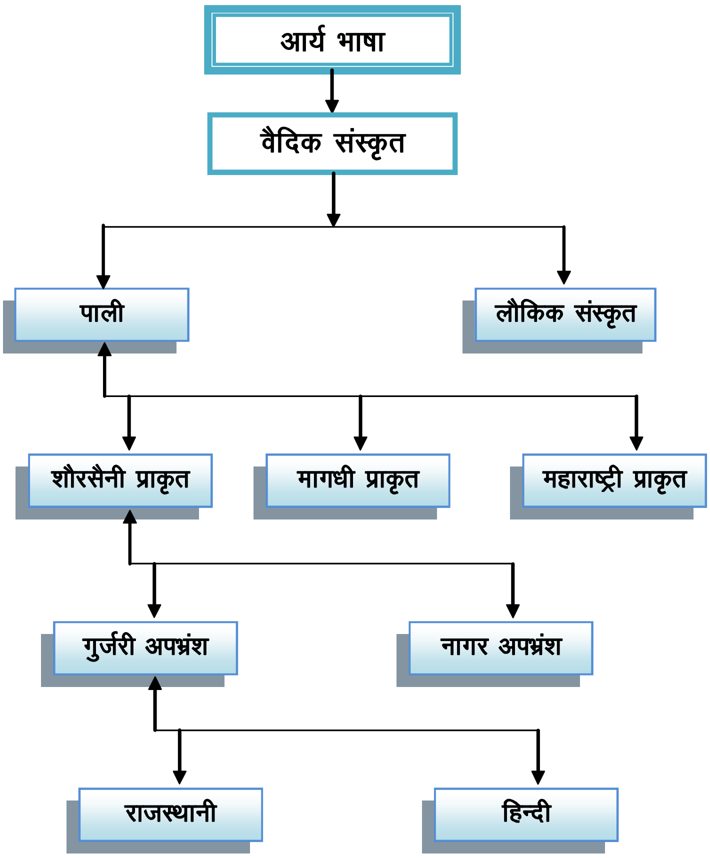

→ **राजस्थानी भाषा के उद्‌गम के संबंध में विभिन्न मत–**
- **जार्ज ग्रियर्सन** व **पुरुषोत्तम लाल मेनारिया** के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्‌गम **नागर अपभ्रंश** से हुआ है।
- **मोतीलाल मेनारिया, डॉ. माहेश्वरी** व **के. एम. मुन्शी** के अनुसार– **गुर्जरी अपभ्रंश से**
- **डॉ. एल.पी. टेस्सीटोरी** के अनुसार **गुर्जर अपभ्रंश** से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है।
- **महावीर प्रसाद शर्मा** के अनुसार– **शौरसैनी अपभ्रंश से**

- 778 ई. में **उद्योतन सूरी** द्वारा लिखित **'कुवलयमाला'** में वर्णित 18 देशी भाषाओं में **मरूभाषा** को भी शामिल किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है।
- इसके अतिरिक्त **पिंगल शिरोमणि** (कवि कुशललाभ) व **आईन-ए-अकबरी** (अबुल फजल) में भी **'मारवाड़ी भाषा'** शब्द का प्रयोग किया गया है।
- **रेवरेंड मेंकलिस्टर**– इन्होंने ही सबसे पहले **'सर्वे ऑफ डॉयलेक्टस् स्पोकन इन द स्टेट ऑफ जयपुर'** के नाम से 1887 ई. में प्राचीन **जयपुर राज्य** में बोली जाने वाली **बोलियों का सर्वेक्षण** किया था।

- **जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन**– राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण एवं इन्हें प्रकाश में लाने का कार्य **'जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन'** ने अपनी पुस्तक **'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया'** (20 भाग, 1912 ई.) में किया।

  इन्होंने राजस्थानी बोलियों को **5 भागों** में बांटा है–
  1. **पश्चिमी राजस्थानी** – मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढ़टकी, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, खैराड़ी।
  2. **दक्षिणी राजस्थानी**– निमाड़ी
  3. **उत्तरी पूर्वी राजस्थानी**– मेवाती, अहीरवाटी
  4. **मध्य पूर्वी राजस्थानी**– ढूँढाड़ी, तोरावाटी, राजावाटी, अजमेरी, जैपुरी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, काठेड़ी, नागरचोल।
  5. **दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी**– रांगड़ी व सौंधवाड़ी

- **ग्रियर्सन की अन्य रचना**– मॉडर्न वर्नाकूलर लिटरेक्चर ऑफ नॉदर्न इंडिया
- इस क्षेत्र की भाषा के लिए **'राजस्थानी'** शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग **जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन** ने 1912 में अपनी पुस्तक **'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया'** में किया ।
- **एल.पी.टेस्सीटोरी**– इटली के विद्वान **एल.पी.टेस्सीटोरी** ने **'इण्डियन ऐन्टिक्वेरी'** (1914-16) नामक पुस्तक में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला है।
- इन्होंने राजस्थानी भाषा को **दो भागों** में बांटा है–

1. **पूर्वी राजस्थानी**– खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, अजमेरी, काठेड़ी, राजावाटी, नागरचोल, चौरासी, हाड़ौती बोलियाँ
2. **पश्चिमी राजस्थानी**– शेखावाटी, खड़ी जोधपुरी, ढ़टकी, बीकानेरी, थली, किशनगढ़ी, खैराड़ी, गौडवाड़ी, देवड़ावाटी बोलियाँ

- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी की **सबसे बड़ी** बोली **मारवाड़ी** है।
- **सर्वाधिक** लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली **मारवाड़ी** है।

24 राजस्थान में साहित्य व प्रमुख पुस्तकें

❒ राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन–

राजस्थानी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है–

प्राचीन काल	वीरगाथा काल	1050 से 1450 ई.
पूर्व मध्य काल	भक्ति काल	1450 से 1650 ई.
उत्तर मध्यकाल	श्रृंगार, रीति एवं नीतिपरक काल	1650 से 1850 ई.
आधुनिक काल	विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त	1850 से अद्यतन

1. प्राचीन काल– (वीरगाथा काल) 1050 से 1450 ई.

- इस काल में **वीर रसात्मक** काव्यों का सृजन किया गया है। श्रीधर व्यास की 'रणमल्ल छंद' इस काल की महत्त्वपूर्ण रचना है, इस काल के जैन कवियों की रचनाएँ भी उल्लेखनीय हैं।

2. पूर्व मध्यकाल– (भक्ति काल) 1450 से 1650 ई.

- इस काल में राजस्थान में अनेक संतों और सम्प्रदायों का उद्भव हुआ।
- इस काल की रचनाओं में **मीराबाई के पद, जसनाथ जी, जाम्भो जी, संत दादु की रचनाएँ,** वेलि किसन रूकमणि री, **रामरासो** (माधोदास दधवाड़िया), **हरिरस, देवियाण** (ईसरदास) व **नागदमण (सायां जी झूला)** आदि प्रमुख हैं।

3. उत्तर मध्यकाल–(श्रृंगार, रीति एवं नीतिपरक काल) 1650 से 1850 ई.– इस काल में शासकों ने कलाकारों और साहित्यकारों को आश्रय प्रदान किया, जिन्होंने इन काल में श्रृंगार, रीति एवं नीति से सम्बन्धित रचनाएँ प्रस्तुत की।

- काव्य शास्त्र से सम्बन्धित रचनाओं में कवि मंछाराम ने **'रघुनाथ रूपक'** प्रस्तुत किया। संबोधनपरक नीति कारकों में **राजिया रा सोरठा, चकरिया रा सोरठा, भेरिया रा सोरठा, मोतिया रा सोरठा** आदि रचनाएँ प्रमुख हैं।

4. आधुनिक काल (विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त) 1850 से अद्यतन– 1857 की क्रांति से पश्चात् भारतीय समाज में एक नयी चेतना जाग्रत हुई, इसके बाद की सभी रचनाएँ आधुनिक काल की रचनाएँ मानी जाती हैं। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद कविराजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल्ल मीसण ने किया।

❒ राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट शैलियाँ–

- रासो– जिस काव्य रचना में किसी राजा की **कीर्ति, विजय, युद्धों और वीरता का वर्णन** हो उसे 'रासो' कहा जाता है।
- ख्यात– राजाओं द्वारा अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यो आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया जाता था। यह इतिहास **'ख्यात'** कहलाता है।
- वचनिका– संस्कृत के **वचन** शब्द से वचनिका बना है। वचनिका एक ऐसी **तुकान्त गद्य-पद्य रचना** है, जिसमें **अंत्यानुप्रास** मिलता है, यद्यपि इसमें अपवाद भी मिलते हैं।
- विगत– किसी विषय का विस्तृत इतिहासपरक विवरण विगत कहलाता है। इसमें राजा, उसके परिवार, उसके राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है।
- वेलि– वेलियो छन्द में लिखे जाने से इसका नाम वेलि पड़ा है, इसका विषय प्रायः धार्मिक या ऐतिहासिक होता है।
- दवावैत– यह कलात्मक गद्य का ही एक रूप है, वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है, किन्तु दवावैत **उर्दू और फारसी** शब्दों से युक्त होती है।
- वात– कहानी की तरह वात कहने और सुनने की एक विधा है जिस प्रकार कहानी सुनाने वाला कहानी कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा देता रहता है।
- वंशावली– इन रचनाओं में आश्रित कवियों द्वारा राजवंशों की वंशावलियों को विस्तृत विवरण सहित लिखा है।
- झमाल– ये राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छन्द है। इसमें पहले पूरा दोहा, उसके बाद पांचवे चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। **राव इन्द्रसिंह री झमाल** प्रसिद्ध है।
- झूलणा– झूलणा भी झमाल की तरह एक **मात्रिक छन्द** है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छन्द के अंत में यगण होता है।
- परची– राजस्थानी साहित्य में संतों द्वारा रचित **पद्यबद्ध रचना** परची कहलाती है। इसमें संत महात्माओं का जीवन परिचय मिलता है।
- प्रकास– किसी व्यक्ति विशेष या राजवंश की उपलब्धियों या घटना पर प्रकाश डालने वाली रचना प्रकास कहलाती है।
- मरस्या– किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए 'मरस्या' की रचना की जाती है। मेवाड़ महाराणा जगतसिंह की मृत्यु पर **'राणे जगपत रा मरस्या'** लिखा गया था।
- रूपक– किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति **रूपक** कहलाती है।
- साखी– संत कवियों ने अपने अनुभव किये ज्ञान को साखियो में वर्णित किया है इनमें सोरठा छन्द का प्रयोग होता है।
- सिलोका– साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा सिलोका लिखे गये हैं।
- दुहा– राजस्थान में वीर पुरुषों के जीवन व कार्यों से संबंधित असंख्य दोहे लिखे गये हैं, जिनमें उनके साहस, धैर्य, त्याग, कर्तव्यपरायणता, दानशीलता तथा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है।

भाग–3

राजस्थान का इतिहास

1 राजस्थान के इतिहास के स्रोत

राजस्थान के प्रमुख शिलालेख

- शिलालेख/अभिलेख– पत्थर की शिलाओं, दीवारों व स्तम्भों आदि पर किसी भी प्रकार की जानकारी लिखी हुई मिलती है, उन्हे शिलालेख या अभिलेख कहा जाता है।
- प्रशस्ति– जब किसी शिलालेख पर किसी शासक की उपलब्धियों का यशोगान मिलता है तो उसे प्रशस्ति कहते हैं।
- राजस्थान के प्रारम्भिक शिलालेखों की भाषा संस्कृत है, जबकि मध्यकालीन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी है। राजपूताने की प्राचीन लिपि ब्राहमी थी।

❖ बड़ली गाँव का शिलालेख (443 ई.पूर्व)–

- यह शिलालेख **केकड़ी जिले** के बड़ली गाँव के भिलोत माता मंदिर से प्राप्त हुआ है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है इसकी लिपि ब्राह्मी है। यह शिलालेख डॉ. जी. एच. ओझा को 1912 ई. में मिला था, वर्तमान में **अजमेर संग्रहालय** में रखा है।

❖ अशोक के शिलालेख (तीसरी शताब्दी ई.पूर्व)–

- मौर्य सम्राट अशोक के 250 ई. पूर्व के ये दोनों शिलालेख **विराटनगर** की पहाड़ी (कोटपुतली–बहरोड़) से मिले हैं।
  1. भाब्रु शिलालेख, 2. बैराठ शिलालेख

❖ भाब्रु शिलालेख–

- **बीजक की पहाड़ी** (बैराठ/विराटनगर) से यह शिलालेख कैप्टन बर्ट को 1837 ई. में मिला था। **भाब्रु** नामक गाँव बैराठ से 12 मील दूर है लेकिन कैप्टन बर्ट ने भ्रमवश इसे भाब्रु शिलालेख नाम दे दिया। इसकी भाषा **प्राकृत** व लिपि **ब्राहमी** है। इस लेख में सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध, धम्म एवं संघ में आस्था प्रकट की गयी है, इस अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होना सिद्ध होता है साथ ही राजस्थान के इस प्रदेश में **मौर्य शासन** होने का प्रमाण प्राप्त होता है।

❖ बैराठ शिलालेख–

- बैराठ से प्राप्त यह शिलालेख भीम डुँगरी की तलहटी से एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लघु शिलालेख की खोज पुरातत्त्ववेता कार्लाइल ने 1871–72 ई. में की। इसकी भाषा प्राकृत व लिपि ब्राहमी है। यह शिलालेख अशोक के **रूपनाथ** और **सहसराम** अभिलेखों की प्रतिलिपि है। समय के प्रभाव के कारण यह शिलालेख इतना घिस गया है कि इसे पढ़ा नही जा सकता।

❖ नगरी का लेख– (200–150 ई.पू.)

- यह लेख डॉ. ओझा को नगरी (चित्तौड़गढ़) नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था, जिसे ओझा ने उदयपुर संग्रहालय में रखवा दिया था। इसमें दो पंक्तियों में बहुत कम अक्षर दिखाई देते हैं। इसकी लिपि घोसुण्डी के लेख की लिपि से मिलती जुलती है।

❖ घोसुण्डी शिलालेख –(द्वितीय शताब्दी ई.पू.)

- चित्तौड़ के घोसुण्डी गाँव से कई शिलाखण्डों में टुटा हुआ प्राप्त हुआ था, इस लेख की भाषा **संस्कृत** व लिपि **ब्राह्मी** है। इस लेख में वर्णित है कि गजवंश के पाराशरी के पुत्र **सर्वतात** ने यहाँ **अश्वमेध यज्ञ** किया था एवं **संकर्षण और वासुदेव** द्वारा पूजाग्रह के चारों ओर पत्थर की चारदीवारी बनाने का उल्लेख है।
- इसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में **भागवत धर्म का प्रचार**, **संकषर्ण** तथा **वासुदेव** की मान्यता और **अश्वमेध यज्ञ** के प्रचलन आदि का वर्णन है। घोसुण्डी शिलालेख को सर्वप्रथम **डॉ. भंडारकर** ने पढ़ा था। वर्तमान में यह **उदयपुर संग्रहालय** में सुरक्षित है। इसे **'हाथीबाड़ा शिलालेख'** भी कहा जाता है।

❖ बिचपुरिया यूप–स्तम्भ लेख –(224 ई.)

- **उणियारा** (टोंक) के बिचपुरिया मंदिर के आंगन से प्राप्त हुआ है। यह नगर प्राचीन **मालव प्रान्त** के क्षेत्र में गिना जाता है। इससे यज्ञानुष्ठान का बोध होता है, परन्तु यज्ञ विशेष के नाम की हमें जानकारी नहीं होती।

❖ नांदसा यूप स्तम्भ लेख–(225 ई.)

- भीलवाड़ा जिले के नांदसा गाँव (गंगापुर) में एक तालाब में 12 फिट लम्बा एक **गोल स्तम्भ** (यूप) है जो अधिकांश समय पानी में डूबा रहता है। इसमें उत्तर भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। इसका आशय यह है कि शक्ति गुणरूप नामक व्यक्ति द्वारा यहाँ षष्ठीरात्र यज्ञ सम्पादित किया गया था। इस स्तम्भ लेख की स्थापना सोम द्वारा की गई।

❖ बर्नाला यूप स्तम्भ लेख– (227 ई.)

- **बर्नाला** नामक स्थान (गंगापुर सिटी) से एक यूप स्तम्भ प्राप्त हुआ है, इसके अनुसार कृत संवत 284, चैत्र पूर्णिमा को सोहर्त–गोत्रोत्पन्न वर्धन नामक व्यक्ति ने सात यूप स्तम्भों की प्रतिष्ठा का पूण्यार्जन किया।

❖ बड़वा स्तम्भ लेख– (238–39 ई.)

- **बारां जिले** के बड़वा नामक स्थान (अंता) से कुल 3 यूप स्तम्भ (मौखरी यूप अभिलेख) मिले हैं, इसमें मौखरी वंश के शासकों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है इसमें त्रिरात्र यज्ञों का उल्लेख है जिनकों मौखरी महासेनापति बल के तीन पुत्रों **बलवर्धन**, **सोमदेव** तथा **बलसिंह** ने सम्पादन किया था। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राहमी है।

2 राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएँ एवं पुरास्थल

- प्राचीन स्थलों के उत्खनन से पूर्व राजस्थान के इतिहास के बारे में **मौर्यकाल** (300 ई.पूर्व) तक की ही जानकारी उपलब्ध थी, क्योंकि इतिहास से सम्बन्धित लिखित प्रमाण के रूप में अशोक के शिलालेख ही उपलब्ध थे।

- राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 ई. में सर्वप्रथम प्रारम्भ करने का श्रेय **ए.सी.एल. कार्लाइल (Archibald Campbell Carlyle)** को है।

- अध्ययन की दृष्टि से मानव के सम्पूर्ण इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है–
  1. प्राक् इतिहास काल
  2. आद्य इतिहास काल
  3. ऐतिहासिक काल

1. **प्राक् इतिहास काल–** (20,00,000 ई.पूर्व से 3000 ई.पूर्व तक)– इतिहास का वह कालखण्ड, जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था या उस समय की लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे प्राक् इतिहास काल कहते हैं। यह युग सृष्टि के आरम्भ से **हड़प्पा सभ्यता** के पूर्व तक था।
2. **आद्य इतिहास काल–** प्राक् इतिहास काल व ऐतिहासिक काल के मध्य का काल 'पुरा/आद्य इतिहासकाल' कहा जाता है इस काल की लिखित सामग्री तो उपलब्ध है परन्तु या तो वह अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से **600 ई.पूर्व** तक रहा है।
3. **ऐतिहासिक काल–** इतिहास का वह कालखण्ड जिसकी पुरातात्विक सामग्री के साथ–साथ लिखित सामग्री भी उपलब्ध है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यह युग 600 ई.पूर्व से वर्तमान तक जारी है।

राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल के अवशेष

- यह मानव सभ्यता का **पाषाण युग** था इस काल में मनुष्य के जीवन के मूल आधार पत्थर के उपकरण एवं हथियार थे। राजस्थान में **बनास, बेड़च, गंभीरी, वाघन** एव **चम्बल नदी** की घाटियों में एवं इनके समीपवर्ती स्थानों की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ प्रस्तरयुगीन मानव निवास करता था। इस काल में **पत्थर के हथियार** व उपकरण प्रचलित थे।

➢ मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को 'पाषाण काल' कहते हैं इसे तीन भागों में बांटा गया है–

(i) पुरापाषाण काल /पेलियोलेथिक युग (20,00,000 ई. पूर्व–12,000 ई. पूर्व तक)

(ii) मध्य पाषाण काल /मेसोलिथिक युग (12,000 ई. पूर्व–10,000 ई. पूर्व तक)

(iii) नव/उत्तर पाषाण काल /नियोलिथिक युग (10,000 ई. पूर्व–3,000 ई. पूर्व तक)

1. पुरापाषाण काल–

- इस काल में मनुष्य पत्थर के खुरदरे औजार हाथ कुठार, गंडासे आदि प्रयोग में लाता था। राजस्थान में विभिन्न स्थानों से उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग दो या डेढ़ लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। इस युग में मनुष्य असभ्य व बर्बर था जंगली जानवरों की तरह रहता था। वह आग जलाना सीख गया था।
- **पुरापाषाणकालीन** मानव का आहार शिकार से प्राप्त वन्यजीव, कन्दमूल, फल, पक्षी व मछली आदि थे।
- इस युग के उपकरणों की **सर्वप्रथम खोज** 1870 ई. में सी.ए. हैकेट ने जयपुर और इन्द्रगढ़ (बूंदी) से की। हैकेट ने पत्थर से बने पुरा पाषाणकालीन हस्तकुठार (Hand-axe) खोजे थे, जो **कलकत्ता संग्रहालय** में उपलब्ध है।
- सेटनकार ने 1908 ई. में **झालावाड़** से इसी युग के अनेक उपकरण खोजे। राजस्थान में चम्बल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे **पुरा पाषाणकालीन** उपकरण प्राप्त हुए हैं।

2. मध्य पाषाण काल–

- **पश्चिमी राजस्थान** में लूणी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराट नगर (कोटपुतली–बहरोड़) से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। इस काल में अपेक्षाकृत छोटे व हल्के कुशलतापूर्वक बनाए गए हथियार व उपकरण मिलते हैं।
- पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ (लघु पाषाण उपकरण) कहा गया है। मध्य पाषाणकाल में मनुष्य पशुपालन की शुरूआत कर चुका था परन्तु वह अभी कृषि से अपरिचित था। साथ ही मनुष्य ने स्थाई आवास की शुरुआत कर दी थी।

3. नव/उत्तर पाषाणकाल–

- इस काल में मनुष्य ने खेती द्वारा खाद्य उत्पादन करना व स्थिर ग्राम्य जीवन प्रारम्भ कर दिया था। यायावर जीवन त्याग कर बस्ती में रहने लगा, मृतकों को समाधियों में गाड़ना प्रारम्भ कर दिया। पशु पालन उन्नत हो गया था। मिट्टी के बर्तन बनाना व मृदभांडों पर चित्रकारी करना प्रारम्भ कर दिया था और पहिए का आविष्कार हुआ।

4 राजपूतों की उत्पत्ति

- **हर्षवर्धन की मृत्यु** (647 ई.) के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे–छोटे राज्यों की स्थापना हुई। यह राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं।

❖ **राजपूत काल**– हर्षवर्धन की मृत्यु (647 ई.) से लेकर **मोहम्मद गौरी** के गुलामों द्वारा दिल्ली पर अधिकार (1206 ई.) तक के काल को 'राजपूत काल' (700 ई. से 1200 ई.) कहा जाता है।

- 'राजपूत' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सातवीं शताब्दी में मिलता है जो **राजपुत्र** (संस्कृत) शब्द का ही विकृत रूप है।
- मुसलमानों के आक्रमण से पहले यहाँ के सभी शासक **क्षत्रिय** कहलाते थे, बाद में यहाँ के शासकों की जाति के लिए **राजपूत शब्द** प्रयोग किया जाने लगा।
- डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि ''राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रन्थों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के 'अर्थशास्त्र', कालीदास के नाटकों व बाणभट्ट के 'हर्षचरित' तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है।''

- **नोट**– 8वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग जाति के लिए नहीं बल्कि **शासक वर्ग** के लिए अथवा कुलीन क्षत्रियों के लिए किया जाता था।

राजपूतों की उत्पत्ति

- राजपूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई मत/सिद्धान्त मिलते हैं। जो निम्न प्रकार है–

❖ अग्निकुण्ड से उत्पत्ति–

- चन्दरबदाई ने अपने ग्रन्थ 'पृथ्वीराज रासो' में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। **आबू पर्वत** पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य व अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे, तो उसी समय दानव मांस, हड्डियाँ व मलमूत्र डालकर उनके अनुष्ठान को अपवित्र कर देते थे। इन दैत्यों का अन्त करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से तीन यौद्धाओं (प्रतिहार, परमार, चालुक्य) को उत्पन्न किया। जब ये तीनों भी यज्ञ की रक्षा करने में असफल रहे तो वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ से **चौथा यौद्धा** उत्पन्न किया, जो प्रथम तीन से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चाहमान (चौहान) रखा गया। इस यौद्धा ने **आशापुरा माता** को अपनी कुलदेवी मानकर उसके आशीर्वाद से उन दैत्यों को मार भगाया। इस प्रकार राजपूतों का जन्म अग्निकुंड से हुआ।
- **चन्दबरदाई** ने अपने ग्रन्थ में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। राजपूतों के अग्निकुण्ड से उत्पत्ति का मत **सर्वप्रथम** चन्दबरदाई ने 'पृथ्वीरास रासो' में प्रतिपादित किया।
- मुहणौत नैणसी और सूर्यमल्ल मिश्रण ने भी अग्निकुण्ड से उत्पत्ति के मत का समर्थन किया है।
- डॉ. ओझा लिखते हैं कि 'पृथ्वीराज रासो' का सहारा लेकर जो विद्वान इन **चार राजपूत वंशों** को अग्निवंशीय मानते हैं तो यह उनकी **हठधर्मिता** है।
- **डॉ. दशरथ शर्मा, सी.वी. वैद्य** व **डॉ. ईश्वरीप्रसाद** ने अग्निकुण्ड से उत्पत्ति के सिद्धान्त को कल्पना मानते हुए खंडन किया है।

राजपूतों की उत्पत्ति

अग्निकुण्ड से उत्पत्ति
- पृथ्वीराज रासो
- भाटों ने
- मुहणौत नैणसी
- सूर्यमल्ल मिश्रण

ब्राह्मणों से उत्पत्ति
- डॉ. भंडारकर
- गोपीनाथ शर्मा
- मंडोर शिलालेख
- पिंगल सूत्रकृति
- बिजोलिया शिलालेख

विदेशियों की संतान
- कर्नल जेम्स टॉड

सूर्यवंशी/चन्द्रवंशी
- अग्निपुराण
- डॉ.दशरथ शर्मा
- हर्षनाथ शिलालेख
- हम्मीर महाकाव्य
- पृथ्वीराज विजय

वैदिक आर्यों की संतान
- मनुस्मृति
- गौरीशंकर ओझा
- सी.वी. वैद्य

कुषाण
- विलियम क्रूक

हूण
- वी.ए. स्मिथ

मिश्रित
- डी.पी चट्टोपाध्याय

5 प्रतिहार वंश (गुर्जर–प्रतिहार)

- गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन छठी से बारहवीं शताब्दी तक रहा है। **आठवीं से दसवीं शताब्दी** के दौरान राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश शक्तिशाली रहा। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के दो प्रमुख केन्द्र (मण्डोर व भीनमाल) रहे हैं। बाद में उज्जैन तथा कन्नौज भी गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केन्द्र रहे।
- 'गुर्जर–प्रतिहार' शब्द दो शब्दों का योग है गुर्जर शब्द– गुर्जरात्रा प्रदेश (मरू प्रदेश का एक अंश) का प्रतीक है। प्रतिहार शब्द– किसी जाति या पद का प्रतीक है।
- डॉ. गोपीनाथ शर्मा के अनुसार– "छठी शताब्दी के मध्य तक राजस्थान नाम का न तो कोई राज्य था न कोई ईकाई। उस समय मरूप्रदेश का एक भाग गुर्जरात्र प्रदेश कहलाता था, गुर्जरात्र प्रदेश पर प्रतिहार शासन कर रहे थे, इसलिए उन्हें गुर्जर–प्रतिहार नाम से सम्बोधित किया जाने लगा।"
- बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक 'हर्षचरित' में गुर्जरों का वर्णन किया है। हेनसांग (चीनी यात्री) ने गुर्जर प्रदेश की राजधानी भीनमाल (पीलामोलो) को बताया है अपनी पुस्तक 'सी.यू.की.' में गुर्जर प्रतिहार शब्द का संबोधन किया है।
- डॉ. आर.सी. (रमेशचन्द्र) मजूमदार– 'प्रतिहार शब्द का प्रयोग मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए हुआ है क्योंकि प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, लक्ष्मण भगवान राम की सेवा में एक प्रतिहार का कार्य करते थे, इसलिए वे लोग प्रतिहार कहलाए, कालान्तर में गुर्जरात्र प्रदेश पर शासन करने से गुर्जर–प्रतिहार कहलाए।'
- इतिहासकार **रमेशचन्द्र मजूमदार** के अनुसार गुर्जर–प्रतिहारों ने छठी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया।
- डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने प्रतिहारों को जाति न मानकर पद से सम्बन्धित माना है। इस पद से उस व्यक्ति का बोध होता है जो राजदरबार या महल के **द्वार–रक्षक** के रूप में सेवा करे।
- ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा है कि "सूर्य वंश में मनु, इक्ष्वाकु, ककुत्स्थ आदि राजा हुए। उनके वंश में पौलस्त्य (रावण) को मारने वाले राम हुए, जिनका प्रतिहार (ड्यौढ़ीवान) उनका छोटा भाई सौमित्रि (लक्ष्मण), इन्द्र का मानमर्दन करने वाले मेघनाथ आदि को हराने वाला था। उनके वंश में नागभट्ट हुआ।

☛ **गुर्जर–प्रतिहार शैली**– 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारत में मंदिर व स्थापत्य निर्माण की जिस शैली का विकास हुआ, वह शैली **'महामारू शैली/गुर्जर–प्रतिहार शैली'** कहलाई। **10वीं व 11वीं शताब्दी** में गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास देखने का मिलता है।

गुर्जर–प्रतिहारों की उत्पत्ति

- नीलकुण्ड, देवली, राधनपुर (गुजरात), करडाह अभिलेखों में प्रतिहारों को 'गुर्जर प्रतिहार' कहा है।
- मिहिरभोज के ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार शासक 'वत्सराज' को विशुद्ध क्षत्रिय बताया है।
- अलमसूदी– 'अल मसूदी' ने प्रतिहारों को 'अल गुर्जर' तथा प्रतिहार राजा को 'बोरा' कहकर पुकारा है।
- मिस्टर ए.एम.टी. जैक्सन– ने बम्बई गजेटियर में गुर्जरों को विदेशी माना है।
- डॉ. गौरीशंकर ओझा– ने प्रतिहारों को क्षत्रिय बताया है।
- जॉर्ज कैनेडी (इंग्लैण्ड)– ने इन्हें 'ईरानी मूल' के बताया है।
- डॉ. भण्डारकर– ने इन्हें 'विदेशी' बताया है।
- कनिघंम– ने इन्हें 'कुषाणवंशी' कहा है।
- पाश्चात्य इतिहासकारों ने प्रतिहारों को 'गुर्जर' माना है जो कि विदेशी हूणों के साथ भारत आए।
- स्मिथ स्टेनफोनी– ने इन्हें 'हूण वंशी' कहा है।
- प्रतिहारों ने स्वयं को राम के भाई 'लक्ष्मण का वंशज' माना है।

❖ प्रतिहारों का मूल स्थान–

- बाउक के मंडोर शिलालेख व कक्कुक के घटियाला शिलालेखों से इनका मूल स्थान **गुर्जरात्रा प्रदेश** को माना जाता है। कुछ विद्वान प्रतिहारों का मूल स्थान मण्डोर (जोधपुर) मानते हैं।
- 'स्मिथ' **ह्वेनसांग** के वर्णन के आधार पर प्रतिहारों का मूल स्थान आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित श्रीमाल अथवा भीनमाल (जालौर) को मानते है।
- गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएँ– मुहणौत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। जिनमें से **मंडोर, भीनमाल,** उज्जैन, कन्नौज, राजोरगढ़ व भड़ौच के प्रतिहार ज्यादा प्रसिद्व थे।
- गुर्जर प्रतिहार **मंडोर** में स्थित 'चामुण्डा माता' को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा करते थे।

☛ प्रमुख शाखाएँ–
1. मण्डोर शाखा 2. भीनमाल शाखा 3. कन्नौज शाखा

मण्डोर की शाखा

- गुर्जर प्रतिहारों की सभी शाखाओं में ये सबसे **प्राचीन** शाखा है।

❖ हरिशचन्द्र–

- उपनाम– रोहिलद्धि/प्रतिहारों का गुरू/ गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरूष/गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरूष ।

6 चौहान राजवंश

❖ चौहानों की उत्पत्ति–

- चौहानों की उत्पत्ति के सन्दर्भ में इतिहासकार एकमत नहीं हैं। चौहानों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमुख मत निम्न प्रकार है –
- अग्निवंशीय– **चन्दरबरदाई** (पृथ्वीराज रासो), **मूहणौत नैणसी** व **सूर्यमल्ल मिश्रण** चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू के अग्निकुण्ड से मानते हैं।
- सूर्यवंशीय– **जयानक** (पृथ्वीराज विजय), **नयनचन्द्र सूरी** (हम्मीर महाकाव्य), **जोधराज** (हम्मीर रासो), **नरपति नाल्ह** (बीसलदेव रासो) एवं **डॉ. गौरी शंकर हीराचंद ओझा** चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं।
- विदेशी– **कर्नल जेम्स टॉड, वी.ए. स्मिथ** व **विलियम क्रूक** जैसे विद्वान चौहानों के रस्मों रिवाज के आधार पर उन्हें विदेशी मानते हैं। कर्नल टॉड ने चौहानों को अग्निवंशीय स्वीकार कर इन्हें विदेशी (मध्य एशिया से आए हुए) बताया गया है।
- ब्राह्मणवंशीय– **जान कवि** (कायम खाँ रासो), **दशरथ शर्मा, डॉ. भंडारकर, बिजोलिया शिलालेख,** चन्द्रावती का लेख।
- चन्द्रवंशीय– हाँसी शिलालेख व अचलेश्वर शिलालेख आबू
- इन्द्रवंशीय– रायपाल के सेवाड़ी (पाली) के शिलालेख में चौहानों को 'इन्द्र का वंशज' बताते हुए इन्द्रवंशी बताया है।
- खज जाति से– **डॉ. भंडारकर**
- चौहानों का मूल स्थान– चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष (सांभर झील के आस–पास) का भू–भाग माना जाता है। पृथ्वीराज विजय, शब्द कल्पद्रुम कोष तथा लाडनूं लेख में चौहानों का निवास स्थान जांगल देश, सपादलक्ष, अहिछत्रपुर आदि उल्लेखित है। इससे स्पष्ट होता है कि चौहान जांगल देश के रहने वाले थे और उनके राज्यों का प्रमुख भाग सपादलक्ष था उन्हे इसलिए 'सपादलक्षीय नृपति' भी कहते थे। इनकी प्रारम्भिक राजधानी अहिछत्रपुर (नागौर) थी, जब उनके राज्य का विस्तार हुआ तो राज्य की राजधानी **शाकम्भरी** (सांभर) हो गई बाद में इनकी राजधानी अजमेर हुई।

शाकम्भरी / सांभर के चौहान

❖ वासुदेव चौहान–

- उपनाम– **चौहानों का आदि पुरूष / शाकम्भरी के चौहान वंश का संस्थापक।**
- वासुदेव चौहान ने 551 ई. में सांभर (सपादलक्ष) झील के आसपास चौहान राज्य की स्थापना की तथा **अहिछत्रपुर** को अपनी राजधानी बनाया। अनुमानतः झील के चारों ओर रहने के कारण ही इन्हें 'चाहुमान' कहा जाने लगा।
- बिजोलिया शिलालेख (1170 ई.)– के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। चौहानों के लिए 'विप्रः श्रीवत्सगोत्रेभूत' अंकन हुआ है। इसमें चौहान शासकों को 'वत्स गोत्र' के ब्राह्मण कहा गया है।

❖ गुवक प्रथम–

- ये प्रतिहार शासक 'नागभट्ट द्वितीय' का सामन्त था
- हर्षनाथ मंदिर (सीकर)– **गुवक प्रथम** ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। जो चौहान शासकों के इष्ट देव हैं।

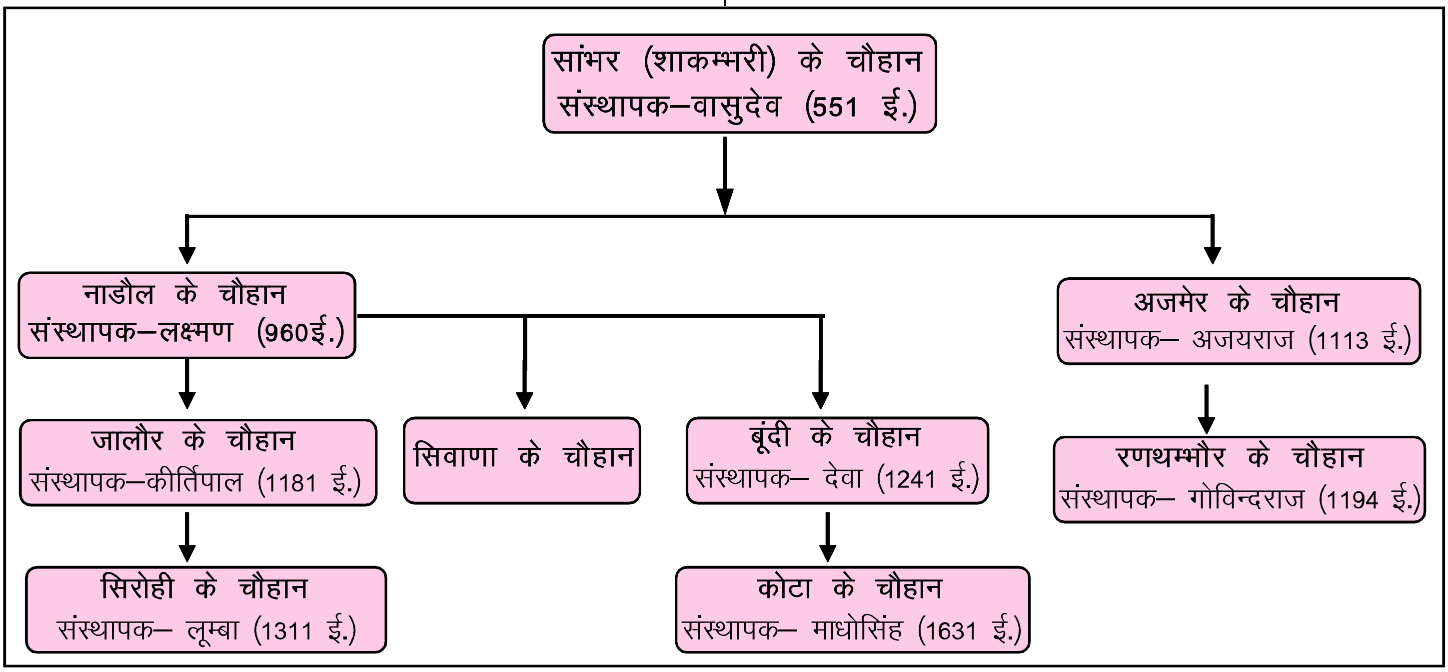

7 मेवाड़ का गुहिल राजवंश

- गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल/गुहेदत्त/गोह था। लेकिन गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल (734–753 ई) था।
- छठी शताब्दी से लेकर 1947 ई. तक मेवाड़ पर गुहिल राजवंश का एकछत्र शासन रहा है। गुहिल वंश सबसे लम्बे समय तक एक प्रदेश पर शासन करने वाला संसार का **एकमात्र राजवंश** है।
- इस क्षेत्र के प्राचीन नाम शिवि, प्राग्वाट, मेदपाट आदि मिलते हैं।
- **क्षेत्र**– चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, शाहपुरा तथा इसके आस–पास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था।
- मेवाड़ की **आरम्भिक** राजधानी 'नागदा' थी।
- मेवाड़ की राजधानियों का **क्रम– नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, चावण्ड, उदयपुर।**
- हिन्दुआ सूरज– मेवाड़ के राजा स्वयं को **राम का वंशज** बताते थे, इसी कारण इन्हें 'रघुवंशी' और 'हिन्दुओं का सूरज' कहा है।
- मेवाड़ का राज्य चिह्न– राज्य चिन्ह् में एक राजपूत व्यक्ति व एक भील सरदार को दिखाया गया है व **''जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार''** लिखा गया है।
- रक्त तिलक– मेवाड़ महाराणाओं के सिंहासनरोहण के समय उन्दरी गाँव (ईडर) का गमेती भीलराज अपने अंगूठे से **रक्त तिलक** करता था। यह प्रथा महाराणा राजसिंह द्वितीय के समय बंद कर दी गयी। **(स्रोत– रामप्रसाद व्यास)**
- मेवाड़ के शासकों के कुल देवता एकलिंग जी (कैलाशपुरी) है।
- मेवाड़ शासकों की **कुलदेवी**– बायण माता/बाण माता है।
- आसकां लेना– मेवाड़ के शासकों द्वारा राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी से **स्वीकृति लेना** आसकां लेना कहलाता था।

गुहिलों की उत्पत्ति

- गुहिलों की उत्पत्ति और मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद हैं। इसके सम्बन्ध में प्रमुख विद्वानों के मतों का विवरण निम्न प्रकार है–
- अबुल फजल के अनुसार– मेवाड़ के गुहिल ईरान के बादशाह 'नौशेखाँ आदिल' की संतान है।
- कर्नल जेम्स टॉड ने फारसी तवारीखों व जैन ग्रन्थों के आधार पर राजपूतों को विदेशियों की संतान मानते हुए लिखा है कि– नौशेजाद के वंश में जन्मे शिलादित्य (वल्लभी का शासक) के समय 524 ई. में विदेशियों ने आक्रमण कर वल्लभी को नष्ट कर दिया, उस समय शिलादित्य की गर्भवती पत्नी 'पुष्पावती' पुत्र की मनौती के लिए अपने परमार वंशीय पिता के राज्य 'चन्द्रावती' (आबू) में जगदम्बा के दर्शन करने गई थी इसलिए बच गई। उसी ने गोह (गुहदत्त) को जन्म दिया, जो आगे चलकर मेवाड़ का स्वामी बना।
- स्मिथ ने गुहिलों को विदेशी होना बताया है।
- **वीर विनोद** के लेखक श्यामलदास ने वल्लभी की गुहिल शाखा को मान्यता देने के साथ इनको क्षत्रियों की 36 शाखा के अन्तर्गत बताया है।
- डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा के अनुसार गुहिलवंशीय राजपूत सूर्यवंशीय है, अपने मत की पुष्टि में डॉ. ओझा **'बापा के सिक्कों पर सूर्य का चिह्न होना'** इस मत का बहुत बड़ा प्रमाण मानते हैं। डॉ. ओझा गुहिलों को विदेशियों से उत्पन्न नहीं मानते और कर्नल टॉड की सभी धारणाओं को कपोल–कल्पित बताया है।
- मुहणौत नैणसी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं।

➢ डॉ. देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के अनुसार गुहिल **नागर** (ब्राह्मण) थे। जिसके प्रमाण निम्न हैं–

1. 977 ई. के आहड़ से प्राप्त एक लेख में गुहिल को 'आनन्दपुर से निकले ब्राह्मणों के कुल को आनन्द देने वाला' लिखा है।
2. **रावल समरसिंह की प्रशस्ति** (1274 ई.) में बापा के लिए **'विप्र'** शब्द का प्रयोग किया है।
3. **कुंभलगढ़ प्रशस्ति** (1460 ई.) व **एकलिंग महात्म्य** में राणा को **आनन्दपुर** (वडनगर) से निकले ब्राह्मण वंश को आनन्द देने वाला लिखा गया है।

- मुहणौत नैणसी ने अपनी ख्यात में गुहिलों की **24 शाखाओं** का जिक्र किया है।
- कर्नल टॉड ने भी गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है।
- इनमें **कल्याणपुर** के गुहिल, **वागड़** के गुहिल, चाटसू के गुहिल, **मारवाड़** के गुहिल, धोड़ के गुहिल, काठियावाड़ के गुहिल व **मेवाड़** के गुहिल आदि अधिक प्रसिद्ध है।

मेवाड़ के गुहिल

❖ शिलादित्य–

- शिलादित्य के समय 524 ई. में विदेशियों ने आक्रमण कर वल्लभी को नष्ट कर दिया। शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती ने **गोह/गुहेदत्त** नामक एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर गुहिल के नाम से विख्यात हुआ। गुहिल का लालन–पालन **ईडर** के निकट **वीरनगर** में कमलावती नाम की एक ब्राह्मण महिला ने किया।

❖ गुहिल/गुहिलादित्य–

- उपनाम– गुहिल वंश का संस्थापक/गुहिलों का मूल पुरूष या आदि पुरूष।

हाड़ी रानी

- **सलूम्बर** के राव रतनसिंह चूण्डावत की पत्नी और बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी। इनका मूल नाम सलह/सहलकंवर था। विवाह के दूसरे दिन ही राव रतनसिंह को औरंगजेब के विरूद्ध युद्ध करने **देसूरी की नाल** के युद्ध में जाना पड़ा। रतनसिंह ने एक सेवक को भेज सहल कंवर से सैनाणी (पहचान चिह्न) मांगी तो हाड़ी रानी ने सेवक के साथ निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर भेज दिया। रतनसिंह इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, उनकी छतरी देसूरी के नाल में बनी है।

❖ महाराणा जयसिंह (1680–1698 ई.)– (राजसिंह का पुत्र)

- राज्याभिषेक– कुरज गाँव (राजसमंद)
- 1680 ई. में जयसिंह जब राजगद्दी पर बैठा तब मेवाड़–मुगल संघर्ष चल रहा था। जयसिंह ने कुछ संघर्ष करने के बाद 24 जून, 1681 ई. में राजसंमद झील के किनारे औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम से संधि कर ली। **शर्तें–**
  - ☞ मारवाड़ के राजकुमार अजीतसिंह की सहायता न करना।
  - ☞ जजिया कर के बदले पुर, मांडल व बदनोर के परगने औरंगजेब को दिए गए।
  - ☞ औरंगजेब ने मुगल सेना मेवाड़ से हटाने व जयसिंह पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया।
  - ☞ राणा को अपने पैतृक राज्य का स्वामी माना जाएगा और उसे **5,000 का मनसब** दिया जाएगा।
- जयसमंद झील– महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर एक विशाल जयसमुद्र झील का निर्माण करवाया।

❖ महाराणा अमरसिंह द्वितीय (1698–1710 ई.)–

- महाराणा अमरसिंह द्वितीय के सिंहासनारोहण के समय डूँगरपुर, बाँसवाड़ा और देवलिया रावत ने 'टीके का दस्तुर' पेश नहीं किया। अतः महाराणा ने आक्रमण कर इन्हें दंडित किया।
- 1681 ई. की संधि के अनुसार एक लाख रुपये वार्षिक देना स्वीकार कर मुगलों को सौंपे गए **पुर**, मांडल व बदनौर के परगने 1709 ई. में पुनः प्राप्त किए।
- औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ई. में **उत्तराधिकारी युद्ध** में महाराणा ने शहजादे मुअज्जम का पक्ष लिया जो बाद में बहादुरशाह प्रथम के नाम से मुगल सम्राट बना।

→ देबारी समझौता 1708–

- अजीतसिंह (जोधपुर), सवाई जयसिंह (जयपुर), महाराणा अमरसिंह द्वितीय (मेवाड़) के मध्य **देबारी** नामक स्थान पर एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि अजीत सिंह को मारवाड़ का व सवाई जयसिंह को आमेर का राजा बनाने में महाराणा अमरसिंह सहायता करेंगे। अमरसिंह द्वितीय की पुत्री चन्द्रकुँवरी का विवाह सवाई जयसिंह से किया गया व तय हुआ कि चन्द्रकुँवरी से उत्पन्न संतान को ही आमेर का उत्तराधिकारी बनाना होगा।
- महाराणा अमरसिंह ने शिव प्रसन्न विलास (बाड़ी महल) का निर्माण करवाया।

❖ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय (1710–1734 ई.)–

- मई 1711 ई. में मराठों ने प्रथम बार मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ क्षेत्र मंदसौर के पास धन वसूली की।
- हुरड़ा सम्मेलन की योजना– **सवाई जयसिंह** ने आमेर से महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के पास पहुँच कर मराठों के विरूद्ध राजपूतों को संगठित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई। इस सम्मेलन का स्थान **हुरड़ा** (भीलवाड़ा) व दिनाँक 17 जुलाई, 1734 ई. तथा सम्मेलन का अध्यक्ष महाराणा **संग्राम सिंह द्वितीय** को बनाना तय हुआ।
- लेकिन जनवरी 1734 में ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई।
- सहेलियों की बाड़ी (उदयपुर) का निर्माण करवाया।
- वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति 1719 ई. के अनुसार संग्राम सिंह द्वितीय का मुगल सेनापति **रणबाज खाँ** के साथ 'बाँधनवाड़ा का युद्ध' हुआ, जिसमें महाराणा की विजय हुई।
- दुर्गादास राठौड़ को शरण– जोधपुर महाराजा अजीतसिंह ने जब वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया, तब महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उन्हे **मेवाड़ में शरण** देकर 'विजयपुर' की जागीर प्रदान की व बाद में उन्हे 'रामपुरा' का हाकिम नियुक्त किया।

❖ महाराणा जगतसिंह द्वितीय– (1734–1751 ई.)

- हुरड़ा सम्मेलन– 17 जुलाई, 1734 ई. को हुरड़ा (भीलवाड़ा) में हुए इस सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगतसिंह द्वितीय ने की। इसके मुख्य आयोजनकर्ता सवाई जयसिंह थे।
- इस सम्मेलन में महाराणा जगतसिंह द्वितीय (मेवाड़), सवाई जयसिंह (जयपुर), अभयसिंह (जोधपुर), महाराव दुर्जनशाल (कोटा), सुजानसिंह (बीकानेर), बख्तसिंह (नागौर), दलेल सिंह (बूंदी), गोपालसिंह (करौली), राजसिंह (किशनगढ़) आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में रतलाम, शिवपुरी, ईडर, गोल और अन्य राजपूत राजाओं ने भी भाग लिया। अतः यह सम्मेलन राजस्थान के राजाओं का न होकर राजपूत राजाओं का सम्मेलन था।
- सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरूद्ध राजपूत शासकों को एकजुट करना था। लेकिन राजपूतों के आपसी मनमुटाव व लालच के कारण यह सम्मेलन असफल रहा।
- इनके शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर मेवाड़ रियासत से कर वसूला। पेशवा बाजीराव प्रथम

8 आमेर का कच्छवाहा राजवंश

ढूँढाड़ व कच्छवाहा वंश से सम्बन्धित कुछ तथ्य

- प्राचीन काल में **ढूंढ नदी** दौसा के आसपास बहती थी, यह नदी जिस क्षेत्र में बहती थी वह क्षेत्र ढूँढाड़ कहलाता था।
- सूर्यमल्ल मिश्रण के अनुसार 'कूर्म' नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कूर्मवंशीय शासक कहलाने लगे और साधारण भाषा में कछवाहा कहलाने लगे।
- नरवर (ग्वालियर, एमपी) के जंगलों में सीतामाता ने अपना जीवन व्यतीत किया था, उन्हीं सीतामाता के 2 पुत्र लव व कुश थे। कुश के वंशज कछवाहा कहलाए। कछवाहा नरेश भी स्वयं को भगवान श्रीराम के पुत्र 'कुश की संतान' मानते हैं।
- महिपाल के वंशज 'सोढ़ देव/सोढा सिंह' के तेजकरण नामक पुत्र हुआ। जो अत्यधिक सुन्दर होने के कारण 'दुलहराय/धौलाराय' के नाम से जाना गया।
- मोरागढ़ (दौसा) के चौहान शासक 'रालणसी' ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री 'सुजान कंवर' की शादी दुलहराय से कर दी। चौहान राजा के पुत्र नहीं था तो दुलहराय को दहेज में 'दौसा राज्य' दे दिया। दुलहराय ने अपने पिता सोढ़ देव को नरवर से दौसा बुला लिया व विधिवत राज्याभिषेक किया।
- 1137 ई. के लगभग दुलहराय ने दौसा को अपनी प्रारम्भिक राजधानी बनाते हुए राजस्थान में कछवाहा वंश की नींव रखी।
- इस प्रकार स्पष्ट है कि ढूँढाड़ के कछवाहा शासक ग्वालियर से यहाँ आए थे और वे **नरवर** के कछवाहा राजवंश की एक शाखा थे। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे।
- आमेर शिलालेख 1612 ई. में कछवाहा राजवंश के शासकों को 'रघुवंश तिलक' कहा गया है।
- राजचिह्न– जयपुर रियासत का झंडा पंचरंगा, झंडे के बीच में सूर्य की आकृति बनी है। नीचे राज्य का मूलमंत्र लिखा होता है– "यतो धर्मस्ततो जयः"।
- आमेर के शासक **मानसिंह प्रथम** ने आमेर राज्य के लिए पंचरंगा ध्वज अपनाया। इससे पहले आमेर राज्य का सफेद रंग का राजकीय ध्वज था। जिस पर कचनार का पेड़ अंकित था।
- श्री दीवान बचनात– जयपुर रियासत के आदेशों का प्रारम्भ इन शब्दों से होता था। भगवान **गोविन्द देवजी** को जयपुर का स्वामी माना जाता है।
- आमेर के कछवाहा वंश की राजधानियों का क्रम– दौसा, जमवारामगढ़, आमेर, जयपुर।

❖ दुलहराय/धौलाराय – (1137–1170 ई.)

- मूल नाम– तेजकरण। ● प्रारम्भिक राजधानी– दौसा
- दौसा में राज्य स्थापित करने के बाद दुलहराय ने 'मांची/मांच' (जयपुर ग्रामीण) के मीणाओं को हरा कर अधिकार कर मांची का नाम अपने आदिपूर्वज राम के नाम पर 'रामगढ़' कर दिया।
- इन्होंने रामगढ़ में जमुवाय माता का मंदिर (कछवाहा राजवंश की कुल देवी) बनवाया।
- खोह/खोह गंग (आमेर) के शासक आलम सिंह (मीणा) को हराया। गैता मीणा से गैटोर व झोटा मीणा से झोटवाड़ा का क्षेत्र छीनकर अपने राज्य में मिला लिया।
- मीणाओं ने आक्रमण कर 1170 ई. में दुलहराय को मार दिया। उसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसने थोड़े दिन बाद एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कोकिलदेव रखा।

❖ कोकिलदेव– (कांखलजी, कांकल देव)

- 1207 ई. में आमेर के मीणाओं को पराजित कर 'आमेर' को अपनी नई राजधानी बनाया। आमेर 1727 ई. में जयपुर बसने तक ढूँढाड़ राज्य की राजधानी रहा।
- कोकिलदेव ने यादवों से मेड़ व बैराठ जीते। उसने साम्राज्य विस्तार करते हुए शेखावाटी तक कछवाहा राज्य फैलाया।

→ इसी वंश के 'नरू' नामक व्यक्ति से कछवाहों की नरूका शाखा प्रारम्भ हुई। शेखा नामक व्यक्ति से **शेखावतों की शाखा** उत्पन्न हुई, प्रारम्भ में दोनों शाखाएँ कछवाहा शाखा के अधीन ही रही, आगे चलकर 'शेखा' ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, जिस भाग में शेखा ने राज्य स्थापित किया, वह क्षेत्र 'शेखावाटी' कहलाया।

☞ **नोट**– आमेर के **कछवाहा शासक** प्रारम्भ में चौहानों के अधीन रहे व बाद में मेवाड़ के गुहिल शासकों के अधीन रहे।

❖ पृथ्वीराज (प्रथम) कछवाहा– (1503–1527 ई.)

- महाराणा कुम्भा ने अपने सैनिक अभियान में आमेर के कछवाहा राजाओं को अपना सामन्त बना लिया था।
- **पृथ्वीराज की रानी** बालाबाई (अपूर्वा कंवर) राव लूणकरण (बीकानेर) की पुत्री थी। इनसे भीमदेव, पूर्णमल, सांगासिंह, भारमल पुत्र जन्मे।
- इन्हीं के शासनकाल में रामानुज सम्प्रदाय के संत कृष्णदास पयहारी ने जयपुर के गलता जी में 'रामानुज सम्प्रदाय' की पीठ की स्थापना की।

9 मारवाड़ का राठौड़ राजवंश

राठौड़ वंश

- प्राचीन काल में सतलज नदी से समुद्र तक फैली समस्त भूमि को मारवाड़/मरूदेश कहा जाता था।
- मारवाड़ क्षेत्र– अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का क्षेत्र मुख्यतः जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बीकानेर, सांचौर, जालौर, नागौर, डीडवाना–कुचामन व पाली के आस–पास का क्षेत्र।
- राठौड़ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'राष्ट्रकूट' शब्द से हुई है। राष्ट्रकूट शब्द का प्राकृत रूप 'रट्टऊड़' है जिससे 'राडउड' या 'राठौड़' बना है।

राठौड़ों की उत्पत्ति

- राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय काफी विवादास्पद है। इसके सम्बन्ध में कई मत प्रचलित है, जो निम्न प्रकार है–
- राज रत्नाकर तथा भाटों की पोथियों के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है।
- दयालदास ने अपनी ख्यात में इन्हें सूर्यवंशी बताते हुए ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाले भल्लराव की संतान माना है। भल्लराव ने रोटेश्वरी देवी के नाम पर अपने पुत्र का नाम 'रठवर' रखा। इसी के वंशधर 'रठवर/राठौड़' कहलाए।
- मुहणौत नैणसी, पृथ्वीराज रासो व जोधपुर राज्य की ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आना बताया है।
- कर्नल टॉड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। टॉड ने ख्यातों के आधार पर **जयचन्द गहड़वाल** का वंशज माना है।
- विश्वेश्वर नाथ रेऊ भी मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के जयचंद का वंशज मानते हैं। इन्होंने **'मारवाड़ राज्य का इतिहास'** नामक पुस्तक की रचना की।
- डॉ. ओझा के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ बदायूँ के राठौड़ों के वंशज थे।
- मारवाड़ क्षेत्र में शुरू में गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य था, गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुए तो वहाँ पर बदायूँ से आए राठौड़ों ने उस क्षेत्र को विजित कर राठौड़ वंश की स्थापना की।
- राठौड़ वंश की कुल देवी– नागणेची माता।

मारवाड़ के राठौड़ शासक

❖ राव सीहा (1240–1273 ई.)–

- मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक/मूल पुरूष/आदि पुरूष कहा जाता है।
- 1194 ई. के **चन्दावर के युद्ध** में मोहम्मद गौरी के आक्रमण में **जयचन्द गहड़वाल** पराजित हुआ और मारा गया। उसके बाद उसका पुत्र हरिश्चन्द्र कन्नौज का शासक बना। 1226 ई. में **इल्तुतमिश** द्वारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया, हरिश्चन्द्र फर्रूखाबाद के महुई गाँव में आ गया। इसी हरिश्चन्द्र के छोटे पुत्र सेतराम का पुत्र राव सीहा हुआ।
- राव सीहा ने अपने 200 सेवकों के साथ पश्चिम की ओर मरूभूमि की ओर प्रस्थान किया। राव सीहा का मरूभूमि में पहला पड़ाव कोल्हूमठ गाँव में था, जहाँ उनकी मुलाकात **सोलंकी वंश** के एक सरदार से हुई। राव सीहा की मदद से सोलंकी सरदार ने लूटमार करने वाले शक्तिशाली **'लाखाफुलानी'** पर विजय प्राप्त की। सोलंकी सरदार ने अपनी बहन 'पार्वती सोलंकी' का विवाह राव सीहा से कर दिया।
- पाली के पालीवाल ब्राह्मणों के मुखिया **जसोधर** की प्रार्थना पर राव सीहा ने फलौदी के जगमाल की सहायता से भील, मेर और मीणा जाति की लूटमार से राहत दिलवाई। **पालीवाल ब्राह्मणों** ने राव सीहा को बहुत सी भूमि देकर वहीं बसा लिया। एक दिन अवसर पाकर सभी ब्राह्मण मुखियाओं को मौत के घाट उतार कर सम्पूर्ण **पाली पर अपना अधिकार** कायम किया।
- पाली में ही सोलंकी पत्नी 'पार्वती सोंलकी' ने आस्थान नामक पुत्र को जन्म दिया।
- **लाख झंवर**– राव सीहा ने अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान पाली की रक्षा के लिए मुस्लिम शासक से युद्ध किया। एक लाख लोग मारे जाने या घायल होने के कारण यह युद्ध 'लाख झंवर' के नाम से जाना जाता है, यह स्थान 'धौला चौतरा' (पाली) के नाम से जाना जाता है।
- बीठू गाँव (पाली) का शिलालेख (9 अक्टूबर, 1273 ई.) के अनुसार इस तिथि को मुसलमानों के विरूद्ध गौ सेवार्थ यहाँ राव सीहा शहीद हुए तथा इन्हीं के साथ उनकी पत्नी **पार्वती सोलंकी** भी सती हुई। यहाँ छतरी भी बनी है।

❖ राव आस्थान (1273–1291 ई.)–

- आस्थान ने मूंदोच नामक ग्राम ने अपनी शक्ति को संगठित किया। डाभी राजपूतों को अपनी ओर मिलाया और खेड़ (बालोतरा) पर अधिकार किया। भील सरदार को परास्त कर ईडर राज्य को अपने भाई सोनिग को दे दिया।
- जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण– पाली पर जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, आसनाथ पाली की रक्षार्थ खेड़ से रवाना हुआ। 1291 ई. में दोनों में युद्ध हुआ। आस्थान अपने 140 साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुआ।

10 बीकानेर का राठौड़ राजवंश

- इस क्षेत्र का प्राचीन नाम **'जांगलू/कुरू जांगला/माद्रेय जांगला'** था। महाभारत काल में यह प्रदेश 'कुरू प्रदेश' के नाम से जाना जाता था।
- जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर (वर्तमान नागौर) थी।
- जांगलप्रदेश का पूर्वी भाग सपादलक्ष कहलाता था, उसकी राजधानी शाकम्भरी थी।
- राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता हैं।
- बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी करणी माता है।
- **राती घाटी–** बीकानेर शहर जिस स्थान पर बसा है उसका प्राचीन नाम रातीघाटी था। नागौर, अजमेर और मुल्तान के मार्ग यहाँ मिलते थे, उस स्थान को पहले 'राती–घाटी' के नाम से जाना जाता था।

❖ राव बीका (1465–1504 ई.)–

- बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक 'राव बीका' था।
- दयाल दास री ख्यात व वीर विनोद के अनुसार बीका, राव जोधा का दुसरा पुत्र था। प्रथम पुत्र निम्बा था, जिसकी **असामयिक मौत** हो गई थी।
- मारवाड़ के शासक राव जोधा ने अपनी रानी जसमादे के प्रभाव के कारण बीका को जोधपुर का राज्य न देकर **सातलदेव** को दिया। राव बीका ने अपने पिता द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ई. में अपने चाचा कांधल के साथ जांगल देश को विजित किया जो मारवाड़ के उत्तर में स्थित था।
- राव बीका ने भाटी, चौहान, खीचिंयों व कायमखानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर अनेक गाँवों पर अधिकार कर लिया।
- बीका से परास्त होने के पहले **जाट लोग** कई सदियों से इस मरूभूमि में आबाद थे। सबसे पहले गोदारा जाटों ने राव बीका की अधीनता स्वीकार करने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने अपने दो प्रतिनिधियों को बीका के पास भेजा और अपनी कुछ शर्तों के साथ उसका प्रभुत्व स्वीकार किया।
- बीका द्वारा स्वीकार की गई शर्तों में बीका के उत्तराधिकारियों के राज्याभिषेक का टीका **गोदारा जाटों** द्वारा किया जाना भी शामिल था।
- पुरानी मान्यताओं के अनुसार राव बीका ने राजधानी निर्माण (बीकानेर शहर) के लिए जिस क्षेत्र को पसन्द किया था उसका मालिक 'नेरा/नरा' नामक जाट था। राजधानी के नाम के साथ उसका नाम जोड़े जाने की शर्त पर वह अपनी बपौती की भूमि देने को तैयार हो गया। इस प्रकार 'बीका व नरा' के नाम पर राजधानी का नाम 'बीकानेर' पड़ा।
- राव बीका ने 1485 में **जांगल देश** को जीतकर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
- रंगदे से विवाह– राव बीका ने पुगल के शासक **राव शेखा की पुत्री रंगदे** से विवाह किया।
- राव बीका की प्रथम राजधानी 'कोडमदेसर' थी।
- 1485 ई. में राव बीका ने **एक दुर्ग** का निर्माण प्रारम्भ किया, लेकिन उसे पूर्ण नहीं कर पाया, जिसे वर्तमान में 'बीकाजी की टेकरी' कहते हैं।
- बीकानेर शहर– **12 अप्रैल, 1488 ई. वैशाख शुक्ल तृत्तीया** (आखातीज) को करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया।
- बीकानेर में नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया।
- बीका ने मण्डोर से भैरव की मूर्ति लाकर कोडमदेसर में **भैरव मन्दिर** बनवाया।
- 1504 ई. में बीका की आकस्मिक मृत्यु हो गई। दयालदास री ख्यात में बीका के साथ 8 रानियों के सती होने का उल्लेख है, परन्तु उनके स्मारक लेख में 3 रानियों का सती होना लिखा है।

❖ राव लूणकरण (1505–26 ई.)– (नरा का भाई)

- राव नरा की **निःसंतान** मृत्यु होने पर नरा के छोटे भाई राव लूणकरण को बीकानेर का शासक बनाया गया।
- राव लूणकरण ने 1509 ई. में लोद्रवा पर आक्रमण कर मानसिंह को हराया। 1512 ई. में फतेहपुर के कायमखानियों को हराया। 1513 ई. में नागौर के मोहम्मद खाँ को हराया।
- दानशीलता– लूणकरण अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था।
- 'कर्मचन्द्र वंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में उसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। **(स्रोत–RBSE कक्षा–10)** जयसोम द्वारा रचित इस ग्रन्थ में बीकानेर के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन का वर्णन है।
- कलयुग का कर्ण– राव जैतसी रो छंद में 'बीठू सुजा' ने लूणकरण को 'कलयुग का कर्ण' कहा है।
- नारनौल पर आक्रमण– राव लूणकरण ने 1526 ई. में नारनौल (हरियाणा) के नवाब शेख अबीमीरा पर आक्रमण किया, ढोसी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। जहाँ पर भाटियों और अन्य सरदारों के धोखे के कारण युद्ध करते हुए 31 मार्च, 1526 ई. को लूणकरण की मृत्यु हो गई।
- इन्होंने **लूणकरणसर शहर** व **लूणकरणसर झील** का निर्माण करवाया।

12 राजस्थान के अन्य महत्त्वपूर्ण राजवंश

परमार राजवंश

- 'परमार' का शाब्दिक अर्थ 'शत्रु को मारने वाला' होता है। प्रारम्भ में परमार आबू के आस–पास ही शासन करते थे, बाद में जब प्रतिहारों की शक्ति का ह्रास हुआ, तो परमारों की राजनैतिक शक्ति का उत्थान हुआ।
- चन्दबरदाई के पृथ्वीराज रासो में परमारों की उत्पत्ति आबू में ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुण्ड से बताई गई है।
- परमारों में आबू के परमार, मारवाड़ के परमार, सिंध के परमार, गुजरात के परमार, बागड़ के परमार, मालवा के परमार आदि शाखाएँ हुई, जिनमें से आबू के परमार एवं मालवा के परमार ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं।
- परमार वंश का प्राचीनतम ज्ञात सदस्य 'उपेन्द्र कृष्णराज' है। परमार वंश के प्रारम्भिक शासक दक्षिण के राष्ट्रकूटों के सामंत थे।
- परमार वंश की कुलदेवी **कालिका माता** (धार, मध्यप्रदेश) है।

आबू के परमार

- आबू के परमार वंश का संस्थापक 'धूमराज' था लेकिन इनकी वंशावली उत्पलराज से आरंभ होती है। आबू के परमारों की राजधानी 'चन्द्रावती' (सिरोही) थी। सिंधराज परमार एक प्रतापी शासक हुआ, जो 'मरूमण्डल का महाराज' कहलाता था।
- पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से सतत् संघर्ष चलता रहता था।

❖ **धरणीवराह–** गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी लेकिन कुछ समय बाद धरणीवराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया।

❖ **महिपाल–** 1002 ई. में धरणीवराह के पुत्र महिपाल का आबू पर अधिकार प्रमाणित होता है। इस समय तक आबू के परमारों ने गुजरात के **सोलंकियों की अधीनता** स्वीकार कर ली।

❖ **धन्धुक परमार** (महिपाल का पुत्र)– आबू पर सोलंकी शासक भीमदेव ने आक्रमण कर दिया। धन्धुक परमार एवं **भीमदेव सोलंकी** के मध्य संघर्ष हुआ। धन्धुक आबू छोड़कर धार के शासक भोज की शरण में चला गया। भीमदेव सोलंकी ने विमलशाह को आबू का प्रशासक नियुक्त किया। बाद में विमलशाह ने भीमदेव व धन्धुक के मध्य पुनः मेल करवाया।

❖ **कृष्णदेव–** इसके शासनकाल में 1060 ई. में परमारों और सोलंकियों के सम्बन्ध पुनः बिगड़ गए, लेकिन नाडौल के चौहान शासक बालाप्रसाद ने इनमें पुनः मित्रता करवाई।

❖ **धारावर्ष परमार** (1163–1219 ई.)– (विक्रमदेव का पड़पौत्र)
- धारावर्ष आबू के परमार शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। उसने 56 वर्षों तक शासन किया।
- इसने **मोहम्मद गौरी** के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। वह गुजरात के चार सोंलकी शासकों कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज व भीमदेव द्वितीय का समकालीन था। उसने स्वयं को सोलंकी शासकों की अधीनता से स्वतंत्र कर लिया।
- आबू के अचलेश्वर में मंदाकिनी कुण्ड के पास बनी हुई धारावर्ष की मूर्ति और आर–पार छिद्रित तीन भैंसों की प्रतिमाएँ उसके पराक्रम की कहानी कहते हैं।
- पाटनारायण का लेख (1287 ई.)– इस संस्कृत लेख का आशय यह है कि वशिष्ठ ने मंत्रबल से आबू के अग्नि कुण्ड से धुम्रराज परमार को उत्पन्न किया। इसी कुल में धारावर्ष उत्पन्न हुआ, जो एक तीर से **तीन भैंसों** को बेध देता था।
- धारावर्ष के छोटे भाई प्रहलादन ने पालनपुर नामक नगर बसाया, तथा 'पार्थ पराक्रम व्यायोग' नामक नाटक की रचना की। धारावर्ष के दरबारी कवि सोमेश्वर ने 'कीर्ति कौमुदी' की रचना की।

❖ **सोमसिंह** (धारावर्ष का पुत्र)– सोमसिंह के शासनकाल में चालुक्य राजा धवल के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा आबू के देलवाड़ा नामक ग्राम में भगवान नेमीनाथ का मंदिर बनवाया जिसे 'लूणवशाही मंदिर' या 'वास्तुपाल–तेजपाल' मंदिर कहते हैं।
- 1311 ई. के आस–पास जालौर के चौहान शासक **राव लूम्बा** ने परमारों से चन्द्रावती छीन ली। यहीं से आबू के परमारों के शासन का अंत हुआ।

जालौर के परमार

- जालौर के परमारों का शासन 10वीं सदी से प्रारम्भ माना जाता है। सम्भवतः यह आबू के परमारों की ही एक शाखा थी।
- जालौर से प्राप्त शिलालेख (1118 ई.) से जालौर के परमारों के सात शासकों– वाक्पतिराज, चन्दन, देवराज, अपराजित, विज्जल, धारावर्ष एवं वीसल के बारे में जानकारी मिलती है।
- इस शाखा के वाक्पतिराज ने 960 से 985 ई. तक जालौर पर राज किया। इस वंश के सातवें राजा बीसल की रानी मेलरदेवी ने सिंधुराजेश्वर के मंदिर पर 1087 ई. में स्वर्ण कलश चढ़ाया था।

मालवा के परमार

- मालवा के परमारों का मूल उत्पत्ति स्थान भी आबू था। इनकी राजधानी 'उज्जैन या धारानगरी' रही, मगर राजस्थान के कई भू–भाग–**कोटा राज्य का दक्षिणी भाग, झालावाड़, वागड़, प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग** आदि इनके अधिकार में थे।

13 राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासन व सामंती व्यवस्था

प्रशासनिक व्यवस्था

- **8वीं से 12वीं शताब्दी** के काल में राजस्थान के शासन सम्बन्धी विवेचन की सामग्री विशेष रूप से प्राप्त नहीं होती, फिर भी उस समय के दानपत्रों, शिलालेखों तथा साहित्यिक ग्रन्थों से तत्कालीन शासन व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है।
- दिल्ली व आगरा में मुगल साम्राज्य स्थापित होने के बाद राजपूताना के शासक भी मुगलों के सम्पर्क में आए। जिससे राजपूताने की प्रशासनिक व्यवस्था में मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।
- मध्यकालीन राजपूताना की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार है–

केन्द्रीय प्रशासन

❖ **शासक/राजा–** संपूर्ण शासन व्यवस्था का केन्द्र राजा स्वयं होता था। राज्य की सभी शक्ति राजा में निहित थी। वह समस्त सैनिक, राजनीतिक, न्यायिक व प्रशासनिक शक्तियों का केन्द्र बिन्दु था।

➢ **राजा के अधिकार–**

☞ मंत्रियों, राजदूतों व अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करना।

☞ राजा, राज्य का मुख्य न्यायाधीश भी था। दीवानी और फौजदारी सभी मामलों में अंतिम निर्णय उसी का होता था।

☞ युद्ध के समय सामान्यतः राजा स्वयं सेना का संचालन करता था।

☞ शासन के आचरण, नियम–कायदों का निर्धारण करना।

- राजा राज्य का सर्वेसर्वा होता था, परन्तु इनके अधिकारों को नियंत्रित रखने के लिए मंत्रिमंडल, सामंत वर्ग, शासन–संस्थाएँ, धर्म शास्त्रों की मर्यादा और जनसमूह आदि प्रतिबन्ध का कार्य करते थे।

❖ **युवराज–** राजा के बाद 'राजकुमार/युवराज' का शासन में बहुत महत्त्व था। बहु विवाह की परम्परा के कारण अनेक राजकुमार होते थे। प्रायः ज्येष्ठ पुत्र को ही युवराज घोषित करने का प्रचलन था। राजा किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनता था।

❖ **सामन्त–** राज्य प्रशासन में राजा के बाद सामन्तों की महत्ता थी। सामंत राज्य की रीढ़ की हड्डी थे। सामंतों के सहयोग के बिना शासक अकेला प्रशासन कार्य नहीं कर सकता था। राज्य की सुरक्षा का दायित्व सामंतों पर रहता था। समय–समय पर वे राज्य की सैनिक सेवा के लिए उपस्थित होते थे।

❖ **राज्य के उच्च अधिकारी–** मुगलों के सम्पर्क में आने से पूर्व ही विभिन्न ग्रन्थों व शिलालेखों में राजपूताना के राज्यों में राजा की सहायता के लिए मंत्रीमण्डल का उल्लेख मिलता है। मंत्रीमण्डल के सदस्य वंश, जाति व **योग्यता के आधार** पर चुने जाते थे।

- राजा अपनी **इच्छा से** इन्हें नियुक्त करता था और हटा देता था लेकिन विशेष रूप से जो मंत्री जनहित कार्यों के सम्पादन में उपयुक्त माने जाते थे उनका पद वंशानुगत चलता रहता था। शासक इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं थे। योग्य मंत्रियों की सलाह का राजा सम्मान करते थे।
- मेवाड़ में महाराणा राजसिंह द्वितीय के मंत्रीमण्डल में प्रधान, पुरोहित, खजांची, पाठशालाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, दानाध्यक्ष और मुख्य मुसाहिब सम्मिलित थे।
- पूर्व मध्यकाल में 953 ई. के सारणेश्वर शिलालेख (सिरोही) के अनुसार मेवाड़ में 'अमात्य' (मुख्यमंत्री), 'संधिविग्रहिक' (संधि और युद्ध का मंत्री), 'अक्षपटलिक' (वित्तमंत्री या आय–व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी/लेखाधिकारी), नैमेतिक (राजकीय ज्योतिष) बंदीपति (मुख्य भाट), भीषगाधिराज (मुख्य वैद्य) आदि मंत्रीमण्डल के सदस्य थे।

❖ **प्रधान/प्रधानमंत्री–** केन्द्र में राजा के बाद सर्वोच्च अधिकारी प्रधान होता था। वह राजा का **मुख्य सलाहकार** था, सैनिक तथा न्याय से सम्बन्धित कार्यों में भी राजा की सहायता करता था। राजा की अनुपस्थिति में राज्य का प्रशासन चलाने का दायित्व उसी का होता था।

☞ जयपुर राज्य में प्रधानमंत्री के लिए 'मुसाहिब' शब्द का प्रयोग होता था। कोटा में इसे 'फौजदार या दीवान' के नाम से सम्बोधित करते थे। बीकानेर और बूँदी में भी 'दीवान' ही प्रधानमंत्री होता था। कोटा राज्य में 'फौजदार' के पद पर झाला जालिम सिंह नियुक्त था।

❖ **दीवान–** राजपूत राज्यों में प्रशासनिक तंत्र का मुखिया दीवान होता था जो मुख्य रूप से वित्त व राजस्व सम्बन्धी मामलों पर नियंत्रण रखता था। दीवान से ये अपेक्षित था कि वह राज्य की आमदनी बढ़ाकर विभिन्न खर्चों की पूर्ति करेगा।

- जिन राज्यों में प्रधान पद का प्रावधान नहीं था वहाँ दीवान ही प्रधान का कार्य करता था। नियुक्ति के समय उसे दीवान की राजकीय मुहर (सील) जिस पर उसका नाम अंकित होता था, सुपुर्द की जाती थी। सभी महत्त्वपूर्ण राजकीय दस्तावेजों पर दीवान की मुहर लगाई जाती थी।
- दीवान को आमिल, कोटवाल, अमीन, दरोगा मुशरिफ, वाकयानवीस, फौजदार आदि पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार था।

15 राजस्थान में 1857 की क्रांति

➢ राजस्थान में 1857 की क्रान्ति के अध्ययन से पहले इस क्रान्ति के प्रमुख कारणों को जानना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है–

1857 की क्रान्ति के प्रमुख कारण

- **लार्ड वैलेजली की सहायक संधि–** देशी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ संधियाँ की। इस सहायक संधि के तहत देशी रियासत को न केवल ब्रिटिश सेना को अपने यहाँ रखना पड़ता था बल्कि उसका खर्च भी उठाना पड़ता था। उस रियासत के विदेशी सम्बन्ध भी ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन थे।
- **लार्ड डलहौजी की हड़प नीति–** लार्ड डलहौजी ने एक नए सिद्धान्त **'The Doctrine of Lapse'** (व्यपगत सिद्धान्त) का प्रतिपादन किया। इसके तहत –
  (i) यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था।
  (ii) शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी।
  (iii) इसके तहत कुप्रबन्ध के आधार पर भी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था।
- डलहौजी द्वारा नाना साहब धोधुपंत की पेंशन बंद कर देना।
- डलहौजी द्वारा मुगल सम्राट व अवध की बेगमों का अपमान करना।

❖ तात्कालिक कारण –

- अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव व उच्च पदों पर नियुक्तियों से वंचित करना।
- सैनिकों के लिए 'समुद्र पारीय सेवा' की अनिवार्यता लागू करना।
- 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति देना।
- ब्राऊन बैस के स्थान पर 'एनफील्ड राइफल्स' लगाना, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस भरे जाते थे।

❖ आर्थिक कारण–

- ईस्ट इंडिया कम्पनी के 100 वर्षों के शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को छिन्न–भिन्न कर देना।
- भारत के उद्योग धंधों व हस्तशिल्प का नष्ट हो जाना।
- ग्रामीण, हस्तशिल्पी, कुटीर उद्यमियों का बेरोजगार हो जाना।

❖ राजस्थान के सन्दर्भ में 1857 की क्रान्ति के कारण–

- राजपूताना के शासकों के साथ सहायक संधियों के बाद अंग्रेजों ने देशी रियासतों के प्रशासन व आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया।
- अंग्रेजों ने रियासती शासकों व सामन्तों के विशेषाधिकारों में कटौती कर दी और शासक वर्ग की उपेक्षा की जिससे आमजन मानस में अंग्रेजों के प्रति नकारात्मक धारणा बनी।
- अंग्रेजी हस्तक्षेप से राज्यों की आय कम हो गई इसलिए शासकों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी।
- अंग्रेजों ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों में उत्तराधिकारी के चयन तथा प्रधान की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया।
- कोटा राज्य के दो टुकड़े कर नए राज्य झालावाड़ (1838 ई.) की स्थापना करना।
- राज्यों के साथ संधियाँ कर नमक व अफीम पर एकाधिकार करना।
- अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा व समाज सुधार के कार्य प्रारम्भ किए तो आम जनता ने इसे अपने धर्म व परम्पराओं के विरूद्ध माना और अंग्रेज विरोधी हो गए।

☛ **राजपूताना रेजिडेन्सी–** **लॉर्ड विलियम बैटिंग** ने 1832 में राजस्थान में **'राजपूताना रेजिडेन्सी'** की स्थापना की। इसका मुख्य अधिकारी **ए.जी.जी.** (एजेण्ट टू गवर्नर जनरल) था। इसका मुख्यालय **अजमेर** था। 1845 ई. में इसका मुख्यालय अजमेर से **आबू** स्थानान्तरित कर दिया। राजस्थान में प्रथम ए.जी.जी **'मिस्टर लॉकेट'** थे। 1857 में राजस्थान के ए.जी.जी. **'जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेन्स'** थे।

- 1857 की क्रान्ति के समय ब्रिटेन की महारानी 'विक्टोरिया' थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री 'जार्ज पार्मस्टन' थे तथा भारत का गवर्नर जनरल 'लार्ड कैनिंग' था।
- 1857 के विप्लव के समय राजपूताने का प्रशासन उत्तर पश्चिम प्रान्त (नॉर्थ–वेस्टर्न प्रॉविन्सेज) के लेफ्टिनेंट गवर्नर 'कॉल्विन' के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय आगरा में था। शांति व्यवस्था का कार्य ए.जी.जी. के अधीन था।

क्र. सं.	नाम छावनी	जिला	तैनात टुकड़ी	विशेष विवरण
1.	**नसीराबाद**	अजमेर	बंगाल नैटिव इन्फेन्ट्री	
2.	**देवली**	टोंक	कोटा कन्टिनजेन्ट	
3.	**खैरवाड़ा**	उदयपुर	मेवाड़ भील कोर	विद्रोह में भाग नहीं लिया
4.	**एरिनपुरा**	सिरोही	जोधपुर लीजन	
5.	**ब्यावर**	ब्यावर	मेरवाड़ा रेजिमेन्ट	विद्रोह में भाग नहीं लिया
6.	**नीमच**	मध्यप्रदेश	फर्स्ट बंगाल केवेलरी	

16 1857 की क्रांति के बाद सुधारों और राजनीतिक चेतना का काल

- 2 अगस्त, 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत् ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटेन की महारानी भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई। महारानी विक्टोरिया की यह घोषणा 1 नवम्बर, 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित कर भारत के प्रथम गर्वनर जनरल और वायसराय लार्ड केनिंग द्वारा पढ़कर सुनाई गई।
- महारानी विक्टोरिया की इस घोषणा के परिणामस्वरूप भारत के सभी देशी राजा पूर्णरूप से महारानी के अधीन हो गए। भारत के देशी राज्यों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके सभी अधिकारों की रक्षा की जाएगी और सभी रीति–रिवाजों और परम्पराओं का पालन किया जाएगा।

❖ **राजस्थान के राजा, महाराजाओं द्वारा घोषणा का स्वागत**– राजस्थान के सभी राजाओं ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया कई राजाओं ने तो अपनी स्वामीभक्ति प्रकट करने के लिए समारोह भी आयोजित किए जो इस बात का प्रमाण था कि राजा, महाराजा हर कीमत पर अपनी गद्दी बचाए रखना चाहते थे।

- इसके बाद देशी राज्यों ने ब्रिटेन के साथ नमक, रेल्वे, मुद्रा, डाक और निष्क्रमण संधियाँ की। जिनके परिणामस्वरूप राज्यों में संचार साधनों और रेल सुविधा का विस्तार हुआ। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेन्टों द्वारा राजस्थान के **राजा–महाराजाओं** को अपने–अपने राज्यों में प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार लागु करने का परामर्श दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेन्ट राजा–महाराजाओं के आन्तरिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगे।

❖ मेवाड़ राज्य में सुधार–

- महाराणा स्वरूपसिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी शम्भूसिंह अव्यस्क थे। 19 अगस्त, 1863 को तत्कालीन पॉलिटिकल एजेन्ट कर्नल ईडन ने एक आदेश जारी कर मेवाड़ का समूचा प्रशासन स्वयं ने संभाल लिया।
- इस आदेश का नागरिकों और जागीरदारों ने विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जागीरदारों ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखकर मेवाड़ का प्रशासन 5 व्यक्तियों की एक परामर्शदात्री समिति को सौंपने की माँग की। इस अवधि में मेवाड़ में कानून का शासन नहीं था।
- सामाजिक सुधारों के तहत् शम्भूरत्न पाठशाला (राजकीय विद्यालय) व राजकीय अस्पताल की स्थापना की गई। शहर में नागरिकों की सुरक्षा हेतु सशस्त्र सैनिक तैनात किए गए।

✦ आण प्रथा– ईडन द्वारा नियुक्त पुलिस सुपरिटेंडेंट निजामुद्दीन ने **23 दिसम्बर**, 1863 को **'आण'** की व्यवस्था को गैर–कानूनी घोषित कर दिया। लेन–देन से पहले मेवाड़ राज्य में **'आण'** (महाराणा की सौगन्ध) दिलाने की प्रथा थी।

- उक्त सभी सुधारों को मेवाड़ के जागीरदारों, अधिकारियों और आम जनता ने अपने रीति–रिवाजों और परम्पराओं में ब्रिटिश सरकार का खुला हस्तक्षेप माना। इसका विरोध प्रकट करने के लिए 30 मार्च, 1864 को समुचे शहर में हड़ताल की गई और नगर सेठ चम्पालाल के नेतृत्व में 3000 लोगों ने कैप्टन ईडन के निवास के सामने प्रदर्शन किया।
- 1870 ई. के आस–पास मेवाड़ राज्य को जिलों में विभाजित किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया व रेल्वे लाईन बिछाई गई।
- इजलास खास– महाराणा **सज्जन सिंह** ने कवि राजा श्यामलदास की सलाह पर 10 मार्च, 1877 को एक नई कौन्सिल 'इजलास खास' की स्थापना कर दीवानी और फौजदारी न्यायप्रणाली में सुधार किया। जिसके विरोध में उदयपुर शहर में व्यापारियों ने पुनः हड़ताल रखी। नगर सेठ चम्पालाल व कुछ अन्य व्यापारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

❖ बीकानेर राज्य में सुधार –

- महाराजा सरदार सिंह (1851 से 1872) के शासनकाल में बीकानेर राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई थी। राज्य के दीवान पण्डित मनफूल पर भी महाराजा का विश्वास नहीं रहा। राज्य के जागीरदार तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेन्ट कैप्टन ब्रेडफोर्ड के सुझाव पर महाराजा को शासन संचालन में परामर्श देने के लिए एक पाँच सदस्यीय परिषद् की स्थापना की गई।
- बीकानेर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य 1869 में प्रत्यावर्तन संधि हुई, 1889 में एक नमक समझौता हुआ जिसके तहत् ब्रिटिश सरकार को भेजे जाने वाले नमक पर लगाई जाने वाली चुंगी समाप्त कर दी गई। 1889 में रेल, डाक और मुद्रा सम्बन्धी समझौते हुए।
- डूंगरसिंह के शासनकाल में 1883 ई. में जागीरदारों से 'रेख' की वसूली के दौरान संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश सैनिकों की सहायता ली गई।
- 1893 में सामंतों व सरदारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए बीकानेर में 'वाल्टर नोबल्स स्कूल' की स्थापना की गई।

❖ जोधपुर राज्य में सुधार –

- महाराजा तख्तसिंह के समय 29 दिसम्बर, 1868 को ए.जी.जी. के सुझाव पर जोधपुर राज्य में शासन संचालन के लिए एक पृथक

17 राजस्थान के जनजाति एवं किसान आन्दोलन

राजस्थान में जनजाति आन्दोलन

- राजस्थान के **दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग** में मेवाड़, बागड़ और हाड़ौती तथा ढूढ़ाड़ क्षेत्र में भील, मीणा, सहरिया व गरासिया आदि जनजातियों का बाहुल्य है। राजस्थान में शासकों के साथ जागीरदारों और साहुकारों ने भी इन जातियों का शोषण किया। **अंग्रेजों के आगमन** के साथ ही इनके परम्परागत अधिकारों और जीवन में हस्तक्षेप प्रारम्भ हो गया। परिणामस्वरूप राजस्थान में 1818 ई. से लेकर स्वतंत्रता तक भीलों, मेर व मीणाओं के आन्दोलन हुए।

❖ मेर आन्दोलन (1818–1821 ई.)–

- **मेरवाड़ा क्षेत्र** किसी एक रियासत के अधीन न होकर मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अधीन आता था। ऐसी स्थिति में मेरों पर किसी भी एक राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। मेर आस–पास के क्षेत्र में लूटपाट कर अपना जीवन व्यतीत करते थे।
- अंग्रेजों ने मेरों को पूर्ण रूप से अपने **नियन्त्रण में** लेना चाहा, अंग्रेजों का यही प्रयास मेरों के **विद्रोह का प्रमुख कारण** बना।
- 1818 ई. में अंग्रेज सुपरिन्टेन्डेट एफ. विल्डर ने 'झाक गाँव' में मेरों के साथ एक समझौता किया, जिसमें मेरों ने कभी लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की।
- मार्च 1819 में विल्डर ने मेरों पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाकर मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया, जिससे मेर भड़क उठे।
- 1820 ई. में 'झाक' नामक स्थान पर मेरों ने पुलिस चौकियों व थानों पर आक्रमण कर सिपाहियों की हत्या कर दी।
- जनवरी 1821 में मेवाड़, मारवाड़ व अंग्रेजों की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण कर इस विद्रोह का दमन कर दिया।

- **मेरवाड़ा रेजिमेंट–** मेरवाड़ा क्षेत्र में मेर व मीनों के उपद्रव व शांत करने के लिए 1822 में **'डेविड ऑक्टरलोनी'** द्वारा कैप्टन हॉल के नेतृत्व में 'मेरवाड़ा रेजिमेंट' का गठन किया। जिसमें मेर सैनिकों की भर्ती की गई। इस बटालियन का मुख्यालय 'ब्यावर' में स्थापित किया गया।

❖ भील विद्रोह (1818–1860 ई.)–

- मेवाड़ में **मराठा हस्तक्षेप** के कारण महाराणा की सैन्य कमजोरी उजागर हो गई थी, जिसका लाभ उठाकर भोमट क्षेत्र के भील सरदारों ने **लूटमार** करना प्रारम्भ कर दिया।
- जनवरी, 1818 में मेवाड़ महाराणा भीमसिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की, जिसके तहत् अंग्रेजों को राज्य के आंतरिक मामलों में **हस्तक्षेप करने का अधिकार** मिल गया। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिबन्धों ने भीलों को विद्रोह के लिए बाध्य कर दिया।

➢ 1818 में उदयपुर राज्य में भील विद्रोह के निम्न कारण थे–

1. अंग्रेजों ने भीलों पर कर थोपने का प्रयास किया।
2. अंग्रेजों की भील दमन नीति।
3. उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन **कर्नल टॉड** ने अपने हाथ में ले लिया तथा भोमट क्षेत्र के भीलों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया।
4. संधि के बाद देशी सेना के भंग होने से इनमें नियुक्त भीलों को निकाल दिया गया।
5. भील अपनी पाल के समीप गाँवों से 'रखवाली' (चौकीदारी कर) नामक कर तथा अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई कर (सुरक्षा कर) वसूल करते थे। कर्नल टॉड ने राज्य की आय बढ़ाने के प्रयासों के अन्तर्गत भीलों से उनके यह अधिकार छीन लिये।

- यह उदयपुर राज्य में प्रारम्भ हुआ राजस्थान का **प्रथम भील विद्रोह** था। जनवरी 1823 से दिसम्बर 1823 के मध्य कर्नल लूम्बे के नेतृत्व में अंग्रेजों व उदयपुर की संयुक्त सेना ने इस भील विद्रोह का दमन कर दिया।

- लिम्बाराबारू विद्रोह– भोमट क्षेत्र के भीलों से प्रेरित होकर इसी समय **डूँगरपुर** राज्य के लिम्बाराबारू के भीलों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दमन के लिए सेना भेजी तो **12 मई, 1825 ई.** को लिम्बाराबारू के भीलों ने अंग्रेजों से **संधि** कर ली। इसी संधि के तहत् अंग्रेजों ने भीलों पर कई कर थोप दिए।

- जनवरी 1826 ई. में गरासिया भील मुखिया दौलतसिंह एवं गोविन्दा ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों के नेतृत्व में भीलों ने **पुलिस थानों पर आक्रमण** कर सैंकड़ों सिपाहियों को मार दिया। कैप्टन ब्लैक ने इस अव्यवस्था को नियन्त्रित किया।
- 1826 ई. में दोनों पक्षों में वार्तालाप के बाद भीलों को 'बोलाई' कर एकत्रित करने का अधिकार देकर इस क्षेत्र में शांति स्थापित की। **1828 ई.** में दौलतसिंह के आत्मसमर्पण के बाद यह विद्रोह समाप्त हुआ।

✦ **जोधपुर लीजन–** भीलों द्वारा लगातार किए जा रहे विद्रोहों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने **1835 ई.** में 'जोधपुर लीजन' नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया। इसका मुख्यालय 'अजमेर' रखा गया। **जनवरी, 1837** में ही इसका मुख्यालय बड़गाँव (सिरोही) स्थानान्तरित कर दिया। मार्च 1842 में जोधपुर लीजन का **मुख्यालय** बड़गाँव से एरिनपुरा (सिरोही) स्थानान्तरित कर दिया।

- अंग्रेजों ने 22 मई, 1933 को 'महाराजा जयसिंह' को देश निकाला देते हुए यूरोप भेज दिया। इस आन्दोलन की जाँच हेतु **अजीजुद्दीन बिलग्रामी** के नेतृत्त्व में जाँच समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर मेव किसानों को कुछ राहत प्रदान की गई। 1934 में मेवों ने विद्रोह समाप्त कर दिया।

❖ भरतपुर में किसान आन्दोलन– (1931–33)

- यहाँ की 95 प्रतिशत भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। 1931 ई. में भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। जिसमें लगान की **दरों में वृद्धि** की गई। नए बंदोबस्त से किसानों में असंतोष उत्पन्न हुआ।
- नम्बरदारों ने भी लगान की नई दरों का विरोध किया। 23 नवम्बर, 1931 को 'भोज' नामक **नम्बरदार** के नेतृत्त्व में किसानों ने कौन्सिल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। 24 नवम्बर, 1931 को भोज नम्बरदार को गिरफ्तार कर लिया, इससे आन्दोलन कमजोर हुआ।
- स्टेट कौन्सिल ने बढ़ी हुई दरों को 5 वर्ष तक स्थगित कर दिया, जिससे आन्दोलन **शांत** हो गया।

❖ मारवाड़ राज्य में किसान आन्दोलन–

- **तौल आन्दोलन**– मारवाड़ राज्य में 100 तौले का एक सेर था। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि ब्रिटिश भारत की तरह जोधपुर राज्य में भी 80 तौले का सेर हो। चाँदमल सुराणा के नेतृत्त्व में 1920–21 में मारवाड़ में तौल आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।
- सामाजिक कार्यकर्त्ता **चाँदमल सुराणा** ने 'मारवाड़ सेवा संघ' के कार्यकत्ताओं के साथ हड़ताल शुरू कर दी। दबाव में सरकार ने माँगे मानते हुए नया तौल जारी करने का निर्णय रद्द कर दिया। यह मारवाड़ के लोगों की पहली विजय थी। **(स्रोत– बीएल पनगड़िया)**

❖ मादा पशुओं के निर्यात पर रोक के लिए आन्दोलन–

- 29 अक्टूबर, 1923 को मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात से **प्रतिबन्ध** हटा लिया, जिससे हजारों की संख्या में पशु मारवाड़ से बाहर विक्रय के लिए जाने लगे। इससे किसानों को अपने **दूध, दही, घी** आदि व्यवसाय बंद होने की आशंका हुई।
- मारवाड़ हितकारिणी सभा ने निर्यात सम्बन्धी आदेशों को रद्द करवाने के लिए किसानों के साथ मिलकर रेल की पटरियों पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किए। 1 सितम्बर, 1924 को सरकार ने पशुओं एवं **घास–फूस** के निर्यात पर **पुनः प्रतिबन्ध** लगा दिया। मारवाड़ के किसानों की यह दूसरी विजय थी।

❖ मारवाड़ किसान आन्दोलन–

- मई 1929 में **मारवाड़ हितकारिणी सभा** ने बेगार, लाग–बाग एवं अन्य लगान दरों को लेकर जागीरदारों के विरूद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया। जागीरदारों द्वारा वसूली जाने वाली लागतों की संख्या **लगभग** 136 थी। **जयनारायण व्यास**, आनन्दराज खुराणा, भँवरलाल सर्राफ व हेमचन्द्र छंगानी ने किसानों की आवाज उठाई व उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया।
- मारवाड़ हितकारिणी सभा ने **जयनारायण व्यास** द्वारा लिखित 'पोपाबाई की पोल' व 'मारवाड़ की अवस्था' नामक दो लघु पुस्तिकाएँ प्रकाशित कर मारवाड़ प्रशासन की कमियों व किसानों की समस्याओं को उजागर किया।
- जागीरी क्षेत्र के किसान आन्दोलन का प्रभाव खालसा क्षेत्र पर भी पड़ा। इन किसानों ने भी 'बिघोड़ी' की ऊँची दर व लाग–बाग का विरोध किया।
- 24–25 नवम्बर, 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद् का **चाँदकरण शारदा** की अध्यक्षता में पुष्कर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि कस्तूरबा गाँधी थी। अधिवेशन में **बिघोड़ी** व **बेगार प्रथा** के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए।
- किसानों ने महाराजा से बिघोड़ी की रकम कम करने की माँग की। सरकार ने किसानों को कर सम्बन्धी कुछ रियायतें दी। इसके बाद **16 जून, 1934** को बिघोड़ी की दर में कमी कर दी, जिससे खालसा क्षेत्र में किसान आन्दोलन शांत हो गया।

❖ पुनः आन्दोलन प्रारम्भ–

- 1936 ई. में राज्य सरकार ने 119 लागतों को समाप्त घोषित कर दिया, मगर जागीरी क्षेत्रों में जागीरदार इन्हें वसूल कर रहे थे।
- **मारवाड़ राज्य लोक परिषद्** ने किसानों का समर्थन करते हुए **7 सितम्बर, 1939** को अवैध लागतों के विरूद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया। जागीरदारों ने किसानों पर अत्याचार किए, मारा–पीटा, उनकी फसलें नष्ट **कर** दी।
- 28 मार्च, 1940 को मारवाड़ लोक परिषद् को **अवैध घोषित** कर दिया लेकिन आन्दोलन जोर–शोर से चलता रहा। जून 1940 में **जोधपुर सरकार** ने इसे पुनः मान्यता दी।
- मारवाड़ महाराजा ने किसान आन्दोलन को **विभाजित करने** व कमजोर करने के लिए प्रत्येक ठिकाने की शिकायतों को अलग मानकर निर्णय करना आरम्भ कर दिया। राज्य सरकार ने लाग–बाग व भूमि लगान की जाँच हेतु एक आयोग नियुक्त कर दिया।
- मारवाड़ किसान सभा– जोधपुर सरकार से प्रोत्साहन पाकर **बलदेवराम मिर्धा** ने विभिन्न परगनों के किसानों का एक सम्मेलन **27–28 जून, 1941** को श्री सुमेर स्कूल, जोधपुर के प्रांगण में बुलाया जिसमें 'मारवाड़ किसान सभा' नामक एक संगठन की घोषणा की गई और मंगलसिंह कच्छवाहा को **अध्यक्ष** तथा बालकिशन कच्छवाहा को **मंत्री** बनाया गया।
- किसान सम्मेलन– मारवाड़ किसान सभा ने 25 सितम्बर, 1945 को जोधपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। उत्तरी भारत के प्रमुख जाट नेता **चौधरी छोटूराम** ने भी भाग लिया।

❖ चण्डावल की घटना (28 मार्च 1942)–

- **28 मार्च, 1942** को मारवाड़ लोक परिषद् के कार्यकर्त्ता **मांगीलाल** ने अन्य सदस्यों के साथ 'उत्तरदायी शासन दिवस' मनाने के लिए चण्डावल **(सोजत)** में एक सम्मेलन बुलाया। यहाँ का जागीरदार ये सम्मेलन नहीं होने देना चाहता था।

18 राजस्थान में सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन

❖ देश हितैषणी सभा, उदयपुर (1877)–

- मेवाड़ महाराणा **सज्जनसिंह** की अध्यक्षता में उदयपुर में 2 जुलाई, 1877 को 'देश हितैषणी सभा' की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना था। इस संस्था ने राजपूतों में **विवाह के खर्चे** को कम करने तथा राजपूतों, ब्राह्मणों व महाजनों के लिए **बहुविवाह** व **त्याग** सम्बन्धी नियम बनाए।

❖ वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, अजमेर (1888–89)

- राजपूताना के तत्कालीन कार्यवाहक **ए.जी.जी.** कर्नल वाल्टर ने **9 मार्च, 1888** को अजमेर में सभी रियासतों के प्रभावशाली सामन्तों, जागीरदारों और चारणों को बुलाकर इस सभा की स्थापना की।
- 22 फरवरी, 1889 को पुनः **अजमेर** में सभी रियासतों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। जिसमें इस सभा का नाम 'वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी' सभा रखा गया। कर्नल वाल्टर को इसका **अध्यक्ष** बनाया गया। इस सभा ने विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह बंद करने, त्याग प्रथा व मृत्यु भोज को सीमित करने के प्रयास किए।

❖ सर्वहितकारिणी सभा, चुरू (1907)–

- स्वामी गोपालदास ने पंडित **कन्हैयालाल ढूंढ** तथा पंडित श्रीराम मास्टर के सहयोग से 1907 में **चुरू** में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। यह सभा आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थी। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण यह सभा 'चुरू की कांग्रेस' कहलाई।
- इस सभा के अन्तर्गत स्वामी गोपालदास ने चुरू में बालिका शिक्षा के लिए 1912 में 'सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला' तथा हरिजन वर्ग की शिक्षा के लिए 'कबीर पाठशाला' की स्थापना की।

❖ **हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर** (1912)– इसकी स्थापना भरतपुर में जगन्नाथ दास अधिकारी ने 1912 में की थी। इस समिति द्वारा 1927 में भरतपुर में पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओझा की अध्यक्षता में 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' का आयोजन करवाया।

❖ जीवन कुटीर, वनस्थली (टोंक) (1929)–

- हीरालाल शास्त्री ने टोंक के वनस्थली में 1929 में जीवनकुटीर नामक संस्था की स्थापना की। शास्त्री जी व उनकी पत्नी **रत्ना शास्त्री** ने अपनी पुत्री शांताबाई की आकस्मिक मृत्यु के बाद यहाँ शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की, जो वर्तमान में **'वनस्थली विद्यापीठ'** के नाम से प्रसिद्ध है।
- पंडित नेहरू ने कहा था कि ''यदि मैं लड़की होता तो मैं तालिम के लिए वनस्थली ही आता''।

❖ राजस्थान हिन्दी विद्यापीठ, उदयपुर (1931)–

- **जनार्दन राय नागर** ने 21 अगस्त, 1931 में उदयपुर में हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था।

❖ गौसेवा संघ, वर्धा (1932)–

- गौसेवा संघ की स्थापना महात्मा गाँधी ने 1932 में वर्धा में की थी। राजस्थान में गौसेवा संघ की गतिविधियाँ संचालित करने के लिए **जमनालाल बजाज** को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1942 में जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जानकी देवी बजाज ने यह कार्य संभाला।

❖ राजस्थान हरिजन सेवा संघ, अजमेर (1932)–

- **महात्मा गाँधी** ने 1932 में घनश्यामदास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। बिड़ला ने हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष हरविलास शारदा को बनाया। इसके सदस्यों ने हरिजनों में शिक्षा का प्रसार एवं उन्हें संगठित करने का कार्य किया।

अन्य सामाजिक संस्थाएँ

क्र. सं.	संस्थान का नाम	स्थान	संस्थापक
1.	आचार सुधारिणी सभा (1910 ई.)	धौलपुर	यमुनाप्रसाद शर्मा ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु
2.	अमर सेवा समिति (1922 ई.)	चिड़ावा	मास्टर प्यारेलाल गुप्ता
3.	भील सेवा मण्डल (1922 ई.)	मेवाड़	ठक्कर बापा
4.	अस्पृश्यता निवारण संघ (1923 ई.)	अलवर	पं. हरिनारायण शर्मा
5.	सस्ता साहित्य मण्डल (1925 ई.)	अजमेर	हरिभाऊ उपाध्याय
6.	राजस्थान चरखा संघ (1925 ई.)	अजमेर	जमनालाल बजाज
7.	साहित्य सदन (1925 ई.)	अबोहर	स्वामी केशवानन्द
8.	खाण्डलाई आश्रम (1934 ई.)	डूँगरपुर	माणिक्यलाल वर्मा

19 राजस्थान में प्रजामण्डल व स्वतंत्रता आन्दोलन

❖ कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन– 1938

- **सुभाषचन्द्र बोस** की अध्यक्षता में आयोजित इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार यह निर्णय किया कि कांग्रेस को **रियासती जनता** के संघर्ष में साथ देना चाहिए। इस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए स्थानीय रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया।
- इस अधिवेशन के बाद ही राजस्थान की अधिकांश रियासतों में **प्रजामंडलों** या **प्रजा परिषदों** की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन शुरू किए गए।

❖ जयपुर प्रजामंडल–

- जयपुर राज्य में जन–जागृति व राजनीतिक चेतना जगाने का सर्वप्रथम प्रयास अर्जुनलाल सेठी ने किया।
- अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में जयपुर में 'जैन शिक्षा प्रचारक समिति' की स्थापना की और 1907 में 'वर्धमान विद्यालय' की स्थापना की। इसके बाद **आर्य समाज** व जयपुर हितकारिणी सभा ने भी युवाओं में राष्ट्रीय भावना पैदा की।
- प्रजामंडल की स्थापना– जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में 'कर्पूरचंद पाटनी' और '**जमनालाल बजाज**' ने जयपुर में की। लेकिन यह संस्था 5 वर्ष तक निर्जीव बनी रही।
- 1936–37 में **सेठ जमनालाल बजाज** और हीरालाल शास्त्री ने प्रजामंडल को पुनःकार्यशील (पुनर्गठन) किया। इसके अध्यक्ष **चिरंजीलाल मिश्र**, महामंत्री **हीरालाल शास्त्री** को तथा **कर्पुरचन्द पाटनी** को संयुक्त मंत्री बनाया गया।

> ☞ **नोट– जैन व माली** (RHGA) के अनुसार, इसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष चिंरजीलाल मिश्र थे।

- प्रजामंडल के प्रमुख सदस्य **बाबा हरिश्चन्द्र, हंस डी रॉय, लादुराम जोशी, टीकाराम पालीवाल** व **पूर्णचन्द्र जैन** थे।
- 8–9 मई, 1938 को **जमनालाल बजाज** की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। 30 मई, 1938 को राज्य ने किसी गैर पंजीकृत संस्था द्वारा सभा–सम्मेलन करना व सदस्य बनाना अवैध घोषित कर दिया। 16 दिसम्बर, 1938 को जयपुर राज्य ने जमनालाल बजाज के जयपुर **प्रवेश पर रोक** लगा दी।
- 1938 में 'शेखावाटी किसान सभा' का जयपुर प्रजामंडल में विलय हुआ।
- **अवैध** घोषित होने के बाद प्रजामंडल का कार्यालय आगरा स्थानान्तरित कर दिया गया। 11 फरवरी, 1939 को बजाज ने आदेश का उल्लंघन कर जयपुर में **प्रवेश** किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही **हीरालाल शास्त्री**, **चिरंजीलाल**, **हरिश्चन्द्र**, **कपूरचंद पाटनी** व **हंस डी. राय** को भी गिरफ्तार किया गया।
- 5 फरवरी, 1939 से जयपुर प्रजामंडल ने सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में सत्याग्रह किया, श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्त्व में महिलाओं ने भी गिरफ्तारी दी। 2 अप्रैल, 1940 को जयपुर प्रजामंडल व सरकार के मध्य **समझौता** हुआ, इसी दिन जयपुर प्रजामंडल को **मान्यता प्रदान** कर पंजीकृत किया गया।
- 25 मई, 1940 को प्रजामंडल के अधिवेशन में जमनालाल बजाज ने उत्तरदायी शासन की माँग को पुनः दोहराया, **नवम्बर** 1941 में सीकर में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ।
- प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद होने पर चिरंजीलाल ने 'प्रजामंडल प्रगतिशील दल' का गठन किया।

✦ **जेन्टलमेंस एग्रीमेंट**– 1942 में **भारत छोड़ो आन्दोलन** के समय प्रजामंडल ने महाराजा से उत्तरदायी शासन स्थापित करने की माँग की। प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माईल के बीच एक समझौता 'जेन्टलमेंस एग्रीमेंट' हुआ।

- इस एग्रीमेंट में–(1) जयपुर राज्य द्वारा युद्ध में अंग्रेजों की सहायता नहीं करना, (2) प्रजामंडल को शांतिपूर्ण तरीकों से युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता देना, (3) अंग्रेजी प्रांतों के किसी भी आन्दोलनकारी को जयपुर में प्रवेश से नहीं रोकना तथा (4) राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की कार्यवाही करने (5) प्रजामण्डल महाराजा के विरूद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्यवाही नहीं करेगा। उपरोक्त शर्तें सम्मिलित थी। इस समझौते के बाद प्रजामंडल ने भारत छोड़ों आन्दोलन को स्थगित रखा।

- **प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माईल** ने अपनी कूटनीति से प्रजामंडल को विभाजित कर आंदोलन को कमजोर कर दिया।

- आजाद मोर्चा का गठन– प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता प्रजामंडल को राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग रखने के पक्ष में नहीं थे, उन्होने '**आजाद मोर्चा**' नाम से एक नया दल बनाकर राज्य के विरूद्ध आन्दोलन छेड़ दिया। जयपुर में आजाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिश्चन्द्र ने 14–15 सितम्बर, 1942 को रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचन्द कासलीवाल और हंस डी. राय के सहयोग से की। **1945 में** पं. नेहरू की मध्यस्था में दोनों संस्थाओं का **विलय** हो गया।

- 1945 में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, लेकिन दोनों सदनों में महाराजा द्वारा मनोनीत सदस्यों का वर्चस्व रखा गया। इसके बाद हुए चुनावों में प्रजामंडल ने भाग लिया, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली।

20 राजस्थान का एकीकरण

- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में **19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केन्द्रशासित प्रदेश** (अजमेर मेरवाड़ा) थे। इन देशी राज्यों, ठिकानों एवं केन्द्रशासित प्रदेश को एकसूत्र में पिरोकर एक सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई 'राजस्थान' का निर्माण हुआ।
- राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च, 1948 से प्रारम्भ होकर 1 नवम्बर, 1956 तक 7 चरणों में पूर्ण हुई। इसमें कुल **8 वर्ष 7 माह 14 दिन** का समय लगा।

राजपूताना

- **19 देशी रियासतें**
  1. जयपुर
  2. जोधपुर
  3. उदयपुर
  4. बीकानेर
  5. कोटा
  6. बूँदी
  7. अलवर
  8. भरतपुर
  9. धौलपुर
  10. डूँगरपुर
  11. प्रतापगढ
  12. बाँसवाड़ा
  13. झालावाड़
  14. करौली
  15. शाहपुरा
  16. सिरोही
  17. टोंक
  18. जैसलमेर
  19. किशनगढ़
- **3 ठिकाने**
  - कुशलगढ़
  - लावा
  - नीमराणा
- **1 केन्द्रशासित प्रदेश**
  - अजमेर

राजस्थान के 3 ठिकाने–

नीमराणा (वर्तमान जिला कोटपूतली–बहरोड़)– **राव राजेन्द्रसिंह**

कुशलगढ़– (बाँसवाड़ा)– **राव हरेन्द्र सिंह** (क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था, 340 वर्ग मील)

लावा (टोंक)– **बंस प्रदीप सिंह** (क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना था, 20 वर्ग मील)

- अंग्रेजों ने तोपों की सलामी के आधार पर रियासतों को दो श्रेणियों में बाँट रखा था।
- सेल्यूट स्टेट्स– जिन रियासतों के शासकों को तोपों की सलामी दी जाती थी।
- नॉन सेल्यूट स्टेट्स– जिन रियासतों के शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी।
- रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार था, जबकि ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। **शाहपुरा** व **किशनगढ़** अपवाद रूप में दो ऐसी रियासतें थी, जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था।
- 19 तोपों की सलामी– उदयपुर
- **17 तोपों की सलामी**– जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, करौली, टोंक
- **15 तोपों की सलामी**– जैसलमेर, सिरोही, अलवर, धौलपुर, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़
- 13 तोपों की सलामी– झालावाड़ ।

- 31 दिसम्बर, 1945 को उदयपुर में पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में '**अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्**' का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में रियासतों के एकीकरण व राजपूताना सभा बनाने का निर्णय हुआ।
- रियासती सचिवालय– रियासतों की समस्या से निपटने हेतु 5 जुलाई, 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। जिसके अध्यक्ष **सरदार वल्लभ भाई पटेल** व सचिव **वी.पी. मेनन** थे। रियासती सचिवालय ने घोषणा की, कि स्वतंत्र भारत में वे राज्य ही अपना अलग अस्तित्व रख सकेंगे, जिनकी जनसंख्या 10 लाख व वार्षिक आय 1 करोड़ रू. होगी। इस मापदण्ड के अनुसार राजस्थान में केवल **जयपुर, जोधपुर, बीकानेर** व **मेवाड़** ही ऐसी रियासतें थी, जो अपना अलग अस्तित्व रख सकती थी।

☞ विभिन्न शासकों द्वारा संघ बनाने के प्रयास –

- मेवाड़ महाराणा भूपालसिंह ने राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर '**राजस्थान यूनियन**' का गठन करने हेतु 25–26 जून, 1946 को उदयपुर में **राजपूताना, गुजरात, मालवा** के राजाओं का सम्मेलन बुलवाया। इस सम्मेलन में **22 राजाओं** ने भाग लिया। महाराणा भूपालसिंह का राजस्थान यूनियन गठन का यह प्रयास असफल रहा। महाराणा के संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुन्शी की सलाह पर **23 मई, 1947** को पुनः राजाओं का एक सम्मेलन **उदयपुर** में बुलाया गया। लेकिन शासकों के पारस्परिक अविश्वास के कारण 'राजस्थान यूनियन' की योजना साकार नहीं हो सकी।
- इसी तरह **जयपुर महाराजा** सवाई मानसिंह ने भी राज्यों का एक संघ बनाने का प्रयास किया। **कोटा महाराव भीमसिंह** भी कोटा, बूँदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य '**हाड़ौती संघ**' बनाने के इच्छुक थे। **डूँगरपुर महारावल** लक्ष्मणसिंह ने भी डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ को सम्मिलित कर एक '**वागड़ संघ**' बनाने का प्रयास किया। उक्त शासकों के संघ बनाने के सभी प्रयत्न **विफल** रहे।
- 5 जुलाई, 1947 को सरदार पटेल ने एक वक्तव्य जारी करते हुए देशी राजाओं से आहवान किया कि वे 15 अगस्त, 1947 से पहले भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाएँ। ऐसा करना देशी राज्यों के हित में होगा।

21 राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्त्व एवं स्वतंत्रता सेनानी

❖ अर्जुनलाल सेठी (1880–1941 ई.)

- अर्जुनलाल सेठी का जन्म 9 सितम्बर, 1880 को जयपुर में एक जैन परिवार में हुआ था।
- उपनाम– राजस्थान का दधिचि/जयपुर में जनजागृति का जन्मदाता।
- प्रारम्भ में ये **चौमू के ठाकुर** देवीसिंह के शिक्षक व निजी सचिव नियुक्त हुए। जयपुर के तत्कालीन महाराजा माधोसिंह द्वितीय ने इन्हें जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, तब इन्होंने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि **"अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा"**।
- सेठी ने 'जैन शिक्षा प्रचारक समिति' की स्थापना 1905 में जयपुर में की। इसी के तहत् इन्होंने जयपुर में 1907 में वर्धमान विद्यालय, **वर्धमान छात्रावास** और वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना की। वर्धमान स्कूल का मुख्य कार्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना था।
- हॉर्डिंग बम कांड– इस बमकांड में अर्जुनलाल सेठी सहित कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किये गये। बालमुकुंद और अमीचन्द को इस अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया। अर्जुनलाल सेठी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर बिना मुकदमा चलाए ही उन्हे जेल में बंद रखा गया। अर्जुनलाल सेठी के जयपुर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया व उन्हे वैलूर जेल (मद्रास) में रखा गया।
- लगभग 7 **वर्ष** बाद 1920 में उन्हें वैलूर जेल से छोड़ा गया।
- अर्जुनलाल सेठी की पुस्तकें– शुद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्वयज्ञ, मदन पराजय, 'महेन्द्र कुमार' (नाटक)।
- अपने जीवन के अंतिम दिनों में अजमेर में मदरसे में 'करीम खाँ' नाम रखकर मुसलमान बच्चों को अरबी और फारसी का अध्यापन करवाया।
- 23 दिसम्बर, 1941 को अजमेर स्थित 'ख्वाजा साहब की दरगाह' में अर्जुनलाल सेठी की मृत्यु हो गई।
- राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने वालों में अर्जुनलाल सेठी अग्रगण्य माने जाते हैं।

❖ सेठ जमनालाल बजाज (1889–1942 ई.)

- इनका जन्म काशी का बास (सीकर) में 1889 ई. में हुआ।
- उपनाम– राजस्थान का भामाशाह ।
- 1915 में गाँधीजी के सम्पर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर जीवन भर गाँधीवादी विचारधारा को अपनाया।
- **नागपुर अधिवेशन** (1920) में इन्हें 'गाँधीजी के पाँचवे पुत्र' की संज्ञा दी गई।
- असहयोग आन्दोलन के दौरान इन्होंने 1921 में अंग्रेजों द्वारा दी गई 'रायबहादुर' की उपाधि लौटा दी। 1 लाख रूपये तिलक स्वराज कोष में दिये तथा 11 हजार रूपये मुस्लिम लीग को दिये।
- 1921 में वर्धा में 'सत्याग्रह आश्रम' की स्थापना की।
- चरखा संघ– 1925 में अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की, जिसे 1927 में **जयपुर** स्थानान्तरित कर दिया।
- जमनालाल बजाज राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की माँग करने वाले व्यक्ति थे।
- इन्होंने गाँधीजी द्वारा 'नवजीवन' समाचार पत्र के हिन्दी संस्करण प्रारम्भ किए जाने पर इस समाचार पत्र का पूर्ण वित्तीय भार वहन किया। बजाज ने नवजीवन, राजस्थान केसरी, कर्मवीर, प्रताप आदि समाचार पत्रों को आर्थिक सहायता दी। इन्होंने गौसेवा संघ, गाँधी सेवा संघ व सस्ता साहित्य मण्डल की स्थापना की।
- बजाज स्वयं को गुलाम नं. 4 कहते थे। पहला गुलाम भारत, दूसरा देशी राजा, तीसरा सीकर, व चौथा स्वयं।
- इन्होंने 1936 में गाँधीजी को सेगान नामक **एक ग्राम** उपहार में दिया, जिसका बाद में गाँधीजी ने सेवाग्राम नाम रखा।
- 1942 ई. में इनकी मृत्यु हो गई। 1970 में भारत सरकार ने इन पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया।

❖ केसरी सिंह बारहठ (1872–1941 ई.)–

- इनका जन्म शाहपुरा रियासत के **देवपुरा** गाँव में 21 नवम्बर, 1872 को चारण जाति में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर कृष्णसिंह बारहठ था। ये डिंगल के कवि थे। इनकी कर्मभूमि कोटा थी। **(स्रोत– RBSE कक्षा–9)**
- केसरीसिंह इटली के राष्ट्रपिता 'मैजिनी' को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
- 1903 में जब महाराणा फतेहसिंह लार्ड कर्जन द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम के सम्मान समारोह में भाग लेने दिल्ली दरबार जा रहे थे, तो केसरी सिंह बारहठ ने इस कृत्य की निंदा स्वरूप महाराणा को 13 सोरठे 'चेतावनी रा चुंगट्या' (डिंगल भाषा) भेजे, जिनको पढ़कर महाराणा दिल्ली जाकर भी दरबार में नहीं गए। महाराणा को ये सोरठे राव गोपाल सिंह ने **सरेरी रेलवे स्टेशन** पर सौंपे थे।
- ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टो में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिये केसरीसिंह बारहठ व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया।
- इनकी रचनाएँ– प्रतापचरित, दुर्गादास चरित, रूठीरानी, जसवंत चरित्र, राजसिंह चरित्र, कुसुमांजलि।
- इन्होंने अश्वघोष (बुद्धचरित) का हिन्दी अनुवाद किया व कवि श्यामलदास की जीवनी लिखी।

22 राजस्थान की इतिहास प्रसिद्ध महिलाएँ

❖ अंजना देवी चौधरी–

- इनका जन्म **नीमकाथाना** जिले के श्रीमाधोपुर में 1897 ई. में हुआ। ये राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी।
- इन्होंने 1921–24 में मेवाड़ व बूँदी क्षेत्र की महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत की तथा सत्याग्रह आन्दोलनों में भाग लिया।
- इन्होंने 1924 में बिजौलिया किसान आन्दोलन में भाग लेते हुए 500 महिलाओं के जुलूस का नेतृत्त्व करते हुए गिरफ्तारी दी।
- कांग्रेस के नमक सत्याग्रह (1930) के दौरान इन्हें **6 महीने** का कारावास भुगतना पड़ा। ये राजस्थान में स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी।
- इन्होंने बेगूँ (चित्तौड़) किसान आन्दोलन में भी सत्याग्रही महिलाओं का नेतृत्त्व किया। 1934–36 ई. तक **अजमेर** के नारेली आश्रम में रहकर हरिजन सेवा कार्यों में भाग लिया।

❖ किशोरी देवी–

- इनका जन्म **दुलारों का बास** (झुंझुनूं) में हुआ था। ये **शेखावाटी** के स्वतंत्रता सेनानी सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। इन्होने अपने पति के साथ शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में हुए आन्दोलन में भाग लिया।
- इन्होंने 25 अप्रैल, 1934 को सीकर के कटराथल गाँव में 10,000 महिलाओं के विशाल सम्मेलन की अध्यक्षता की। इन्होंने महिलाओं का समूह बनाकर **जयपुर** में सत्याग्रह भी किया।

❖ जानकी देवी–

- ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विजयसिंह पथिक की धर्मपत्नी थी। 24 फरवरी, 1930 को इनका विवाह पथिक जी से हुआ। विवाह के पश्चात् इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

❖ जानकी देवी बजाज–

- इनका जन्म जावरा (मध्यप्रदेश) में 1893 ई. में हुआ। इनके पिता सेठ गिरधारीलाल मूलतः लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के निवासी थे। ये सेठ **जमनालाल बजाज** की धर्मपत्नी थी।
- इन्हें काँग्रेस के **नमक सत्याग्रह** (1930) के दौरान 6 माह का कारावास (नागपुर जेल में) दिया गया था।
- 1933 में इन्होंने कलकत्ता में **अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन** की अध्यक्षता की।
- इन्होंने 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्होंने महिलाओं में जनजागृति पैदा की व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। जानकी देवी ने विनोबा भावे के सानिध्य में गौसेवा का कार्य किया, उनके भूदान आन्दोलन के दौरान अनेक कुओं का निर्माण करवाया।
- बजाज जी के निधन के बाद ये गौसेवा संघ की अध्यक्षा बनी।
- 1956 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म–विभूषण से अलंकृत किया। ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला एवं प्रथम व्यक्तित्त्व थी।

❖ श्रीमती रतन शास्त्री–

- इनका जन्म खाचरोद (मध्यप्रदेश) में 15 अक्टुबर, 1912 को हुआ। ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपने पति के साथ टोंक के वनस्थली में 'शांताबाई शिक्षा कुटीर' नामक विद्यालय की स्थापना की, जो वर्तमान में **'वनस्थली विद्यापीठ'** के नाम से प्रसिद्ध है।
- इन्होंने 1939 ई. में जयपुर राज्य प्रजामण्डल के सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। **05 मार्च, 1939** को रतन शास्त्री के नेतृत्व में **6 महिलाओं** ने जयपुर में गिरफ्तारी दी। भारत छोड़ो आन्दोलन (1942) के समय भूमिगत कार्यकत्ताओं तथा उनके परिवारों की सेवा की।
- इन्हें भारत सरकार द्वारा 1955 में पद्मश्री तथा 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी।

❖ नारायणी देवी वर्मा–

- ये माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी। इनका जन्म **सिंगोली** (मध्यप्रदेश) में हुआ। इन्होंने अपने पति के साथ किसान सत्याग्रह, भारत छोडो आन्दोलन, समाज सुधार तथा बिजौलिया आन्दोलन में भाग लिया।
- 1939 ई. में प्रजामण्डल के कार्यों में भाग लेने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। 1942 ई. में **भारत छोड़ो आन्दोलन** में भाग लेने के कारण इन्हें पुनः जेल जाना पड़ा।
- नारायणी देवी ने महिला शिक्षा व जागृति के लिए भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की।
- बिजौलिया किसान आन्दोलन के समय इन्हें बंदी बनाकर कुम्भलगढ़ किले में रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद इन्हें 1970 से 1976 ई. तक राज्यसभा की सदस्या रहीं।

❖ स्नेहलता वर्मा–

- ये माणिक्यलाल वर्मा की ज्येष्ठ पुत्री थी। इन्होंने बिजौलिया किसान आन्दोलन व **स्वतंत्रता आन्दोलन** में अपने पिता के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया। 1938 में उन्होंने आन्दोलनकारी महिलाओं का नेतृत्त्व किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।

भाग–4
राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था

1 राज्यपाल

- भारतीय संविधान में राज्यों में भी **केन्द्र की तरह संसदीय व्यवस्था** को अपनाया गया है। राज्यपाल को नाममात्र का कार्यकारी बनाया गया है, लेकिन **वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद् करती** है।
- राज्यपाल अपनी **शक्ति व कार्य** को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही कर सकता है। सिर्फ उन विषयों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल करता है।
- **1 नवम्बर, 1956** तक राजस्थान 'बी श्रेणी' का राज्य था। बी श्रेणी के राज्यपाल को 'राज प्रमुख' कहा जाता था। 1 नवम्बर, 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर 'राज्यपाल' पद सृजित किया गया।

☞ **नोट– राज्य पुनर्गठन आयोग** की सिफारिश पर **7वें संविधान संशोधन 1956** द्वारा राज्यों की श्रेणियाँ (A, B, C, D) समाप्त कर दी गई और राजप्रमुखों के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया।

- राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद **'राज्यपाल'** (गवर्नर) का होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान (संवैधानिक मुखिया) होता है। तथा वह केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है।
- राज्यपाल **राज्य विधानमण्डल का अभिन्न अंग** है।

✦ राज्यपाल के बारे में कथन–

1. सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान– सरोजिनी नायडु
2. वेतन का आकर्षण– **विजयलक्ष्मी पंडित**
3. राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए **Headache** है तथा दूसरी ओर केन्द्र सरकार भी इन्हें महत्त्व नहीं देती– मार्ग्रेट आल्वा
4. संवैधानिक औचित्य का प्रहरी तथा वह कड़ी जो केन्द्र व राज्य सम्बन्धों को प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है– के.एम.मुंशी
5. 'राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, इनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं'– सीतारमैया

(स्रोत– कक्षा 12 राजनीति विज्ञान)

राज्य सरकार
(भाग–6 अनुच्छेद–152 से 237)

- **कार्यपालिका** (अनुच्छेद–153 से 167)
- **व्यवस्थापिका** (अनुच्छेद–168 से 213)
- **न्यायपालिका** (अनुच्छेद–214 से 237)

राज्यपाल से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 153	राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 155	राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156	राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157	राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ
अनुच्छेद 158	राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 160	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161	सभा आदि और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति।
अनुच्छेद 162	राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार
अनुच्छेद 163	मंत्रिपरिषद् का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना।
अनुच्छेद 164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे–नियुक्ति, कार्यकाल व वेतन आदि।
अनुच्छेद 165	राज्य महाधिवक्ता
अनुच्छेद 166	राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही
अनुच्छेद 167	राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य
अनुच्छेद 174	राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग होना।
अनुच्छेद 175	राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार
अनुच्छेद 176	राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन
अनुच्छेद 200	विधेयक पर सहमति (राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना)
अनुच्छेद 201	राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णय
अनुच्छेद 213	राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
अनुच्छेद 217	राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना।
अनुच्छेद 233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 234	राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति (जिला न्यायाधीशों के अलावा)

❖ अनुच्छेद–153– प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा

☞ ध्यान रहे– 7वाँ संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति को **दो या दो** से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

❖ अनुच्छेद–155 राज्यपाल की नियुक्ति

- राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने **हस्ताक्षर** और **मुद्रा** सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।

राजस्थान के राज्यपाल तथा उनका कार्यकाल				
क्र.सं.	राज्यपाल	कार्यकाल	मुख्यमंत्री	विशेषताएँ
1.	सवाई मानसिंह (राज प्रमुख)	30.03.1949 से 31.10.1956	श्री हीरालाल शास्त्री, सी.एस. वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया	राजप्रमुख (राज्यपाल पद का पूर्व नाम) रहे। ये इण्डियन पोलो एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे।
2.	श्री गुरुमुख निहालसिंह (प्रथम राज्यपाल)	01.11.1956 से 15.04.1962	मोहनलाल सुखाड़िया	इनको **25 अक्टूबर, 1956** को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए। ये राजस्थान के **सर्वाधिक कार्यकाल** वाले राज्यपाल थे।
3.	श्री सम्पूर्णानन्द	16.04.1962 से 15.04.1967	मोहनलाल सुखाड़िया	इनके कार्यकाल में 13 मार्च, 1967 को **पहला राष्ट्रपति शासन** लगाया गया था।
4.	सरदार श्री हुकुम सिंह	16.04.1967 से 19.11.1970	मोहनलाल सुखाड़िया	ये लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी रहे थे।
5.	न्यायमूर्ति श्री जगत नारायण (कार्यवाहक)	20.11.1970 से 23.12.1970	मोहनलाल सुखाड़िया	ये राजस्थान के **प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल** रहे।
6.	सरदार श्री हुकुम सिंह	24.12.1970 से 30.06.1972	मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खाँ	
7.	श्री जोगिन्दर सिंह	01.07.1972 से 14.02.1977	बरकतुल्ला खाँ, हरिदेव जोशी	ये **संविधान सभा, लोकसभा** एवं **राज्यसभा** सदस्य रहे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया।
8.	न्यायमूर्ति श्री वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15.02.1977 से 11.05.1977	हरिदेव जोशी	इनके समय राजस्थान में **दूसरा राष्ट्रपति शासन** 30 अप्रैल, 1977 को लगाया गया था।
9.	श्री रघुकुल तिलक	12.05.1977 से 08.08.1981	हरिदेव जोशी, भैंरोसिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर	ये RPSC के सदस्य भी रह चुके हैं। इनके समय **दूसरा राष्ट्रपति शासन 21 जून, 1977** को हटाया गया। इनके समय **तीसरा राष्ट्रपति शासन** लगाया गया।
10.	न्यायमूर्ति श्री के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	08.08.1981 से 05.03.1982	शिवचरण माथुर	
11.	एयर चीफ मार्शल श्री ओ. पी. मेहरा	06.03.1982 से 04.01.1985	शिवचरण माथुर	ये **वायुसेना के अध्यक्ष** भी रहे चुके थे।
12.	न्यायमूर्ति श्री पी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	05.01.1985 से 31.01.1985	शिवचरण माथुर	इन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया।
13.	एयर चीफ मार्शल श्री ओ. पी. मेहरा	01.02.1985 से 03.11.1985	शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी	ये **हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष** रहे थे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे थे।
14.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	04.11.1985 से 19.11.1985	हरिदेव जोशी	

2 मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद्

❖ मुख्यमंत्री

- संघात्मक व्यवस्था में शासन का संचालन दो स्तरों पर होता है–
  1. केन्द्र स्तर 2. राज्य स्तर
- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का दोहरा रूप होता है।
  1. वास्तविक कार्यपालिका (मुख्यमंत्री) 2. औपचारिक कार्यपालिका, (राज्यपाल)
- राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री होता है तथा मंत्रिपरिषद् मुख्यमंत्री के नेतृत्त्व में कार्य करती है।
- संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री केन्द्र के प्रधानमंत्री के समकक्ष राज्य की मंत्रिपरिषद् का प्रमुख, सरकार का प्रमुख तथा राज्य का शासक व सर्वोच्च नेता कहलाता है।
- मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के भाग–6 में है।

अनुच्छेद 163	मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देना
अनुच्छेद 164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान
अनुच्छेद 166	राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन
अनुच्छेद 167	मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्त्तव्य

✦ अनुच्छेद–163– राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्

✦ **अनुच्छेद–163(1)–** राज्यपाल को अपने **विवेकानुसार निर्णय** को छोड़कर अपने कार्यों व शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक **मंत्रिपरिषद्** होगी, जिसका मुखिया, मुख्यमंत्री होगा।

✦ अनुच्छेद–164– मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान

✦ **अनुच्छेद–164(1)–** मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति **राज्यपाल** मुख्यमंत्री से परामर्श द्वारा करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेंगे।

- राज्यपाल, प्रायः विधानसभा में **बहुमत दल के नेता** को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता हैं।
- यदि आम चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है या एक से अधिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए दावे कर रहे हो या विधानसभा में कोई सर्वमान्य नेता न हो तब भी राज्यपाल **अपने विवेक से** मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को **1 माह** के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है।

➢ **कार्यकाल–** सामान्यतः 5 वर्ष

- मुख्यमंत्री राज्यपाल के **प्रसादपर्यंत अपने पद** पर बना रहता है। प्रसादपर्यंत का तात्पर्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत से है। यदि **विधानसभा में बहुमत न हो** तो समय से पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ता है।
- **मुख्यमंत्री अपना** त्यागपत्र **राज्यपाल** को सौंपता है।
- मुख्यमंत्री का त्याग–पत्र समस्त मंत्रिपरिषद् का त्याग–पत्र माना जाता है।

✦ **पद से हटाना–** विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है।

- यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे तो मंत्रिपरिषद् का अंत हो जाता है।

✦ **अनुच्छेद 164(3)– शपथ**

- किसी मंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ली जाती है।
- मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में मिलता है।

✦ **अनुच्छेद 164(4)–** मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उसकी योग्यता वही है जो विधानसभा सदस्यों की होती है।

- जैसे–न्यूनतम **आयु 25 वर्ष**
- सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है यदि सदस्य न हो तो **6 माह** के भीतर विधानमण्डल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है।

> ☞ **नोट–** यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह **राष्ट्रपति** चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ही भाग लेने का उल्लेख है तथा, मुख्यमंत्री मनोनीत है तो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

- यदि मुख्यमंत्री **विधानपरिषद्** का सदस्य है तो वह **अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं** कर सकता।

✦ **अनुच्छेद 164(5)– वेतन एवं भत्ते**

- मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल करता है। मुख्यमंत्री का वर्तमान वेतन 75,000 रुपए है।

✦ अनुच्छेद 167– राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य

✦ **अनुच्छेद 167(क)–** मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय संबंधी मंत्रीपरिषद् के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करेगा।

- ये मुख्यमंत्री बनने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री **मोहनलाल सुखाड़िया** व **बरकतुल्ला खाँ** के समय मंत्री के पद पर रहे थे।
- **1975 के आपातकाल** के दौरान मुख्यमंत्री के पद पर थे।
- इनके समय वर्ष **1977 में राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन** लगाया गया।
- ये राजस्थान विधानसभा में 10 बार विधायक रहे, लेकिन कभी भी विधानसभा का **चुनाव नहीं** हारे।
- 20 जनवरी, 1988 को कांग्रेस उच्च सत्ता के निर्देश पर मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया।
- यह राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक भी बने थे।
- इनके समय 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया।
- ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन **एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं** कर पाए।
- ये **असम, मेघालय** व **पश्चिम बंगाल** के राज्यपाल भी बने थे।

8. भैरोंसिंह शेखावत – उपनाम– बाबोसा

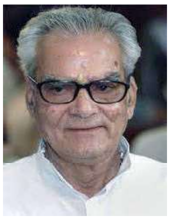

- जन्म– 1923 खांचरियावास (सीकर)
- ये मध्यप्रदेश **राज्यसभा सांसद** रहे थे।
- छठी विधानसभा चुनाव के बाद 1977 में राजस्थान में **पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार** भैरोंसिंह शेखावत (जनता पार्टी) के नेतृत्व में बनी। इस समय ये राजस्थान **विधानसभा के सदस्य नहीं** थे।
- ये मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। बाद में **कोटा की छबड़ा सीट से उपचुनाव** जीतकर विधायक बने।
- ये मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मुख्यमंत्री के समय मंत्रीपरिषद् में मंत्री नहीं रहे थे।
- इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हरिशंकर भाभड़ा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया।
- ये **11वीं विधानसभा** में प्रोटेम स्पीकर रहे।
- केन्द्र में कांग्रेस दल के पुनः सत्तारूढ़ होने पर इनके समय राजस्थान में 17 फरवरी, 1980 को **तीसरी बार राष्ट्रपति शासन** लगाया गया।
- इनके समय राजस्थान में **पहली बार समय से पहले विधानसभा भंग** हुई और **प्रथम बार मध्यावधि चुनाव** भी हुए।
- 15 दिसम्बर, 1992 को प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने अयोध्या में **बाबरी मस्जिद** की घटना के चलते इनकी सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग कर दी थी और राजस्थान में **चौथी बार राष्ट्रपति शासन** लगाया गया।
- इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में **3 बार शपथ** ली।
- ये **10 बार राजस्थान से विधायक** रहे।
- ये **लोकलेखा** व **कार्यमंत्रणा समिति** के सदस्य रहे।
- इनके समय 1977 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई।
- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने।
- ये राजस्थान विधानसभा में **3 बार विपक्ष नेता** बने।
- इन्होंने प्रतिभा पाटिल के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।

9. जगन्नाथ पहाड़िया– जन्म– 1932 भरतपुर

- ये राजस्थान के **प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री** बने।
- ये **लोकसभा** व **राज्यसभा** सांसद रहे थे।
- जून 1980 में सातवीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दल ने बहुमत प्राप्त कर इनको मुख्यमंत्री बनाया। इस समय ये विधानसभा सदस्य नहीं थे। ये **बयाना से लोकसभा** सांसद व केन्द्र में वित्त राज्य मंत्री के पद पर थे।
- इनको **कवयित्री महादेवी** वर्मा पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण **13 जुलाई, 1981 को त्यागपत्र** देना पड़ा।
- ये पूर्व **प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी** के समय 3 बार केन्द्र में मंत्री भी रह चुके।
- ये **बिहार** (1989–90) व **हरियाणा** (2009–14) के राज्यपाल भी रहे।
- ये राजस्थान में किसी भी मुख्यमंत्री के समय मंत्री नहीं रहे थे।

10. शिवचरण माथुर– जन्म–1926 गुना (मध्यप्रदेश)

- ये मुख्यमंत्री बनने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया **बरकतुल्ला खाँ** व **हरिदेव जोशी** के समय **मंत्रिपरिषद् में मंत्री** रहे।
- 23 फरवरी, 1985 को चुनाव अभियान के दौरान **डीग गोली काण्ड के कारण कांग्रेस उच्च सत्ता** के निर्देश पर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया।
- यह असम के राज्यपाल भी बने थे।
- इनकी अध्यक्षता में **राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग** (1999) का गठन किया गया।

11. हीरालाल देवपुरा– जन्म– 1925 राजसमंद

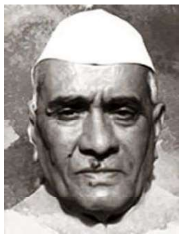

- ये पूर्व मुख्यमंत्री **मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया** व **शिवचरण माथुर** के समय उनके मंत्रिपरिषद् में मंत्री रहे थे।
- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष व दूसरे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे।
- राजस्थान के **न्यूनतम कार्यकाल** (16 दिन) **वाले मुख्यमंत्री।**

3 राज्य विधानमण्डल

राज्य विधानमण्डल (The State Legislature) (भाग–6 अनुच्छेद–168–212)

- केन्द्र में संसद के समान **राज्य की विधायिका/व्यवस्थापिका** को विधानमण्डल कहते है, जिसका उद्देश्य है राज्य में कानून निर्माण करना।
- राजस्थान में **सर्वप्रथम बीकानेर रियासत** द्वारा विधानसभा के गठन हेतु प्रयास किया गया था।

✦ अनुच्छेद–168– राज्यों के विधानमण्डलों का गठन

✦ **अनुच्छेद–168(1)**– प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा, जो **राज्यपाल, विधानसभा** व **विधानपरिषद्** से मिलकर बनेगा।

➢ (क) जिन राज्यों में **2 सदन** हैं वहाँ **राज्यपाल, विधानसभा व विधानपरिषद् से मिलकर विधानमण्डल** का गठन होगा।

➢ (ख) जिन राज्यों में **1 सदन** है वहाँ **राज्यपाल** और **विधानसभा** से मिलकर विधानमण्डल का गठन होगा।

☛ **नोट**– वर्तमान में केवल **6 राज्यों** में ही **द्वि–सदनात्मक विधानमण्डल** (बाइकैमरल) है। राजस्थान सहित शेष **22 राज्यों** में एक सदनात्मक विधानमण्डल (यूनीकैमरल) है, जिसमें केवल **एक सदन** (विधानसभा) है।

✦ **अनुच्छेद 168(2)**– किसी राज्य के विधानमण्डल के **2 सदन** है वहाँ एक सदन का **नाम विधानपरिषद्** और दूसरे का नाम **विधानसभा** होगा तथा जिस राज्य में केवल **एक सदन** है, उसका नाम **विधानसभा** होगा।

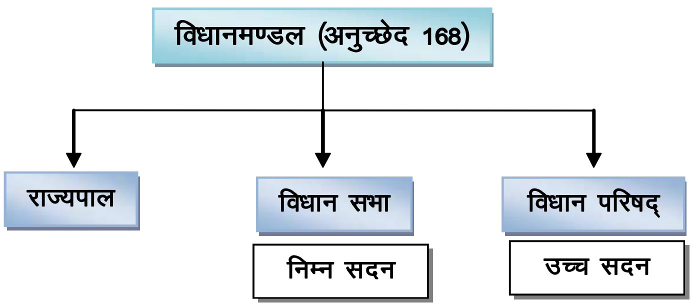

✦ अनुच्छेद 172– राज्यों के विधानमण्डलों का कार्यकाल

✦ **अनुच्छेद 172(1)**– प्रत्येक राज्य की विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल अपने **प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक** होता है तथा इस अवधि की समाप्ति पर **विधानसभा स्वतः ही विघटित** हो जाती है।

- **राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श से** समय से पहले विधानसभा को **विघटित** कर सकता है।
- परन्तु **राष्ट्रीय आपातकाल** के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में **एक वर्ष तक** बढ़ा सकती है लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इसका विस्तार **6 माह** की अवधि से अधिक नहीं होगा।
- आपातकाल समाप्त होने के बाद **6 माह के अन्दर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन करवाना अनिवार्य** है।

✦ **अनुच्छेद 172(2)**– राज्य **विधानपरिषद् का विघटन नहीं** होता है, लेकिन उसके सदस्यों में से **एक तिहाई (1/3) सदस्य** संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार प्रत्येक **द्वितीय वर्ष** की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त होंगे।

- विधानपरिषद् के सदस्यों का **कार्यकाल 6 वर्ष** होता है।

✦ अनुच्छेद 173– विधानमण्डल की सदस्यता के लिए अर्हताएँ

- किसी राज्य में विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए संविधान में निम्न योग्यताएँ (अर्हताएँ) निर्धारित की गई है–

➢ (क)– वह **भारत का नागरिक** होना चाहिए।

➢ (ख)– विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम **25 वर्ष** की आयु तथा विधानपरिषद् के सदस्य बनने के लिए कम से कम **30 वर्ष** की आयु पूर्ण हो।

➢ (ग)– उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हो, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन हो।

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951** के तहत संसद द्वारा **निम्नलिखित अर्हताएँ (योग्यताएँ) निर्धारित की गई है–**

1. विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति उस **राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता** भी होना चाहिए।
2. विधानपरिषद् में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति **विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो** और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए उस राज्य का निवासी होना चाहिए।
3. यदि कोई व्यक्ति **अनुसूचित जाति** या **जनजाति** की सीट के लिए चुनाव लड़ता है तो वह **अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना** चाहिए।

✦ अनुच्छेद 188– सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

- राज्य की विधानसभा या विधानपरिषद् का **प्रत्येक सदस्य** अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, **राज्यपाल** या उसके द्वारा **नियुक्त व्यक्ति के समक्ष**, **तीसरी अनुसूची** के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

5 संसद में राजस्थान

- **प्रथम लोकसभा चुनाव 1952** के समय राजस्थान में लोकसभा की **22 सीटें** थी तथा **छठे लोकसभा चुनाव (1977)** में लोकसभा सदस्यों की **सीटें बढ़ाकर 25 कर दी गई।**
- 1952 के राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में **9 सीटें** थी। 1960 में राज्यसभा सीटों की **संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई,** जो वर्तमान तक है।
- राजस्थान में **वर्तमान लोकसभा की सीटें 25** हैं, जिसमें **4 अनुसूचित जाति** और **3 अनुसूचित जनजाति** के लिए आरक्षित है।
- राजस्थान राज्य से **25 लोकसभा सीटों** पर चुनाव करवाया जाता है, जिनमें से कुछ सीटों पर एक से अधिक जिलों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है।
- संसद के दोनों सदनों में कुल **35 सदस्य/सांसद** (25+10) राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद चुने जाने वाले व्यक्ति– **नाथूराम मिर्धा** (6बार, नागौर, 1971 से 1997 तक)
- राजस्थान से प्रथम लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने– **बलराम जाखड़** (सीकर से सांसद)

> ☞ **ध्यान रहे**– बलराम जाखड़ 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, इनका कार्यकाल लगभग 9 वर्ष 329 दिन का रहा। लोकसभा अध्यक्ष रहने के दौरान ये पहली बार **पंजाब** (फिरोजपुर) से तथा दूसरी बार राजस्थान **(सीकर)** से लोकसभा सांसद थे।

- राजस्थान से दूसरे लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने– **ओम बिड़ला** (कोटा–बूँदी से सांसद)
- ओम बिड़ला लगातार **दूसरी बार** लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ये 18 वीं लोकसभा में 26 जून 2024 को ध्वनिमत से कांग्रेस के **के. सुरेश** को पराजित कर लोकसभा अध्यक्ष बने हैं।
- राजस्थान से केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल होने वाले प्रथम लोकसभा सदस्य– **कालूलाल श्रीमाली (कैबिनेट मंत्री)**
- राजस्थान से प्रथम लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशी **शारदा बाई** और **रानी देवी** ने चुनाव लड़ा, लेकिन विजयी नहीं हो पाई।
- राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सांसद– **महारानी गायत्री देवी**
- राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सांसद– **सुशीला बंगारू (जालौर)**
- राजस्थान से अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सांसद– **उषा देवी मीणा**
- राजस्थान से केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में शामिल होने वाली प्रथम महिला सांसद– **डॉ. गिरिजा व्यास** (सूचना एवं प्रसारण उपमंत्री, उदयपुर से सांसद)
- राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला– **वसुंधरा राजे** (5 बार)
- राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति– **रामनिवास मिर्धा** (4 बार), **जसवंत सिंह** (4 बार)
- राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा सांसद– **शारदा भार्गव**
- राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला– **शारदा भार्गव**
- राजस्थान से वर्तमान में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में 4 सांसद शामिल हैं–

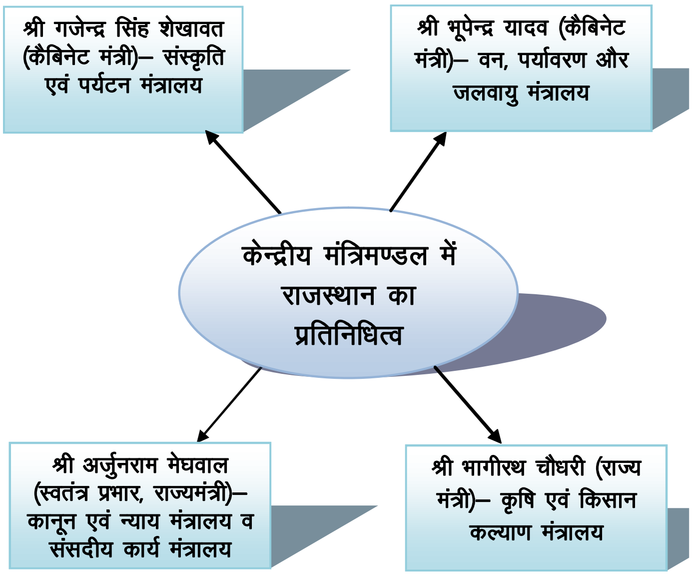

> ☞ **नोट**– श्री अश्विनी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के **जीवनंद कलां गाँव** के निवासी थे, लेकिन बाद में इनका परिवार जोधपुर में रहने लगा और वर्तमान में ये **उड़ीसा से राज्यसभा सांसद** हैं तथा वर्तमान में इनके पास केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है।

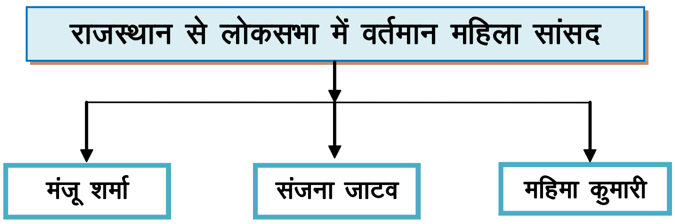

6 उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय

उच्च न्यायालय

- भारतीय संविधान के भाग–6 तथा अध्याय–5 में **अनुच्छेद 214 से 231 तक** राज्यों के उच्च न्यायालय की संरचना तथा कार्य का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद	उल्लेख
अनुच्छेद–214	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।
अनुच्छेद–215	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना।
अनुच्छेद–216	उच्च न्यायालयों का गठन।
अनुच्छेद–217	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें।
अनुच्छेद–218	उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना।
अनुच्छेद–219	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद–220	स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि–व्यवसाय पर निबंधन।
अनुच्छेद–221	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन।
अनुच्छेद–222	न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण।
अनुच्छेद–223	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति।
अनुच्छेद–224	अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अनुच्छेद–224(क)	उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अनुच्छेद–225	उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार।
अनुच्छेद–226	कुछ याचिकाएँ जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।
अनुच्छेद–227	सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति।
अनुच्छेद–228	कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों को अंतरण।
अनुच्छेद–229	उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय।
अनुच्छेद–230	उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार।
अनुच्छेद–231	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।

✦ अनुच्छेद 214– प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा

✦ अनुच्छेद 231– दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।

✦ अनुच्छेद 231(1)– संसद को अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

✦ अनुच्छेद 215– उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना

- प्रत्येक उच्च न्यायालय **अभिलेख न्यायालय** है और उसको न्यायालय की अवमानना पर **साधारण कारावास** या **आर्थिक दण्ड देने की शक्ति प्राप्त** है।

✦ अनुच्छेद 216– उच्च न्यायालय का गठन

- प्रत्येक उच्च न्यायालय **मुख्य न्यायमूर्ति** और ऐसे **अन्य न्यायाधीशों** से मिलकर बनेगा।

☛ **नोट**– उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या **संविधान में निश्चित नहीं** की गई है। अतः **राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों** की संख्या समय–समय पर **निर्धारित** की जाती है।

✦ अनुच्छेद 217– न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें

✦ अनुच्छेद 217(1)– उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायमूर्ति** तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित **अधिपत्र** द्वारा की जायेगी और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक **वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर** लेता है।

- उच्च न्यायालय के **अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति** राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायमूर्ति** व उच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायमूर्ति** तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के बाद की जाती है।
- **दो या दो से अधिक** राज्यों के लिए एक **साझा उच्च न्यायालय** में नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति **सभी सम्बन्धित राज्यों के राज्यपालों** से भी परामर्श करता है।

☛ **नोट**– 15वें संविधान संशोधन 1963 की धारा 4(क) द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के पद धारण करने की आयु **60 वर्ष** के स्थान पर **62 वर्ष** कर दी गई है।

➢ (क)– कोई न्यायाधीश, **राष्ट्रपति को संबोधित** करके अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा **अपना पद त्याग** सकता है।

7 राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव

मुख्य सचिव

- मुख्य सचिव का पद 1799 में तत्कालीन गर्वनर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा सृजित है तथा **जी.एस. बार्लो** (जॉर्ज हिलेरी बार्लो) को ब्रिटिश भारत का प्रथम मुख्य सचिव बनाया गया।
- प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर **वर्ष** 1973 में इस पद का मानकीकरण किया गया।
- 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव **के. राधाकृष्णन** बने। ये केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव थे।
- नवम्बर 1956 के संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की श्रेणियाँ समाप्त कर दी गई। अतः मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाने लगी। वर्ष 1958 में राज्य सरकार द्वारा भगवत सिंह मेहता को **प्रथम मुख्य सचिव** नियुक्त किया गया।
- मुख्य सचिव शासन सचिवालय का मुखिया या कार्यकारी प्रमुख होता है।
- मुख्य सचिव राज्य सचिवालय के **शीर्ष पद** पर होता है।
- मुख्य सचिव राज्य का **सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी** होता है तथा इसका नियंत्रण सचिवालय के सभी विभागों पर होता है।
- मुख्य सचिव का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
- यह सचिवों का मुखिया होता है।
- मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवाओं का अध्यक्ष होता है।
- मुख्य सचिव को **अवशिष्ट वसीयतदार** कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सचिव को आवंटित नहीं किये जाने वाले कार्य उसके द्वारा ही किये जाते हैं।
- राज्य की **नौकरशाही व्यवस्था का प्रमुख मुख्य सचिव** होता है।
- मुख्यमंत्री के सपनों को साकार रूप देने वाला **शिल्पी** मुख्य सचिव होता है।
- वर्ष 1973 से मुख्य सचिव को सभी राज्यों में **वरिष्ठतम लोकसेवक** माना जाता है।

> - एस.आर. माहेश्वरी के अनुसार मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का 'किंग पिन' (धूरी) कहते हैं।
> - मुख्य सचिव, राज्य प्रशासन का 'किंग पिन' होता है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण, समन्वय तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- मुख्य सचिव के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख 'सरकारी कार्य नियमावली' (रूल्स ऑफ बिजनेस) में दिए गए हैं।

❖ मुख्य सचिव का चयन

- मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है।
  जिसके निम्न आधार है–
- **भारतीय प्रशासनिक सेवा** (IAS) का वरिष्ठ अधिकारी।

> ☞ **नोट–** भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की वरीयता क्रम को प्रथम बार मुख्य सचिव मीठालाल मेहता की नियुक्ति के समय तोड़ा गया।

- प्रशासनिक पद पर कार्य का अनुभव।
- मुख्यमंत्री का **विश्वासपात्र अधिकारी** ।
- आकर्षक व्यक्तित्त्व।

> ☞ **नोट–** मुख्य सचिव का कार्यकाल **मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यन्त** पर निर्भर करता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। (सामान्यतः 60 वर्ष तक)

➢ पद से हटाना

- मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

❒ मुख्य सचिव के कार्य व भूमिका

1. मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में

- मुख्य सचिव राज्य का **सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी** तथा मुख्यमंत्री का **परामर्श दाता** होता है।
- मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के सचिवों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- मुख्य सचिव, राज्य के मंत्रियों के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से संबंधित प्रशासनिक बाधाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को देता है।

2. मंत्रिपरिषद् के सचिव के रूप में

- मुख्य सचिव, राज्य मंत्रिपरिषद् का पदेन सचिव होता है।
- मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- मंत्रिमण्डल का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है।
- मुख्य सचिव, कैबिनेट और इसकी **उप–समितियों** की बैठकों में भाग लेता है।
- मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवाहियों का रिकॉर्ड भी रखता है तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करता है।

8 संभाग व जिला प्रशासन व्यवस्था

❖ संभागीय व्यवस्था

- संभाग ऐसी प्रशासनिक ईकाई है जो कई जिलों का प्रशासन संभालने के साथ–साथ उन जिलों व राज्य सचिवालय के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 5 संभागों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा) के साथ 30 मार्च, 1949 को हुई तथा वर्तमान में 7 अगस्त, 2023 को 10 संभाग (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उयदपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, बाँसवाड़ा, पाली, सीकर) बना दिए गए हैं।
- 30 मार्च, 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री के समय हुई, जिसे 24 अप्रैल, 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा बंद कर दिया गया तथा इसे 26 जनवरी, 1987 को हरिदेव जोशी द्वारा पुनः प्रारम्भ किया गया।

✦ संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner)

- बंगाल के गर्वनर जनरल **लार्ड विलियम बैंटिक** द्वारा जिला कलेक्टरों पर निगरानी हेतु 1829 में संभागीय आयुक्त का पद सृजित किया।
- संभागीय आयुक्त संभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- संभागीय आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा इनका **कार्यकाल निश्चित नहीं** होता है।
- ये भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस) का अधिकारी होता है।
- संभागीय आयुक्त की सहायता के लिए **एक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नियुक्त** किया जाता है, जो राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है।
- यह **जिला कलेक्टर** व **मुख्य सचिव** के मध्य कड़ी का कार्य करता है।

✦ संभागीय आयुक्त के कार्य

- भू–राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई करना।
- संभाग में संचालित योजनाओं को लागू करवाना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण करना।
- अधीनस्थ जिलों के प्रशासन पर नियंत्रण एवं उनके कार्यों में तालमेल बिठाना।
- संभाग स्तर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निगरानी व जाँच आदि करना।
- जिला प्रशासन पर नियंत्रण करना।

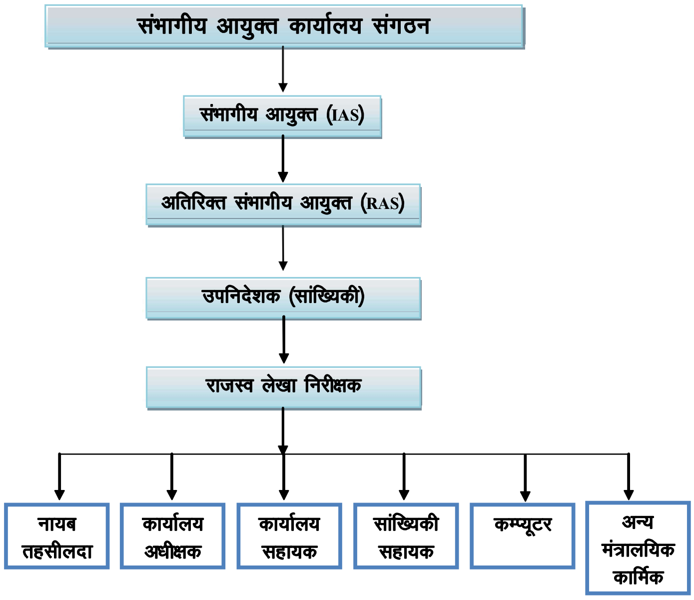

❖ जिला प्रशासन

- प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए इसे देश, प्रांत, जिला, तहसील, पंचायत समिति, **ग्राम पंचायत** एवं वार्ड में विभाजित किया गया है।
- District शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के Districtus से मानी जाती है। जिसका अर्थ है 'न्यायिक प्रशासन'
- गर्वनर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में भारत में **पहली बार** 1772 ई. में **कलेक्टर** का पद सृजित हुआ। जिसे 1773 में समाप्त कर दिया गया तथा 1781 में पुनः सृजित किया गया।
- वर्ष 1787 में जिला कलेक्टर को राजस्व संग्रहण के साथ दण्डनायक (मजिस्ट्रेट) की शक्तियाँ दी गई।
- अनुच्छेद 233 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग **जिला न्यायाधीशों** की नियुक्ति के संदर्भ में किया गया है।

✦ जिला प्रशासनिक इकाई के प्राचीन रूप –

- जिले के लिए **वैदिक काल** में विश शब्द तथा इसके प्रमुख को **'विशपति'** कहा गया है।
- जिले के लिए **मौर्यकाल** में जनपद शब्द तथा इसके प्रमुख को **'राजुका'** कहा गया है।
- जिले के लिए **गुप्तकाल** में विषय शब्द तथा इसके प्रमुख को **'विषयपति'** कहा गया है।
- जिले के लिए खिज्र खाँ सैयद के काल में शिक शब्द मिलता है।
- जिले के लिए शेरशाह सूरी के काल में **सरकार** शब्द तथा इसका प्रमुख **'शिकदार–ए–शिकदारान'** कहलाता था।

9 पंचायती राज

❖ स्थानीय लोगों द्वारा स्वशासन की व्यवस्था को **स्थानीय स्वायत्त शासन** कहते हैं जिसके **दो स्तर** है–

- **स्थानीय स्वायत्त स्वशासन**
  - **ग्रामीण स्थानीय स्वशासन**
    - जिला परिषद्
    - पंचायत समिति
    - ग्राम पंचायत
  - **नगरीय स्थानीय स्वशासन**
    - नगर निगम
    - नगर परिषद्
    - नगर पालिका

- स्थानीय स्वशासन के लिए प्रथम प्रयास **लॉर्ड मेयो** ने 1870 में किया।
- 1882 को लॉर्ड रिपन ने **स्थानीय स्वशासन** का प्रस्ताव पारित करवाया। रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वायत्त शासन का 'मेग्नाकार्टा' भी कहा जाता है। रिपन को **भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक** कहते है।
- **1935 के अधिनियम** द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बना दिया। जो वर्तमान में भी राज्य सूची का विषय है।
- आजादी से पूर्व राजस्थान में सर्वप्रथम 1928 को **बीकानेर** रियासत में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया।
- उसके बाद जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, भरतपुर व करौली में पंचायत अधिनियम बनाये गये।
- भारतीय संविधान के **भाग–4** (राज्य के नीति–निदेशक तत्त्व) के **अनुच्छेद–40** में **ग्राम पंचायतों के संगठन** से संबंधित प्रावधान है।
- सम्पूर्ण पंचायतीराज **महात्मा गांधी** को समर्पित है। यह उनके ग्राम स्वराज की अवधारणा को मूर्तरूप देता है। जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक '**My Picture of Free India**' में किया गया।
- वर्ष 1952 में **सामुदायिक विकास कार्यक्रम** तथा 1953 में **राष्ट्रीय विस्तार सेवा का** प्रारम्भ किया गया, लेकिन ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाये।
- राजस्थान में पंचायतीराज विभाग की स्थापना 1949 में हुई।
- **सम्पूर्ण राज्य में पंचायतों के गठन एवं संचालन के लिए राजस्थान पंचायत अधिनियम–1953** पारित किया गया, जिसके अन्तर्गत राज्यभर में पंचायतों की स्थापना की गई।
- राजस्थान में सर्वप्रथम **पंचायत अधिनियम–1953** में बनाया गया।
- वर्ष 1959 में राजस्थान में पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम–1959 पारित कर लागू किया गया।
- पण्डित **जवाहर लाल नेहरू** ने पंचायतीराज को 'लोकतंत्र की पाठशाला' कहा। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 के राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों का परीक्षण, निरीक्षण एवं बेहतर परिणाम प्राप्त करने के सुझाव एवं सिफारिश के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था।
- **बलवंतराय मेहता समिति** ने 24 नवम्बर, 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतीराज के गठन की सिफारिश की।
- बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर **2 अक्टूबर, 1959** को नागौर के बगदरी गांव में देश की पहली पंचायत की नींव रखी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने किया, इस दौरान राजस्थान के **मुख्यमंत्री** मोहनलाल सुखाड़िया तथा **राज्यपाल** गुरुमुख निहाल सिंह थे। इस प्रकार राजस्थान **देश का पहला** राज्य बन गया जहाँ पंचायतीराज की शुरूआत की गई।
- राजस्थान में पंचायतीराज की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की गई।
- राजस्थान के बाद देश का दूसरा राज्य **आंध्रप्रदेश** था

❖ भारत सरकार द्वारा गठित पंचायती राज से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समितियाँ एवं उनकी सिफारिशें

✦ बलवन्त राय मेहता समिति– (1957)

- इसका गठन जनवरी 1957 में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय योजना आयोग द्वारा किया गया।
- यह पंचायती राज पर गठित प्रथम समिति थी।
- इसके **अध्यक्ष** बलवंत राय मेहता थे। जिन्हें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का जनक माना जाता है। अर्थात् इन्हें **पंचायतीराज व्यवस्था का वास्तुकार** (शिल्पी) कहा जाता है।

10 नगरीय स्वशासन

- भारत में **शहरी स्वशासन** का रूप नगरीय शासन के नाम से भी जाना जाता है।
- राजस्थान में प्रथम नगर पालिका– माउंट आबू (1864)
- इसके बाद 1866 में **अजमेर**, 1867 में **ब्यावर** तथा 1869 में **जयपुर** में नगरपालिकाओं की स्थापना हुई।
- एकीकरण के समय राजस्थान में **7 जिला बोर्ड**, एक नगर निगम (उदयपुर) तथा **136 नगरपालिकायें** कार्यरत थी।
- राजस्थान में स्थानीय निकाय विभाग की स्थापना– 1950
- राजस्थान में स्थानीय निकाय निदेशालय का मुख्यालय– जयपुर
- वर्तमान में नगरीय स्वशासन **राज्य सूची** का विषय है। (भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत)

अनुच्छेद	उल्लेख
अनुच्छेद–243 (त) P	परिभाषाएँ
अनुच्छेद–243 (थ) Q	नगरपालिका का गठन
अनुच्छेद–243 (द) R	नगरपालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद–243 (ध) S	वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
अनुच्छेद–243 (न) T	स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद–243 (प) U	नगरपालिकाओं की अवधि
अनुच्छेद–243 (फ) V	सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
अनुच्छेद–243 (ब) W	नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद–243 (भ) X	नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
अनुच्छेद–243 (म) Y	वित्त आयोग
अनुच्छेद–243 (य) Z	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा (अंकेक्षण)
अनुच्छेद–243 (य क) ZA	नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद–243 (य ख) ZB	संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
अनुच्छेद–243 (य ग) ZC	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनुच्छेद–243 (य घ) ZD	जिला योजना के लिए समिति
अनुच्छेद–243 (य ङ) ZE	महानगर योजना के लिए समिति
अनुच्छेद–243 (य च) ZF	विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
अनुच्छेद–243 (य छ) ZG	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

- वर्ष 1989 में राजीव गाँधी सरकार द्वारा **65वें संविधान संशोधन** के माध्यम से नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह संशोधन **राज्यसभा** से पारित नहीं हो पाया था।
- नगरीय इकाइयों को **74वें संविधान संशोधन**, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के समय दिया गया तथा यह अधिनियम 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ।
- 74वां संविधान संशोधन 1992 राजस्थान में लागू–9 अगस्त, 1994
- 74वें संविधान संशोधन–1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग–9(क) जोड़ा गया, जिसमें **अनुच्छेद–243 (P)** से 243 **(ZG)** तक (कुल 18 अनुच्छेद) तथा **अनुसूची–12** (18 विषय) जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है।

✦ अनुच्छेद–243त(P)– परिभाषाएँ

- इस अनुच्छेद में समिति, जिला, महानगर क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र, जनसंख्या आदि की परिभाषाएँ उल्लेखित हैं।
- **महानगर क्षेत्र**– इसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं और जो दो या दो से अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे **राज्यपाल** इस भाग के प्रयोजनों के लिए, **लोक अधिसूचना द्वारा**, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

✦ अनुच्छेद–243थ(Q)– नगर पालिकाओं का गठन

✦ अनुच्छेद–243थ(1)– प्रत्येक राज्य में **त्रिस्तरीय** नगरपालिकाओं की संरचना का उपबंध है।

➢ (क)– **नगर पंचायत** (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) किसी भी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात् जो **ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित** हो रहा हो।

➢ (ख)– **नगरपालिका परिषद्**– छोटे या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए।

➢ (ग)– **नगर निगम**– किसी बड़े या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए।

- परन्तु इस अनुच्छेद के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी। जिसे राज्यपाल, **औद्योगिक नगरी** के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

✦ अनुच्छेद–243थ(2)– किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका, नगरपरिषद्, नगर निगम का दर्जा **राज्यपाल द्वारा** अधिसूचना जारी करके दिया जाता है।

11 प्रमुख आयोग

राजस्थान लोक सेवा आयोग

- भारत में **सर्वप्रथम** 1919 के शासन अधिनियम द्वारा सन् 1926 में लोक सेवा आयोग (मेरिट पद्धति का वॉच डॉग) की स्थापना हुई।
- राजस्थान राज्य गठन के समय कुल 22 प्रान्तों में से केवल 3 **प्रान्तों** (जयपुर, जोधपुर व बीकानेर) में लोक सेवा आयोग गठित थे।
- राजस्थान में **सर्वप्रथम** लोक सेवा आयोग का गठन जोधपुर (1939) में किया गया। इसके पश्चात् जयपुर (1940) व बीकानेर (1946) लोक सेवा आयोगों की स्थापना हुई।
- रियासतों के विलय के बाद **16 अगस्त, 1949** को राजस्थान के राजप्रमुख (सवाई मानसिंह द्वितीय) द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु 28वाँ अध्यादेश (Ordinance) जारी किया गया, जिसका राजपत्र में प्रकाशन **20 अगस्त, 1949** को हुआ।
- 16 अगस्त, 1949 को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के लोकसेवा आयोग समाप्त कर दिये गये।
- **22 दिसम्बर, 1949** को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग की धारा–1(3) के अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन किया गया तथा **22 दिसम्बर, 1949** को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
- आयोग के प्रारम्भ के समय **एक अध्यक्ष** एवं **दो सदस्य** थे।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय मुख्यालय जयपुर रखा गया था, लेकिन बाद में **पी. सत्यनारायण राव कमेटी** की सिफारिश पर 01 नवम्बर, 1956 को आयोग का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया।
- आयोग एक **संवैधानिक संस्था** है जिसका उल्लेख संविधान के **भाग 14** में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है।

✦ अनुच्छेद–315– राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

➢ अनुच्छेद–315 (1)– प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

➢ अनुच्छेद–315 (2)– **संयुक्त लोक सेवा आयोग** (दो या दो से अधिक राज्यों के लिए विधानमण्डल के प्रस्ताव द्वारा संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है।)

✦ अनुच्छेद–316– सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल

➢ अनुच्छेद– 316 (1)– राज्य लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष** व **सदस्यों** की **नियुक्ति** राज्यपाल द्वारा की जाती है।

- परन्तु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से **आधे सदस्य** ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के **अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक** पद धारण कर चुके हैं।
- अनुच्छेद– 316 1(क)– यदि आयोग के **अध्यक्ष का पद रिक्त** हो या अध्यक्ष की **अनुपस्थिति** के कारण या **अन्य कारण** से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राज्यपाल आयोग के **अन्य सदस्यों** में से किसी एक सदस्य को **अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त** कर सकता है जब तक **अध्यक्ष पुनः पद ग्रहण नहीं** कर ले।

☞ **नोट–** 15वें संविधान संशोधन 1963 की धारा–11 द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 316(1क)** को जोड़ा गया।

➢ अनुच्छेद–316 (2)– राज्य लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष** व **सदस्यों** का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष **की आयु, इनमें से जो भी पहले** हो, तक अपना पद धारण करेंगे।

☞ **नोट– 41वें संविधान संशोधन** 1976 की धारा–2 के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा **60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर** दी गई है।

☞ **ध्यान रहे–** संयुक्त लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष** व **सदस्यों** का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, होता है।

- अनुच्छेद–316 2(क)– राज्य लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष** व **सदस्य** राज्यपाल **को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर** सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं।

☞ **ध्यान रहे–** राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति को प्राप्त है।

✦ अनुच्छेद–317– अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन या हटाया जाना

➢ अनुच्छेद–317(1)– राज्य लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर** राष्ट्रपति हटा सकता है, परन्तु ऐसे मामले में **राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय** द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार की गई **जाँच की रिपोर्ट के बाद** हटा सकता है।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत् राजस्थान राज्य सूचना आयोग (RIC) का गठन किया गया।
- सूचना आयोग एक वैधानिक (सांविधिक) व पूर्णतया स्वायत्तशासी निकाय है।
- RIC सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में अन्तिम अपीलीय प्राधिकरण है। इसके निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगें। RIC को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी **जाँच करने** का भी अधिकार है, जो किसी **लोकसूचना अधिकारी** से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।

➢ धारा–15(1) गठन– राज्य सूचना आयोग का गठन **13 अप्रैल, 2006** को हुआ, लेकिन कार्य **18 अप्रैल, 2006** को प्रारम्भ हुआ।

➢ धारा–15(2) संरचना– यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक **मुख्य सूचना आयुक्त** व आवश्यकतानुसार (अधिकतम 10) सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं।

- राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान में **मुख्य सूचना आयुक्त** व 4 सूचना आयुक्त के पद सृजित है।

➢ धारा–15(3) नियुक्ति – मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक **चयन समिति** की सिफारिश पर की जाती हैं।

➢ चयन समिति–
1. **मुख्यमंत्री**– यह समिति का **अध्यक्ष** होता है।
2. विधानसभा में **प्रतिपक्ष के नेता**।
3. मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक **मंत्रिमण्डल का सदस्य**।

➢ धारा–15(4)– राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण **अधीक्षण, निदेशन** और **प्रबन्ध** राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जायेगी।

➢ धारा–15(7)– **मुख्यालय**– जयपुर

✦ धारा–16– पदावधि एवं सेवा की शर्तें

- **मुख्य सूचना आयुक्त** व **राज्य सूचना आयुक्त** अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक अपना पद धारण करेगा।
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन **सूचना आयुक्त**, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होंगे।

➢ धारा–16(3) शपथ– मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे।

➢ धारा–16(4) त्यागपत्र– मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त किसी भी समय हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सम्बोधित कर सकते हैं।

➢ धारा–16(5) वेतन एवं भत्ते–
1. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते **राज्य निर्वाचन आयुक्त** के समान होते हैं।
2. राज्य के सूचना आयुक्तों के **वेतन** एवं **भत्ते** राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होते हैं।

☛ **नोट**– सूचना के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य के **मुख्य सूचना आयुक्त** व अन्य **आयुक्त के वेतन** एवं **भत्तों** तथा पदावधि एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

✦ धारा–17– राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को पद से हटाया जाना

➢ धारा–17(1)– मुख्य व अन्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा **कदाचार व असमर्थता के आधार पर** पद से तभी हटाया जायेगा, जब **उच्चतम न्यायालय** ने राज्यपाल द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर जाँच के बाद यह रिपोर्ट दे दी हो कि तत्काल उस पद से हटा दिया जाना चाहिए।

➢ धारा–17(2)– **राज्यपाल**, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर आदेश पारित होने तक पद से निलंबित कर सकता है।

➢ धारा–17(3)– **राज्यपाल** द्वारा निम्नलिखित दशाओं में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है– 1. **दिवालिया** घोषित होने पर
2. वह किसी **अपराध के लिए** दोषी ठहराए जाने पर
3. अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्त्तव्यों से अन्य किसी लाभ का पद धारण कर लेने पर।
4. वह **मानसिक** या **शारीरिक अक्षमता** के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होना।

- वार्षिक रिपोर्ट– अधिनियम की धारा–25(1) के अनुसार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट **राज्य सरकार** को सौंपता है, जो विधानमण्डल के समक्ष रखती है।

12 प्रमुख अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

- भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता 'अरूणा रॉय' को माना जाता है। इन्होंने 1995–96 में **'मजदूर किसान शक्ति संगठन'** बनाकर ब्यावर में सूचना के अधिकार हेतु आंदोलन चलाया।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, अधिनियम के कुछ प्रावधान उसी दिन तत्काल प्रभाव से लागू हो गये थे। सम्पूर्ण रूप से यह अधिनियम भारत में 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ।
- राजस्थान में **सूचना का अधिकार अधिनियम** 13 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ था।

✦ सूचना के अधिकार के मुख्य उद्देश्य– नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व** को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे **लोकतंत्र** को **लोगों के लिए कामयाब** बनाना है।

✦ स्वैच्छिक प्रकाशन

➢ धारा–4 (ए)– सभी लोक प्राधिकारियों को अधिनियम के प्रकाशन के 120 **दिवसों** की समयबद्ध अवधि में 17 सूत्रीय सूचनाओं का प्रकाशन करना होगा। जिसमें **रिकॉर्ड्स का तैयार** होना, उसका **कम्प्यूटरीकरण** कर नेट प्रणाली से इस प्रकार जोड़ा जाना है कि **प्रत्येक नागरिक** की उस तक पहुँच संभव हो।

✦ समयबद्धता

- लोक **सूचना अधिकारी** को 30 **दिन** का समय सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रतिपादित किया गया है। यदि **30 दिन के बाद** सूचना देता है तो वह नागरिक से फीस नहीं लेगा।
- **प्रथम अपीलीय** अधिकारी यदि 30 दिन में अपील का निर्णय नहीं करता है, तो **नागरिक** सूचना आयोग के समक्ष **द्वितीय अपील** कर सकता है।

✦ सूचनाधिकार संबंधित शुल्क

- आवेदन शुल्क सभी जगह लगभग समान है, जो **10 रुपये है**, परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए, कोई शुल्क नहीं है।

☛ इस अधिनियम के तहत् उल्लंघनकर्त्ता लोक सूचना अधिकारी को **दण्ड** दिए जाने का प्रावधान है–

- बिना कारण सूचना उपलब्ध कराने में देरी करने के लिए सूचना आयोग 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है।
- अनुरोध को न मानने या गलत नियत से सूचना को नष्ट करने या जान–बुझ कर गलत सूचना देने पर 25,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

✦ सूचनाधिकार के अपवाद

- इस अधिनियम के **भाग 8** के अनुसार वे सूचनाएँ निहित होती हैं जिन्हें देने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है–

1. ऐसी सूचना जिसे देने से देश की **प्रभुसत्ता, अखण्डता, सुरक्षा, रणनीति,** राष्ट्रीय हित को नुकसान हो तथा विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो।
2. जिससे **संसद** या **विधानमण्डल** के विशेषाधिकार **भंग** होते हो।
3. जिस पर **न्यायालय** या **अन्य प्राधिकरण** ने रोक लगा रखी हो।
4. जो सूचना किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हुई हो।
5. जो **पुलिस** या **सुरक्षा व्यवस्था** को बनाये रखने के लिए विश्वास में दी गई सूचना के स्रोत को उजागर करती हो।

राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम–2011

- राज्य की जनता को सरकारी सेवाएँ एक निश्चित समय–सीमा में उपलब्ध करवाने तथा लोक सेवकों को **उत्तरदायी** एवं **जवाबदेय** बनाने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री** अशोक गहलोत ने 14 नवम्बर, 2011 को **'राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम–2011'** लागू किया।
- यह एक ऐसा **अधिनियम** है जो **राज्य** की **जनता** को नियत समय सीमाओं के भीतर सेवाएँ प्रदान करने की गारण्टी प्रदान करता है।
- प्रारम्भ में इस अधिनियम के तहत 15 विभागों की 108 सेवाएँ जनता को उपलब्ध कराई जा रही थी।